सप्तम माला, खंड 32, अंक 6, सोमवार, 11 अक्तूबर, 1982/19 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिंदी संस्करण

(दसवां सत्र)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. 53 (17)
Date 23.2.83

(खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

सप्तम माला, खंड 32, अंक 6, सोमवार, 11 अक्तूबर, 1982/19 आश्विन, 1904 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	101 से 106 और 108.	2—27
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	107 और 109 से 120.	27—203
अतारांकित प्रश्न संख्या	1106 से 1162, 1164 से 1223, 1225 से 1261 और 1263 से 1292.	
सभा पटल पर रखे गए पत्र		204—207, 304-305
राज्य सभा से सन्देश		207—208
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		208—221
पंजाब नेशनल बैंक समेत राष्ट्रीयकृत बैंकों की तिजोरियों से खराब और जारी न किए जा सकने वाले करैंसी नोटों को निकाल ले जाने के कांड के समाचार तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही		
श्री राजेश कुमार सिंह		208-210
श्री प्रणव मुखर्जी		210-216
श्री नवल किशोर शर्मा		216-219
श्री ए० यू० आजमी		219-221
नियम 377 के अधीन मामले :		221—225
(एक) भारत की सांस्कृतिक धरोहर बनाये रखने हेतु नीति बनाने की आवश्यकता		
श्री भीखा भाई		221

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(दो) राजस्थान के कापुर्डी और मेड़ता क्षेत्रों में उपलब्ध लिग्नाइट संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 221-222

(तीन) केरल में कॉफी उत्पादकों को यथोचित मूल्य दिलाना

श्री इ० के० इम्बीचीबावा 222-223

(चार) केरल में चेरुथुरुथि स्थित भारतीय पंचकर्म संस्थान में पोलियो केन्द्र स्थापित करना

श्री वी० एस० विजयराघवन 223

(पांच) कर्नाटक के गोमटेश्वर के आसपास खदान कार्य पर रोक लगाने हेतु कदम उठाना

श्री आर० शमन्ना 223-224

(छः) देश में नशाबन्दी लागू करने हेतु कदम उठाना

श्री वी० डी० सिंह 224-225

प्रधान मन्त्री की सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की यात्रा के बारे में एक वक्तव्य

श्री पी० वी० नरसिंह राव 225—229

बंगलादेश जनवादी गणराज्य की सरकार की मंत्रि-परिषद के अध्यक्ष महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की हाल की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य

श्री पी० वी० नरसिंह राव 229—238

औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव :

श्री बी० शंकरानन्द 238—249

विषय		पृष्ठ
खण्ड 2 से 42 और एक पारित करने का प्रस्ताव :		249-255
श्री बी० शंकरानंद	249-250	
श्री मनीराम बागड़ी	250-251	
डा० वी० कुलनदईवेलु	251-255	
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव :		255-290
चर्चा समाप्त नहीं हुई ।		
श्री सतीश अग्रवाल	255-258	
श्री प्रणव मुखर्जी	258-264	
श्री सुनील मैत्रा	264-274	
श्री वाई० एस० महाजन	274-278	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	278-286	
श्री मूलचन्द डागा	287-290	
आधे घण्टे की चर्चा		290-204
राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को बन्द किया जाना		
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	290-293	
श्री बालेश्वर राम	293-296	
श्री मूलचन्द डागा	296-297	
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार	297-298	
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	298-299	
श्री हरिकेश बहादुर	299-301	

विषय पृष्ठ

(दो) राजस्थान के कापुर्डी और मेड़ता क्षेत्रों में उपलब्ध लिग्नाइट संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 221-222

(तीन) केरल में कॉफी उत्पादकों को यथोचित मूल्य दिलाना

श्री इ० के० इम्बीचीबावा 222-223

(चार) केरल में चेरुथुरुथि स्थित भारतीय पंचकर्म संस्थान में पोलियो केन्द्र स्थापित करना

श्री वी० एस० विजयराघवन 223

(पांच) कर्नाटक के गोमटेश्वर के आसपास खदान कार्य पर रोक लगाने हेतु कदम उठाना

श्री आर० शमन्ना 223-224

(छः) देश में नशाबन्दी लागू करने हेतु कदम उठाना

श्री वी० डी० सिंह 224-225

प्रधान मन्त्री की सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की यात्रा के बारे में एक वक्तव्य

श्री पी० वी० नरसिंह राव 225—229

बंगलादेश जनवादी गणराज्य की सरकार की मंत्रि-परिषद के अध्यक्ष महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की हाल की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य

श्री पी० वी० नरसिंह राव 229—238

औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव :

श्री बी० शंकरानन्द 238—249

विषय		पृष्ठ
खण्ड 2 से 42 और एक पारित करने का प्रस्ताव :		249-255
श्री बी० शंकरानंद	249-250	
श्री मनीराम बागड़ी	250-251	
डा० वी० कुलनदईवेलु	251-255	
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव :		255-290
चर्चा समाप्त नहीं हुई ।		
श्री सतीश अग्रवाल	255-258	
श्री प्रणव मुखर्जी	258-264	
श्री सुनील मैत्रा	264-274	
श्री वाई० एस० महाजन	274-278	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	278-286	
श्री मूलचन्द डागा	287-290	
आधे घण्टे की चर्चा		290-204
राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को बन्द किया जाना		
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	290-293	
श्री बालेश्वर राम	293-296	
श्री मूलचन्द डागा	296-297	
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार	297-298	
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	298-299	
श्री हरिकेश बहादुर	299-301	

लोक सभा

सोमवार, 11 अक्तूबर, 1982/19 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को एक योग्य सांसद, एक संवैधानिक विशेषज्ञ और व्यावहारिक जीवन में एक सच्चे समाजवादी श्री हरि विष्णु कामत के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री कामत 1946-52 के दौरान संविधान सभा और अस्थायी संसद के सदस्य थे। वे प्रथम, तृतीय तथा छठी लोक सभा के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः 1955-57, 1962-67 और 1977-79 के दौरान सदस्य रहे।

संविधान सभा के वाद-विवाद श्री कामत के ज्ञान और संविधान के विभिन्न खंडों को अन्तिम रूप देने तथा उनके सूक्ष्म अर्थ निकालने में उनके योगदान के प्रमाण हैं। सभा के कार्य के प्रति उनके समर्पण के कारण पहली, तीसरी और छठी लोक सभा के कार्य में उनका योगदान उल्लेखनीय है। वह एक जागरूक सदस्य थे जिन्होंने इस बात में निरन्तर रुचि रखी कि संसदीय प्रक्रियाओं का सही अर्थों में ठीक प्रकार से पालन हो।

1977-78 के दौरान याचिका समिति के चेयरमैन के रूप में उनका विशेष योगदान रहा है।

वह बुद्धिवादी थे जिनको पुस्तकों से प्रेम था और वह संसदीय ग्रंथालय समिति के सदस्य रहे।

उन्होंने संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा आयोजित वार्ताओं और चर्चाओं में गहन रुचि ली।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्होंने 1938 में प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और वह अनेक बार जेल गए।

स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से पूर्व उन्होंने राज्य सरकार में उच्च पदों पर कार्य किया।

उन्होंने व्यापक यात्रा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक स्वतन्त्र पत्रकार थे तथा अनेक पुस्तकों के लेखक थे।

श्री कामत का 75 वर्ष की आयु में 9 अक्तूबर, 1982 को नागपुर में निधन हो गया।

हम इस विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के निधन पर गहरा शोक संवेदना प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ शोक-सन्तप्त परिवार के साथ शोक संवेदना प्रकट करेगी।

सभा दुःख प्रकट करने हेतु अब कुछ क्षणों के लिए मौन खड़ी होगी।

(तत्पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोसी, कमला और बागमती नदियों पर बांधों का निर्माण किया जाना

*101 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई मंत्री** कोसी, कमला और बागमती नदियों पर बांधों का निर्माण किए जाने के बारे में 9 अगस्त, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 414 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाराह क्षेत्र में कोसी नदी पर प्रस्तावित बहुद्देश्यीय बांध सम्बन्धी अद्यतन परियोजना रिपोर्ट का मुख्य ब्यौरा क्या है, यह अद्यतन परियोजना रिपोर्ट ठीक-ठीक किस तारीख को नेपाल सरकार को सौंप दी गई थी, इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया जानने हेतु क्या कोई सम्पर्क स्थापित किया गया था और उसके क्या परिणाम रहे;

(ख) शेष पानी में कमला नदी पर तथा नन्थेर में बागमती नदी पर बहुद्देश्यीय बांधों से सम्बन्धित किसी रिपोर्ट अथवा प्रस्ताव का विशिष्ट ब्यौरा क्या है तथा क्या इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार से आगे कोई बातचीत हुई है;

(ग) क्या विश्व-बैंक की सहायता से बागमती पर रामनगर के पास भारत द्वारा और आगे उत्तर में नेपाल द्वारा बांध-निर्माण कार्य नन्थेर बांध सम्बन्धी निश्चय होने तक स्थगित करने का विचार है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण-1

(क) बाराह क्षेत्र में कोसी नदी पर प्रस्तावित बहुप्रयोजनी परियोजना के लिए अद्यतन की गई व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट का स्थल ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। यह अद्यतन व्यवहार्यता रिपोर्ट नेपाल की महामहिम सरकार को अगस्त, 1981 में भेज दी गई थी। फरवरी, 1982 में, नेपाल की महामहिम सरकार के सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में नेपाल के एक सरकारी दल ने दोनों देशों की साझी नदियों के जल संसाधनों के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए, भारत का दौरा किया था। विचार-विमर्श के दौरान, नेपाल के पक्ष ने यह सूचित किया था कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट का नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। वे आगामी सरकारी स्तर की बैठक में, तब तक अध्ययन पूर्ण हो जाएगा, इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए सहमत हो गए थे।

(ख) नेपाल में चीसा पानी में कमला नदी पर एक बहुप्रयोजनी बांध के लिए एक प्रस्ताव का सुझाव बिहार सरकार द्वारा दिया गया था, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है। जहां तक बागमती नदी पर बहुप्रयोजनी बांध का सम्बन्ध है, नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा यथा-प्रतिपादित प्रस्ताव का ब्यौरा संलग्न विवरण-4 में दिया गया है। कमला और बागमती नदियों पर बहुप्रयोजनी परियोजनाओं के विषय पर फरवरी, 1982 में सरकारी स्तर पर हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। जब नेपाल के पक्ष ने यह सूचित किया था कि वे इस विषय पर आगामी बैठक में विचार-विमर्श करेंगे।

(ग) बागमती पर बराज के निर्माण को न तो स्थगित करने को कोई प्रस्ताव है और न ही इस परियोजना हेतु ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए इस समय विश्व बैंक से सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है।

विवरण-2

व्यवहार्यता रिपोर्ट में दिए गए अनुसार प्रस्तावित कोसी उच्च बांध की मुख्य बातों को दर्शाने वाला विवरण

(1) नेपाल में बाराह क्षेत्र गांव के प्रतिप्रवाह में 1.6 कि. मी. की दूरी पर बांध का स्थल।

(2) प्रस्तावित बांध के 8 कि. मी. अनुप्रवाह में चतरा गांव के निकट बराज।

(3) नींव के ऊपर बांध की अधिकतम ऊंचाई–269 मीटर (883 फुट)

(4) सकल संचयन : 10.9 मिलियन एकड़ फुट।

(5) सक्रिय संचयन : 7.6 मिमियन एकड़ फुट।

(6) निष्क्रिय संचयन : 3.3 मिलियन एकड़ फुट।

सिंचाई लाभ :

(1) सकल कमांन क्षेत्र : 15.22 लाख हैक्टेयर (37.59 लाख एकड़)

(2) सी. सी. ए. : 12.17 लाख हैक्टेयर (30.07 लाख एकड़)

(3) नेपाल में सकल कमान क्षेत्र : 5.46 लाख हैक्टेयर (13.49 लाख एकड़) जिसमें वर्तमान आप्लावन सिंचाई के अंतर्गत 0.9 लाख हैक्टेयर (2.24 लाख एकड़) की सिंचाई को सुनिश्चित करने सहित)

(4) भारत में सकल कमांन क्षेत्र : 9.76 लाख हैक्टेयर (24.10 लाख एकड़)

विद्युत :

(क) बांध पर स्थित बिजलीघर की प्रतिष्ठापित क्षमता : 3000 मे. वा. (500-500 मे. वा. के 6 यूनिट)

(ख) नहर पर स्थित बिजलीघर की प्रतिष्ठापित क्षमता : 300 मे. वा.

(ग) वार्षिक विद्युत उत्पादन 17.99 टी. डब्ल्यू. एच.।

लागत : 4074 करोड़ रुपये।

विवरण-3

चीसापानी (कमला) पर प्रस्तावित जलाशय की मुख्य बातें

बाध के शिखर की ऊंचाई	—	199.9 मीटर	656.0 फुट
बांढ़ नियंत्रण के लिए उच्चतम जल स्तर	—	199.5 मीटर	654.4 फुट
नदी तल की ऊंचाई	—	137.0 मीटर	449.4 फुट
बांध की ऊंचाई	—	64.0 मीटर	209.92 फुट
कार्यकारी क्षमता	—	1.04 मिलियड एम^3	8.48 लाख ए. एफ.

निष्क्रिय संचयन क्षमता	—	0.14 मिलिड एम^3	1.14 लाख एम. एफ.
बाढ़ विनियमनके लिए अतिरिक्त संचयन क्षमता	—	0.28 मिलिड एम^3	2.28 लाख ए. एफ.
आवाह-क्षेत्र	—	1528 वर्ग कि. मी.	590.0 वर्ग मील

विवरण-4

नेपाल की महामहिम सरकार की प्रस्तावित बागमती बहुप्रयोजनी परियोजना का ब्यौरा

स्थान : करमैया के निकट, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग से लगभग दो कि. मी. प्रतिप्रवाह में।

विद्युत :
- बांध की ऊंचाई — 105 मीटर (344.4 फुट)
- प्रतिष्ठापित क्षमता — 140 मेगावाट
- पारेषण — 3 किलोमीटर (1.9 मील)
- अनुमानित लागत — 240 तथा 290 मिलियन के बीच; 1980 के अमरीकी डालर

सिंचाई : जलाशय से वहिर्वाहों को गुरुत्व सिंचाई प्रयोजन के लिए अनुप्रवाह बराज पर व्यवपंवर्तित किया जाएगा।

चरण एक : रोताहाट और बारा जिले–58,000 हैक्टेयर (1,43,320 एकड़)

सरलाही जिला—10,000 हैक्टेयर (24,710 एकड़)

उप-जोड़ : 68,000 हैक्टेयर (1,68,032 एकड़)

चरण दो : सरलाही जिला—54,000 हैक्टेयर (1,33,440 एकड़)

जोड़— 1,22,000 हैक्टेयर (3,01,470 एकड़)

बराज तथा सिंचाई वितरण प्रणाली की अनुमानित लागत — 160 और 180 मिलियन 1980 के अमरीकी डालरों के बीच।

जोड़—अनुमानित लागत — 400 और 470 मिलियन 1980 के अमरीकी डालरों के बीच।

श्री भोगेंद्र झा : यह प्रश्न कोसी, कमला और बागमती नदियों पर तीन बांधों, अर्थात कोसी पर बाराह क्षेत्र में, कमला पर चीसापानी में तथा बागमती पर नन्थेर के संबंध में विशेष रूप से सरकार की प्रतिक्रिया जानने हेतु पूछा गया था। परन्तु दिये गये लिखित विवरण में केवल कोसी नदी पर एक बांध तथा एक अन्य जलाशय तथा एक अन्य बहु-उद्देश्यीय परियोजना के संबंध में सूचना दी गई है। यहां मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उच्चतम स्तर पर यह भ्रान्ति कैसे उत्पन्न हुई जो सम्पूर्ण देश को तथा भारत और नेपाल दोनों देशों के संबंधों को हानि पहुंचा रही है। यह गम्भीर मामला है कि उन्हें बांध के लिए जलाशय और बहु-उद्देश्यीय परियोजना का भ्रम हो गया। इन्हीं भ्रान्तियों के कारण नेपाल के साथ हमारे संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ है। हमने भीमनगर में एक बराज तथा नेपाल में दो चैनलों का निर्माण करवाया था। परन्तु नेपाल को पूर्वी कोसी नदी से पैदा की गई कुछ मेगावाट जलविद्युत के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं हुआ है। बराज के प्रतिप्रवाह को नदी की कृपा पर छोड़ दिया गया जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ें आती हैं तथा अनेक गांव जलमग्न हो जाते हैं। नेपाल की इस संबंध में शिकायत उचित ही है।

हमने जयनगर में एक 'वियर' बांध का निर्माण किया तथा नेपाल के साथ यह समझौता था कि हम अपने तटबन्ध को नेपाल में मृच्छैया तक विस्तार करेंगे ताकि हमारे 'वियर' के कारण अधिक बाढ़ें न आएं। मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि एक गुप्त परिपत्र के द्वारा भारत सरकार ने इस तटबन्ध का निर्माण करने तथा इसका मृच्छैया तथा विस्तार करने से इन्कार कर दिया और इस प्रकार नेपाल के साथ हुए इस समझौते को तोड़ दिया। मैं इससे क्षुब्ध हूं।

नेपाल ने इस वर्ष गोदार पर एक बराज तथा एक हजार क्यूसेक क्षमता वाली दो छोटी नहरों का निर्माण करवाया है जिसने हमारी कोसी नहर प्रणाली को बिल्कुल निरर्थक बना दिया है। जब अभूतपूर्व भयंकर सूखे की स्थिति होती है तब जितना पानी उपलब्ध होता है वह गोदार नदी द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। कमला नदी के दोनों ओर नेपाली भूमि का एक बड़ा भाग बिना सिंचाई के रह जाता है तथा वहां सूखा पड़ता है और इससे हमारी कमला नदी प्रणाली व्यर्थ सिद्ध हुई है तथा आगे भी प्रति वर्ष ऐसा ही होगा, क्योंकि हमने परियोजनाओं के मामले में नेपाल के साथ समन्वय नहीं रखा। इसका हल चीसा-पानी पर एक बहु-उद्देश्यीय बांध का निर्माण था।

दिए गए उत्तर में नेपाल में राजपथ अथवा राजमार्ग पर बागमती नदी पर एक बांध का उल्लेख है। यहां भी एक बहु-उद्देश्यीय बांध से नेपाल के उस सारे क्षेत्र की सिंचाई हो जाती है जिससे यह नदी गुजरती है। इससे बाढ़ों पर भी नियन्त्रण हो जाता और विद्युत उत्पादन में भी सहायता मिलती। मेरा निवेदन है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब क्या प्रश्न है ?

श्री भोगेन्द्र झा : क्योंकि, यदि वे उनके अन्तर को नहीं समझते हैं तो फिर भ्रम उत्पन्न हो जायेगा ।

श्री केदार पाण्डे : मैं इसे समझता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप अतिरिक्त विशेषज्ञता के रूप में उनकी सेवाओं को उपयोग में ला सकते हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : हमने रामनगर में एक परियोजना बागमती के लिए 187 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है । और नेपाल की भी एक परियोजना है । उनकी परियोजना हमारी परियोजना में बाधा डालेगी और हमारी परियोजना ननथेर में प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक सरल सा प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं कि क्या वे ननथेर में बांध का निर्माण करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री भोगेन्द्र झा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इसे स्थगित करने जा रहे हैं और दो देशों के संबंधों में तनाव पैदा करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है मन्त्री महोदय कृपया उत्तर दीजिए ।

श्री केदार पाण्डे : तीन नदियां हैं--कोसी, कमला और बागमती । ये उत्तरी बिहार की बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं ।

जहां तक कोसी नदी का संबंध है बाढ़ क्षेत्र में बांध निर्माण का प्रस्ताव है । इसके लिए बात-चीत काफी समय से चल रही है । 1980 में सचिव स्तर पर प्रथम बैठक हुई थी । अगस्त 1981 में एच० एम० जी० नेपाल को एक अधुनातन सम्भाव्यता परियोजना प्रतिवेदन भेजा गया था । उस सम्भाव्यता प्रतिवेदन के अनुसरण में फरवरी, 1982 में, जल संसाधनों के सचिव की अध्यक्षता में एक सरकारी नेपाली दल ने भारत का दौरा किया और हमारे सिंचाई मंत्रालय के अधिकारियों से लम्बी बात-चीत की । उस समय उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वे अगली सरकारी स्तर की बैठक में इस पर आगे विचार करेंगे और तब तक सम्भाव्यता प्रतिवेदन का अध्ययन भी पूर्ण हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : ननथेर की क्या स्थिति है ?

श्री केदार पांडे : जहां तक बागमती नदी का सम्बन्ध है, ननथेर में एक बांध बनाने का प्रस्ताव है । बागमती एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है । कई वर्षों से ऐसा ही चलता आ रहा है । और जहां तक कमला नदी का सम्बन्ध है, में एक बांध बनाने का प्रस्ताव है । उस पर भी विचार किया जा रहा है ।

जहां तक कमला और बागमती नदियों पर बराज बनाने का सम्बन्ध है, नेपाल अपनी सीमा के अन्दर कमला नदी पर तो पहले ही बराज बना चुका है और बागमती नदी पर बना रहा है। चूंकि वे अपने तटीय भाग में पड़ते हैं इसलिए हम न ही तो रोक सकते हैं, न ही अड़चन डाल सकते हैं और न ही वर्जित कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि गंगा के मामले में बंगला देश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परन्तु हम इसके बारे में बहुत गम्भीर हैं। हमें नेपाल के साथ आपसी समझ-बूझ से काम लेना चाहिए।

जहां तक चर्चाओं का सम्बन्ध है हम इस पर सरकारी स्तर पर विचार कर रहे हैं। परन्तु मेरे विचार में जब तक राजनीतिक स्तर पर, उच्च स्तर पर बात चीत नहीं हो जाती है, इसमें लंबा समय लगेगा। अब मुझे तसल्ली है कि हमें उच्च स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एच० एम० जी० नेपाल के साथ बातचीत करनी होगी। यही इसका मर्म है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटासिंह जी यहां उपस्थित हैं। कृपया उन्हें इसमें भागीदार बनाइये।

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : क्या मैं देशों के नाम जान सकता हूं ?

श्री भोगेन्द्र झा : यह अच्छी बात है कि सरकार राजनीतिक स्तर पर बातचीत करने की आवश्यकता अनुभव करती है। परन्तु मन्त्री महोदय ने फिर से यह कहकर गलत तसवीर रखी है कि नेपाल के कारण बांध में विलम्ब हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीधा-सीधा प्रश्न कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या यह सच नहीं है कि बांध के निर्माण कार्य को नेपाल के कारण स्थगित नहीं किया गया था, बल्कि हमारी गलत समझ के कारण किया गया था ? मैं उदाहरण दे रहा हूं :

> "उच्च बांध के निर्माण कार्य को उस समय बाद के लिए इसलिए स्थगित कर दिया था क्योंकि विद्युत का कोई बाजार नहीं था और एकत्र किये गये जल की सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं थी।"

अब तो वे यह नहीं कह सकते हैं कि उनके यहां बिजली की मांग नहीं है। अतः, मैं यह पूछना चाहता हूं क्या हम नेपाल से बागमती पर राजमार्ग में बांध के निर्माण को स्थगित करने का निवेदन करते हुए, रामनगर में प्रस्तावित बराज के निर्माण कार्य को स्थगित करने जा रहे हैं, जिससे कि दोनों देशों के लाभार्थ ननथेर में बहु-उद्देश्यीय बांध के हक में मामले को तय किया जा सके और इसी प्रकार कमला नदी पदाचीसापानी में और कोसी नदी पर बाढ़ क्षेत्र में बहु-उद्देश्यीय बांध बनाये जायें जिससे कि यह बाढ़ और सूखे की समस्याओं को हल कर सके और समस्त देश के लिए पर्याप्त जल-विद्युत पैदा कर सके।

श्री केदार पांडे : इसका प्रस्ताव तो है। हम कमला या वागमती या कोसी पर बांध निर्माण कार्यों को स्थगित करने नहीं जा रहे हैं। वह प्रस्ताव हमारे ध्यान में है और हम इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। इसलिए मैंने उत्तर में कहा था कि उच्चतम राजनीतिक के स्तर पर इस मामले पर विचार करके इसे अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।

श्री डी० पी० यादव : इस प्रश्न का सम्बन्ध बिहार से है। बिहार का निवासी होने के कारण मैं मन्त्री महोदय से विशिष्ट रूप से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सन्थाल परगना में अजय पर बराज बनाने का कोई प्रस्ताव है जो कि पिछले पांच वर्षों से केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के पास स्थगित पड़ा है। चूंकि यह योजना आयोग और केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के बीच अनिश्चित स्थिति में है, मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय सदन को यह आश्वासन दें कि किस समय तक अजय बराज को स्वीकृति मिल जायेगी।

श्री केदार पांडे : यद्यपि इसका इस प्रश्न से कोई सरोकार नहीं है, मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि अजय पर बराज के निर्माण के बारे में हम तुरन्त कार्यवाही करने जा रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम को हुई भारी हानि

*102. **श्री राजेश कुमार सिंह** :

श्री राम निवास पासवान : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पिछले पांच वर्षों से भारतीय खाद्य निगम को भारी हानि हो रही है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ख) वर्षवार कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम रेलवे को विलम्ब शुल्क के रूप में बड़ी राशि का भुगतान कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा विलम्ब शुल्क के रूप में रेलवे को कुल कितनी राशि का भुगतान किया है; और

(ङ) ऐसी भारी हानि और रेलवे को विलम्ब शुल्क देने से बचने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के परिचालन मुख्यतया गैर-वाणिज्यिक स्वरूप के होते हैं। इसका मुख्य कारण भारत सरकार की खाद्य नीति के अनुरूप में देश भर में खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण, परिवहन और उनका वितरण करना है। इन कार्यों को करने की लागत और सरकार द्वारा निर्धारित किये गये निर्गम मूल्यों के आधार पर प्राप्तियों के बीच के अन्तर को भारत सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में प्रतिपूर्ति हो जाती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को अदा की गई खाद्य राजसहायता का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1977-78	480
1977-79	570
1979-80	600
1980-81	650
1981-82 (संशोधित अनुमान)	700
1982-83 (बजट अनुमान)	700

(ग) और (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलवे को अदा किये गये डेमरेज की राशि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1976-77	1.51
1977-78	1.78
1978-79	1.86
1979-80	1.49
1980-81	1.62

(ङ) यद्यपि भारतीय खाद्य निगम के परिचालनों में सुधार करने के बारे में सभी प्रयास किये जाते हैं। लेकिन निगम को अदा की गई राजसहायता की राशि मुख्यतया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को इक्नामिक लागत से कम मूल्य पर खाद्यान्न सप्लाई करने की केन्द्रीय सरकार की नीति पर निर्भर करती है।

डेमरेज के प्रभार को कम करने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम हैडलिंग और परिवहन ठेकेदारों से डेमरेज के प्रभार को वसूल करने, स्टाफ के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करने, वैगनों पर खाद्यान्नों का लदान करने, उनसे खाद्यान्न उतारने के लिए पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करने के लिए रेलवे से अनुरोध करने और रेलवे को वाक्स तथा जम्बो रेक्स के बारे में लदान और उतारने के लिए निःशुल्क समयावधि में वृद्धि करने के लिए मनाने जैसे विभिन्न पग उठाता है।

श्री राम विलास पासवान : मन्त्री जी ने सारी बंगाल और नेपाल की बात कह दी। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोसी का कितना टार्गेट था और कितना एचीव किया और अभी तक प्रोटेक्शन कितना हो पाया है। मेरा घर कोसी इलाके में है और प्रत्येक साल वहां पर आदमी बह रहे हैं। कितना टार्गेट एरिया आपका था और बांध से कितना आप प्रोटेक्शन करेंगे और अभी तक कितना प्रोटेक्शन आप करने में सक्षम हो सके हैं। कोसी में भयंकर लूट चल रही है, जिसके सम्बन्ध में मैंने पहले भी सदन का ध्यान आकर्षित किया था और चीफ मिनिस्टर द्वारा लूट चल रही है और इस लूट के बारे में आप क्या कर रहे हैं।

श्री केदार पांडे : वास्तव में इस क्वेश्चन के अन्दर ये सब बातें नहीं आती हैं लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कोसी एरिया का फुल प्रोटेक्शन हो गया है लेकिन जहां तक इर्रीगेशन की बात है, ईस्टर्न कोसी का काम तो कम्पलीट है।

श्री राम विलास पासवान : आप कहते हैं कि फुल प्रोटेक्शन हो गई और हमारे इतने सारे आदमी बह गये।

श्री केदार पांडे : जहां तक वैस्टर्न कोसी केनाल की बात है, उसमें कुछ काम हुआ है और कुछ हो रहा है। प्रोटेक्शन की जो बात है, यह मैं बता दूं कि कोसी की वजह से बाढ़ नहीं आई है।

श्री राम विलास पासवान : और लूट की जो बात है।

श्री केदार पांडे : लूट की कोई बात नहीं है। (व्यवधान)···लूट की बात है, तो इसकी इंक्वायरी हो सकती है।

श्री राम विलास पासवान : एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट है। इस सदन में पिछली बार मैंने एस्टीमेट कमेटी रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहा था, तो यह कहा गया था कि इंक्वायरी चल रही है और अभी आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। चेयर की रूलिंग की बात भी मैंने कही थी। पश्चिमी कोसी नहर के सम्बन्ध में कहा था कि उस पर इंक्वायरी चल रही है और आप कहते हैं कि लूट नहीं है।···

(व्यवधान)

श्री केदार पांडे : जनरल लूट की जो बात हैं, वह नहीं हैं।···(व्यवधान)···

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, मंत्री जी से पूछा गया है, उसका उत्तर इन्होंने नहीं दिया है और जो स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है, वह यह है :

"भारतीय खाद्य निगम के परिचालन मुख्यतया गैर-वाणिज्यिक स्वरूप के होते हैं।"

एक बात यह कह दी और दूसरी सब्सीडी वाली कह दी और कहा कि सब्सीडी मिलती है। हमने पूछा था कि 'लास' कितना हुआ है और उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं यह कहना चाहूंगा कि 'लास' के बारे में इनको बताना चाहिये था और यह उत्तर पूर्ण नहीं है। 1978-79 में फूडग्रेन्स, सूगर और दूसरी कामोडिटीज के ट्रांजिट में जो लास हुआ, वह 28.08 करोड़ रुपये का था और 1980-81 में यह 41.40 करोड़ रुपये हो गया यानी 50 प्रतिशत हर साल बढ़ रहा है लेकिन मन्त्री जी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और सिर्फ सब्सीडी की बात कह दी। इस तरह से ये लासेस हो रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये लासेस 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं और यह भी जानना चाहता हूं कि क्या—

"बेईमान गेहूं के व्यापारियों, अधिकारियों और राजनीतिज्ञों ने मिलकर लगभग 200 करोड़ रुपये के भारतीय गेहूं की धोखाधड़ी की है और इस प्रकार खाद्यानों के आयात को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया है ?"

क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है कि पालीटीशियंस और आफीशियल्स सब मिलकर इस तरह घोटाला कर रहे हों। इसके बारे में क्या आपने कोई कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक इतना बड़ा बयान है कि इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दूंगा। भारतीय खाद्य निगम एक वाणिज्यिक संगठन नहीं है। यह तो भारत सरकार की खाद्य नीति के अनुसरण में बिना लाभ-हानि के आधार पर कार्य करता है। भारत सरकार द्वारा निश्चित की गई निर्गम कीमतें, निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद और वितरण की पूरी लागत को पूरा नहीं कर पाती हैं और सरकार की मनमानी सामाजिक नीति के उपाय स्वरूप आर्थिक सहायता दी जाती है। खाद्यान्नों के मामले में निगम द्वारा दी गई लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के अन्तर को सरकार निगम को आर्थिक सहायता देकर पूरा करती है।

भारतीय खाद्य निगम, विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा संगठन है—और यदि मैं यह कहूं कि यदि विश्व में 'सबसे बड़ा' संगठन नहीं है तो—खाद्यान्नों का क्रय और वितरण करने वाला विश्व में बड़ा संगठन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह देश में लाखों टन खाद्यान्नों का आवागमन करता है, जिससे कि सर्वथा दुर्गम क्षेत्रों समेत समग्र देश में खाद्यान्नों की सुलभ उपलब्धता निश्चित की जा सके। 1981-82 में, भारतीय खाद्य निगम ने अकेले रेल द्वारा 116 लाख टन खाद्यान्नों की ढुलाई की।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं ?

राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया ।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, मुझे न तो उनकी भाषा समझ आती है और न ही भावार्थ । मैं इस सभा का ही एक सदस्य हूं और आपको मेरे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये । मैं भाषा और विषयवस्तु दोनों को ही नहीं समझ सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ बातें हानियों के बारे में भी पूछी हैं ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : उन्होंने इन सब बातों से सम्बद्ध अधिकारियों के बारे में पूछा हैं ।

राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, 200 करोड़ रुपये की बात है और आप इस तरह से कह रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो ।

अध्यक्ष महोदय : आप हानि को हानि न गिनिए ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : यह कहना गलत है कि 200 करोड़ रुपये की हानि हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ही ऐसा कहते हैं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या यह कहना सही है कि यह 200 करोड़ रुपये से अधिक होगी ?

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर बहुत गड़बड़ है । मैं जानना चाहता हूं कि जैसा किसी और डी में बताया गया है कि कुछ पैसा रेलवे को डैमरेज आदि के लिए दिया गया है । मेरा कहना यह है कि 41.40 करोड़ का 77-78 में नुकसान हुआ है और 59 करोड़ का नुकसान 80-81 में हुआ है और रेलवे द्वारा कंपेंसेशन दिया गया । ·25 करोड़ और 80-81 में ·18 करोड़ । इतना नुकसान होने के बाद मिलता कुछ भी नहीं है । आपने कहा है कि कुछ कार्यवाही की गई है—

"वास्तविक विलम्ब-शुल्क को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम यह काम संभालने वाले और परिवहन ठेकेदारों से विलम्ब-शुल्क जैसे विभिन्न उपाय कर रहा है जिसमें उत्तरदायित्व कर्मचारियों आदि पर निर्धारित किया जाये ।"

इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी बताएंगे कि जैसा कि अखबारों में भी निकला है, 2 अगस्त का पेट्रियाट है : -

"भारतीय खाद्य निगम के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध मामला समाप्त कर दिया गया है ।" केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने "मुख्य दाण्डिक कार्यवाही को बन्द करने पर आपत्ति की है ।"

मान्यवर, डिप्टी मैनेजर के खिलाफ करप्शन का मामला चला और फिर वह क्लोज कर दिया गया। क्या इसी तरह से होता रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्लोज क्यों किया जाएगा, इंक्वायरी होगी। इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिये। जो अखबारों में आया है उससे साफ है कि डिप्टी मैनेजर फूड कारपोरेशन के ऊपर ये सारे चार्ज हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनके खिलाफ इन चार्जिज को वापिस ले लिया गया है। ऐसा क्यों ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : महोदय, वह एक उप-प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का दोषारोपण कर रहे हैं। इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है। यदि वह उसके विरुद्ध कुछ विशिष्ट आरोपों के बारे में बतायेंगे तो हम इसकी जांच कराने के लिए तैयार है ! और वह·····के बारे में बात कर रहे हैं ·····

अध्यक्ष महोदय : क्या उसके विरुद्ध कोई जांच हुई थी ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : वह उस विलम्ब शुल्क की बात कर रहे हैं जो कि भारतीय खाद्य निगम को रेलवे को देना है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह पूछा है कि क्या उसके विरुद्ध कोई जांच की गई थी ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मुझे इसके लिए सूचना चाहिए, क्योंकि इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया को अगर फ्राड कारपोरेशन आफ इण्डिया या फूड करप्शन आफ इंडिया कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। यह कृषि मत्रालय के सम्बन्ध में 22वीं और 36वीं रिपोर्ट है कमेटी की जिसके चैयरमैन बंसीलाल जी थे। उन्होंने सारी चीज सरकार के सामने ला कर रख दी है। आप देखें कि कितनी ज्यादा बंगलिंग होती है। भारत के महालेखा परीक्षक ने अपनी 1976-77 की रिपोर्ट में साफ कहा है कि 13 करोड़ 29 लाख रुपये का गेहूं खराब हुआ। गुजरात में गांधीधाम में 19 करोड़ 1 लाख का खराब हुआ। 18 परसेंट खराब हुआ। कितनी बंगलिंग हुई इसको आप देखें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तैयार है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए जो एफ० सी० आई० बंगलिंग चल रही है, जो घटिया सामान खरीदा जाता है और गोदामों में रख दिया जाता है और शनों पर जमा करके रख दिया जाता है जिसकी वजह से डैमरेज आदि देना पड़ता है और तेवर्ष जो सबसिडी बढ़ती जा रही है और जो 480 करोड़ हो गई है, उस सब के वास्ते मानेंटली नक्वायरी करती रहे ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : हम ऐसी कोई जांच नहीं करा रहे हैं।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, उन्होंने सरकारी दस्तावेजों से उद्धरण दिये हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : देखिए, जब वह विलम्ब शुल्क की बात कर रहे हैं ..

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह सरासर धोखाधड़ी है।

श्री नीरेन घोष : उन्होंने सरकारी प्रतिवेदन से उद्धरण दिया है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : महोदय, सभी चिल्ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस प्रश्न को यहां उत्तर से नहीं निपटाया जा सकता। हम आधे घण्टे की चर्चा करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : *

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

अकाल की स्थिति के संबंध में उच्च स्तर के अधिकारियों की बैठक

103. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** :

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्यमान अकाल की स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में निर्णय करने के लिए हाल ही में उच्चाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो मुख्य रूप से कौन-सी सिफारिशें की गईं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) देश में उत्पन्न सूखे की स्थिति की समीक्षा करने तथा स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों की अनेक बैठकें हुई हैं। बैठकों में डीजल और बिजली की सप्लाई, सिंचाई के जलाशयों से पानी छोड़ने, सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना करने, बीजों की सप्लाई करने, चारा बैंक, पीने के पानी की स्थिति, सार्वजनिक वितरण के लिए

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

खाद्यान्नों के आवंटन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि से संबंधित स्थिति की समीक्षा की गई थी। समीक्षा करने से सम्बन्धित इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए सम्बद्ध मंत्रालयों ने कदम उठाए ।

श्री फूल चन्द वर्मा : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में चारे की, डीजल की, सिंचाई आदि की व्यवस्था के बारे में बताया है। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि 35 साल की आजादी के बाद भी न तो हम सूखे से निपटने की कोई स्थायी योजना बना पाए हैं और न ही ..

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा विस्तार पूर्वक बोलेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। बाद में हम इस विषय पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। हम बाद में पूरी चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस सप्ताह बाद में, सारी ही स्थिति पर चर्चा करेंगे। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अच्छा यह होगा कि आप छोटा-सा प्रश्न पूछिए।

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष जी, देश के जिन-जिन प्रान्तों में सूखा पड़ा है, जैसे मध्य प्रदेश, पंश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक आदि, इन सारे प्रदेशों में सूखा पड़ा है। मध्य प्रदेश के 45 जिलों में से 23 जिलों में सूखे की स्थिति है, क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने तथा अन्य प्रान्तों की सरकारों ने इस सूखे से निपटने के लिए कुछ धन राशि मांगी है ? यदि हां, तो आपने कितनी धनराशि की स्वीकृति दी है, और सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए आप कोई टीक भेज रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह सारा मामला डिस्कशन में आ जायेगा। 4, 6 घंटे का डिस्कशन होगा। चर्चा के दौरान इस पर विचार किया जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : सूखे के कारण जो लोग मरे हैं उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : सारे का सारा मामला डिस्कशन होगा।

श्री फूलचन्द वर्मा : मध्य प्रदेश से लोग नौकरी की तलाश में भाग रहे हैं ..

अध्यक्ष महोदय : सारे का सारा मामला आयेगा डिस्कशन में। इसीलिए तो मैंने चर्चा रखी है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, मैं उत्तर दे सकता हूं। मध्य-प्रदेश सरकार से कोई ज्ञापन नहीं मिला है। जब हमें ज्ञापन मिलेगा तो हम अपना दल वहां भेज सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा के दौरान पूर्णतया उत्तर दे सकते हैं।

तमिलनाडु द्वारा केन्द्रीय पूल से कम चावल उठाना

*104 **श्री ईरा अनवारासु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सकार ने जनवरी से मई, 1982 तक की अवधि के लिए उसे आवंटित 1,95,000 टन चावल में से केवल 1,18.900 टन चावल उठाने का कोई कारण दिया है;

(ख) क्या केन्द्र का तमिलनाडु अथवा अन्य किसी राज्य को उनको आवंटन को उठाने की क्षमता की सीमा तक चावल आवंटित करने का विचार है; और

(ग) क्या केन्द्र ने इस बात का पता लगाने का कोई प्रयास किया है कि तमिलनाडु में उचित दर की दुकानों के लिए दिए गए चावल और गेहूं को स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक खाद्य कार्यक्रम हेतु दिया जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने जनवरी से मई, 1982 तक के महीनों के लिए केन्द्रीय पूल से किये गये 1,95,000 मीटरी टन चावल के आवंटन में से 1,68,947 मीटरी टन चावल की मात्रा उठाई है। उनके अनुसार, शेष बिना उठाई गई मात्रा रेलवे और भारतीय खाद्य निगम द्वारा तमिलनाडु को भेजी नहीं जा सकी। तथापि, सरकार के पास उपलब्ध सूचनानुसार, केन्द्र से राज्य को किए गये आवंटनों को पूरा करने के लिए तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त स्टाक था।

(ख) तमिलनाडु समेत विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से चावल के आवंटन, केन्द्रीय पूल में स्टाक की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किये जाते हैं। उपर्युक्त कसौटी को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं की प्रतिमास समीक्षा की जाती है और आवंटनों में वृद्धि/कमी की जाती है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल और गेहूं को स्कूल जाने वाले बच्चों के पोषाहार कार्यक्रम के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

श्री ईरा अनवारासु : श्रीमन्, इससे पहले कि मैं प्रश्न पर बोलूं···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ और स्थानों का दौरा करना पसन्द करेंगे ?

श्री ईरा अनबारासु : जी नहीं। मैं भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार द्वारा परस्पर विरोधी उत्तरों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले तो उनके अनुसार बकाया न उठाई गई मात्रा को तमिलनाडु में रेलवे और भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजी नही जा सकी। तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह उत्तर दिया है। लेकिन अगली ही लाईन में उन्होंने कहा है कि सरकार

को प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्र से राज्य को किए गए आबंटनों को पूरा करने के लिए तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त स्टाक था।

इससे पता चलता है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया उत्तर निश्चित रूप से गलत है। श्रीमान्, आप जानते ही हैं कि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री फिल्मों में दोहरी भूमिका निभाने में सिद्धहस्त हैं। वह राजनीति में दोहरी यहां तक कि कई भूमिकाएं एक साथ निभाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही में तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री और राजस्व मन्त्री ने यह वक्तव्य दिया था कि केन्द्र सरकार तमिलनाडु सरकार को पर्याप्त मात्रा में गेहूं और चावल भेजने में फेल रही है और उसने इसकी उपेक्षा की है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री को इस प्रकार के वक्तव्यों की जानकारी है।

मैं माननीय मन्त्री से तमिलनाडु की जनता के लिये स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य भ्रामक हैं। यह लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है।

इसलिये मैं मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिये।

श्री ईरा अनबारासु : तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री का कथन है कि केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में चावल और गेहूं नहीं भेजा है।

मैं माननीय मंत्री से तमिलनाडु के लोगों के लिए स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया वक्तव्य गलत और भ्रामक है।

मैं जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार द्वारा 1982-83 के लिये चावल के आबंटन के लिए कोई मांग आई है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : रेलवे की वजह से निकासी कम हुई। लेकिन भारतीय खाद्य निगम के पास स्टाक था। अन्य कारण भी हैं।

उदाहरण के तौर पर तूतीकोरिन के लिये हमारे पास 100,00 टन पर्वतीय चावल और 2,000 टन कच्चे चावलों का स्टाक है। मान लो वे 5,000 टन कच्चे चावलों की मांग करते हैं। लेकिन हमारे पास केवल 2,000 टन कच्चे चावल हैं। वे हम से 2,000 टन कच्चे चावल लेंगे और 3,000 टन की सप्लाई वे खुद करेंगे।

कुल 1,95,000 टन चावल उन्होंने नहीं उठाया है। इस तरह विभिन्न राज्यों में, जिला मुख्यालय होते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है।

माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है, वह यह है कि तमिलनाडु द्वारा खाद्यानों की सप्लाई करने का अनुरोध, जहां तक केन्द्र सरकार की नीति का प्रश्न है हम जो कुछ भी राज्य पूल से केन्द्रीय पूल को दिया जाता है, उसी अनुपात से खाद्यान्न आवंटन करते हैं। पिछले वर्ष तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय पूल में कुछ भी खाद्यान्न नहीं दिया इसलिये हमने उनको आवंटित नहीं किया। मई तक यह पिछले वर्ष का आवंटन था।

लेकिन अब तमिलनाडु में सूजे की स्थिति है। हम समझते हैं कि राज्य के 16 में से 12 जिले सूखे से प्रभावित हैं। हम राज्य सरकार को कहते रहे हैं कि वह इस बारे में हमें ज्ञापन भेजे। उन्होंने अभी तक अपना ज्ञापन नहीं भेजा है। जब वह अपना ज्ञापन भेजेंगे तो हम उसको देखकर उस पर विचार करेंगे। उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम उनको खाद्यान्न भेजेंगे। हम भी तमिलनाडु को खाद्यान्न भेजने के लिये उत्साहित हैं। हम लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे। इस बात के बावजूद कि हमारे सचिव ने उनके मुख्य सचिव से दूरभाष पर बातचीत की है, तमिलनाडु सरकार ने अभी तक अपना ज्ञापन नहीं भेजा है। इस कारण से हम उनको सप्लाई नहीं कर सके।

श्री ईरा अनबारासु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की जानकारी है कि केन्द्र ने तमिलनाडु सरकार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई नहीं की है। मेरा यह विशेष प्रश्न है। मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है।

मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि क्या मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य भ्रामक था।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मुझे यह कहना है कि उन्होंने अनुरोध किया है। वह हमसे खाद्यान्न सप्लाई के लिये अनुरोध करते रहे हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने केन्द्रीय पूल में कुछ भी अंशदान नहीं दिया है। लेकिन उनको स्टाक में दिया गया अपना 4 लाख टन खाद्यान्न मिल चुका है। शीघ्र ही वह इस स्टाक में पड़े 4 लाख टन खाद्यान्न का प्रयोग कर सकते हैं। स्थिति यही है।

श्री ईरा अनबारासु : क्या तमिलनाडु सरकार से अतिरिक्त चावलों की मात्रा के लिए कोई मांग आई है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आपने दो पूरक प्रश्न पूछ लिये हैं।

श्री ईरा अनबारासु : यह पोषाहार कार्यक्रम के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : आपने दो पूरक प्रश्न लिये हैं।

श्री ईरा अनबारासु : यह मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा पूरक प्रश्न कैसे हो सकता है ? कम से कम मैं इतनी गिनती तो जानता हूं।

श्री के० मायातेवर : माननीय कृषि राज्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य मद्रास के मुख्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बिल्कुल विपरीत है । तमिलनाडु सरकार के वित्त मंत्री श्री नेदुनचेंजियान, स्वास्थ्य मंत्री श्री हांडे और जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा राजस्व मंत्री श्री एस. डी. सोमसुन्दरम् और इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्य मंत्री विधान सभा, चुनाव भाषणों और अन्य सार्वजनिक सभाओं में यह कहते रहे हैं कि उन्होंने यह मांग की है कि केन्द्रीय पूल से राज्य सरकार को 85,000 टन चावल और गेहूं दिया जाये, लेकिन उन्हें केवल 38,000 टन ही दिया गया है । इसलिए वे केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगा रहे हैं । लेकिन केन्द्रीय सरकार बिल्कुल ही उल्टे वक्तव्य दे रही है । श्रीमन, इसलिए हम इस मामले पर पूरी चर्चा करना चाहते हैं ।

तमिलनाडु सरकार की अपनी कोई योजना नहीं है और वे आपकी ही योजनाओं को अपनी बना कर लागू कर रहे हैं । आपके पास आत्म-निर्भर बनाने वाली योजना है.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए .....आपका प्रश्न क्या है ?

श्री के० मायातेवर : आपके पास काम के बदले अनाज योजना है । क्या उस योजना को आप चला रहे हैं या एम० जी० आर० ? हम नहीं जानते । उसको अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कहा जाता है और उसके लिए आप अनाज की आबंटन करते हैं । उसके लिए आप कुछ मात्रा में चावल, पैसा और अन्य वस्तुओं का आबंटन करते हैं । अब मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर देते समय तथ्यों की जांच की थी ? श्रीमन, तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार को पूरी तरह गलत, धोखे वाली और गलत आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट दी है । मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह तमिलनाडु सरकार द्वारा दिये गये गलत वक्तव्य के बारे में जांच करेंगे और उसके परिणामों को भारत की सर्वोच्च और प्रभुसत्ता-सम्पन्न संस्था को .....

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : श्रीमन, क्या वह कह सकते हैं कि यह एक गलत वक्तव्य है ।

श्री के० मायातेवर : फिर, श्रीमन्, (ख) एम. जी. आर ने सभी समाचार पत्रों और सभी केन्द्रीय कार्यालयों में यह छपवाया है कि यह एम. जी. आर. का बाल पोषाहार कार्यक्रम है । श्रीमन, जब मैं चुनावों के सिलसिले में गांवों में गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या "हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है या .....××.....

वे यह पूछ रहे हैं । इसका शीर्षक है "एम. जी. आर. का पोष्टिक भोजन"...×...

(व्यवधान)

यह शरारत है । यह सभी जघन्य बातें आप द्वारा दिये गये अनाज के प्रयोग से की जा रही हैं...(व्यवधान)

इसलिए, कृपया उन्हें उत्तर देने दें । (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इसमें गलती क्या है ?.....××...

××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

श्री के० मायातेवर : यह एक अलग मामला है।... ..

(व्यवधान)

श्री सी० टी० दण्डपाणि : सी. पी. आई. (एम) को, एम. जी. आर. को समर्थन देने की आदत है। वह संसद में भी एम. जी. आर. को समर्थन देने के लिए क्यों आये हैं ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : प्रश्न ही नहीं उठता। वे सभी केन्द्रीय सरकार के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने में लगे हुए हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और वहां की सरकार का इसमें कोई वास्ता नहीं है।

श्री के० मायातेवर : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस बाल पोषाहार कार्यक्रम के लिए वे किस स्रोत से चावल और पैसा प्राप्त कर रहे हैं ? (व्यवधान) वे बताना नहीं चाहते। वे एम. जी. आर. द्वारा की गई सभी गलतियों को माफ कर देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं, लेकिन आप उनको ऐसा नहीं करने दे रहे हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : वे मुझे उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

वे 80-85 हजारा मीट्रिक टन खाद्यान्न की मांग कर रहे हैं। हमारे अनुमान से, हम 35,000 मीट्रिक टन प्रति माह देने को तैयार हो गये हैं। हम उनको 35,000 मीट्रिक टन प्रति मास की दर से आबंटन कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। जो कुछ हमने आबंटन किया है उस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है।

जहां तक वक्तव्य का प्रश्न है, जब हमने पूछा कि "क्या आपने हमारे द्वारा सप्लाई किये गये अनाज को बाल पोषाहार कार्यक्रम के लिए दिया है।" तो इस पर राज्य सरकार ने जबाव दिया, 'हमने उस अनाज को इसके लिए नहीं दिया है।' श्रीमन, जब राज्य सरकार रिपोर्ट देती है, तो हमें केन्द्रीय सरकार को इस पर विश्वास करना होता है। हम राज्य सरकार को कोसते नहीं रह सकते, हमारे दल, अन्य दलों और साम्यवादी दलों का कार्यक्रम भी वहां राज्यों में है। हम उन पर दोषारोपण नहीं करते रह सकते.....

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपिता के बारे में कही गई बातें, कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जायेंगीं।

श्री नारायण चौबे : माननीय राज्य मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है। जवाब में उन्होंने कहा है कि क्योंकि तमिलनाडु ने सही तरीके से अनाज की वसूली नहीं की ... ...(व्यवधान) इसलिए उन्होंने तमिलनाडु को पर्याप्त मात्रा में अनाज सप्लाई नहीं किया।

क्या भारत सरकार की यह नीति बन गई है कि जो राज्य अपने यहां कम वर्षा या सूखे की वजह से पूरी सही वसूली नहीं कर सके; उन्हें आप अनाज की सप्लाई ही न करें ? क्या सरकार की यही नीति है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कहा है कि उन्होंने राज्य सरकार से ज्ञापन, और कुछ अन्य तथ्य और आंकड़े मांगे हैं। उसके बाद वे कार्यवाही करेंगे। उन्होंने इसी तरह से जवाब दिया है।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से नमी वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति

*105. **श्री सूरज भान** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सरकार द्वारा खरीदे गये गीले खाद्यान्न, जिन्हें मानवीय उपभोग के अयोग्य पाया गया था, के निपटान का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे खाद्यान्न पर कुल कितना व्यय किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे खाद्यान्न का कुछ प्रतिशत आटा मिलों द्वारा आटा तैयार करने के लिये मिलाया जा रहा था जो दिल्ली और अन्यत्र उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित किया गया और वितरित किया जा रहा है और यदि हां, तो उसका प्रतिशत क्या था; और

(घ) इस सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों की टिप्पणी क्या थी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम और अन्य राज्य एजेंसियों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं वसूल किया है। शुरू में निर्धारित विनिर्दिष्टियों में छूट दी गई थी ताकि भारतीय खाद्य निगम वर्षा से प्रभावित गेहूं के स्टाक को खरीद सके, लेकिन जिसका मानव उपभोग के लिये प्रयोग किया जा सकता हो। खाद्यान्नों के लिए निर्धारित नमी के तत्व में कोई छूट नहीं दी गई है। केन्द्रीय पूल के लिये खरीदी गई गेहूं की मात्रा में से जो गेहूं वर्षा से अधिक प्रभावित हुआ है उसको अच्छे गेहूं के साथ रोलर फ्लोर मिलों को जारी किया जाएगा और मिलों को कहा गया है कि वे इस खाद्यान्न को साफ कर लें और धो लें ताकि फ्लोर मिलों द्वारा सप्लाई किए गए गेहूं के उत्पाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की सीमा के अन्दर हों। इस तथ्य की दृष्टि में, लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों के टिप्पण मंगाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने जवाब में माना है कि जिन स्पेसिफिकेशन्स की तहत पहले गेहूं खरीदा जाता था उन स्पेसिफिकेशन्स को रिलैक्स किया गया

है । आटा मिलों को गेहूं सप्लाई करते वक्त और स्पेसिफिकेशन्स को रिलैक्स करते वक्त—दोनों ही स्टेजेज पर हेल्थ मिनिस्ट्री की कोई राय नहीं ली गई । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आजकल पब्लिक में जो यह आम इम्प्रेशन फैला हुआ है कि न केवल दिल्ली में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में फ्लू बुखार फैल रहा है वह इस खराब गेहूं के कारण (व्यवधान) यह बात फैली हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : गलत फैली हुई है । किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए ।

श्री सूरज भान : इसमें फार्मर्स का सवाल नहीं है । बदकिस्मती से यही बात टी० वी० पर भी कही गई थी, एफ० सी० आई० के एक रिप्रेजेन्टेटिव ने कहा था कि लोग घरों में गेहूं धोते हैं, यहां कुदरत ने ही धो दिया है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी कितना डेमेज्ड गेहूं सरकार के पास है और क्या इसको हर स्टेज पर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आप हेल्थ मिनिस्ट्री की राय लेंगे ताकि पब्लिक को और ज्यादा नुकसान न पहुंचे ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : महोदय, हमारे विशेष अनुदेश हैं कि जब आटा मिलें वर्षा से प्रभावित गेहूं को पीसें तो पहले उन्हें साफ करें और धोयें और फिर इसमें अच्छा गेहूं भी मिलायें । यह हमारा सुस्पष्ट अनुदेश है । जो स्वास्थ्य प्राधिकारी इस गेहूं का निरीक्षण करते हैं वे भी प्रमाणित करते हैं कि यह गेहूं खाने के लिए उचित है । 'खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम' बना हुआ है । उनके द्वारा इस अधिनियम की धाराओं का पालन किया जाता है । अतः इस मामले को स्वास्थ्य मंत्रालय को ले जाना आवश्यक नहीं है ।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय का कहना है कि धोने के बाद गेहूं ठीक हो जाता है लेकिन क्या जिस गेहूं में बीमारी लगी हुई है वह भी धोने से ठीक हो जायेगा ? वारिश के कारण डैमेज्ड व्हीट ही सरकार ने प्रोक्योर नहीं किया है बल्कि दूसरा गेहूं भी खरीदा है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो डैमेज्ड व्हीट आपके स्टाक में है उसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए रिलीज करने के बजाए क्या आप मिलिट्री, डेरी फार्म्स तथा अन्य फार्म्स को रिलीज करेंगे और ह्यूमन कंजप्शन के लिए अगर रिलीज करना ही हो तो क्या पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की सैंक्शन लेंगे और फिर रिलीज करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं । श्री वाजपेयी यहां नहीं है । श्री बनातवाला ।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, जो खराब गेहूं है उसको विशेष रूप से आटा मिलों को दिया जा रहा है । अब इससे विशेषतः डबल रोटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है जो कि आम आदमी का भोजन है । हमें यहां पर बतलाया गया है कि जो गेहूं वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित है उसको रोलर फ्लोर मिलों को दिया जायेगा और उसके साथ अच्छा गेहूं भी दिया जायेगा और मिलों को डबल रोटी के उत्पादन के लिए दोनों प्रकार के गेहूं को मिलाना है । मैं जानना चाहूंगा कि डबलरोटी की उत्तमता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने आटा मिलों

को देने के लिए अच्छे गेहूं और वर्षा से प्रभावित गेहूं का कोई अनुपात निर्धारित किया है क्योंकि बम्बई में उपलब्ध डबल रोटी की श्रेणी बहुत खराब है । क्या डबल रोटी के उत्पादन के लिए आटा मिलों को जो अच्छा व वर्षा द्वारा खराब गेहूं दिया जाता है उसको मिलाने के लिए कोई अनुपात है ।

श्री आर० बी० स्वामीनाथन : इस प्रश्न के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

नगरों को मूल सुविधायें उपलब्ध कराने संबंधी सर्वेक्षण

*106. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों में कालोनियों और भारत के अन्य महत्वपूर्ण नगरों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है, जहां के निवासियों को बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : जी, नहीं । नगर विकास राज्य का विषय है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या यह सत्य नहीं है कि 20-सूत्रीय कार्यक्रम का एक सूत्र यह है कि शहरी बस्तियों में विशेष गन्दी बस्तियों वाले क्षेत्रों में न्यूनतम मूल नागरिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए । राज्य सरकारों से ऐसे विवरण मंगाने के लिए भारत सरकार का क्या विचार है ?

श्री एच० के० एल० भगत : मूल प्रश्न गन्दी बस्तियों से सम्बन्धित नहीं है । जैसा कि मैंने कहा यह विषय राज्य का विषय है । परन्तु यह वास्तविकता है कि योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि 1985 तक गन्दी बस्तियों की कुल जन संख्या लगभग 330 लाख हो जायेगी । यह अनुमान लगाया गया है कि इस जनसंख्या में से लगभग 60 लाख 80 हजार लोगों को मूल सुविधायें प्रदान की गयी हैं । शेष 2 करोड़ बासठ लाख गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बिजली तथा अन्य मूल सुविधाएं नहीं दी गई हैं । छठी योजना का लक्ष्य सभी शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लगभग एक करोड़ लोगों के लिए सामुदायिक जल-पूर्ति, सीवरेज, सामुदायिक शौचालय, पक्के रास्ते तथा सड़कों पर रोशनी जैसी मूल सुविधायें प्रदान करना है । राज्य क्षेत्र में योजना परिव्यय 151.45 करोड़ रुपये है । केन्द्रीय क्षेत्र में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए कोई निधि उपलब्ध नहीं है । यह योजना को 20-सूत्रीय कार्यक्रम

में भी लागू किया गया है। चालू वर्ष का लक्ष्य 17.8 लाख है। योजना के पहले दो वर्षों के दौरान की उपलब्धि लगभग 19 लाख है। विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि गन्दी बस्तियों के क्षेत्रों में सुविधायें प्रदान करने में सतत प्रगति की जा सके।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्योंकि दिल्ली, पांडिचेरी तथा अन्य दूसरे ऐसे शहर जिनका प्रशासन केन्द्र द्वारा चलाया जाता है और जो भारत सरकार के अधीन आते हैं, उनके विषय में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इन शहरों का सर्वेक्षण किये जाने के लिए कार्यवाही करने का विचार है। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे शहरों तथा हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान बनाने के लिए विचार कर रही है।

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है डी० डी० ए० ने दिल्ली के लिए एक प्रकार का सर्वेक्षण किया है। दिल्ली के बारे में कुछ आंकड़ें उपलब्ध हैं जिनमें जन-संख्या लगभग 18 लाख है। उनमें से अधिकांश पुनर्वास बस्तियों में बस गये हैं जहां तक पांडिचेरी का सम्बन्ध है सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह महानगर नहीं है और ऐसे ही हैदराबाद के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्रीमती कृष्णा साही : मंत्री जी ने जो कहा है कि यह राज्य सरकार का विषय है, यह उनका कहना सही है लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार के पास ऐसे कोई प्रतिवेदन आए हैं कि आबादी बढ़ जाने के बाद मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई के बाद कौन-कौन से बड़े शहर महानगरों की श्रेणी में आने वाले हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : ऐसा कोई अभ्यावेदन सरकार को दिया गया है या नहीं इस बारे में फिलहाल मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जो गंदा पानी है, उसको ड्रेनेज के द्वारा निकाला जा रहा है। क्या मंत्री जी को मालूम है कि गांवों की जो जमीन कौड़ियों के दाम पर ली जाती है, उन किसानों की सुविधाओं के बारे में क्या किया जाता है। क्या सरकार का ध्यान सिर्फ किसानों को उजाड़ने की ओर है या उनको बसाने की ओर भी कोई ध्यान दिबा जा रहा है?

श्री अनन्त रामलु मुल्लु : मेरा प्रश्न कि क्या सरकार सर्वेक्षण कराने के लिए तैयार है, का उत्तर नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न एडमिट किया है इसलिए उत्तर दे रहा हूं कि जहां तक गांवों के आस पास की जमीनें ली जाती हैं, उनको कठिनाई जरूर होती है, उन कठिनाइयों का समाधान करने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। कुछ गांव तो

शहरों में आ गए हैं और उनके डेवलपमेंट का अलग से इन्तजाम किया जाता है। कुछ जो रूरल ऐरिया में हैं, वहां एक्वीजीशन कम है। लेकिन जहां भी होता है, उनकी कठिनाइयों का समाधान किया जाता है।

जहां तक लैण्ड एक्वीजीशन का संबंध है, कंपेसेशन इत्यादि के लिए संबधित मन्त्रालय द्वारा शीघ्र ही एक बिल लाया जा रहा है, जिसमें कंपेसेशन नियमों में कुछ संशोधन का प्रावीजन है।

दिल्ली की आटा मिलों को गेहूं की सप्लाई

*108. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आटा मिलों को गेहूं की सप्लाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो प्रति क्विंटल गेहूं किस दर पर सप्लाई की जाती है और उनके द्वारा मैदा, सूजी और आटा किन दरों पर बेचा जाता है; और

(ग) इन आटा मिलों को कितने प्रतिशत लाभ कमाने की अनुमति है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) इस समय फ्लोर मिलों को 185/- रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं सप्लाई किया जा रहा है। दिल्ली में मैदा, सूजी और आटा के निकासी मूल्य इस प्रकार हैं :—

क्र० सं०	गेहूं के पदार्थ का नाम	निकासी मूल्य प्रति क्विंटल
1.	मैदा	245/- रुपये
2.	सूजी	251/- रुपये
3.	परिणामी आटा	165/- रुपये

(ग) दिल्ली में निर्धारित किए गए निकासी मूल्यों के आधार पर मिलिंग मार्जिन 16.50 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, जब गेहूं का इशू प्राइस 155 था, उस समय मैदे का भाव 204 रुपये था। दोनों के बीच 49 पैसे का अन्तर था। अब जब कि गेहूं का इशू प्राइस 185 कर दिया गया है तो मैदे का भाव 245 रुपये रखा गया है। इस तरह से

इसमें 60 पैसे का फर्क कर दिया है । 11 पैसे ज्यादा दिया गया है । इसका कारण क्या है ? इससे पहले दूसरे एक जवाब में इसमें यह भी बताया गया है कि घटिया गेहूं भी सप्लाई पैसे बनाने के लिये किया जाता है, जिससे इसमें मुनाफा और भी ज्यादा होता होगा । जब किसान को ज्यादा प्राइस देने की बात आती है तो 2-3 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा उसको नहीं दिया जाता । मैदे की कीमत बढ़ने से इससे बनने वाले अन्य सामान की कीमत भी बढ़ेगी ।

राशन की जो दुकानें चल रही हैं, कई सालों से उनका मुनाफा कम चला आ रहा है। उस बारे में कुछ नहीं किया गया है और मैदा मिलों को अधिक मुनाफा दिया जा रहा है । इसके लिए शासन का क्या तर्क है; बताया जाए ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : इन मूल्यों का निर्धारण दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाता है, हमारे द्वारा नहीं । जहां तक लाभ का सम्बन्ध है हमने इस मामले को 'औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो' के पास भेजा है ।

हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं । जब वह आ जायेगी तो हम विपणन के प्रश्न को देखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ए० ए० आर० आर० ओ० की सदस्यता

*107. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देश एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन बनने के समय इसके सदस्य थे;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक देशों ने इसकी सदस्यता छोड़ दी क्योंकि उन्होंने पाया कि एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन द्वारा प्रदान की गई सेवाएं अनुपयोगी हैं;

(ग) क्या अनेक वर्तमान सदस्यों ने अपने अंशदान का भुगतान नहीं किया और अपनी सदस्यता का नवीकरण नहीं कराया है, यद्यपि तकनीकी दृष्टि से वे ए० ए० आर० आर० ओ० के सदस्य हैं, और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या भारत को भारी वित्तीय भार वहन करना पड़ता है यद्यपि इससे प्राप्त लाभ नगण्य हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन ने 1962 में कार्य करना शुरू किया था, उस समय इसके पांच संस्थापक सदस्य थे। 1962 से 1981 के बीच, इण्डोनेशिया, माओस, श्रीलंका, तंजानिया तथा ईरान ने एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन से सदस्यता वापस ले ली थी। उनकी सदस्यता वापस लेने के वास्तविक कारण मालूम नहीं हैं। एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन द्वारा परिचालित एक विवरण जिसमें जनवरी 1981 तक संगठन को देय सदस्यता के अंश-दान की बकाया धन-राशियों को दर्शाया गया है, सभा पटल पर रखा जाता है।

(घ) एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के संविधान के अनुसार भारत को खाद्य तथा कृषि संगठन की निधियों में इसके द्वारा भुगतान की जाने वाली मूल धनराशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से सदस्यता अंशदान का भुगतान करना होता है। 1982 के दौरान यह धन राशि 8,20,428.15 रुपये थी। सरकार एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के सचिवालय के लिए नई दिल्ली में निःशुल्क आवास भी सुलभ करती है जिस पर इस समय प्रतिवर्ष लगभग 70,000/- रुपये व्यय होता है। देश को इससे प्राप्त होने वाले लाभों को इससे वित्तीय अंशदान से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता है। इस संगठन ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है।

विवरण

सदस्यता योगदान

देय, बकाया, प्राप्त हुई तथा शेष धनराशि

1980

(आंकड़े अमेरिकी डालर में)

क्रम सं०	सदस्य	देय	बकाया		प्राप्त हुई	शेष	कैफियत
		जनवरी 80 (क)	1980 (ख)	योग (ग)	1980	धन राशि जनवरी 81	
1	2	3	443	5	64	75	6
1	अल्जीरिया	41,440	12,450	53,890	शून्य	53,890	
2	मिश्र	1,290	शून्य	1,290	शून्य	1,290	
3	इथोपिया	1,790	शून्य	1,790	1,790	शून्य	
4	घाना	5,360	5,000	10,360	शून्य	10,360	

1	2	3	443	5	64	75	6
5	कम्पूचिया	7,570	2,500	10,070	शून्य	10,070	
6	लेबनान	15,430	6,230	21,660	6,330	15,330	
7	लाइबेरिया	3,380	शून्य	3,380	शून्य	3,380	
8	लिबिया	48,100	20,750	68,850	शून्य	68,850	
9	मालदीव	3,650	2,500	6,150	3,650	2,500	
10	सीरा लिओना	6,110	2,500	8,610	शून्य	8,610	
11	सूडान	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	
12	सीरिया	4,870	3,110	6,980	शून्य	7,980	
13	तुनिशिया	8,560	3,110	11,670	शून्य	11,670	
14	वियतनाम	9,780	2,500	12,280	शून्य	12,280	
15	यमन, पी. डी. आर	2,500	2,500	5,000	शून्य	5,000	
	योग :—	162,330	65,650	227,980	14,270	213,710	

सम्बलपुर. उड़ीसा में फालतू पानी का निकास

*109. **डा० कृपासिंह भोई** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सम्बलपुर शहर में फालतू पानी के निकास के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकार के पास, 38.55 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर, सम्बलपुर शहर की बाढ़ से सुरक्षा करने के लिए एक स्कीम का प्रस्ताव है। उड़ीसा राज्य के राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहाकार समिति द्वारा इस स्कीम की संवीक्षा की जानी है और उसे स्वीकृति दी जानी है। इस स्कीम से, जैसी कि यह तैयार की गई है, 9000 फुट लंबे बाढ़-तटबन्धों तथा उनके साथ कई जलकपाटों (स्लुइसो) के निर्माण द्वारा सम्बलपुर शहर के लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सुरक्षा की व्यवस्था होगी।

कच्चे काजू का भण्डारण

*110. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू प्रोसेसिंग यूनिटों द्वारा अपना निर्धारित कोटा न उठाये जाने के कारण सरकार को लगभग 53,000 टन कच्चे काजू के भण्डारण में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसके लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि काजू की फसल के लिये भंडारण की सुविधाओं की कमी न होने पाये ।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) कुछ माह तक, केरल राज्य सरकारी विपणन संघ के पास उसके द्वारा वसूल की गई लगभग 61,000 मीटरी टन काजू का भंडार था । भण्डारण की कोई समस्या नहीं थी । राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप निजी संसाधकों ने उनको आवंटित की गई मात्रा उठाना शुरू कर दिया और अब यह समस्या हल हो गई है ।

राजस्थान नहर के लिए कोयले तथा सीमेंट की सप्लाई

*111. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **सिंचाई मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान नहर निर्माण कार्य के लिये समय पर कोयले और सीमेंट की सप्लाई न किये जाने से राजस्थान नहर के कार्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना विलम्ब हुआ है; और

(ख) राजस्थान सरकार ने 1979-80, 1980-81, और 1981-82 में कितने कोयले और सीमेंट की मांग की थी और कितने कोयले और सीमेंट की सप्लाई की गई थी और शेष मात्रा की सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) राजस्थान नहर के कार्य की प्रगति में मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त मात्रा में धनराशि आबंटित करने के कारण विलम्ब हुआ था ।

तथापि, 1979-80 और 1980-81 के वर्षों के दौरान सीमेंट और कोयले की कमी के कारण भी प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना दी गई है ।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नहर परियोजना के लिये निम्नलिखित आंकड़ों (मी० टन) की सूचना दी गई है :-

	1979-80	1980-81	1981-82
सीमेंट :			
आवंटन	1,00,811	64,356	120,706
प्राप्त हुई मात्रा	61,032	41,769	45,522

	1979-80	1980-81	1981-82
कोयला :			
राजस्थान द्वारा			
मांगी गई मात्रा	1,18,000	1,19,000	85,000
प्राप्त हुई मात्रा	8,295	22,257	55,036

शेष मात्रा की सप्लाई न किये जाने के कारण ये थे—बिजली की कटौती के कारण सीमेंट फैक्टरियों में सीमेंट का कम उत्पादन होने के परिणामस्वरूप सीमेंट की अपर्याप्त सप्लाई हुई थी और कोयले तथा सीमेंट की ढुलाई के लिये वैगन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे।

पश्चिम बंगाल को ग्रामीण आवास और शहरी 'स्लम' सुधार के लिए सहायता

*112. **श्री चित्त बसु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में केन्द्रीय सरकार से ग्रामीण आवास और शहरी 'स्लम' सुधार के लिये और अधिक सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता

*113. **श्री नवीन रवाणी** :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने तिलहन, विशेषकर मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिये राज्यों को निदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा तिलहन का उत्पादन बढ़ाने में राज्यों को क्या कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ग) तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत तिलहनों का विकास करने के लिये गहन कार्यक्रम। इस योजना का लक्ष्य किसानों के खेतों में प्रदर्शन करना, बीज उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बीज के मिनिकिटों का वितरण करना, तिलहनों की अंतःफसली खेती करना, वनस्पति रक्षण उपायों को बढ़ाना तथा किसानों और विस्तार संबंधी कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना है। खरीफ 1982 में कुल 1.59 लाख मिनिकिटों का वितरण किया गया है, जबकि 1981-82 के पूरे वर्ष में सिर्फ 73,000 और 1980-81 में केवल 32,000 मिनिकिटों का वितरण किया गया था।

2. गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली के उत्पादन और मध्य-प्रदेश में सोयाबीन संबंधी विशेष परियोजनाएं शुरू करना।

3. पाँचवीं योजना के 14 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में छठी योजना के दौरान तिलहनों के विकास के लिए आवंटन बढ़ाकर 65 करोड़ रुपये करना।

4. मूंगफली के तहत का सिंचित क्षेत्र 1979-80 के 8 लाख हैक्टार से बढ़ाकर 1984-85 तक 14 लाख हैक्टार करना।

5. गैर-परम्परागत तिलहनों की फसलों अर्थात सोयाबीन और सूरजमुखी के तहत क्षेत्र बढ़ाना।

6. अनुसंधान संबंधी प्रयासों को तेज करना।

7. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को अपने उत्पाद के लिए पर्याप्त मूल्य मिले।

तिलहनों की फसलें मुख्य रूप से वर्षा सिंचित परिस्थितियों के तहत तथा सीमान्त भूमि पर उगाई जाती हैं। इसके कलस्वरूप, मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए तिलहनों के उत्पादन में वर्षानुवर्ष उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ता है।

(ग) छठी योजना में तिलहन विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, बीज पौध रक्षण रसायन, प्रचालन संबंधी प्रभार (हवाई तथा भूमि दोनों के छिड़काव के लिए) प्रदर्शनों को करने, मिनिकिटों के निःशुल्क वितरण तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों के संबंध में राजसहायता के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विशेष-परियोजनाओं के तहत निम्नलिखित राजसहायता दी गई हैं :—

(1) **गुजरात में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष परियोजना :**

सीड-ड्रिल, छिड़काव करने के सेटों, वनस्पति रक्षण उपकरणों तथा सिंचाई के लिए राज-सहायता।

(2) **मध्य-प्रदेश में सोयाबीन की विशेष पंचवर्षीय परियोजना :**

वनस्पति रक्षण उपस्कर, खर-पतवारनाशियों पर राज-सहायता, राइजोवियम की खेती की प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रचार आदि के लिए सहायता।

नीचे दिये गये विस्तृत ब्यौरे के अनुसार छठी योजना के तहत तिलहनों के विकास के लिए 65 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है :—

	(लाख रुपये)
1. चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना	1935.00
2. गुजरात में मूंगफली का सघन उत्पादन	3500.00
3. मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना	1065.00
कुल :	6500.00

उड़ीसा में भीमकुण्ड बहु-प्रयोजनी परियोजना

*114. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में भीमकुंड बहु-प्रयोजनी परियोजना को छठी योजना में बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा की इस बहु-प्रयोजनी परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) उड़ीसा सरकार ने छठी योजना में भीमकुंड बहु-प्रयोजनी परियोजना के लिए किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी

*115. **श्री राम लाल राही :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कितनी कमी है;

(ख) क्या सरकार यह कमी दूर करने के लिए कोई ठोस योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत यह कमी दूर की जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1971 की जनगणना तथा 1981 के लिए उस पर भारत के महापंजीकार द्वारा किये गये जनसंख्या प्रक्षेपणों के आधार पर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा आंकी गई आवास की कमी के अनुमान निम्नलिखित हैं :—

नगरीय	48 लाख
ग्रामीण	165 लाख
योग :	213 लाख

(ख) और (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा है।

विवरण

छठी योजना के उद्देश्य नितान्त आश्रयहीन लोगों की संख्या में भरपूर कमी करना तथा अन्य लोगों को अपने आवास पर्यावरण के सुधार करने के लिए स्थितियां मुहैया करना है। योजना में 1490.87 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था है। 300 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में तथा 1190.87 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र के ग्रामीण आवास स्थल एवं निर्माण सहायता कार्यक्रम में योजना अवधि के दौरान सभी शेष पात्र ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को समाविष्ट करने के लिए 68 लाख परिवारों को आवास-स्थल की व्यवस्था करने तथा पात्र परिवारों के 25 प्रतिशत को लाभान्वित करने के लिए 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता मुहैया करने पर विचार किया गया है। यह नए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का एक अंग है। इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 16.2 लाख एकक मुहैया करने के उद्देश्य से स्थल तथा सेवा योजनाओं के लिए 485 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश पर भी विचार किया गया है। आवास क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों को प्रति वर्ष जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम के ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। जीवन बीमा निगम सहकारी आवास क्षेत्र के लिए भी ऋण सहायता देता है।

2. केन्द्रीय क्षेत्र में, बागान मजदूर आवास हेतु वित्तीय सहायता के लिए 10 करोड़ रुपये के परिव्यय की योजना है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु औसतन लगभग 30 करोड़ का नियतन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस योजना में सामान्य पूल रिहायशी एवं कार्यालय वास के लिए 142 करोड़ रुपये के परिव्यय की भी व्यवस्था है।

3. आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) से जो भारत सरकार का एक उद्यम है, योजना अवधि के दौरान 600 करोड़ रुपये के निवेश पर विचार किया है जिसका 55 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिए होगा ।

4. आवास के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भी वित्तीय सहायता दी जाती है । वर्ष 1981 के भारतीय रिजर्व बैंक मार्ग निर्देशनों के अनुसार, बैंकिंग क्षेत्र द्वारा 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसमें से 66 करोड़ रुपया बैंकों ने बांट दिया है ।

राज्यों के राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन

*116. **श्री के० टी० कोसलराम :**

श्री रामावतार शास्त्री : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि सुधार और अतिरिक्त भूमि के वितरण सम्बन्धी कानूनों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों के राजस्व मंत्रियों के नई दिल्ली में हुए हाल के सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राज्य सरकारों से अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का शीघ्र वितरण करने और इस प्रयोजन के लिए अदालतों में लम्बित पड़े मामलों का तेजी से निपटान करने हेतु कदम उठाने का अनुरोध किया गया है । उनसे भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने हेतु विभिन्न उपाय करने का भी अनुरोध किया गया है ।

(ख) भूमि सुधारों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है जो सम्मेलन में दिए गए सुझावों के आधार पर उपयुक्त कदम उठा रही हैं ।

खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कदम

*117. **श्री एच० एन० नन्जे गोडा :**

श्री के० लकप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टर नेशनल फूड पालिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (आई० एफ० पी० आर० आई०) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार खाद्यान्नों में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद भारत का खाद्यान्न उत्पादन अस्थिर है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में अभूतपूर्व बाढ़ों के आने और सूखा पड़ने के कारण खाद्यान्नों में वृद्धि के बावजूद उनकी पैदावार अस्थिर है; और

(ग) यदि हां, तो देश में खाद्यान्नों की पैदावार में वृद्धि को स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। इन्टर नेशनल फूड पालिसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट में पीटर बी० आर० हजेल द्वारा किये गये "भारतीय खाद्यान्न उत्पादन में अस्थिरता" नामक अध्ययन के अनुसार देश में उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृष्टि में अस्थिरता बतायी गई है। तथापि, अध्ययन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "उत्पादन सम्बन्धी अस्थिरता में जो वृद्धि हुई है, उसका एक बड़ा भाग संभवतः सफल कृषि विकास के आवश्यक परिणाम के रूप में स्वीकार करना होगा।"

(ख) समय-समय पर सूखे तथा बाढ़ों के प्रभाव के कारण खाद्य उत्पादन प्रभावित हुआ है।

(ग) सरकार ने खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने तथा उसे स्थिर रखने के लिए निरंतर कोशिश की है। इस दिशा में किए गए विभिन्न उपाय नीचे दिए गये है :--

(1) असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना और उपलब्ध जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना।

(2) फसलों की अधिक उपज देने वाली और कम अर्से में तैयार होने वाली किस्मों का विकास करना।

(3) उन्नत तकनोलोजी अपनाना, जिसमें बारानी भूमि में तथा वर्षा सिंचित परिस्थितियों में फसलों की खेती करने के लिए जल उपयोग तथा नमी संरक्षण भी शामिल है।

(4) किसानों को खेती के लिये विभिन्न आदान ठीक समय पर उपलब्ध कराना।

(5) उर्वरकों का अधिक तथा संतुलित उपयोग करना।

(6) सिंचाई के प्रयोजनों के लिये डीजल तथा बिजली की सप्लाई का नियमित प्रबोधन करना।

(7) फार्म स्तर पर प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण करने के लिये विस्तार के गहन प्रयास करना।

(8) किसानों को ऋण की सुविधायें प्रदान करना और

(9) सूखे तथा बाढ़ों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आकस्मिक उत्पादन योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

एशियाड टिकटों की बिचौलियों के माध्यम से बिक्री

*118. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :**

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाड 1982 की टिकटों की बिक्री या वितरण समुचित नहीं था और टिकटें सीधी जनता को नहीं मिलीं अपितु ये बिचौलियों के माध्यम से मिलीं जिन्होंने इन्हें काला-बाजार में बेचना आरम्भ कर दिया है और लोगों को ये टिकटें प्राप्त करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार काला-बाजारी करने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करने का है ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) नौवें एशियाई खेल, 1982 की टिकटें भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से भारत के 91 नगरों में तथा एअर इण्डिया और इण्डियन एअर लाइन्स के माध्यम से बाहर के 35 देशों में 129 बिक्री केन्द्रों पर उचित और सुव्यवस्थित ढंग से बेची गई हैं। बिक्री केन्द्रों पर बेरिकेडों की सहायता से ठीक तरह से लाइन बनाने तथा पेय जल जैसी मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रबन्ध किए गए थे। भारत में टिकटों की बिक्री का भिन्न-भिन्न समय इस दृष्टि से रखा गया ताकि जनता अपनी मरजी की टिकटें ले सके। भारत अथवा विदेश के किसी भी टिकट बिक्री केन्द्र से टिकटों की काला-बाजारी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के कार्यकरण की समीक्षा

*119. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री रशीद मसूद : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के कार्य की हमारे देश के सम्बन्ध में समीक्षा की है जिसके लिए प्रति वर्ष लगभग दस लाख रुपयों का योगदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन भारत में ग्रामीण विकास के लिए कहां तक सहायक है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन एक अंतरशासकीय संगठन है जिसका भारत 28 सदस्यों में से एक सदस्य है। एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के सम्मेलन तथा इसकी कार्यकारी समिति जिसमें भारत प्रतिनिधित्व करता है, द्वारा एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन की नीतियों, कार्यक्रमों और उसके कार्य की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन अपने द्वारा आयोजित सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के माध्यम से क्षेत्र के सदस्य देशों के लिए उनकी समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श करने और ग्रामीण विकास के बारे में दृष्टिकोणों, विचारों, सूचना तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच सुलभ करता है। भारत ने इजिप्शन इन्टरनेशनल सेंटर फार एग्रीकल्चर में प्रशिक्षण के लिए शिक्षावृत्तियां प्राप्त की हैं, एफ्रो-एशियन ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के अनुसंधान तथा शिक्षा केन्द्रों (आर. ई. सी. ए.) में आयोजित गोष्ठियों में भाग लिया है तथा एफ्रो-एशियन वर्कशाप में भी हिस्सा लिया है।

रबी और खरीफ फसलों की संभावनाएं

*120. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्रीमती जयंती पटनायक : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी खरीफ तथा रबी मौसमों के दौरान खाद्य उत्पादन संबंधी (राज्यवार) संभावनाएं क्या हैं;

(ख) खाद्य वस्तुओं की बिक्री के लिये तथा सूखा-ग्रस्त जनसंख्या, आदि के लिये (राज्य-वार) धनराशियों के आवंटन तथा दी गई राजसहायता सहित क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) सरकार के खाद्यान्न भण्डार संबंधी स्थिति क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी कमी की आशंका है; और

(घ) कमी को पूरा करने के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) कुछ राज्यों में मानसून के अनियमित होने तथा अभी हाल में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और देश के कुछ

अन्य भागों में बाढ़ें आने के कारण, खरीफ की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । तथापि, फसल कटाई से संबंधित प्रयोगों के परिणाम अभी प्राप्त होने हैं । अतः राज्यवार उत्पादन के सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है । रबी मौसम के संबंध में, खाद्य उत्पादन की सम्भावनाओं के बारे में संकेत देना अभी सम्भव नहीं है ।

सूखे से प्रभावित राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता के बारे में स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । जहां तक खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिये राजसहायता का संबंध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी किये जाने वाले खाद्यान्नों पर राजसहायता दी जाती है ।

भारत सरकार के पास 1-9-1982 को 132 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का भण्डार था। यह भंडार चालू खरीफ फसल की खरीद से और अधिक भर जायेगा । उपलब्ध भण्डार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । फिर भी, वित्तीय वर्ष के बाद में भी बफर स्टाक बनाये रखने के लिये लगभभ 35 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करके सरकार के भंडार में और वृद्धि की जायेगी ।

विवरण

प्रभावित राज्य का नाम	मांगी गयी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए)	केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी सहायता (करोड़ रुपए)	टिप्पणी
1	2	3	4
सूखे से प्रभावित राज्य :			
1. आंध्र प्रदेश	199.75	—	एक केन्द्रीय दल शीघ्र राज्य का दौरा करेगा। उसके बाद राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकृत की जायेगी।
2. बिहार	234.00	10,000 मीटरी टन खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा निर्मुक्त की गयी।	केन्द्रीय दल ने 20 और 22 सितम्बर, 1982 के बीच राज्य का दौरा किया। इसकी रिपोर्ट पर राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से कार्यवाही की जायेगी।

1	2	3	4
3. महाराष्ट्र	131.14	—	केन्द्रीय दल ने 4 और 5 अक्तूबर, 1982 को राज्य का दौरा किया तथा उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।
4. उड़ीसा	57.93	—	एक केन्द्रीय दल ने 16 से 21 सितम्बर, 1982 के बीच राज्य का दौरा किया। इसकी रिपोर्ट 7 अक्तूबर, 1982 को प्राप्त हुई है।
5. उत्तर प्रदेश	165.00	—	केंद्रीय दल, जिसने 20 और 24 सितम्बर, 1982 को राज्य का दौरा किया था, की रिपोर्ट 7 अक्तूबर, 1982 को प्राप्त हुई है।
6. तमिलनाडु	ज्ञापन प्राप्त होना है।		
7. पश्चिम बंगाल	72.83	24.77	

बिहार में असिंचित भूमि का सिंचित भूमि में बदला जाना

1106. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कितनी असिंचित भूमि सिंचित भूमि में बदली गई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी, जिला-वार, ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम को चालू वर्ष में ही लागू किया गया है। बिहार में, 198 -83 में सिंचाई के अंतर्गत लाया जाने वाला प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र 3.23 लाख हैक्टेयर है।

(ख) सिंचाई क्षमता के सृजन के सम्बन्ध में जिला-वार आंकड़े केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

दुग्ध-चूर्ण, ग्रायल तथा डेरी मशीनरी का आयात

1107. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981-82 के दौरान दुग्ध-चूर्ण तथा बटर आयल का आयात (उपहार तथा अन्यथा) सर्वाधिक रहा है जो यह दर्शाता है कि आपरेशन फ्लड-I तथा II नितान्त और पूर्णतः असफल रहे हैं;

(ख) तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, सरकार ने डेरी मशीनरी का कितना आयात किया और कितनी देसी डेरी मशीनरी की खरीद की तथा क्या यह आत्म-निर्भरता के सिद्धान्तों के अनुरूप हैं;

(ग) दूध की पैकिंग के लिए अगले तीन वर्षों में सरकार का विचार कितना टेट्रापैक कागज आयात करने का है;

(घ) क्या ई० ई० सी० और विश्व बैंक से आपरेशन फ्लड-II के लिए निधियां सरकार द्वारा राज्य-वार आवंटित की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो आवंटन का वर्षवार पूर्ण ब्यौरा क्या है तथा वास्तव में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(च) क्या योजना आयोग तथा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड आदि द्वारा किए गए आवंटनों के संबंध में इसी प्रकार की परियोजनाओं के लिए सभी मानदण्डों का पालन तथा उनकी लेखा-परीक्षा की जा रही है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान उपहार स्वरूप जिन्सों की अधिक प्राप्ति निम्न कारणों से हुई :—

(1) डेरियों की परिसंस्करण क्षमता में वृद्धि होने तथा नयी डेरियां चालू होने के कारण जिन्सों की मांग में वृद्धि होने की वजह से वर्ष के दौरान डेरियों को अधिक माल देना।

(2) कुछ दुग्ध श्रवण क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के कारण तरल दूध की मात्रा की आपूर्ति बनाए रखने के लिये डेरियों द्वारा जिन्सों की अधिक खपत करना।

(3) प्राप्त जिन्सों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से पिछले वर्षों के कोटे की बकाया मात्रा तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम से आपरेशन फ्लट-I के तहत अवशिष्ट मात्रा भी शामिल है।

आपरेशन फ्लड-1 तथा 2 परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान डेरी उपकरणों का वर्षवार तथा देशी खरीद नीचे दी गई है :—

(लाख रुपये)

वर्ष	जायात		देशी	
	आर्डर का मूल्य	प्राप्ति	आर्डर का मूल्य	प्राप्ति
1979-80	167.11	280.04	709.55	407.54
1980-81	91.33	312.50	1190.70	827.01
1981-82	32.29	182 57	1431.71	943.14
कुल :	280.73	775.11	3331.96	2177.69

आयातित डेरी उपकरणों की डिलीवरी काफी लम्बे समय में होती है, अतः आयातित उपकरणों के आंकड़े बर्ष 1979-80 से पहले के बर्षों में दिये गये आर्डर से संबंधित हैं। देशी डेरी मशीन उद्योग कुछ आधुनिक मदों को छोड़कर प्रायः आत्मनिर्भर है।

(ग) दूध पैक करने के लिये तेत्रापाक कागज आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकार ने आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन निर्धारित नहीं किया है। निधियों की आवश्यकता का निर्धारण राज्य सरकार और उसके द्वारा नामजद की गयी क्रियान्वयन एजेन्सी के परामर्श से तथा परियोजना के आकार के अनुसार किया जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

(च) आपरेशन फ्लड-2 के अंतर्गत राज्यों को निधियों का आवंटन राज्यों द्वारा तैयार की गयी तथा भारतीय डेरी निगम को प्रस्तुत की गयी संदर्शी डेरी विकास योजना के आधार पर

किया जाता है। इस प्रकार का आवंटन योजना में दिये गये विकास परियोजना के प्राचलों के आधार पर किया जाता है।

भारतीय डेरी निगम सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्डों का अनुसरण करता है। भारतीय डेरी निगम के खातों की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

"नेफेड" के निदेशक बोर्ड का चुनाव

1108. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नेफेड के निदेशक बोर्ड का कार्यकाल जून, 1982 में समाप्त होने के बावजूद भी नेफेड ने चुनाव कराने के लिये कदम नहीं उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कदम उठाने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) तथा (ख) नेफेड के निदेशक मण्डल के नए चुनाव कराने से संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट श्री ए० के० सेन से प्राप्त 11 अगस्त, 1982 की राय में दिए गए कुछ तथ्यों पर और स्पष्टीकरण पाने के लिए नेफेड द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नेफेड का निदेशक मंडल इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने पर विचार करेगा।

सरकार ने चुनाव कराने हेतु नेफेड को तत्काल कदम उठाने के लिए पहले ही कहा है तथा मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

पश्चिम बंगाल की आटा मिलों को सप्लाई किया गया गेहूं

1109. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1982 से अगस्त, 1982 तक की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में में रोलर आटा-मिलों को पीसने के लिए गेहूं की कितनी मात्रा सप्लाई की गई तथा उसका प्रति क्विंटल मूल्य क्या था;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल की कुछ मिलें सिक्किम की मांग को भी पूरा करती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उस राज्य के लिए कोई पृथक कोटा निर्धारित है तथा इसका वितरण कैसे किया जाता है और इस गेहूं से क्या-क्या उत्पाद बनते हैं;

(घ) आटा मिलों के "मिलिंग मार्जिन" में संशोधन करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और क्या औद्योगिक लागत एवम् मूल्य ब्यूरो ने, जिसे संशोधन का काम सौंपा गया था, अपने निष्कर्ष निकाल लिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो वे निष्कर्ष क्या हैं तथा क्या सरकार इन निष्कर्षों के आधार पर "मिलिंग मार्जिन" को अन्तिम रूप देने तथा सभी गेहूं-उत्पादों के कानूनी मूल्य निर्धारित करने में समर्थ हुई है; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पश्चिम बंगाल की रोलर फ्लोर मिलों को 1.4.82 से 31.8.82 की अवधि के दौरान 1,57,100 मी० टन गेहूं सप्लाई किया गया था । मिलों के लिए गेहूं का निर्गम मूल्य, जो कि 31.7.82 तक 155/- रु० प्रति क्विंटल था, को 1.8.82 से बढ़ाकर 185/- रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) सिक्किम में एक ही रोलर फ्लोर मिल है । सिक्किम की रोलर फ्लोर मिल के लिए अप्रैल और जुलाई, 1982 के बीच प्रति मास 250 मी० टन गेहूं आवंटित किया गया था लेकिन अगस्त, 1982 में उसे बढ़ाकर 380 मी० टन कर दिया गया था । यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाते हैं, लेकिन वितरण के तौर-तरीकों के विवरणों को अन्तिम रूप देने में राज्य स्वयं स्वतन्त्र है ।

(घ) से (च) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, जिन्हें गेहूं रोलर फ्लोर मिलों को दिए जाने वाले मिलिंग मार्जिन के बारे में गहन अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था, ने हाल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । क्योंकि उनकी रिपोर्ट अभी उपलब्ध हुई है, सरकार को उनकी सिफारिशों पर अभी विचार करना है और इस संबंध में निर्णय लेना है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों और गलियों का निर्माण

1110. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ऐसी कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सड़कें और नालियां बनवाई हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कालोनी-वार कितने व्यक्तियों को अपने निवास स्थान से वंचित होना पड़ा; और

(ग) इसके बदले में उन्हें स्थान-वार कितने वर्ग गज जमीन आवंटित की गई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 17.

(ख) तथा (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में लघु किसान विकास एजेंसी और मझौला किसान एवं कृषि एजेंसी का कार्य निष्पादन

1111. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु किसान विकास एजेंसी और मझौला किसान एवं कृषि श्रम एजेन्सी के कार्य निष्पादन की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है कि ये एजेन्सियां विशेषकर उड़ीसा राज्य में ग्रामीण निर्धनों की दशा को कहां तक सुधार पाई हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां भी महसूस की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में क्या अड़चनें हैं;

(घ) इन एजेंसियों के लिये निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इन एजेंसियों के द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ङ) क्या अभी भी कुछ अप्रयुक्त धनराशि बच गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) लघु कृषिकों तथा सीमान्त कृषकों के चालू कार्यक्रम को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया है, जिसका विस्तार 2 अक्तूबर, 1980 से सभी विकास खण्डों में कर दिया गया था। कार्य-निष्पादन सम्बन्धी रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त हो रही हैं।

(ख) व (ग) अपर्याप्त आर्थिक तथा तकनीकी ढांचा, ऋण जुटाने की धीमी गति, प्रोत्साहन सेवाओं का अभाव जैसी कठिनाइयां महसूस की गई हैं।

(घ) एजेंसियों द्वारा आवंटनों की तुलना में निधियों के उपयोग के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपये)

वर्ष	आवंटन	उपयोगिता
1978—79	584.90	198.93
1979—80	912.20	555.93
1980—81	1570.00	669.08
1981—82	1884.00	1495.85

लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिलाये जाने से पहले लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित निधियों के उपयोग में लाये जाने की सूचना मिली है :

	(लाख रुपये)
1977-78	221.75
1978-79	240.04
1979-80	212 12

(ङ) चूंकि कार्यक्रम चल रहा है अतः व्यय न की गई राशि को अगले वर्ष के लिये ले जाया जाता है ।

अनाज का उत्पादन बढ़ाना

1112. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनाज का उत्पादन दुगना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार, क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में अनाज के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) 1979-80, जो आधार वर्ष हैं, में हुए 1011.3 लाख मीटरी टन के वास्तविक उत्पादन की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1984-85) के लिए अनाज के उत्पादन में 379.7 लाख मीटरी टन की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद

1113. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के बीच पानी के बंटवारे संबंधी केन्द्र के पास विचाराधीन विवादों का ब्यौरा क्या है तथा ये विवाद कब से विचाराधीन हैं;

(ख) उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विवादों को लम्बा खींचने के क्या कारण हैं तथा अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) लम्बित पड़े मुख्य जल-विवाद (1) कर्णाटक, तमिलनाडु, केरल और पाण्डिचेरी के बीच कावेरी बेसिन; और (2) हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली के बीच यमुना बेसिन के जल के उपयोग और विकास से संबंधित हैं।

कावेरी के जल के बंटवारे का मामला 1977 के आसपास और यमुना के जल के बंटवारे का मामला 1974 में केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया गया था।

(ख) और (ग) इन दोनों नदी बेसिनों के जल के उपयोग एवं और आगे विकास के संबंध में बेसिन वाले राज्यों के बीच कुछ बड़े मतभेद हैं जिनके हल के लिये सबंधित राज्य सरकारों के साथ बातचीत की जा रही है ताकि उनके सौहार्दपूर्ण हल खोजे जा सकें। तथापि, विवादों के जटिल प्रकार के होने के कारण, वह तिथि बताना संभव नहीं है, जिस तक इन विवादों को अन्तिम तौर पर हल किये जाने की संभावना है।

एशियाई खेल के गांव के सज्जाकार को फीस की अदायगी

1113. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि एशियाई खेल गांव की कुछ मदों के डिजाइन बनाने के लिये एक गैर-सरकारी सज्जाकार को 2,16,000/- रुपये शुल्क के रूप में दिये गये हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

1115. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने या अनियोजित ढंग से शहर को बढ़ने से रोकने के लिये हाल ही में कुछ उपाय किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस अवैध कब्जों पर कितने मकान गिराए गये हैं और अवैध कब्जों में कितनी कमी आई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं :–

(i) अनधिकृत निर्माणों के संबंध में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 30(i) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। कार्यवाइयों को पूर्ण करने के बाद अनधिकृत निर्माण को गिराने के आदेश जारी किये जाते हैं।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन भूमि पर अतिक्रमणों के सम्बन्ध में नये अतिक्रमणों का जैसे ही उनका पता चलता है, उन्हें हटा दिया जाता है।

(iii) उचित निगरानी रखने के लिये निगरानी स्टाफ तैनात कर दिया गया।

(iv) दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के उल्लंघन में भूमि की अनधिकृत सौदेबाजी के संबंध में मामले इस प्रयोजन के लिए गठित विशेष कक्ष में दायर किये जाते हैं।

(v) अनधिकृत अतिक्रमकों पर मुकद्दमे चलाये जा रहे हैं, 80 मामले पहले ही न्यायालय को भेज दिये गये हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि जैसे ही अतिक्रमणों को पता चलता है वैसे ही शीघ्रता से उन्हें गिराने की कार्यवाही की जाती है। जनवरी से 15 सितम्बर 1982 तक अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही इस प्रकार है :–

(i) रिहायशी पक्का	290
(ii) रिहायशी अर्द्ध पक्का	63
(iii) दुकानें	645
(iv) खोखे	93
(v) झुग्गियां	1983
(vi) चाहर दिवारी	234
(vii) अन्य संरचनायें	94
(viii) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अन्तर्गत गिरायी गयी अनधिकृत संरचनायें	103

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि उनकी इस कार्यवाही से अतिक्रमणों को निरुत्साहित किया गया है।

पानी की सुविधा से रहित समस्या-ग्रस्त गांवों की संख्या

1116. **प्रो० मधु दण्डवते :**

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार उन गांवों की कुल संख्या कितनी है जिनमें पीने के पानी की सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) उनमें से कितने समस्याग्रस्त गांवों को अब तक पीने के पानी की सुविधाएं दी जा चुकी हैं; और

(ग) बाकी समस्याग्रस्त गांवों को ये सुविधाएं कब तक दे दी जाएंगीं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) 31-3-80 की स्थिति के अनुसार भारत में समस्याग्रस्त ग्रामों की कुल संख्या से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण के कालम-1 में दी गई है और वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान पेय जल सुविधायें मुहैया कराये गये समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या क्रमश: कालम 2 व 3 में दी गई है।

(ग) छठी योजना के दौरान पता लगाये गये सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पीने के पानी का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध करा कर पेय जल मुहैया कराने के प्रयास किये जायेंगे।

विवरण

ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम—राज्यवार ब्यौरे—31-3-80 को भारत में समस्याग्रस्त ग्राम और 1980-81 तथा 81-82 के दौरान लाभान्वित किए गए समस्याग्रस्त ग्राम

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31-3-80 को समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या	निम्नलिखित के दौरान लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या	
			(1980-81	1981-82
		(कालम-1)	(कालम-2)	(कालम-3)
1.	आंध्र प्रदेश	8206	487	2032
2.	असम	15743	963	1148
3.	बिहार	15194	2660	2700

		कालम-1	कालम-2	कालम-3
4.	गुजरात	5318	525	581'
5.	हरियाणा	3440	240	295
6.	हिमाचल प्रदेश	7815	1166	1180
7.	जम्मू तथा काश्मीर	4698	321	304
8.	कर्नाटक	15456	2063	2906'
9.	केरल	1158	78'	83'
10.	मध्य प्रदेश	24944	7195'	5562'
11.	महाराष्ट्र	12935	2674'	2932'
12.	मणिपुर	1212	34	210
13.	मेघालय	2927	52	95
14.	नागालैण्ड	649	72	82
15.	उड़ीसा	23616	1630	2447
16.	पंजाब	1767	80	50
17.	राजस्थान	19803	2102	3854
18.	सिक्किम	296	21'	30'
19.	तमिलनाडु	6649	710	749
20.	त्रिपुरा	2800	579'	193
21.	उत्तर प्रदेश	28505	912	870
22.	पश्चिम बंगाल	25243	874	1148 ×
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	173	18	7'
24.	अरुणाचल प्रदेश	1740	172	291
25.	चंडीगढ़	—	—	—
26.	दिल्ली	99	35	27
27.	दादर और नागर हवेली	—	—	—
28.	गोआ, दमण और द्वीप	66	7	9
29.	लक्ष द्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	214	शून्य	13
31.	पांडिचेरी	118	8	39
	योग:	230784	25978	29837

(') आंशिक रूप से लाभान्वित सहित ।

(×) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्थल स्रोत के जिला परिषद कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित शामिल नहीं हैं ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा मकानों का आवंटन

1117. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा आवास बोर्ड की शर्तों के अनुसार सैक्टर-17 गुड़गांव में तैयार मकानों के आवंटन के लिए पंजीकृत कराने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) अब तक उनमें से कितनों को मकान आवंटित किये गये हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जिन्हें सैक्टर-17 गुड़गांव में बने मकानों का आवंटन किया गया है केन्द्र सरकार द्वारा मकान बनाने के लिए पेशगी के रूप में दी गई कुल राशि कितनी है;

(घ) क्या यह भी सच है कि मकानों के आवंटन के पश्चात भी उस क्षेत्र में सड़कों पर प्रकाश का प्रबन्ध अब तक नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कई चोरी तक की आवंछित घटनायें होती रहती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो चोरी का ब्यौरा क्या है तथा सड़कों पर प्रकाश का प्रबन्ध न किये जाने के क्या कारण हैं तथा चोरी की घटनाओं के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) यह सूचना हरियाणा सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल रख पर दी जायेगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों/फ्लैटों के अन्तरण पर से प्रतिबन्ध हटाने का जमीन के मूल्य पर प्रभाव

1118. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये प्लाटों और फ्लैटों के अन्तरण पर से प्रतिबंध हटाने संबंधी दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्णय का राजधानी में जमीन के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान प्रतिबन्ध, कि व्यक्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदे प्लाटों/फ्लैटों को 10 वर्षों की समाप्ति से पहले अन्तरित नहीं कर सकते हैं, निर्मित फ्लैटों तथा जिन प्लाटों पर निर्माण किया गया है के बारे में हटा दिया जाना चाहिए । प्लाटों/फ्लैटों के अन्तरण की अन्य विद्यमान शर्तें लागू रहेंगी । इस कदम से गैर-सरकारी आवास गतिविधियों में तेजी आने की आशा है । परन्तु यह बतलाना असामयिक होगा कि राजधानी में भूमि के मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव होगा ।

बम्बई, पूना, नागपुर तथा औरंगाबाद में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग

1119. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, पूना, नागपुर तथा औरंगाबाद नगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) पूना में गन्दी बस्तियों की सुधार के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बम्बई, पूना, नागपुर तथा औरंगाबाद में मलिन बस्ती वासियों की संख्या क्रमश: 28,31,391; 2,74,316; 4,16,109 और 73,070 है ।

(ख) पूना में मलिन बस्ती सुधार के लिए 1982-83 के लिए कुल स्वीकृत राशि 47 लाख रुपये होने की आशा है ।

गेहूं उत्पादन में वृद्धि करने में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान

1120. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में 12 जुलाई 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 664 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे तथ्य क्या हैं जिनके सन्दर्भ में उक्त पुस्तक में यह उल्लेख है कि "भारत और पाकिस्तान में 1960 के दशक के अन्त में मैक्सिको से भारी मात्रा में प्राप्त हरित-क्रांति गेहूं के कारण केवल दो फसलों की अवधि के दौरान ही 50 से 60 प्रतिशत तक गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था", और भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का कोई उल्लेख नहीं है;

(ख) मैक्सिकन बीज के चयन के बाद उन्हें भारतीय परिस्थिति के अनुकूल बनाने तथा अधिक क्षेत्र में उनकी काश्त करने और उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने तथा उर्वरक, सिंचाई आदि अधिक आदान उपलब्ध कराने के अतिरिक्त भारतीय वैज्ञानिकों का इस संबंध में क्या योगदान रहा है; और

(ग) ऐसे पुरस्कृत गेहूं के नाम क्या हैं जिनके लिए कुछ वैज्ञानिकों को पुरस्कार मिला है और उनकी खेती कितनी भूमि में होती है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) यह सही है कि "पर्यावरण विज्ञान" शीर्षक पुस्तक (1978) में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का उल्लेख नहीं किया गया है । फिर भी, यह स्पष्ट है कि पुस्तक

में दिये गये वक्तव्य में कि "भारत और पाकिस्तान में 1960 के दशक के अंत में मैक्सिको से भारी मात्रा में प्राप्त हरित-क्रांति गेहूं के कारण केवल दो सफलों की अवधि के दौरान ही 50 से 60 प्रतिशत तक गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था।" देश के विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में उच्च स्तर तक गेहूं उत्पादन के लिए भारत के गेहूं वैज्ञानिकों द्वारा सही किस्मों की पहचान और उपयुक्त उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान की पूरी और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत नहीं की गयी है।

वास्तव में, 1966 के दौरान गेहूं की दो बौनी किस्मों "लरमा रोजो" और "सोनोरा 64" के केवल 18,000 मीटरिक टन बीज का आयात किया गया था। लेकिन लाल दानों के कारण ये किस्में कृषकों और उपभोक्ताओं में लोकप्रिय नहीं हो सकीं। फलस्वरूप, भारत के गेहूं वैज्ञानिकों ने गेहूं की किस्मों का चयन किया और 1967 में अम्बर दाने वाली, अधिक पैदावार देने वाली और रोगरोधी किस्मों को रिलीज किया। इन किस्मों के नाम ये हैं :—

कल्याण सोना, सोनालिका, सफेद लरमा और सरबती सोनोरा है। वास्तव में इन किस्मों की व्यापक खेती से ही भारत में गेहूं की क्रान्ति आयी। इस कार्यक्रम को भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़े उत्साह से चलाया और अर्जुन, नीलगिरि, एच० डी-2189, एम० एल० के० एस–11, डब्ल्यू० एल० 711, डब्ल्यू० एच० 147, एच० डी० 2329, एच० यू० डब्ल्यू-12, एच० आई-617 आदि जैसी श्रेष्ठ किस्मों के वंशक्रमों को व्यावसायिक खेती के लिए विकसित किया गया जिसके परिणामस्वरूप गेहूं की क्रान्ति को प्रोत्साहन मिला। नई किस्मों के विकास के अतिरिक्त उत्पादन और सुरक्षा के उपयुक्त प्रौद्योगिकी भी तैयार की गयी, जिससे इन किस्मों से अधिकतम उपज प्राप्त की जा सकी।

इससे पता चलता है कि सम्बन्धित पुस्तक के लेखकगण ऊपर बताये गये विस्तृत तथ्यों अथवा भारतीय गेहूं वैज्ञानिकों के योगदान से अनभिज्ञ थे तथा उनकी यह त्रुटि प्रत्यक्ष रूप में इन तथ्यों की उपेक्षा के कारण ही है। यहां यह बता देना भी उचित होगा कि डा० नोर्मन ई० बोरलोग नोबल पुरस्कार से प्रतिष्ठित और ससार में हरित क्रान्ति के जनक ने बताया कि "यह अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार प्रायोजना ही है जो गेहूं की क्रान्ति के लिए समर्पित है और इसी ने दुनिया में गेहूं अनुसंधान कार्यक्रमों का बड़े और व्यापक रूप में विकास किया है।"

(ख) लरमा रोजो तथा सोनोरा-64 का पता लगाने के सिवाय भारतीय वैज्ञानियों का सहयोग निम्न प्रकार है :—

(i) सोनोरा-64 तथा लरमा रोजो (लाल दाने वाली किस्म) की जगह अधिक उपज देने वाली तथा अम्बर दाने की गेहूं की किस्म यानी कल्याण सोना तथा सोनालिका, जोकि भारतीय प्रजनकों द्वारा चुनी गई है. उगाई गयी।

(ii) भारतीय और मैक्सिको और दूसरे देशों की किस्मों के साथ और आगे संकरण के परिणामस्वरूप अधिक उपज देने वाली अधिक रोगरोधी शक्ति वाली अच्छे दाने की क्वालिटी वाली किस्में जैसे जनक, शेरा, हीरा, मोती, अर्जुन, एच० डी-2135, एच० डी-2204, एच० डी-2189, डब्ल्यू० एल-711, डी० डब्ल्यू० एल० 5023, डब्ल्यू० एच०-147, यू० पी०-62, लोक-1, एच० पी०-1209, एच० पी० 1102, एच० डी० 2204, एच० डी० 2189, एच० डी० 4502, गिरिजा, शैलजा, एच० डी० 2135, एच० आई० 617, एच० यू० डब्ल्यू० 12 आदि विकसित की गयीं।

(iii) गेहूं उत्पादन को स्थिर बनाने के लिए एक नयी नीति बहुवंशक्रमी की विकास के रूप में अपनायी गई थी जिसके परिणामस्वरूप बहुवंशक्रमी जैसे के० एस० एम० एल०-3, एम० एल० के० एस० 11 तथा के० एम० एल० 7406 व्यावसायिक खेती के लिए विकसित तथा रिलीज की गई। इन बहुवंशक्रमी किस्मों पर रतुवा रोग का बहुत कम प्रभाव पड़ता है और रतुआ महामारी को बहुत अच्छी तरह सह लेती है। भारत दुनिया में पहला देश है जोकि बौनी गेहूं की बहुवंशक्रमी किस्मों का विकास कर रहा है तथा उन्हें रिलीज कर रहा हैं।

(iv) भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त गेहूं की बौनी किस्मों के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी तैयार करना जिससे कि उनसे अधिक पैदावार ली जा सके।

(v) महामारी फैलने के विषय में भविष्यवाणी करने की दृष्टि से गेहूं के रोगों के लिये एक सर्वेक्षण और निगरानी पद्धति की स्थापना करना।

(ग) भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई कुछ गेहूं की महत्वपूर्ण किस्मों के नाम नीचे दिये गये हैं जिनके लिए वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया है :—

शेरा, हीरा, मोती, अर्जुन, एच० डी० 2133, एच० डी० 2204, एच० डी० 2189.

अभी हाल ही में विकसित की गई गेहूं की बेहतर किस्में जैसे—डब्ल्यू० एल०-711, डी० डब्ल्यू० एल० 5023, के० एस० एम० एल० 3, एम० एल० के० एस० 11, डब्ल्यू० एच० 147, यू० पी० 262, एल० ओ० के० 1, एच० पी० 1209, एच० पी० 1102 विकसित की गई हैं। कुछ पहले से उगायी जा रही गेहूं की किस्मों की जगह नई किस्में उगाई जा रही हैं। नई किस्मों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :—

एम० एल-711	—पंजाब में 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है।
डब्ल्यू० एच० 147	—हरियाणा में करीब 50 प्रतिशत क्षेत्र में।
यू० पी० 262	— बिहार और उत्तर प्रदेश के 15 प्रतिशत क्षेत्र में।

एच० पी० 1102	– उत्तर प्रदेश और बिहार के 10 प्रतिशत क्षेत्र में ।
एच० पी० 1209	– उत्तर प्रदेश और बिहार के 10 प्रतिशत क्षेत्र में ।
एच० डी० 2009	—दिल्ली. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20% क्षेत्र में ।
एच० डी० 2204	—दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 10 प्रतिशत क्षेत्र में ।
एच० डी० 2189	– महाराष्ट्र और कर्नाटक के 20 प्रतिशत क्षेत्र में ।
एल० ओ० के०-1	—गुजरात और मध्य प्रदेश के 10 प्रतिशत क्षेत्र में ।

वृक्षों के जीवित रहने सम्बन्धी जांच

1121. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान लगाए गए पेड़ों के जीवित रहने संबंधी जांच की है और कितने पेड़ हरेभरे पाए गये; और

(ख) पेड़ों के जीवित रहने की दर को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि ग्रामीण, विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सामान्यत: पौध रोपण की जांच राज्य वन विभागों के अधिकारियों द्वारा की जाती है ।

राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 1979, 1980 तथा 1981 के लिए बचे वृक्षों की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है ।

1982 के दौरान केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने अचानक जांच भी की थी ।

(ख) इसके लिए उपयुक्त प्रजातियों का चयन करना, उचित आकार के पौधों का प्रयोग बेहतरीन संरक्षण तथा अच्छी तकनीक जैसे उपाय करने का प्रस्ताव है ।

विवरण

लगाए गये पेड़ों की संख्या तथा बचे हुए पेड़ों की प्रतिशतता प्रदर्शित करने वाला विवरण

(लाख रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1979		1980		1981	
	लगाये गये पेड़	बचे हुए	लगाये गये पेड़	बचे हुए	लगाये गये पेड़	बचे हुए
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1. आन्ध्र प्रदेश	घ० न०	घ० न०	घ० न०	घ० न०	680.00	72
2 असम	39.51	80.00	43.20	80.00	313.00	60

1	2	3	4	5	6	7
3. बिहार	274.54	80.00 से 90	366.58	80 से 90	553.40	88
4. गुजरात	865.00	67.5	910.00	71.00	1494.10	73
5. हरियाणा	186.62	घ० न०	164.95	घ० न०	600.00	—
6. हिमाचल प्रदेश	206.25	60 से 80	161.21	60 से 80	277.00	—
7. कर्नाटक	861.20	58.4	1123.27	55.2	1414.00	—
8. केरल	103.56	घ० न०	69.02	घ० न०	162.00	—
9. मध्य प्रदेश	422.00	84.8	725.00	83. 2	2456.00	—
10. महाराष्ट्र	583.23	71.1	594.47	78.8	874.00	—
11. मणिपुर	27.09	61.6	64.22	65.0	63.29	—
12. मेघालय	22.39	95.0	26.55	95.0	35.42	—
13. नागालैण्ड	42.38	90.0	38.46	91.5	66.12	—
14. उड़ीसा	616.78	60 से 70	506.91	70 से 80	607.41	—
15. पंजाब	105.42	65.4	175.09	76.2	373.00	45
16. सिक्किम	29.00	60 से 65	17.00	60 से 65	36.00	—
17. तमिलनाडु	घ० न०	घ० न०	घ० न०	घ० न०	817.00	—
18. त्रिपुरा	64.19	83.9	67.33	81.3	147.60	—
19. उत्तर प्रदेश	494.99	74.1	623.70	74.7	1052.00	75
20. पश्चिम बंगाल	261.00	78 2	288.0	80.9	431.00	—
21. जम्मू तथा कश्मीर	घ० न०	घ० न०	घ० न०	घ० न०	80.00	—
22. राजस्थान	घ० न०	घ० न०	घ० न०	घ० न०	305.00	85
द्वीप समूह	2.68	90.0	2.63	85.0	80.40	—
संघ राज्य क्षेत्र :						
1. अंदमान तथा निकोबार						
2. अरुणाचल प्रदेश	9.203	82.0	10.391	91.4	58.00	—

1	2	3	4	5	6	7
3.	दादर तथा नगर हवेली	6.43	72.6	8.08	84.6	9.51	—
4.	दिल्ली	2.41	71.8	3.47	74.1	—	—
5.	गोवा दमन तथा दीव	8.45	94.7	10.15	93.1	—	—
6.	मिजोरम	घ० न०	घ० न०	घ० न०	घ० न०	204.00	—

घ० न०=घोषित नहीं।

बड़े पैमाने पर रोजगार तथा विकास कार्यक्रम के लिए चुने गए खण्डों की संख्या

1122. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े पैमाने पर रोजगार तथा विकास कार्यक्रम के लिए चुने गए खण्डों की प्रत्येक कार्यक्रम के लिए रूपरेखा सहित पृथक-पृथक संख्या कितनी है; और

(ख) शेष खण्डों में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पृथक-पृथक कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिनका उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार तथा उत्पादी परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करके निर्धन ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना है, को देश के सभी विकास खण्डों में चलाया जा रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति खण्ड 35 लाख रुपये का एक समान दर पर आवंटन किया गया है जिसका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	प्रतिखण्ड आबंटन (लाख रुपये में)
1978-79	5.00
1979-80	5.00
1980-81	8.00
1981-82	8.00
1982-83	8.00

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य अन्श सहित लगभग 380 करोड़ रुपए का वार्षिक परिव्यय किया जा रहा है।

गुजरात की जनखरी जलाशय परियोजना को स्वीकृति

1123. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने गुजरात की जनखड़ी जलाशय परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) उसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) ससे कितने भूक्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी ?

सिंचाई मन्त्री श्री केदार पांडेय : (क) यह परियोजना योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1982 में अनुमोदित की गई है।

(ख) और (ग) इस परियोजना पर 18.70 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इससे 20612 हैक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गई है।

बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नामांकन

1124. **श्री भोखा भाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संगठन के अनुच्छेदों में ऐसी कोई विशिष्ट धारा नहीं है जो कि सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के बोर्डों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में संबंधित व्यक्तियों की गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामांकित करने से वंचित करती हो;

(ख) यदि हां, तो उद्योग, वाणिज्य प्रशासन, मजदूर संगठनों या सामाजिक क्षेत्रों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सबंधित प्रमाणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के रूप में नामांकित क्यों नहीं किया जाता; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विशिष्ट व्यक्तियों को नामांकित किए जाने की सिफारिशें उनके मंत्रालय के विचाराधीन पड़ी हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के नीलामी कक्ष के बरामदे में डाक पटल पर होने वाला शोर शराबा

1125. **श्री जैनुल बशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि डाक प्राप्त करने के लिए हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण के नीलामी कक्ष के बरामदे में स्थापित किए गये पटलों पर बड़ा शोर शराबा रहता है क्योंकि पटल के किसी भी साइन बोर्ड पर यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है कि किस पटल पर कौन-सी डाक प्राप्त की जायेगी;

(ख) क्या संबद्ध व्यक्ति को इस बात की सूचना प्राप्त करने के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है और उन्हें सही सूचना देने के लिये कोई मार्ग दर्शक नहीं है;

(ग) क्या इन पटलों के कर्मचारी आम तौर पर सुबह देर से आते हैं और जनता के प्रति उनका व्यवहार भी बड़ा अभद्र और अशिष्ट है;

(घ) क्या शिकायतें सुनने के लिए वहां कोई वरिष्ठ कर्मचारी नियुक्त नहीं है और इसके अतिरिक्त मुख्य भवन का स्वागत कक्ष ऐसे परेशान व्यक्तियों को प्रवेश-पत्र नहीं देता है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारी से मिलना चाहता है और उसे यहां की स्थिति से अवगत कराना चाहता है; और

(ङ) इन पटलों के मामले ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह सही नहीं है। नीलामी हाल में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लिखित सूचना पट्टों की व्यवस्था की गई है।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन आरोपों से इन्कार किया है।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इंकार किया है और बताया है कि लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिये निम्नलिखित प्रबंध किये हैं :—

(I) जनता दिल्ली विकास प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को बुधवार के अलावा प्रतिदिन 3 बजे अपराह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक मिल सकती है।

(II) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रत्येक बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार को सप्ताह में दो दिन मिलते हैं।

उपर्युक्त प्रबंधों का जनता की सूचना के लिए समय-समय पर समाचार-पत्रों के माध्यय विस्तृत प्रचार किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के शालीमार बाग के फ्लैटों में खराब सामग्री को उपयोग में लाना

1126. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिंग रोड पर शालीमार बाग कम्पलैक्स में स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में खराब सामग्री इस्तेमाल किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया था और आवंटन होने के दो वर्ष बाद भी उसका निर्माण पूरा नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कुछेक छोटी-छोटी खराबियों तथा मरम्मतों के बारे में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा ऐसी शिकायतों को तुरन्त ही दूर किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर खराबियों को दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं ।

हुडको द्वारा तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता

1127. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए हुडको ने तमिलनाडु सरकार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सहायता के लिए सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की जानी है;

(ग) क्या ऐसे ऋण स्वीकृत करने के लिए कोई शर्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) ऋणी अभिकरणों को आवास तथा नगर विकास निगम से अनुरोध करना अपेक्षित है जो निर्धारित मार्ग निर्देशनों के अनुसार योजनाओं की जांच-पड़ताल करता है।

(ग) तथा (घ) आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा योजनाओं की मंजूरी के लिए अपनाया गया मापदण्ड इस प्रकार हैं :—

(i) परियोजना वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य एवं तकनीकी रूप से ठोस होनी चाहिए।

(ii) परियोजना में उचित भू-दृश्य आदि सहित सहज सस्ता एवं सौंदर्यपरक मनमोहक विन्यास तथा सौंदर्यपरक आवास डिजाइन की व्यवस्था होनी चाहिए।

(iii) योजना में, जहां तक संभव हो सके, सीमेंट तथा इस्पात जैसी दुर्लभ भवन सामाग्रियों के स्थान पर स्थानीय रूप से उपलब्ध एवं सस्ती सामग्री का उपयोग होना चाहिए।

(iv) इस योजना में भूमि का अधिक से अधिक उपयोग एवं अद्यसंरचना सुविधाओं आदि के उचित विकास सुनिश्चित होने चाहिए।

(v) इस योजना में पर्याप्त वृक्षारोपण आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

(vi) योजना को आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा योजना विशेष के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूरा करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण आवास के मामले में, राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अभिकरण वित्तीय सहायता के लिए और ग्रामीण आवास के लिए पात्र है जो योजना की प्रकृति पर निर्भर है, विभिन्न अभिकरण चाहे, सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी अथवा, सहकारी क्षेत्र में हो, वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

कृषि उत्पादों के मूल्यों को बोवाई मौसम से पहले निर्धारित करना

1128 **श्री अशफाक हुसैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि मूल्य आयोग को सलाह देगी कि धान, गेहूं तथा अन्य कृषि उत्पादों के वसूली मूल्यों की घोषणा बुवाई के मौसम से काफी पहले की जाये; और

(ख) क्या सरकार कृषि उत्पादों का मूल्य विपणन मौसम-वार निर्धारित करने की अपनी मूल्य नीति को बदल कर बुवाई मौसम-वार निर्धारित करने की नीति अपनायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) यह बताया गया है कि धान, गेहूं तथा अन्य कृषि उत्पादों के वसूली मूल्यों को बुवाई के मौसम से काफी पहले घोषित करने की नीति को सख्ती से अपनाना किसानों के हित

में आवश्यक नहीं है। यदि वसूली मूल्य कटाई होने के तत्काल पूर्व निर्धारित किये जाते हैं तो फसल की बुवाई और उसकी कटाई के बीच की अवधि के दौरान आदान मूल्यों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखना संभव हो सकेगा। उससे संबंधित जिन्स के नवीनतम बाजार मूल्यों तथा उसकी प्रतियोगी फसलों के मूल्यों को भी ध्यान में रखना भी सम्भव हो सकेगा। इसलिए सरकार की वर्तमान पद्धति को काफी व्यावहारिक समझा गया है। अतः सरकार फिलहाल कृषि उत्पाद के मूल्य निर्धारण के बारे में अपनी पद्धति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की नहीं सोच ही है।

एशियाई खेलों के लिए भर्ती

1129. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के प्रयोजन के लिए संवर्ग-वार अब तक कितने कर्मचारी भर्ती किये, गये हैं;

(ख) इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; किन-किन राज्यों स्थानों और संगठनों/संस्थानों से ये कर्मचारी भर्ती किये गये हैं और उनकी भर्ती की क्या प्रणाली है और क्या इससे संबंधित ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) एशियाई खेलों के लिए कुल कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है और शेष कर्मचारी कब तक भर्ती कर लिये जायेंगे और उनकी भर्ती के लिए क्या प्रणाली अपनाई जायेगी ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) प्रश्न के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना दी जानी है, जो एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में तदर्थ अनुसंधान योजनायें

1130. **श्री राम किंकर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में किन-किन विषयों के लिए वैज्ञानिक दल हैं;

(ख) प्रत्येक द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 1 सितम्बर से अगले वर्ष 31 अगस्त तक की अवधि में कितनी तदर्थ अनुसंधान योजनाओं पर विचार किया गया था;

(ग) प्रत्येक दल द्वारा प्रत्येक वर्ष कितनी योजनायें रद्द की गईं, कितनी योजनाओं के पुनरीक्षण की अपेक्षा थी और कितनी योजनाओं की मंजूरी की सिफारिश की गई;

(घ) दल-वार सिफारिश की गई तदर्थ अनुसंधान योजनाओं में से इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी मंजूर की गईं;

(ङ) योजना-वार कितनी राशि तथा काम की अवधि की स्वीकृति दी गई;

(च) भारतीय अनुसंधान परिषद् द्वारा दल-वार प्राप्त कितने अनुसंधान प्रस्तावों पर 1 अक्तूबर, 1982 के दिन विचार किया जाना है; और

(छ) प्रत्येक दल के सदस्य कौन-कौन हैं और प्रत्येक दल में चेयरमैन 1960 से 1982 के दौरान क्रमशः किस-किस वर्ष में चेयरमैन अथवा सदस्य के रूप में रहे थे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जिन विषयों के लिए वैज्ञानिक पैनल बनाया गया है उसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(छ) यह सूचना पिछले 22 वर्षों की अवधि (1960-82) से सम्बन्धित है। पुराने रिकार्ड से उपलब्ध सूचना संकलित की जायेगी और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

उन विषयों पर जिन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक पैनल बनाया गया है उसकी सूचना निम्न प्रकार है :

1. पादक शरीर-विज्ञान और जीव रसायन वैज्ञानिक पैनल
2. पादक रोग-विज्ञान का वैज्ञानिक पैनल
3. गोल कृमि कीट विज्ञान का वैज्ञानिक पैनल
4. पादक प्रजनन का वैज्ञानिक पैनल
5. फलों, रोपण और औषधीय फसलों का वैज्ञानिक पैनल
6. ओलेरी कल्चर और पुष्पोत्पादन का वैज्ञानिक पैनल
7. पशु प्रजनन का वैज्ञानिक पैनल
8. पशु स्वास्थ्य का वैज्ञानिक पैनल
9. पशु आहार तथा शरीर रचना विज्ञान का वैज्ञानिक पैनल
10. डेरी तथा पशुधन उत्पादन प्रौद्योगिकी का वैज्ञानिक पैनल
11. मात्स्यिकी का वैज्ञानिक पैनल
12. कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी तथा विपणन का वैज्ञानिक पैनल
13. कृषि शिक्षा का वैज्ञानिक पैनल
14. गृह विज्ञान का वैज्ञानिक पैनल
15. सस्य विज्ञान का वैज्ञानिक पैनल
16. कृषि इंजीनियरिंग का वैज्ञानिक पैनल
17. फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी का वैज्ञानिक पैनल
18. सूक्ष्म जीव विज्ञान का वैज्ञानिक पैनल
19. मृदा विज्ञान का वैज्ञानिक पैनल।

पश्चिमी घाट की सुरक्षा के बारे में ज्ञापन

1131. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल राज्य के प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिमी घाटों के वनों (कालीकट जिला) की सुरक्षा के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें इस क्षेत्र में वन न काटने के केरल राज्य के उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद शक्तिशाली व्यक्तियों के एक दल द्वारा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में वन काटे जाने के बारे में कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। उन्होंने सूचित किया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने अप्रयुक्त वनों को बड़े पैमाने पर नष्ट किये जाने की खबर से इनकार किया है। केरल सरकार को कहा गया है कि वह वनों को बचाने के लिए सम्बद्ध केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के तहत कार्यवाही करे।

उर्वरकों का आयात

1332. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार ओ० जी० एल० के अन्तर्गत गैर-सरकारी कम्पनियों को उर्वरकों की कतिपय किस्में आयात करने की अनुमति देने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उर्वरकों का आयात, वितरण और मूल्य निर्धारण का अधिकार अब तक केवल खनिज और धातु व्यापार निगम को ही था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त नीति से हटने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी नहीं।

(ख) केवल खनिज और धातु व्यापार निगम ही सरकार की तरफ से उर्वरकों का आयात करने वाली एजेन्सी है। तथापि, उर्वरकों के वितरण तथा मूल्य निर्धारण में खनिज और धातु व्यापार निगम का कोई हाथ नहीं था। ये कार्य सरकार द्वारा किये जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्टाफ की सुविधाएं

1133. **श्री हरीश कुमार गंगवार :**

डा० ए० यू० आजमी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने भारतीय कृषि अनुसधान परिषद में काम करना पसन्द किया है, अल्प सुविधाओं के साथ टेलीफोन सुविधा तथा सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी आवास की सुविधा आदि के अधिकारी नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारी जिन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवा को स्वीकार किया है वे भारत सरकार के अन्य अधिकारियों की तरह ही टेलीफोन सुविधा के हकदार हैं। जहां तक सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान करने का संबंध है, यह सम्पदा निदेशालय का विषय है जो अपने नियमों के अनुसार ऐसे मामलों को निपटाते हैं।

उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखानों की स्थापना का प्रस्ताव

1134. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से बदायूं और बरेली जिलों में चीनी के कारखानों की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली जिलों में चीनी मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि नैनीताल जिले में सहकारी क्षेत्र में प्रतिदिन 1250 मीटरी टन की क्षमता की एक नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिये एक आवेदन पत्र जुलाई, 1982 मास में प्राप्त हुआ था जोकि केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

अनुसूचित जनजातियों को भूमि का आबंटन

1135. **श्री जयनारायण रोत** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक देश में राज्यवार, अनुसूचित जनजातियों को कितनी भूमि आबंटित/वितरित की गई; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में, राज्यवार अनुसूचित जनजातियों को कितनी भूमि आबंटित/वितरित की जाएगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) विभिन्न राज्यों के भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से कोई फालतू भूमि अर्जित नहीं की जाती है लेकिन वितरण करते समय विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन कृषि श्रमिको को प्राथमिकता दी जाती है । छठी योजना अवधि के दौरान भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन व्यक्तियों को फालतू भूमि के आबंटन में प्राथमिकता दी जाती रहेगी ।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	पूर्व संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अंतर्गत देश में अनुसूचित जनजातियों को आबंटित/वितरित भूमि	संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत देशों में अनुसूचित जनजातियों को आबंटित/वितरित भूमि	देश में अनुसूचित जनजातियों को कुल आबंटित/वितरित भूमि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	अप्राप्य	54,732	54,732
असम	अप्राप्य	29,023	29,023
बिहार	—	15,321 (अ)	15,321 (अ)
गुजरात	19,217	678	19,895
हरियाणा	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	134	134
जम्मू और काश्मीर	—	—	—
कर्नाटक	—	1,428	1,428
केरल	—	4,103	4,103

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	14,641	39,227	53,858
महाराष्ट्र	24,101	51,072	75,173
मणिपुर	—	—	—
उड़ीसा	—	44,838	44,838
पंजाब	—	—	—
राजस्थान	18,970	16,555	35,525
तमिलनाडु	6	12	19
त्रिपुरा	—	293	293
उत्तर प्रदेश	—	1,38,644*	1,38,644*
पश्चिम बंगाल	अप्राप्त	12,180 (अ)	12,180 (अ)
दादर और नगर हवेली	—	3,351	3,351
दिल्ली	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	—
योग :	76,935	4,11,591	4,88.529

(अ) अनुमानित ।

(*) इसमें अनुसूचित जातियों को वितरित किया गया क्षेत्र भी शामिल है क्योंकि अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

नेहरू युवक केन्द्रों का सुदृढ़ बनाया जाना

1136. **श्री बृद्धि चन्द्र जैन** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि नेहरू युवक केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने तथा इस हेतु आवश्यक संगठनात्मक ढांचे तैयार करने का कोई कार्यक्रम लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) उपरोक्त कार्यक्रम कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) नेहरू युवक केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने और इस प्रयोजन के लिये आवश्यक संगठनात्मक ढाँचे की व्यवस्था करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस मामले पर निर्णय लेने के बाद ही कार्यान्वियन का प्रश्न उठेगा ।

दिल्ली नगर निगम के सफाई विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति

1137. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के सफाई विभाग के कर्मचारियों को चालू प्रभार आधार पर कार्य करने के लिए बाधित किया जाता है और इस प्रकार उन्हें उच्च ग्रेड में देय पदोन्नति से बंचित रखा जाता है;

(ख) क्या अन्य विभागों के कर्मचारियों को उच्च ग्रेड में पदोन्नतियां दी जाती हैं, लेकिन केवल इस वर्ग के कर्मचारियों अपेक्षित किया जाता है और सफाई विभाग के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है;

(ग) क्या मल सफाई और सफाई इंजीनियरी विभाग के गठन और इस वर्ग के कर्मचारियों को उस विभाग में स्थानान्तरित किए जाने से पहले पदोन्नतियां नियमित उच्च ग्रेड में की जाती थीं;

(घ) यदि हां, तो सफाई कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार का अन्याय और भेद-भाव क्यों किया जाता है; और

(ङ) उन्हें कब तक उच्च ग्रेडों में देय पदोन्नति दी जाएगी?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि प्रशासनिक सुविधा हेतु विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को चालू ड्यूटी प्रभार दिया जाता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि नये खोले गये विभाग में स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में भी चालू प्रभार आधार पर पदोन्नत किया गया था।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) निगम ने सूचित किया है कि नियमित ग्रेड में उनके तदर्थ नियमित नियुक्ति के बारे में विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पहले ही निर्धारित कर दी गई है।

राजधानी में खाद्य और पूर्ति डिपुओं से सप्लाई किया गया घटिया किस्म का राशन

1138. **श्री पी० नामग्याल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में खाद्य और पूर्ति डिपुओं से घटिया किस्म का राशन, विशेषत: गेहूं सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राशन डिपुओं में उपलब्ध गेहूं मुख्यत: अंकुरित हो जाने के बाद सुखाया हुआ है और यह चपाती बनाने तथा खाने के अनुपयुक्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या विभाग जनता को घटिया किस्म के इस अंकुरित गेहूं और चावल की सप्लाई को तत्काल रोकेगा तथा इस वर्तमान भंडार को अच्छे किस्म के गेहूं और चावल से बदलेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं। केवल सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में उल्लिखित सीमा तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं और चावल की सप्लाई की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी के पास से एशियाई खेलों की टिकटों का कथित पकड़ा जाना

1139. **श्री रशीद मसूद** :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक के किसी कर्मचारी के घर से हाल में एशियाई खेलों की अनेक टिकटें पकड़ी गई हैं, जो उसने अनधिकृत रूप से अपने पास रखी हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार बैंक के किसी कर्मचारी के घर से एशियाई खेलों की टिकटों के

पकड़े जाने का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है। तथापि, एक प्राइवेट शिकायत पर, भारतीय स्टेट बैंक (गांधी नगर शाखा, जम्मू) के एक कर्मचारी के विरुद्ध जम्मू पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है और कुछ कार्य प्रणाली संबंधी अनियमितताएं ध्यान में आई हैं।

1982-83 में चीनी का उत्पादन

1140. **डा0 बसन्त कुमार पण्डित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1982-83 के सीजन में कितनी चीनी के उत्पादन का अनुमान है और इसमें घरेलू खपत और उद्योगों को कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी तथा कितनी अतिरिक्त बच जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : 1982-83 मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन लगभग 75-80 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है। अनुमान है कि बड़े उपभोक्तानों की जरूरतों समेत कुल घरेलू खपत और निर्यात की जाने वाली मात्रा क्रमशः लगभग 6 लाख मीटरी टन और 7 लाख मीटरी टन होगी, जिससे कुल अनुमानित आवश्यकता 69 लाख मीटरी टन होगी। अतः 1982-83 के दौरान उक्त अनुमानित उत्पादन में से अधिशेष उपलब्धता 11 लाख मीटरी टन के आस-पास होने का अनुमान है।

लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा में लगाये गये नलकूप

1141. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या ग्रामीण और विकास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम के अधीन, वर्ष 1978-79 से 1980-81 तक की अवधि के दौरान, उड़ीसा के विभिन्न जिलों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने कुएं खोदे गए;

(ख) उपर्युक्त केन्द्रीय योजना के अधीन 1981-82 और 1982-83 के दौरान उन जिलों में कितने कुएं खोदे गए;

(ग) मयूरभंज जिले के उन छोटे किसानों की संख्या कितनी है जिन्होंने कुएं खोदने के लिये ऋण लिया;

(घ) क्या मयूरभंज जिले के उन छोटे किसानों ने ऋणों की अदायगी कर दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) लघु कृषक विकास एजेंसी/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की

सुविधाएं सुलभ करने हेतु कुएं खोदने की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। इसके अन्तर्गत सिंचाई के लिए कुएं खोदने हेतु सहायता सुलभ की जाती है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में वर्षा के कारण हानियां

1142. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान (राज्यवार) अधिक वर्षा होने के कारण मरने वाले लोगों तथा पशुओं की संख्या कितनी है और फसलों की कितनी हानि हुई; और

(ख) प्रत्येक राज्य को राहत उपायों के लिये कितनी सहायता दी गई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाला विवरण-I तथा 2 संलग्न है।

विवरण–I

1980-81 के दौरान बाढ़ों से हुई क्षति को प्रदर्शित करने वाला विवरण

राज्य का नाम	मृत मानवों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	प्रभावित समस्यागत क्षेत्र (लाख हैक्टार)
1	1	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	88	26300	0.3
2. असम	57	9155	519.9
3. बिहार	57	42	10.0
4. गुजरात	45	8744	2.8
5. हरियाणा	सूचित नहीं किया	14	1.2
6. हिमाचल प्रदेश	6	68	नगण्य
7. जम्मू तथा कश्मीर	1	सूचित नहीं किया	नगण्य
8. कर्नाटक	16	4	0.20
9. केरल	42	56	0 61
10. महाराष्ट्र	29	202	0.93
11. मणिपुर	7	43	0.5
12. उड़ीसा	73	8280	3.6
13. पंजाब	47	113	0.45
14. राजस्थान	1	27	शून्य
15. उत्तर प्रदेश	1309	5244	30.9
16. पश्चिम बंगाल	65	1055	2.1

1981-82 के दौरान बाढ़ों से हुई क्षति को प्रदर्शित करने वाला विव

1	2	3
1. बिहार	17	11
2. गुजरात	121+3 (खोए हुए)	5230
3. कर्नाटक	78	4208
4. केरल	86	सूचित नहीं किया
5. राजस्थान	141+226 (खोए हुए)	33430
6. उत्तर प्रदेश	183	546

विवरण–2

वर्ष 1980-81 से 1981-82 के लिए बाढ़ से प्रभावित राज्यों को दी गई सहायता को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(रुपये करोड़

राज्य का नाम	वर्ष	
	1980-81	1981-82
1. आन्ध्र प्रदेश	8.3984	—
2. असम	12.7214	—
3. बिहार	26.4700	20.74
4. गुजरात	18.9754	30.9694
5. हरियाणा	5.2426	—
6. कर्नाटक	3.4750	2.8137
7. केरल	9.0942	8.4272
8, उड़ीसा	42.8858	—
9. राजस्थान	—	45,0560
10. उत्तर प्रदेश	79.0500	45.4567
11. पश्चिम बंगाल	23.5647	—

एशियाई खेलों का संचालन करने वाली समिति के कार्मिक

1143. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**

श्री बाबू राव परांजपे : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेलों का आयोजन करने के लिए समिति में अनुभव-हीन अधिकारी रखे जाने के कारण विभिन्न राज्यों के खेल-कूद एसोसिएशनों के सेक्रेटरियों में रोष व्याप्त है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में उनके विभाग की नीति क्या है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

एशियाड-82 खेलों में भाग लेने से इन्कार करने वाले देश

1144. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या खेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने एशियाड-82 खेलों में भाग लेने से इन्कार कर दिया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या जिन देशों ने एशियाड-82 खेलों में भाग लेने से इन्कार किया है उन्हें विधिवत निमंत्रण भेजा गया था ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 9वें एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति द्वारा जिन देशों को निमंत्रण भेजे गये थे, उनमें से किसी भी देश ने एशियाड में भाग लेने से इन्कार नहीं किया है । केवल बूनी ने, जिसने पहले कभी भाग नहीं लिया, इस बार भी अपनी प्रविष्टि नहीं भेजी है ।

एशियाड-82 खेलों के लिये बनाये जा रहे स्टेडियम

1145. **श्री रामसिंह यादव :** क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवें एशियाड-82 खेलों के लिए दिल्ली में कितने स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और उनमें कुल पूंजीनिवेश कितना होगा; और

(ख, नवें एशियाड-82 खेलों में कितने खेल होंगे और मेजबान देशों के कितने प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग को राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) दिल्ली में नवें एशियाई खेल, 1982 के लिए सरकार की कुल 33.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 6 नये स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, अपनी लागत पर भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने प्रगति मैदान में हाल आफ स्टेट और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खेल गांव परिसर में एक आडिटोरियम का निर्माण किया है और इनका नवें एशियाई खेलों के दौरान भी उपयोग किया जायगा। इसके अतिरिक्त, एशियाड, 1982 की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए दिल्ली में 9 विद्यमान स्टेडियमों का नवीनीकरण किया जा रहा है।

(ख) नवें एशियाई खेल, 1982 में 2 प्रदर्शन खेलों सहित 24 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें से 2 खेल दिल्ली से बाहर और शेष खेल दिल्ली में आयोजित किये जाएंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 183 कर्मचारियों सहित 644 होने की सम्भावना है।

खाद्य और कृषि संगठन का मत्स्य पालन संबंधी प्रतिवेदन

1146. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि केरल में आर्टिसनल मत्स्य पालन की ओर अधिक ध्यान दिया जाये और उसका समर्थन किया जाय;

(ख) यदि हां, तो खाद्य और कृषि संगठन ने केरल में आर्टिसनल और यांत्रिक मत्स्य पालन की लाभप्रदता सम्बन्धी अध्ययन किया है;

(ग) इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और क्या सरकार द्वारा इस प्रतिवेदन की जांच की गई हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में खाद्य और कृषि संगठन के निर्देश पर कहां तक विचार किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और ख) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में खाद्य और कृषि संगठन से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, खाद्य और कृषि संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम के तत्वावधान में जुलाई, 1982 में "केरल में आर्टिसनल और यांत्रिक अर्थ मत्स्य-पालन की लाभप्रदता" से संबंधित एक कार्यकारी लेख प्रकाशित हुआ है। यह प्रलेख केरल में आर्टिसनल और यांत्रिक मत्स्य पालन की लागत और आय का तुलनात्मक अध्ययन है। इसमें आगामी कार्यवाही के लिए सिफारिशों सहित इस अध्ययन के मूलाधार, प्रबन्ध और निष्कर्षों का पता चलता है।

(ग) और (घ) यह अध्ययन रिपोर्ट अभी खाद्य और कृषि संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत सरकार या केरल सरकार द्वारा सरकारी रूप से स्वीकृत नहीं की गया है।

आवास समस्याओं को बारे में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा सर्वेक्षण

1147. **श्री वी० राममूर्ति :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहरी आवास समस्याओं के बारे में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा किये गये सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ख) इस सर्वेक्षण में दिये गये सुझावों पर क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने देश में शहरी आवास समस्याओं के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य व्यापार निगम को दी गई अग्रिम धनराशि

1148. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस से खरगोशों के आयात के लिये कुल्लू के निकट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राज्य व्यापार निगम को बिना रसीद के दी गई बड़ी अग्रिम धनराशि के लिये सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ख) रूस से गलत स्टाक का आयात करने और बस्तर में वर्षों तक के मौजूद बड़ी स्टाक होने के बावजूद जर्मनी के नये स्टाक का आयात के क्या कारण हैं;

(ग) जुलाई, 1982 में लोम वाले पशुओं के प्रजनन के बारे में हुए प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार पर कितनी धनराशि खर्च की गई और खरगोश अनुसंधान के लिए कौन सी योजनाएं मंजूर की गई या मंजूर करने का विचार है तथा प्रत्येक योजना के लिये कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) वर्ष 1975-76 के बाद वर्षवार, उपशीर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई और इसके परिणामस्वरूप गेरता में खरगोश अनुसंधान से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई, और वर्षवार कितने खरगोश पैदा हुए और कितने खरगोशों का वितरण किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत के कृषि मंत्रालय तथा रूस के कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 1978-79 में हुए कृषि

के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग पर नयाचार के अनुसार नवम्बर, 1979 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उपहार के रूप में 125 खरगोश प्रत्येक ब्राइलर नस्ल के यानी व्हाइट जेन्ट, ग्रे जेन्ट तथा सोवियत चिनचिल्ला तथा 65 खरगोश अंगोरा ऊन किस्म के आयात किये थे। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को खरगोशों को एयर परिवहन से लाने हेतु अग्रिम धनराशि के रूप में 2 30,000 रु० दिये गये थे। दिनांक 23.3 1981 को 59,396.45 रु० एस. टी. सी. से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वापस प्राप्त किये थे। बकाया 1.70,603.55 रु० के संबंध में समायोजन लेखा को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस मामले पर प्रभावशाली ढंग से विचार किया जा रहा है।

(ख) भारत-रूस नयाचार के अन्तर्गत अंगोरा खरगोश रूस से मुफ्त उपहार के रूप में आयात किये गये थे तथा इस प्रकार उनके चयन में अपनी पसंद की बहुत कम गुंजाइश थी। तथापि, रूस से आयातित खरगोशों से जनन, विकास उत्तरजीविता तथा केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान के फर पशु प्रजनन प्रभाग में ऊन उत्पादन. गरसा के संबंध में सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं परन्तु उनमें गार्ड हेयर का प्रतिशत अधिक होता है। वृहत अनुवंशिक अस्थिरता और अधिक उत्पादन दोनों को बनाये रखने हेतु यूरोप तथा अन्य महाद्वीपों से अधिक उत्पादकता वाली नस्ल को आगे आयात करने का औचित्य है।

(न) फर पशु प्रजनन पर पहला राष्ट्रीय परिसंवाद अप्रैल, 1982 को हुआ था न कि जुलाई, 1982 को गरसा में जिसके लिए 15000/-रु० स्वीकृत किये गये थे। अभी तक खरगोशों के अनुसंधान पर कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, पशु प्रजनन पर वैज्ञानिक पैनल द्वारा प्रस्तावित माडल योजना पर आधारित खरगोश प्रजनन पर 4 अनुसंधान प्रायोजनाओं को निधि प्रदान करने के लिए विचार किया जा रहा है।

(घ) केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसधान संस्थान के फर पशु प्रजनन प्रभाग, गरसा में खरगोश प्रजनन हेतु व्यय तथा प्राप्ति को प्रभाग की प्राप्ति के लिए व्यय तथा आंकड़ों के साथ रखा जा रहा है जहां बढ़िया ऊन के लिए प्रजनक भेड़ों पर तथा भेड़ तथा बकरियों के लिए बढ़िया खिलाई पिलाई संसाधनों तथा फर पशु पोषण पर भी कार्य प्रगति पर है, तथा केवल गरसा में खरगोश अनुसंधान पर कोई अलग से बजट नहीं रखा गया है। केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान में समय-समय पर फर पशु प्रजनन प्रभाग, गरसा की प्राप्ति प्राप्त की जाती है तथा उसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लेखा में समाहित और जमा किया जाता है तथा केवल प्रभाग की प्राप्ति का कोई अलग लेखा नहीं रखा जा रहा है। तथापि, अनुसंगिक निधि का लगभग 40% खरगोशों के रख रखाव पर खर्च किया जाता है। प्राप्ति के संबंध में, चूंकि प्रजनक पशुओं तथा फर चमड़ा को बेचने के अतिरिक्त, शाल और अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए खरगोश की ऊन को भेड़ की ऊन के साथ मिलाया जाता है। इसलिए प्राप्ति (आय) की सही राशि का आंकलन प्रस्तुत करना संभव नहीं है। बाहर के 500 खरगोश मंगाये गये थे, लेकिन अब डिविजन आफ फर एनिगल ब्रीडिंग, गरसा में 3200 से भी अधिक

खरगोश हैं और 2000 से भी अधिक खरगोशों को अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए बेचा गया/सप्लाई किया गया है।

श्रीराम सागर परियोजना आंध्र प्रदेश का अनुमोदन

1149. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल आयोग को आंध्र प्रदेश सरकार से एक राष्ट्रीय सागर परियोजना चरण-2 योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडेय) : (क) जी, हां। श्रीराम सागर परियोजना चरण-2 की परियोजना रिपोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार से तकनीकी जांच करने और योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में मार्च, 1980 में प्राप्त हुई थी।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां सितम्बर, 1980 तथा जनवरी, 1981 के बीच राज्य सरकार को भेजी गई थीं। राज्य सरकार से आयोग की टिप्पणियों के पूर्ण उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात, और परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा लागत प्रभावकारिता सिद्ध हो जाने पर ही इस परियोजना पर आगे कार्यवाई की जा सकती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आटा मिलों को रियायती दर पर गेहूं की सप्लाई

1150. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

श्री सुभाष यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश के आटा मिलों को रियायती दर पर गेहूं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों को किस दर पर गेहूं दिया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि रियायती दरों पर गेहूं प्राप्त करने वाले देश की मिलों के उत्पादों की बिक्री और वितरण पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है;

(घ) क्या सरकार का विचार उनके उत्पादों के बिक्रय मूल्य पर नियन्त्रण करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी हां। जिस केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर राज्य सरकारों को गेहूं रोलर फ्लोर मिलों के लिए दिया जाता है वह मूल्य 185/- रुपये प्रति क्विंटल है।

(ग) जी नहीं। राज्य सरकारों ने गेहूं के मुख्य उत्पादों, अर्थात् मैदा और सूजी पर मूल्य तथा वितरण संबंधी नियन्त्रण लगाया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी की खरीद के नए तरीके

1151. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी की खरीद और सप्लाई के किसी नये तरीके पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कैसे और चीनी उपभोक्ताओं को किस दर पर दी जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) इस समय चीनी मिलों को अपने वार्षिक उत्पादन की कुछ प्रतिशतता अधिसूचित मूल्यों पर सरकार को देनीं होती है और इस तरह अधिप्राप्त चीनी को देश भर में समान खुदरा मूल्य पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता को बेचा जाता है। चीनी अधिप्राप्त करने के तरीके और लेवी चीनी की सप्लाई में कोई परिवर्तन करना विचाराधीन नहीं है। इस समय लेवी चीनी का खुदरा मूल्य 3.65 रुपये प्रति किलो है।

एशियाड-82 खेलों के लिए टिकटों की बिक्री

1152. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के कितने टिकट बिक चुके हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन टिकटों को किस आधार पर बेचा गया है;

(ग) कितने टिकट और बेचे जाने हैं; और

(घ) शेष टिकटों को किस आधार पर बेचा जायेगा ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 28.9.1982 तक एशियाई खेलों की बेची गई टिकटों की संख्या दर्शाई गई है।

(ख) टिकटें सभी राज्यों की राजधानियों और 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिक्री के लिए भेजी गई थीं। इसके अलावा, टिकटें विभिन्न शहरों में दिल्ली से उनकी निकटता, आबादी और विभिन्न खेलों की लोकप्रियता के आधार पर भेजी गई थीं।

(ग) और (घ) 28.9.1982 की स्थिति के अनुसार देश में आम बिक्री के लिए जारी की गई बिना बिक्री टिकटों की संख्या 583323 थी। इसके अलावा, खेल संघों, संसद-सदस्यों आदि जैसी विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है।

विवरण

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में एशियाई खेलों की बेची गई टिकटों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य संघ/शासित क्षेत्र	28.9.82 तक बेची गई गई टिकटों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	30089
2.	असम	13153
3.	बिहार	36887
4.	गुजरात	20704
5.	हरियाणा	30596
6.	हिमाचल प्रदेश	3037
7.	जम्मू तथा काश्मीर	2584
8.	केरल	14155
9.	कर्नाटक	19578
10.	मध्य प्रदेश	33129
11.	महाराष्ट्र	65569
12.	मणिपुर	3256
13.	मेघालय	2280
14.	नागालैंड	826
15.	उड़ीसा	14680

1	2	3
16.	पंजाब	23548
17.	राजस्थान	39925
18.	सिक्कम	2526
19.	तमिलनाडु	24273
20.	त्रिपुरा	3150
21.	उत्तर प्रदेश	40300
22.	अरुणाचल प्रदेश	1859
23.	पश्चिम बंगाल	58812
24.	चण्डीगढ़	17043
25.	दिल्ली	556240
26.	गोवा, दमन और द्वीव	954
27.	मिजोरम	1407
28.	पांडिचेरी	2017
29.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	—
30.	लक्ष द्वीप	—
	योग :	10,62,577

आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था

1153. **श्री पी० रामगोपाल नायडू :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश के गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिये अतिरिक्त अनुदान दे रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : जी, नहीं। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, राज्य सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल अपना सामान्य अंश प्राप्त हो रहा है।

संसद भवन को चहुं ओर के क्षेत्रों में पानी की सप्लाई

1154. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद भवन के चहुं ओर के नयी दिल्ली के क्षेत्र में पानी की सप्लाई में गम्भीर रूप से व्यवधान उत्पन्न हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और अशोक रोड, महादेव रोड और विशम्भर दास मार्ग के रिहायशी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई में कितने दिन व्यवधान आया; और

(ग) सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र में जलपूर्ति में गम्भीर रुकावट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका का जलपूर्ति के सुधारार्थ बूस्टिंग प्रबन्धों सहित एक भूमिगत टैंक बनाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण गोदाम योजना के अंतर्गत गोदामों का निर्माण

1155. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के उन गांवों के जिला-वार नाम क्या हैं जहां ग्रामीण गोदाम योजना के अंतर्गत गोदाम बनाए गए हैं; और

(ख) इन ग्रामीण गोदामों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी किस पर है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाढ़ की संभावना वाले बेसिन के रूप में माना गया राज्य

1156. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें बाढ़ की संभावना वाले बेसिन के रूप में माना गया है;

(ख) उन क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिये प्राथमिकता के आधार पर क्या कदम उठाये जायेंगे; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) देश में सभी नदी बेसिनों में कभी न कभी बाढ़ें आती रहती हैं । तथापि, बाढ़ों के विस्तार और उनके क्षति-कारी प्रभाव के अनुसार, देश में चिरकालिक बाढ़ प्रवण-राज्य, जिनका सामान्य तौर पर उल्लेख किया है, ये हैं—गंगा बेसिन में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल; ब्रह्मपुत्र बेसिन में असम और पूर्वी तट पर उड़ीसा, जिसमें महानदी, वम्सधारा, ब्राह्मिणी तथा बैतरणी नामक नदियां प्रवाहित होती हैं। आध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, केरल और राजस्थान में भी विभिन्न मात्राओं में बाढ़ से काफी क्षति होती है ।

(ख) और (ग) इन क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए सामान्यतः किए गए उपाय ये हैं—बाढ़ तटबंधों, जल-निकास चैनलों, नगर/गांव सुरक्षा निर्माण-कार्यों का निर्माण और गांवों को ऊपर उठाना । यह देखा गया है कि जब कभी बृहत् संचयन जलाशयों का निर्माण किया गया है, उनसे बाढ़ नियंत्रण के महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए है । ऐसे मामलों के प्रमुख उदाहरण हैं—भाखड़ा, व्यास, उकई, हीराकुड, दामोदर घाटी, नागार्जुनसागर तथा चम्बल परियोजनाएं । ऐसे अधिक जलाशय जहां भी वे संभव और व्यवहार्य हैं, आयोजन, अन्वेषण और कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान केंद्रों की स्थापना

1157. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शुष्क भूमि में कृषि, तिलहन तथा दालों के उत्पादन, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तथा शीतोष्ण बागवानी पर अनुसंधान करने के लिए चुने हुए स्थानों में शीघ्र ही अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करेगा;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इन केन्द्रों की स्थापना के विशेषकर, महाराष्ट्र में चुने गए स्थान कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या लद्दाख जैसे तथा अन्य ऊंचे स्थान (हाई आल्टीट्यूड) वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि विकास के कोई प्रयत्न किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चालू छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खासकर पिछड़े इलाकों में बारानी, तिलहन, दाल उत्पादन आदि में अनुसंधान प्रयासों को बढ़ाने पर बल दिया । मध्श अवधि में किये गये मूल्यांकन के समय स्थिति का और आगे जायजा लिया गया और उसके परिणामस्वरूप कुछ नये क्षेत्रों का पता लगाया गया जिनके द्वारा अनुसंधान प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सकता है, ये क्षेत्र हैं :—

(i) सोयाबीन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना,

(ii) तिल, अलसी, कुसुम के लिए अग्रिम अनुसंधान केन्द्र,

(iii) चना और अरहर पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र,

(iv) शीतोषण बागवानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना,

(v) आम, नीबूवर्गीय फल और केला पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना और

(vi) कृषि ऊर्जा के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना ।

फिर भी इन नई प्रायोजनाओं को योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मिलनी बाकी है । इन केन्द्रों के लिए स्थान का निर्णय प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की एक समिमि द्वारा किया जायेगा जो इस बात को ध्यान में रखेगी कि जहां ये केन्द्र स्थापित किये जायें वे इन समस्याओं से सम्बद्ध हों ।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बारानी प्रायोजना पहले ही 23 केन्द्रों पर चलायी जा रही है (सूची संलग्न है– विवरण-I) जिनमें से दो केन्द्र महाराष्ट्र में शोलापुर और अकोला में स्थित हैं ।

(3) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना (रा० कृ० अ० प्रा०) के अन्तर्गत क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाती है/उसे सुदृढ़ किया जाता है । जिसमें प्रत्येक राज्य में पता लगाये गये कृषि-जलवायवीय क्षेत्रों के आधार पर आवश्यकता पर आधारित अनुसंधान किया जाता है । यह व्यवस्था सभी (तेइस) कृषि विश्वविद्यालयों (विवरण-II) जिसमें जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय भी शामिल है, के लिए है और इसमें विशेष बल खाद्यान्नों की बारानी खेती, दालों और तिलहनों पर दिया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य के लिए अनुसंधान का पुरावलोकन अभी किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) (1) पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के बारे में यह बता देना उचित होगा कि छठी योजना (1980-85) के अन्तर्गत केंद्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के अधीन लद्दाख में एक क्षेत्रीय केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी गयी है । इस केंद्र की शीघ्र स्थापना के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

(2) केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, देहरादून और इसके चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में पहाड़ी क्षेत्रों की घटिया किस्म की मिट्टियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है । इसके लिए देहरादून संस्थान ने फाकोट (टिहरी गढ़वाल) में एक व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजना को शुरू किया है जहां इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए जलसंभर विकास और समाकलित भूमि उपयोग आयोजना के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कराने हेतु 370 हैक्टर भूमि के एक जलसंभर का चयन किया गया । शिवालिक में एक दूसरी व्यावहारिक अनु-

संधान प्रायोजना चंडीगढ़ के समीप सुखमंजरी में 85 हैक्टर क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रायोजना में उत्पादन वृद्धि और स्थिरता के लिए तलछट को कम करने, बाढ़ नियंत्रण और एकत्र जल के पुनः उपयोग पर बल दिया गया है।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए अनुसंधान काम्पलैक्स की स्थापना वर्ष 1975 में हुयी थी और इसके कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मात्स्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर बहु-शाखीय अनुसंधान कार्यक्रम में प्रगति जारी है। इस संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र बासर (अरुणाचल प्रदेश), कोलासिब (मिजोरम), इम्फाल (मणिपुर), घासपानी (नागालैंड), लेम्बू चेर्रा (त्रिपुरा) और गंगटोक (सिक्किम) में स्थित हैं।

(4) मध्य अवधि में किये गये मूल्यांकन के समय, प्रस्ताव किया गया कि लद्दाख के शीत मरू क्षेत्रों में अनुसंधान प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रायोजना को भी योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मिलनी बाकी है।

(5) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के अंतर्गत असम कृषि विश्वविद्यालय से उत्तरी लखीमपुर और ब्रह्मपुत्र (गोलपारा) के निचले पहाड़ी क्षेत्र में तथा हिमाचल प्रदेश में कुल्लु घाटी के लिए ऐसे केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य में पुनरावलोकन टीम को अपना मूल्यांकन कार्य अभी पूरा करना है। इस टीम से रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस क्षेत्र में ऐसे केन्द्रों की स्थापना से संबंधित आवश्यक कार्यवाही शुरू की जायेगी।

विवरण-I

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बारानी प्रायोजना के अनुसंधान केन्द्रों की सूची

राज्य	केन्द्र का नाम
(क) समन्वयक इकाई	हैदराबाद
(ख) केन्द्र-23	
1. आंध्र प्रदेश	1. हैयात नगर (हैदराबाद)
	2. अनन्तपुर
2. बिहार	3. रांची
3. गुजरात	4. दांतीवाड़ा
	5. राजकोट
4. हरियाणा	6. हिसार
5. जम्मू और कश्मीर	7. राखध्यानसर (जम्मू)

राज्य	केन्द्र का नाम
6. मध्य प्रदेश	8. इन्दौर
	9. रेवा
7. महाराष्ट्र	10. अकोला
	11. शोलापुर
8. कर्नाटक	12. हैब्बल
	13. बेल्लारी
	14. बीजापुर
9. पंजाब	15. होशियापुर
10. राजस्थान	16. जोधपुर
	17. उदयपुर
11. तमिलनाडु	18. कोविलपट्टी
12. उत्तर प्रदेश	19. झांसी
	20. वाराणसी
	21. आगरा
	22. देहरादून
13. उड़ीसा	23. भुवनेश्वर

विवरण-2

कृषि विद्यालयों की सूची

1. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
   राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030 (आं० प्र०)

2. असम कृषि विश्वविद्यालय,
   जोरहाट-785013 (असम)

3. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
   पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर,
   पटना-800014 (बिहार)

4. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय,
बंगला संख्या 6, शाही बाग,
अहमदाबाद-300004 (गुजरात)

5. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
हिसार-123001 (हरियाणा)

6. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
पालमपुर-176062 जिला—कांगड़ा (हि० प्र०)

7. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
हैब्बल, बंगलौर-560024

8. जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय,
जबलपुर-482004 (म० प्र०)

9. केरल कृषि विश्वविद्यालय,
मन्नूथी-680651 (केरल)

10. कोंकण कृषि विद्यापीठ,
दपोली-415712, जिला-रत्नागिरि (महाराष्ट्र)

11. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ,
राहूरी-413722, जिला-अहमदनगर (महाराष्ट्र)

12. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय.
परभणी-431401 (महाहाष्ट्र)

13. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ,
कृषि नगर, अकोला-444001 (महाराष्ट्र)

14. उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भुवनेश्वर-751003

15. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
लुधियाना-140001 (पंजाब)

16. उदयपुर विश्वविद्यालय,
उदयपुर-313001 (राजस्थान)

17. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय,
कोयम्बटूर-641003
18. चन्द्र शेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
कानपुर-288002 (उ० प्र०)
19. गोविन्द बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
पंतनगर-263145, ज़िला—नैनीताल (उ० प्र०)
20. नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
फैजाबाद-224001 (उ० प्र०)
21. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
हरिघंट्टा, डाकघर-मोहनपुर,
नदिया-741246 (प० बंगाल)
22 विरता कृषि बिश्वविद्यालय,
कांके, रांची-834006 (बिहार)
23. जम्मू और कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय।

तिलहनों तथा दालों के प्रति व्यक्ति उत्पादन में गिरावट

1158. **श्री अमल दत्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दशकों में तिलहनों तथा दालों के प्रति व्यक्ति उत्पादन में कमी आई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ दालों तथा तिलहनों की औसत पैदावार के लिए क्या कदम उठा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गत तीन दशाब्दियों के दौरान, दलहनों के प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादन में कमी आई है, जबकि तिलहनों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव रहा है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

प्रति व्यक्ति उत्पादन

(कि० ग्राम/वर्ष)

वर्ष	दलहन	तिलहन
1951—52	24.7	13.6
1956—57	30.0	15.7
1961—62	25.9	16.1
1966—67	16.6	12.7
1971—72	19.7	16.1
1976—77	18.0	13.4
1981—82	16.2 (अ)	17.2 (अ)

(अ) अनन्तिम।

(ख) दलहनों और तिलहनों की उपज और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार केन्द्र तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम लागू कर रही है ताकि राज्य सरकारों के समान कार्यक्रमों में सहायता पहुंचाई जा सके। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सम्भावित क्षेत्रों में प्रयास संकेन्द्रित किये जा रहे हैं तथा अन्य बातों के साथ-साथ प्रदर्शनों, उत्तम बीजों के उत्पादन और वितरण समेकित कीट प्रबंध आदि को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को उदार पैमाने पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, दलहनों और तिलहनों की उपज और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार उत्पादकता वर्ष, 1982 तथा नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष उपाय भी किये गये हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों में फास्फेट युक्त उर्वरक का उपयोग करना, बीच की फसल के रूप में अल्पावधि किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करना तथा सिंचित और असिंचित परिस्थितियों में अन्तर्वर्ती फसल पैदा करना शामिल है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त मूल्य समर्थन कार्यकलापों के माध्यम से दलहनों और तिलहनों के मूल्यों में गिरावट की रोकथाम करने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

योग्यता प्राप्त एथीलीटों तथा खिलाड़ियों की भर्ती

1159. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या **खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले $2\frac{1}{2}$ वर्षों में विभिन्न खेलों में योग्यता प्राप्त कितने एथीलीटों तथा खिलाड़ियों की भर्ती की गई है;

(ख) उनकी राज्यवार तथा वर्गवार संख्या क्या है;

(ग) कितने पुरुष तथा महिलाएं अब भी प्रतीक्षा सूची में हैं;

(घ) सरकार उन्हें किस प्रकार और कब तक सेवा में रख पाएगी; और

(ङ) क्या सरकार का जब तक सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उन्हें नौकरी न दे दी जाए, तब तक उन्हें कोई निर्धारित भत्ता देने का विचार है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर यथा समय रख दी जाएगी।

समाचारपत्रों के लिये प्रत्यायन पत्र

1160. **श्री एन० के० शेजबलकर** : क्या **खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) एशियाई खेलों के लिए प्रत्यायन पत्र दिये गये विभिन्न समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या देशी भाषाओं के समाचार-पत्रों को अंग्रेजी पत्रों के समान समझा गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि 'मानदण्डों' का उल्लंघन कर 'नेशनल हेराल्ड' नई दिल्ली को 8 प्रत्यायन पत्र दिये गये हैं, जबकि सामान्यतया एक समाचार पत्र को ऐसे पत्र एक या दो से अधिक नहीं दिये गये हैं, और यदि हां, तो ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) चूंकि नौवें एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति द्वारा अभी प्रत्यायन पत्र दिये जा रहे हैं, अतः इस स्तर पर खेलों के लिये प्रत्यायन पत्रों के वास्ते विभिन्न समाचार-पत्रों के नाम देना संभव नहीं है।

(ख) प्रत्यायन पत्रों का आबंटन मुख्यतः किसी समाचार पत्र में खेल समाचारों और समाचार पत्र के वितरण पर आधारित है चाहे वह किसी भी भाषा में प्रकाशित होता हो।

(ग) खेलों की संख्या, जो 21 है, को ध्यान में रखते हुए कुछ समूहों को उनके वितरण, पाठकों और खेल समाचारों के आधार पर एक से अधिक प्रत्यायन पत्र दिये गये हैं। यद्यपि नेशनल हेराल्ड को 8 दिये जाने का प्रस्ताव है, जबकि कुछ अन्य ऐसे भी हैं जिन्हें इससे भी अधिक दिये गये हैं।

आयातित उर्वरकों का स्टाक निकालने के लिए भारतीय खाद्य निगम के डीलरों की नियुक्ति

1161. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का आयातित उर्वरकों के फालतू स्टाक को निकालने के लिये स्वयं के डीलरों की नियुक्ति का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां से इनकी निकासी किये जाने का विचार है तथा राज्यवार प्रत्येक को कितना कोटा आवंटित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम आयातित गैर पोटाशीय उर्वरकों का संभाल तथा उनका वितरण करता है। उनकी निजी वितरण व्यापारी व्यवस्था न होना ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा उर्वरकों की दक्ष और शीघ्र सप्लाई में एक बाधा है। अतः भारतीय खाद्य निगम अपनी निजी व्यापारी व्यवस्था स्थापित करने पर विचार कर रही है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के अनुसार उनके द्वारा संभाल किये जाने वाले उर्वरकों के वितरण के लिये उन्होंने अब तक 12 राज्यों में 585 विक्रेता नियुक्त किये हैं। उनका प्रत्येक

जिले में खण्ड स्तर पर विक्रेताओं को नियुक्त करने का विचार है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में वितरित की जाने वाली मात्रा आयातित गैर-पोटाशीय उर्वरकों की मांगों के आधार पर प्रत्येक मौसम में कृषि मंत्रालय द्वारा उनको दिये गये आवंटनों पर निर्भर करेगी।

बिहार का एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राशि का वितरण

1162. **श्री एन० ई० होरो** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में बिहार को अनुदानों या ऋणों के रूप में वितरित की गई वास्तवित राशि कितनी है;

(ख) बिहार में ऐसे अनुदानों या ऋणों का कितना भाग जिलावार संथाल परगना जिला तथा उत्तरी छोटा नागपुर प्रभाग के जिलों तथा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रभाग के जिलों को दिया गया; और

(ग) यह दर्शाने के लिये कि धन उचित रूप से खर्च किया गया है; अब तक कोई मूल्यांकन किया गया है तथा उसकी वास्तविक उपलब्धि क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान बिहार सरकार को अनुदान के केन्द्रीय अंश के रूप में 1800.65 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई थी।

(ख) ऊपर (क) भाग में उल्लिखित धनराशि में से बिहार में संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर प्रभाग तथा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रभाग के जिलों को बंटित धनराशि को जिला-वार नीचे दर्शाया गया है :—

	(लाख रुपये में)
1. संथाल परगना	138.00
2. उत्तरी छोटा नागपुर प्रभाग :	
(i) धनबाद	30.65*
(ii) गिरीदीह	47.00
(iii) हजारी बाग	100.75

*इसमें वर्ष 1980-81 के दौरान क्षेत्र आयोजना के लिये राज्य सरकार को बंटित 0.65 लाख रुपये शामिल हैं।

3. दक्षिणी छोटा नागपुर प्रभाग :	
(i) पालमऊ	100.80**
(ii) रांची	64.50
(iii) सिंहिभूम	73.00

**इसमें वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य सरकार को बंटित 25.80 लाख रुपये शामिल हैं।

(ग) राज्य सरकारों जिनमें बिहार भी शामिल हैं, से अनुरोध किया गया है कि वे पहले इस क्षेत्र में अपनी मूल्यांकन मशीनरी अथवा चुनी ख्याति-प्राप्त तथा अनुभवी शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से समवर्ती मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन करायें। मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान बिहार में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 4,15,125 परिवारों को सहायता दी गई है।

विश्वकर्मा नगर में औद्योगिक श्रमिकों को मकानों का आबंटन

1164. **श्री नारायण चौबे :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वकर्मा नगर जो कि यमुना पार के औद्योगिक श्रमिकों की बस्ती है—का विकास दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग द्वारा किया गया था तथा औद्योगिक श्रमिकों को 1970-71 में मकान आवंटित किये गये थे;

(ख) क्या श्रमिकों को 1979 में स्वामित्व के अधिकार दिये गये थे;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ घरों की छतें ढह गई हैं जिससे उनमें रहने वालों तथा मालिकों को वित्तीय कठिनाई हो गई है;

(घ) क्या लोक निर्माण विभाग से यह जांच करने के लिये कहा गया है कि क्या घटिया स्तर का सामान लगाया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन श्रमिक मालिकों को मरम्मत के लिये किस रूप में सहायता दी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 852 क्वार्टरों में से 2 क्वार्टरों की छत गिर गई थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) तथा (च) अगस्त, 82 में एक क्वार्टर की छत गिर जाने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्षति के कारणों का पता लगाने की दृष्टि से स्थल की जांच की थी। सम्बन्धित अधीक्षक इंजीनियर से तुरन्त ही यह जांच करने को कहा गया था कि क्या प्रयुक्त की गई निर्माण सामग्री घटिया थी अथवा नहीं। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निर्माण सामग्री के नमूने लिये थे तथा प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजे गये थे। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी।

मेड़ प्रजनकों (शीप ब्रीडरों) की व्यापार सम्बन्धी समस्या

1165. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि देश के, विशेषकर राजस्थान के मेड़, प्रजनकों को अस्तबल और गलीचा बनाने वालों के साथ ऊन के उनके बढ़ते हुए व्यापार से वंचित किया जा रहा है जैसा कि दिनांक 15-8-82 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार आया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ऊन के आयात को इस स्तर तक रोकने के लिए तैयार है जिससे बाजार में स्वदेशी ऊन की बिक्री में बाधा न पड़े ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां। तथापि ऐसी कोई सरकारी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि मेड़ प्रजनकों, विशेषकर राजस्थान के मेड़ प्रजनकों को अस्तबल और गलीचा बनाने वालों के साथ ऊन के उनके बढ़ते हुए व्यापार से वंचित किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) मांग तथा सप्लाई की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया जाता है कि स्थिति अभी ऐसी नहीं हुई है कि सरकार स्वदेशी ऊन की मंडियों की सुरक्षा करने के लिए ऊन के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार करे।

कुल आवश्यकता की तुलना में खाद्यान्न का उत्पादन

1166. **प्रो० रूप चन्द्र पाल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 तथा 1981-82 में हमारे देश में खाद्यान्न का कुल प्राक्कलित उत्पादन कितना था;

(ख) हमारी कुल आवश्यकता की तुलना में प्राक्कलित कमी कितनी थी; और

(ग) कमी के यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1980-81 के दौरान देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1299 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है। 1981-82 में खाद्यान्नों का अस्थायी प्राक्कलित उत्पादन लगभग 1330 लाख मीटरी टन आंका गया है।

(ख) सामान्य वर्ष के दौरान देश में खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा

1167. **श्री त्रिलोक चंद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों का कोटा जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान में अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कमी के क्या कारण है और भिन्न-भिन्न विभागों में यह भी कमी किन पदों के लिए बनी हुई है; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि उत्पादन पर बाढ़ों तथा मानसून की वर्षा न होने का प्रभाव

1168. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा के न होने और उसे भी अत्यन्त असंतोषजनक वर्षा के काफी अन्तराल के बाद होने से बढ़ावा मिलने के कारण वर्ष 1982-83 के लिए किसानों की आशाओं पर तुषारपात हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभूतपूर्व बाढ़ों के कारण भी फसलों के असंतोषजनक होने को बढ़ावा मिला है;

(ग) यदि हां, तो इन दोनों बातों के कारण खरीफ की फसलों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या इससे देश में कृषि उत्पादन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो जायेगा; और

(ङ) सरकार ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) मानसून देर से आने तथा कम वर्षा होने और देश के कुछ भागों में बाढ़ आने के कारण गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ फसलों के उत्पादन में कमी आने की संभावना है। तथापि, संभावित कमी की मात्रा के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) सूखे तथा बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :—

(1) अल्पकालीन तथा कम पानी वाली फसलों पर जोर देते हुए वैकल्पिक फसल नीति अपनाना ताकि खरीफ की क्षति को खत्म किया जा सके।

(2) फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपलब्ध सिंचाई के पानी का इष्टतम उपयोग करना।

(3) आदानों का प्रावधान।

(4) पम्पसेटों को चलाने के लिये बिजली एवं डीजल की उपलब्धि को सुनिश्चित करना।

(5) खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई संभावित कमी को पूरा करने के लिये रबी अभियान को तेज करना।

केन्द्रीय सरकार मत्स्य नाविक ऐसोसिएशन से अभ्यावेदन

1169. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मत्स्य नाविक ऐसोसिएशन ने सरकार को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संघ की मांग	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
1	2
1. प्लावी स्टाफ (फ्लोटिंग स्टाफ) के कार्य के समय को निश्चित करना	1. कार्य के स्वरूप के कारण जलयानों पर गये हुये प्लावी स्टाफ के कार्य के लिये निश्चित समय निर्धारित करना संभव नहीं है। तथापि, जलयानों पर उनके कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुये सरकार ने प्लावी स्टाफ के विभिन्न वर्गों के लिए उच्च समुद्री भत्ता स्वीकृत कर लिया है जो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह है।
2. प्लावी स्टाफ के लिए मैस भत्ते को बढ़ाना	2. सरकार ने कर्मचारियों के दो वर्गों के पूर्व मैस भत्ते की दर 5 रुपए तथा 10 रुपये से बढ़ाकर मई, 1982 में क्रमशः 10 रुपये तथा 17.50 रुपये कर दी है।
3. डैक्हैण्ड तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन	3. मौजूदा वेतनमान की सिफारिश तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई थी। केवल असंगतियों की ही जांच पड़ताल की जा सकती है।
4. समुचित वेतनमान देकर "बोसन" का पदनाम बदलना	4. इस मामले की जांच की गई है किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया है।
5. उन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को अमले में मूल रूप से शामिल करना जिन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और जिन्होंने संबंधित पद के लिए निर्धारित परीक्षा की अवधि के बराबर सेवा पूरी कर ली है	5. जब भी नियमित पद खाली होते हैं तो एतत् सम्बन्धी सरकारी नियमों के अनुसार, नियमों की शर्तें पूरी करने वाले तदर्थ कर्मचारियों को अमले में मूल रूप से शामिल किया जाता है।

1	2
6. प्लावी स्टाफ के सदस्यों को स्थानांतरित करने के मान-दण्ड	6. केवल सार्वजनिक हित में ही प्लावी की बदली करने की हिदायतें जारी हैं।
7. सीनियर ग्रेड के 'स्किपर' के पदों का सृजन	7. तदर्थ आधार पर स्किपर का दर्जा स्वीकार नहीं किया गया है।
8. बड़े जलयानों में परिचारिकों तथा 'टोपास' की व्यवस्था	8. बड़े जलयानों के लिये "टोपास" की व्यवस्था कर दी गई है। f आहार के बदले प्लावी स्टाफ के लि भोजन-भत्ते की व्यवस्था को देख परिचारक का पद स्वीकार नहीं कि है।
9. दस रुपये प्रति माह वैयक्तिक वेतन पर डेक्हैण्डकम-ग्रीजर तथा सीनियर डेक्हैण्ड-कम-कुक के रूप में कुक की नियुक्ति करने की प्रथा को बन्द करना	9. इसकी सावधानी पूर्वक जांच की ग मांग स्वीकार करना संभव नहीं है।
10. प्लावी स्टाफ के जीवन के लिये बीमा शुरू करना	10. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पहले ही सामूहिक बीमा यो व्यवस्था है। इसमें प्लावी स्ट शामिल है।

लीलाजान, अमानत तथा झोरना नदी पर बांध

1170. **श्री रणजीत सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार की लीलाजान नदी के ऊपर एक बां की योजना है; यदि हां, तो योजना कब तक पूरी हो जाएगी;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार के हजारीबाग तथा गया जिले में "मोहने" ज निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) क्या बिहार में पलामऊ जिले में अमानत तथा झोरना नदी पर एक बांध के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन पड़ा है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई लीलाजान जलाशय स्कीम योजना आयोग द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है ।

(ख) बिहार की मोहाने जलाशय परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है ।

(ग) बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई अमानत जलाशय स्कीम को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की रोशनी में उनके द्वारा संशोधित किया जाना है ।

पलामऊ जिले में झोरना नदी के ऊपर बांध के निर्माण की कोई स्कीम केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है ।

बिहार के दुग्ध क्षेत्रों में आपरेशन फ्लड-टू का परित्याग

1171. **श्री डी० पी० यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के दुग्ध क्षेत्रों में आपरेशन फ्लड-टू का अंतिम रूप से परित्याग कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

बुद्ध मंदिर अमृतापुरी गढ़ी, लाजपतनगर के सामने वाले पार्क के लिए जल की व्यवस्था

1172. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री अमृतपुरी—'बी' गढ़ी लाजपतनगर में पार्क के लिए जल की व्यवस्था के बारे में दिनांक 9 अगस्त 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4586 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अमृतपुरी "बी" (गढ़ी) में बुद्ध मंदिर के सामने वाले पार्क के लिए नियमित रूप से जल देने की व्यवस्था आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो ठीक किस तारीख से पार्क को जल देने की नियमित व्यवस्था हो जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जल पूर्ति की यथा शीघ्र व्यवस्था करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को आवंटित भूमि पर वनों की कटाई

1173. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति यह है कि वन विभाग की उस भूमि से वन काट दिए जाएं जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कृषि के लिए आवंटित की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार के पास उन अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के पुनर्वास के लिए क्या विकल्प है जिन्हें उस भूमि के कब्जे से बेदखल कर दिया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस प्रकार की कोई नीति नहीं है। तथापि, 1978 में वन तथा जनजाति कल्याण राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी कि वन स्थित गांवों में रहने वाली जनजातियों को उस भूमि पर पैत्रिक तथा अहस्तांतरणीय अधिकार दिए जाने चाहिए, जिस पर वे खेती करते हैं।

(ख) राज्य वन विभागों को व्यक्तिगत लाभकारी योजना का सुझाव दिया गया है अर्थात् वन विभागों द्वारा बागानों के लिए जनजातियों की सीमांत तथा उप-सीमान्त भूमि और उन्हें बागानों के तैयार होने तक पर्याप्त जीवन निर्वाह सम्बन्धी भत्ता देना और इन बागानों से होने वाली वास्तविक आय में उन्हें हिस्सेदार बनाना, बढ़ईगीरी में जनजातियों को प्रशिक्षण देना, औजार हैडल जैसी मदों का विनिर्माण करने के लिए उनको कच्ची सामग्री देना, काष्ठ निष्कासन की तकनीकों में प्रशिक्षण देना, रेशम उत्पादन के लिए शहतूत, बहेड़ा आदि उगाने के लिए फल वृक्ष, उद्यान आदि लगाने के लिए भूमि देना।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त कर्मचारी

1174. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में इस समय कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं और वे किस प्रकार के पदों पर नियुक्त है;

(ख) इन प्रतिनियुक्त व्यक्तियों (प्रत्येक मामले में) को आरम्भ में कितने समय के लिए नियुक्त किया गया था और कितने समय से वे दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्य कर रहे हैं; और

(ग) प्रतिनियुक्ति की तिथि समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण इन प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को अपने मूल कार्यालयों को क्यों नहीं लौटा सके ताकि योग्य विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर मिलते ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 30-9-82/1-10-82 को उनके पास प्रतिनियुक्ति पर कुल 530 कर्मचारी थे। उनके पदों के पदनाम के बारे में विवरण "क" से "ङ" तक के अनुलग्नकों में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 5473/82]

(ख) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अधिकारियों को प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष की अवधि के लिए रखा जाता है जिसे लोक एवं प्रशासनिक हित में वर्ष से वर्ष के आधार पर 4 वर्ष तक सामान्यतः बढ़ा दिया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की प्रारंभिक नियुक्ति की तारीखें संलग्न विवरणों में दी गई हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को आम तौर पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि के समाप्त हो जाने पर वापिस भेज दिया जाता है। किंतु उनमें से कुछ को संगठन के प्रशासनिक हित में सामान्य सीमाओं से आगे भी दिल्ली विकास प्राधिकरण में रख लिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के वापस न जाने से पात्र विभागीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

शालीमार बाग डी० डी० ए० फ्लैट्स के ए० एन० पाकेट ड्रेनेज व्यवस्था का विफल हो जाना

1175. **श्री वी० किशोर चन्द्र एम० देव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शालीमार बाग के ए. एन. पाकेट में "ड्रेनेज" की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप सारे क्षेत्र में पानी भर जाता है और वर्षा काल में भू-तल के फ्लैटों में पानी आ जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्षेत्र में बनाई गई सड़कें टूटी-फूटी हालत में हैं;

(ग) सम्बद्ध निवासियों की शिकायतों की ओर ध्यान न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

00

(घ) यदि हां, तो निवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि शालीमार बाग के ब्लाक "ए", पाकेट-एन में खुली सतही नालियां बनाकर ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था की गई है और सामान्यतया वर्षा काल में पाकेट में पानी जमा नहीं होता है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पाकेट की सड़कें संतोषजनक स्थिति में हैं और समय-समय पर अपेक्षित सड़कों की मरम्मत/रख-रखाव किया जा रहा है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि निवासियों की शिकायतों को दूर किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

महानगरों में आवास व्यवस्था

1176. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के महानगरों में आम लोगों, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी क्षेत्र और अन्य संगठनों के कर्मचारियों के लिए आवास की अत्यधिक कमी को देखते हुए इस समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई दीर्घावधि अथवा अल्पावधि योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) उन लोगों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने आवास के लिए आवेदन किया हुआ है परन्तु अभी तक उन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि काफी बड़ी संख्या में लोग 10 वर्ष से भी अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें अभी तक कोई आवास स्थान नहीं दिया गया है; और

(घ) उन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षा सूची में हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। मकानों की कमी को पूरा करने के लिए छठी योजना में लगभग 600 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश (ग्रामीण तथा शहरी दोनों के लिए) का विचार है। राज्यों को उनकी आवास योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम/सामान्य बीमा निगम से भी ऋण उपलब्ध हैं।

(ख) 31-12-1981 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्थानों में सामान्य पूल वास के लिए कुल मांग 2,20,585 थी। इसकी तुलना में इसी तारीख को उपलब्धता 63.513 थी।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने क्वार्टरों के निर्माण का पहले ही एक त्वरित कार्यक्रम चलाया है और इस कार्यक्रम के पूर्ण होने पर सामान्य पूल के लिये कर्मचारियों की प्रतीक्षा अवधि कुछ हद तक कम हो जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा

1177. **श्री दौलत राम सारण :**

डा० ए. यू. आजमी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979, 1980, 1981 और 1982 (इस समय तक) के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण की कितनी भूमि अवैध कब्जे में रही और सम्बन्धित क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्राधिकारियों को अपनी भूमि पर अवैध कब्जे के बारे में कब जानकारी मिली तथा इस कब्जे को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कितनी भूमि खाली करा ली गई है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तन्त्र का ब्यौरा क्या है कि राजधानी में दिल्ली प्राधिकरण की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है; और

(घ) प्राप्त किए गए अनुभव के परिणामस्वरूप क्या सरकार ने सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्जे से बचाने संबंधी जिम्मेदार तन्त्र के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली प्राधिकरण ने बताया है कि उसके प्रबन्धाधीन, 6293 एकड़ भूमि का क्षेत्र अवैध कब्जे में है। वर्ष-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित सूचित किया है :—

(i) अनधिकृत निर्माण के मामले में, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 30(i) के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। कार्यवाही पूरी करने के पश्चात, मकान गिराने के आदेश पारित किए जाते हैं और अनधिकृत निर्माणों को गिरा दिया जाता है।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भूमि पर अतिक्रमण के बारे में, जैसे ही नवीनतम अतिक्रमणों का पता चलता है, उन्हें हटा दिया जाता है।

(iii) समुचित निगरानी रखने के लिए पहरा और निगरानी स्टाफ तैनात कर दिया गया है।

(iv) अनधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वालों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। 80 मामलों को पहले ही न्यायालय में भेज दिया गया है।

(v) भूमि संरक्षण कक्ष ने वर्ष 1980-81 के दौरान 11,266 अतिक्रमणों/अनधिकृत निर्माणों को हटाया है। साफ किए गए क्षेत्र का रकबा तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रभाराधीन भूमि को 5 अंचलों में विभाजित किया गया है जिनमें फील्ड स्टाफ सहित 5 अंचलीय अधिकारी हैं जो नवीनतम अतिक्रमणों की रोकथाम के लिए प्रतिदिन निगरानी रखते हैं।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुपयोग भू-पाकेटों में बाड़ लगाकर अनधिवास से उनकी सुरक्षा की गई है।

(घ) दिल्ली में अतिक्रमणों/अनधिकृत निर्माणों की समस्या से काफी प्रभावी रूप से निपटने के लिए सम्बन्धित अधिनियमों का संशोधन करने के लिए सरकार ने विधेयक पेश करने का फैसला किया है।

कपास मूल्यों में तेजी से गिरावट

1178. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास विशेषकर कर्नाटक में 500 रुपये से 1200 रुपये तक की आम दर से 300 रुपये से 900 रुपये प्रति क्विंटल तक तेजी से गिरावट आई है जैसा कि 16 सितम्बर, 1982 के 'डैकन हैराल्ड' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कपास मूल्यों में इस गिरावट के कारण क्या हैं; और

(ग) कपास के मूल्यों में तेजी से आई इस गिरावट को उत्पादकों के हित में नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में कपास के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार कर्नाटक में कपास के मूल्यों में गिरावट देखी गई है।

(ख) बम्बई में 18 जनवरी, 1982 से कपड़ा उद्योग के मजदूरों की हड़ताल, वित्तीय संकट के कारण मिलों से पर्याप्त मांग की कमी, 1981-82 के मौसम के दौरान उत्पादन में वृद्धि, कई राज्यों में कपास कटाई मौसम की शुरूआत, दक्षिण में बिजली की कमी तथा 1980-81 में कपास मौसम में कपास के मूल्यों में असामान्य वृद्धि होने से कपास के मूल्यों में गिरावट आने के मुख्य कारण हैं।

(ग) सरकार को इस स्थिति की पहले से ही जानकारी है और इसके द्वारा किये गये उपायों से मूल्यों में तेजी से होने वाली गिरावट में रुकावट आयेगी और उत्पादकों के हितों की रक्षा होगी। इन उपायों में 1980-81 के कपास मौसम के दौरान मूल किस्म के कच्चे कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 304 रुपये से बढ़ाकर 1982-83 के मौसम के दौरान प्रति क्विंटल 380 रुपये करना, निर्यात में वृद्धि और बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की जारी हड़ताल के सम्बन्ध में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए त्रिपक्षीय समिति की नियुक्ति करना शामिल है।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी केरल की सिंचाई परियोजना

1179. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी केरल की बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) वे कितने समय से स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हुई हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में कितना समय लग जाने की संभावना है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडेय) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें केरल की केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी संवीक्षा तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्राप्त बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों के नाम, आयोग में उनके प्राप्त होने की तारीख तथा जांच की वर्तमान स्थिति दी गई है।

राज्य सरकार से केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के स्पष्टीकरण/उत्तर प्राप्त हो जाने और परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा लागत प्रभावकारिता सिद्ध हो जाने के पश्चात ही इन स्कीमों पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। कावेरी बेसिन में लम्बित स्कीमों को कावेरी जल-विवाद के हल हो जाने के पश्चात् ही स्वीकृति दी जा सकती है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
बृहद स्कीमें :			
1.	केरल भवानी	26.6.72	कावेरी जल के संबंध में करार न होने के कारण लम्बित पड़ी है।

1	2	3	4
2.	कक्कडावु	17.9.74	लाभ-लागत अनुपात के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर केरल सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने परियोजना के लाभ-लागत अनुपात का अध्ययन करने के लिए एक समिति स्थापित की है और उक्त समिति द्वारा पुनः अध्ययन पूरा कर लिए जाने के पश्चात् ही आयोग की टिप्पणियों के उत्तर भेजे जायेंगे ।
3.	मुवत्तुपुझा	8.1.75	योजना आयोग की सलाहाकार समिति की 24.7.1981 को हुई बैठक में यह परियोजना उनके द्वारा स्वीकार्य पाई गई थी, बशर्ते कि पर्यावरण विभाग द्वारा इसे स्वीकृति दे दी जाये ।
4.	कुट्टियाडी आवर्धन बहुप्रयोजनी स्कीम (सिंचाई भाग)	2.9.77	कावेरी जल के संबंध में करार न होने के कारण लम्बित ।
5.	इद्मलायार	30.6.78	जल-विज्ञान और लागत अनुमानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अगस्त और सितम्बर, 1982 में और आगे मांगे गये स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए हैं ।
6.	चिमोनी	17.9.78	योजना आयोग की सलाहकार समिति की जुलाई, 1982 में हुई बैठक में उनके द्वारा इस परियोजना पर विचार किया गया था और समिति के प्रेक्षण राज्य सरकार को भेज दिये गये थे ।
7.	काकरापार कुरियारकुट्टि बहुप्रयोजनी स्कीम (सिंचाई भाग)	22.2.79	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जून और सितम्बर, 1979 तथा जनवरी, 1980 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

1	2	3	4
	मध्य स्कीमें :		
1.	अट्टापाडी	30.6.71	कावेरी जल के बारे में करार न होने के कारण लम्बित पड़ी है।
2.	वामनपुरम	11.10 80	सलाहकार समिति की 3.3.1982 को हुई बैठक में यह परियोजना उनके द्वारा स्वीकार्य पाई गई थी।

जौनपुर जिले में बाढ़

1180. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री त्रिलोक चन्द : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जौनपुर जिले में वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में गोमती और साई में आई बाढ़ की तबाही के दौरान कुल कितने लोगों, जानवरों, फसल और सम्पत्ति की हानि हुई है;

(ख) क्या किसी केन्द्रीय दल ने बाढ़ के प्रकोप वाले क्षेत्रों का दौरा किया है और अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाढ़ की तबाही को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) एक केन्द्रीय दल ने 20 तथा 24 अप्रैल, 1982 के बीच उत्तर प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) बाढ़ नियंत्रण राज्यों का विषय है। अतः बाढ़ नियंत्रण तथा इससे सम्बन्धित अन्य कार्यों का आयोजन, निरीक्षण तथा कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। इन कार्यों के लिये राज्य सरकारों द्वारा अपनी सम्बन्धित वार्षिक योजनाओं में निधि की व्यवस्था की जाती है। केन्द्रीय सरकार राज्य योजना के लिए कुल मिलाकर एक मुश्त अनुदान तथा ऋण देती है। गंगा बेसिन के बाद नियंत्रण की मात्रा तथा उसकी जटिलता को स्वीकारते हुए भारत सरकार ने सम्पूर्ण बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक योजना तैयार करने तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों की एजेंसियों के जरिए समन्वित रूप में इसका कार्यान्वयन करने के लिए अप्रैल, 1972 में गंगा बेसिन बाढ़ नियत्रण आयोग की स्थापना की थी।

भारत में चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना

1181. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री चिन्तामणि जैना : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन अपने देश में चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने जा रहा है;

(ख) उक्त संस्थान के मुख्य कृत्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार भी देश में ऐसे संस्थान स्थापित करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारत सरकार को चीन में चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) और (घ) भारत सरकार कटक में सन् 1946 से ही एक केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कर चुकी है । यह संस्थान मूल और व्यावहारिक पहलुओं जिसमें चावल की खेती की सभी शाखाएं सम्मिलित हैं, पर अनुसंधान चला रही है । इसी प्रकार राज्य के विभिन्न कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों ने देश में उन्नत किस्मों के विकास, संरक्षण और उत्पादन प्रौद्योगिकीयों के लिए अनुसंधान केन्द्रों की भी स्थापना की है । अनुसंधान के प्रमाणित नतीजों की जांच के लिए सन् 1965-66 से ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार प्रायोजना जिसके 61 केन्द्र हैं, की स्थापना की जा चुकी है जो केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का एक भाग है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद चावल, अनुसंधान के कुछ मूल पहलुओं की भी अपने ए० पी० उपकर निधि के द्वारा सहायता कर रही है ।

वर्तमान अवस्थापन की लगातार समीक्षा की जा रही है और समय-समय पर पैदा होने वाली अनिश्चयओं को ध्यान में रखते हुए उसे उपयुक्त रूप से सुदृढ़ बनाया गया है । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च भूमि पर चावल अनुसंधान चलाने के लिए हजारीबाग (बिहार) और निम्न भूमि पर चावल अनुसंधान करने के लिए पंसकुरा (पश्चिमी बंगाल) में नए अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है । इस व्यापक अवस्थापना को ध्यान में रखते हुए जिसका पहले ही विकास हो चुका है । देश में चावल पर एक नए अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिये भारत सरकार इस समय विचार नहीं कर रही है ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा ईराक में लिए गए ठेके

1182. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने ईराक में 63 करोड़ रुपये का एक महत्वपूर्ण ठेका प्राप्त किया है;

(ख) इस परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा विदेशों में किए गए अन्य कार्यों के नाम और ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को विदेशों में लिए गए कार्यों से कितना लाभ और हानि हुई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह परियोजना, इराक में बगदाद-अल-क्वेम-अकशांत रेलवे परियोजना के संबंध में सिविल निर्माण कार्यों से संबंधित है । यह निर्माण कार्य औद्योगिक परियोजना इराक की स्टेट कन्ट्रेक्टिंग कम्पनी द्वारा दिया गया है । इस निर्माण कार्य की लागत 20.862 मिलियन इराकी दीनार (लगभग 62.586 करोड़ रु०) है । इस कार्य में यात्री सुविधा भवन, अनुरक्षण केन्द्र, इंजन शेड, साइड लाइन फ्रेट शेड, रेफ्रीजरेटेड फ्रेट शेड, लोको डिपो, मरम्मत केन्द्र, मैस भवन, प्लेटफार्म, प्रशासन भवन, तोल सेतु की स्थापना फ्यूल/गैसोलीन स्टेशन, ऊपरी ट्रेवलिंग क्रेनों की स्थापना, सड़कों को बनाना इत्यादि शामिल है ।

विभिन्न भवनों का कुल क्षेत्रफल लगभग 80.292 वर्ग मीटर है । अन्य सेवायें जो इन भवनों में अनिवार्य रूप से मुहैया कराई जाती हैं उनमें आन्तरिक/बाह्य नल कार्य, आन्तरिक/बाह्य विद्युतीकरण कार्य, ऊष्म हवा निकास रोशनदान तथा वातानुकूलन कार्य शामिल हैं ।

*(ग) इसके साथ संलग्न विवरणानुसार ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए-संख्या एल० टी० 5474/82]

(घ) निगम द्वारा अपनी विदेशी परियोजनाओं में पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार अर्जित कुल लाभ इस प्रकार है :—

वर्ष	लाभ (लाख रुपयों में)
1977-78	119.17
1978-79	119.44
1979-80	189.83
1980-81	112.48
1981-82	100.00 (अनन्तिम)

गुजरानवासा सहकारी गृह निर्माण समिति में अनियमितताएं

1183. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरानवाला सहकारी गृह निर्माण समिति, लिमिटेड, दिल्ली में घोटाला है और उसके पदाधिकारियों द्वारा गम्भीर अनियमिततायें बरती गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ पिछले और वर्तमान पदाधिकारियों के अनेक बेनामी प्लाट अपने नजदीकी रिश्तेदारों के नाम पर हैं, यदि हां, तो समिति के रिकार्ड के अनुसार ऐसे कितने प्लाट हैं जो अभी तक खाली पड़े हैं; और

(ग) क्या समिति के मामलों में कोई छान-बीन की गई है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और विभिन्न प्रकार की अनियमिततायें करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली की सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया है कि यह समिति दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों एवं समितियों की पंजीकृत उपनियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रही थी परिणामस्वरूप, उचित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद समिति की प्रबन्धक समिति को 4.5.1978 को समाप्त कर दिया गया तथा दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 32 के अन्तर्गत सहकारी समितियों के पंजीकार ने एक प्रशासक नियुक्त कर दिया था।

(ख) समिति के प्रशासक की रिपोर्टों के अनुसार उसने ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है।

(ग) समिति के प्रशासक के सुझाव के अनुसार, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत जांच का आदेश दिया गया था। सहकारी समिति पंजीकार जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद आगे की कार्यवाही करेगा।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को धनराशि का आवंटन

1184. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को चालू वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र के कौन से खण्डों में कार्यक्रम चलाए गए और इनसे कितने परिवारों को सहायता दी गई;

(ग) सुन्दरवन क्षेत्र, जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, के आर्थिक विकास में ग्रामीण युवकों को स्वतः रोजगार के लिए प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना से कितनी सहायता मिली है;

(घ) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग ने सुन्दरबन से किसी भी खण्ड में आई० ए० एस० बी० के क्रियान्वयन में 50 लाभ प्राप्तकर्ताओं का लक्ष्य रखा है और यदि हां, तो ग्रामीण निर्धनों को इससे कितनी सहायता मिली हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल को 13.40 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम दो तिमाहियों के लिए 6.74 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है और तीसरी तथा चौथी तिमाहियों के लिए लगभग 7.70 करोड़ रुपये का आवंटन होने की आशा है।

(ख) दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत देश के सभी खंड लिए गए हैं। इस मंत्रालय में सहायियत परिवारों की संख्या के बारे में राज्य की क्षेत्रवार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) व (घ) इस मंत्रालय में इस प्रकार की क्षेत्रवार सूचना नहीं रखी जाती है।

पश्चिम बंगाल में अन्तर्देशीय मत्स्य क्षेत्र का विकास

1185. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में अन्तर्देशीय मत्स्य क्षेत्र के विकास में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में समुद्रीय मत्स्य क्षेत्र में बहुत अधिक कमी आई है और यदि हां. तो इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों द्वारा कोई अध्ययन कराया गया हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में मत्स्य क्षेत्र के विकास की बहुत संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इन संसाधनों को नियंत्रित करने और उनका पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में अन्तर्देशीय मात्स्यकी विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आरम्भ किए हैं :—

(1) विश्व बैंक की सहायता से अप्रैल, 1980 से अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना।

(2) जून, 1977 से निर्बल सुन्दरवन के हैनेरी द्वीप समूह में खारे पानी में मछली पालन से संबंधित 50 हैक्टार में मार्गदर्शी परियोजना।

(3) वर्ष 1982-83 से क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में खारे पानी में मछली पालन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना।

विभिन्न योजनाओं की प्रगति निम्नलिखित है :—

1. विश्व बैंक की सहायता से अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना :

इस परियोजना में लगभग 14.3 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से मछुआ विकास एजेंसियों के माध्यम से 11 चुनींदा जिलों में 34000 हैक्टार जल क्षेत्र का विकास करने की व्यवस्था है। कुल 150 हैक्टार नर्सरी क्षेत्र में नौ वाणिज्यिक डिम्पौना हैचरियों का निर्माण किया जाना है, जिनसे प्रति वर्ष 1580 लाख डिम्पौना का उत्पादन होने का अनुमान है। मछुआ विकास एजेंसियों के विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र की भी स्थापना की जाएगी। परियोजना का पूरा विकास हो जाने पर प्रति वर्ष 87,000 मीटरी टन मछली का उत्पादन होने की आशा है। इसके अतिरिक्त काफी अधिक ग्रामीण रोजगार भी सृजित होगा।

पश्चिम बंगाल सरकार ने 2546 हैक्टार क्षेत्र के विकास के लिए आवेदन पत्रों की जांच की है और उन्हें बैंकों को भेज दिया है। इसमें से 951 हैक्टार जल क्षेत्र का 31 अगस्त, 1982 तक मछली पालन के लिए विकास किया जा चुका है। दो डिम्पौना फार्मों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया र तथा अन्य फार्म परिसंस्करण, डिजायन एवं निविदा मांगने से संबंधित कार्यों के विभिन्न चरणों में हैं।

2. निचले सुन्दरवन में हैनेरी द्वीप समूह में खारे पानी में मछली पालन से सम्बंधित 50 हैक्टार की मार्गदर्शी परियोजना :

यह योजना एक वार में कुल 15.16 लाख रुपए के अनुदात्त परिव्यय से स्वीकृत की गयी थी। मार्गदर्शी फार्म का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसमें मछली एवं झींगा मछली का संवर्धन किया जा रहा है।

3. क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में खारे पानी में मछली पालन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना :

भारत सरकार के विचार के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने तथा पेश करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को आवश्यक मार्ग-दर्शनों सहित प्रशासनिक स्वीकृति भेज दी गयी है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के अनुसार गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में उतारी गयी समुद्री मछली की मात्रा नीचे दी गई है :—

1979	—	60.000 मीटरी टन
1980	—	65,000 मीटरी टन
1981	—	53,000 मीटरी टन

(ग) जी हां।

(घ) सुन्दरवन क्षेत्र में खारा पानी जल कृषि की क्षमता का उपयोग करने तथा खारा पानी मछली पालन की प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निचले सुन्दरवन के हैनेरी द्वीप समूह में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50 हैक्टार में मार्गदर्शी परियोजना शुरू की थी।

खारा पानी मत्स्य पालन के विकास के लिए अनुसंधान सम्बन्धी सहायता देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान का सुन्दरवन क्षेत्र के काकद्वीप में एक उप-केन्द्र है। सुन्दरवन क्षेत्र में नीमपीठ केन्द्र के अतिरिक्त मछुओं को प्रशिक्षण देने के लिए काकद्वीप में इसी संगठन के अधीन एक कृषि विज्ञान केन्द्र भी कार्य कर रहा है।

प्याज के मूल्य में वृद्धि

1186. **श्री रास बिहारी वहेरा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में प्याज के मूल्यों में वृद्धि हुई की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्याज के मूल्यों को कम करने के लिये क्या प्रयास किये गये है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) दिल्ली की मुख्य मण्डियों में प्याज के थोक मूल्य निम्न प्रकार थे :—

		मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)
अप्रैल	—	90
मई	—	60
जून	—	90
जुलाई	—	140
सितम्बर	—	150-155

(ख) तथा (ग) अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त सप्लाई और वितरण के प्रबंध के लिए कदम उठाए गए हैं। आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गयी व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली के सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता सहकारी संगठन का भी उपयोग किया जाएगा। खुदरा केन्द्रों को सुदृढ़/उनकी संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। नाफेड खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिए प्याज की वसूली और सप्लाई/में निजी व्यापार में पूरक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। कमी की अवधि में प्याज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाफेड दिल्ली और उसके आस-पास प्याज का बफर स्टाक भी रख रहा है।

दिल्ली नगर निगम और नयी दिल्ली नगर पालिका द्वारा सड़कों का निर्माण और चौड़ा करना

1187. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम और नयी दिल्ली नगर पालिका द्वारा 1978 से अक्तूबर, 1982 तक की अवधि में नयी बनाई गई सड़कों और चौड़ी की गई सड़कों की संख्या क्या है; और

(ख) इस पर कितना खर्च आया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

महानगरों में गन्दी बस्तियों के निवासी

1188. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में नगरीय क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों के निवासियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मलिन बस्ती सुधार राज्य का विषय है । यह अनुमान लगाया गया है कि 1985 तक सभी शहरी क्षेत्रों में 330 लाख मलिन बस्ती निवासी होंगे ।

(ख) अनुमान है कि 1975-76 से मलिन बस्ती निवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ग) अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों को आवास तथा विकासित स्थल प्रदान करने की योजनाएं पृथक-पृथक राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ की गई हैं । छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना चलाई जा रही है—उसके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य बड़े-बड़े शहरों में उत्प्रवास को कम करने का है । मलिन बस्ती पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य क्षेत्र में चालू है ।

मलेशिया और सिंगापुर के आयातकर्त्ता के सम्बन्ध में नेफेड का भेदभावपूर्ण व्यवहार

1189. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नेफेड" की मूल्य निर्धारण समिति ने मई से अगस्त, 1982 तक मलेशिया और सिंगापुर में भारतीय प्याज के कुछ आयातकर्ताओं के लिये क्या मूल्य निश्चित किये थे;

(ख) क्या उस समिति ने मलेशिया के उन एकाधिकारी आयातकर्ता के लिए मई से जुलाई, 1982 तक 1200.00 रुपये एक समान दर निश्चित की थी, जिनके नेफेड के साथ 50,000 टन प्याज का ठेका रद्द कर दिया गया;

(ग) क्या नेफेड द्वारा इस आयातकर्ता को, 5% छूट की अनुमति दी गई थी; अन्य आयातकर्ताओं को नहीं;

(घ) क्या इस मलेशियाई एकाधिकारी आयातकर्ता को माल-भाड़े में प्रति मीट्रिक टन 300.00 रु० बचाने के लिये अन्य नौवहन कम्पनियों के जहाज किराये पर लेने की अनुमति दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो नेफेड द्वारा इस मलेशियाई एकाधिकारी आयातकर्ता और मलेशिया तथा सिंगापुर के अन्य आयातकर्ताओं के संबंध में ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) नाफेड की मूल्य निर्धारित समिति द्वारा खाड़ी के देशों तथा मलेशिया और सिंगापुर को मई से अगस्त, 1982 के महीनों में प्याज का निर्यात करने के लिये निम्नलिखित न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किये गये थे :--

मास	खाड़ी स्थित पत्तनों के लिए रुपए-एफ. ओ. बी./पी. एम. टी.	मलेशिया और सिंगापुर के लिए रुपए-एफ. ओ. बी./ पी. एम. टी.
मई	1150	1250
जून	1100	1200
जुलाई	1900	1950
अगस्त	1700	1750

उपरोक्त न्यूनतम निर्यात मूल्य नाफेड तथा इससे सम्बद्ध पोतवणिकों द्वारा क्रमश: खाड़ी स्थित पत्तनों तथा मलेशिया और सिंगापुर को जहाज द्वारा माल भेजने के लिए लागू होते थे। भारत से अधिकांश प्याज का निर्यात इन्हीं देशों को किया जाता है।

(ख) नाफेड ने जिस पार्टी के साथ दीर्घकालिक करार किया था (जो इस वर्ष के दौरान रद्द कर दिया गया) उसके लिये कोई अलग न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था।।

उक्त पार्टी को नाफेड तथा अन्य सम्बद्ध पोतवणिकों से सम्बन्धित अवधियों के लिए मलेशिया और सिंगापुर के लिए निर्धारित दर पर प्याज मिल रहा था।

(ग) प्याज का अधिक से अधिक निर्यात करने के उद्देश्य से व्यापार छूट के रूप में खरीददारों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसा प्रोत्साहन नाफेड तथा सम्बद्ध पोतवणिकों द्वारा एक निश्चित अवधि में खरीद के लिये सभी खरीददारों को दिया जाता है। नाफेड ने सभी सम्बद्ध पोतवणिकों को लिखे गए अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि यदि खेप एक हजार मीटरी टन से अधिक किन्तु 10 हजार मीटरी टन से कम हो तो न्यूनतम निर्यात मूल्य में तीन प्रतिशत की छूट शामिल होगी जो खरीददारों को देय होगी। खेप के 10 हजार मीटरी टन से अधिक होने पर खरीददारों को 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(घ) नाफेड द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सम्बद्ध पोतवणिकों को पहला विकल्प भारतीय जहाजरानी निगम की नौकाओं के लिए देना होगा। मलेशिया और सिंगापुर के लिये भारतीय जलयानों की सीमित उपलब्धि को देखते हुए नाफेड ने कहा है कि खरीददार अपने जलयान निर्धारित करें और भारतीय पोतवणिकों को सलाह दें कि निर्यात के लिये वे इन्हीं जलयानों का इस्तेमाल करें। नाफेड के अनुसार यह सुविधा प्याज के सभी खरीददारों को सुलभ है।

(ङ) नाफेड ने कहा है कि जैसा कि भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में बताया गया है, उसने मलेशिया और सिंगापुर के खरीददारों में कोई भेदभाव नहीं किया है।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिये उपाय करना

1190. **श्री नवीन रवाणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कतिपय नए उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में बागवानी के विकास के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो अधिक लाभान्वित हुए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार देश के बागवानी उद्योग को एक नया मोड़ दे रही है, ताकि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का सुधार किया जा सके, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाया जा सके, पौषण स्तर को बढ़ाया जा सके तथा फलों एवं सब्जियों की निर्यात क्षमता का उपयोग किया जा सके।

पांचवीं योजना में बागवानी के विकास के लिये केवल 6.61 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जबकि छठी योजना में इसे बढ़ा करके 17.19 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चालू योजना के दौरान 10 लाख हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र को बागवानी के अन्तर्गत लाने की भी योजना थी।

विश्व बैंक केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बागवानी से संबंधित अनेक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की परियोजना को वित्त प्रदान कर रहा है तथा आस्ट्रेलियाई सरकार जम्मू तथा कश्मीर की अन्य परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ग) विकासशील बागवानी के मुख्य उद्देश्य सकल राष्ट्रीय आय को सुधारना, पिछड़े क्षेत्रों एवं आबादी के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करना, देश में संरक्षण आहार एवं पोषण की व्यवस्था करना, निर्यात एवं आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन तथा पर्यावरण एवं मृदा संरक्षण का सुधार करना है।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, नारियल विकास बोर्ड योजनाएं तथा विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं 21 राज्यों, जिसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है, में कार्य कर रही हैं।

विवरण

राज्यों के नाम को दर्शाने वाला विवरण

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू तथा कश्मीर
8. केरल
9. कर्नाटक
10. महाराष्ट्र
11. उड़ीसा
12. पंजाब
13. राजस्थान
14. तमिलनाडु
15. त्रिपुरा
16. उत्तर प्रदेश
17. पश्चिम बंगाल
18. अरुणाचल प्रदेश
19. अन्दमान एवं निकोबार
20. गोवा
21. पांडिचेरी

वनों पर आधारित तिलहनों से खाद्य तेल का उत्पादन

1191. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के गैर-खाद्य प्रयोग को न्यूनतम करने के लिए सरकार की वनों से प्राप्त तिलहनों के विकास को बढ़ावा देने की योजना है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने साल, महुआ, नीम तथा कुछ अन्य किस्मों के उत्पादन के लिए पूर्ण क्षमता का उपयोग करने हेतु कोई स्कीम शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्कीम को छठी योजना में शामिल किया गया है तथा इसके लिए 200 लाख रुपये की धन राशि का आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा इसे किन-किन राज्यों में शुरू किया जाना है; और

(ङ) इस स्कीम के कब तक कार्यान्वित होने की आशा है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। किन्तु भारत सरकार के नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने 'आदिवासी क्षेत्रों के विशेष सन्दर्भ में वृक्ष तथा वन-मूलक तिलहनों का विकास कार्यक्रम" नाम की एक योजना बनाई है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इस योजना का उद्देश्य अगम्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने, भंडारण गोदामों का निर्माण करने आदि जैसी मूल सुविधाओं का विकास करना है ताकि तिलहनों की अधिकतम क्षमता उपयोग में लाई जा सके। इसके क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार को अभिज्ञात किया गया है। उड़ीसा सरकार ने मयूरभंज जिले में साल के बीज इकट्ठा करने तथा उनका परिसंस्करण करने के लिए एक विलायक निष्कर्षण संयन्त्र स्थापित करने हेतु एक परियोजना प्रस्तुत की है। परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। बिहार और मध्य प्रदेश के मामले में भी परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

रसायन उर्वरकों का अधिकतम उपयोग करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किया गया अनुसंधान

1192. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने रसायन उर्वरकों का अधिकतम उपयोग करने के संबंध में कोई अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों के लिए कहां तक प्रभावी होगा; और

(ग) सरकार द्वारा उर्वरकों के संबंध में गहन अनुसंधान करने के लिए अन्य कौन से कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) विभिन्न सस्य प्रद्धतियों के लिए उर्वरक देने के समय विधि, दर और स्रोतों को निर्धारित करने के लिए 10,000 से भी अधिक उर्वरक परीक्षण प्रायोगिक केन्द्रों और किसानों के खेतों पर देश के विभिन्न हिस्सों में प्रति वर्ष किये जाते हैं। उर्वरकों के उचित मात्रा में प्रयोग की सिफारिश के लिए 332 मृदा जांच प्रयोगशालायें भी करीब 12 मिलियन मृद्रा नमूनों का विश्लेषण करती हैं । इन प्रयासों से उर्वरक उपयोग से अधिक लाभ प्राप्त हुआ है और उर्वरक प्रयोग की क्षमता में भी वृद्धि हुई है । फिर भी, देश की विशालता, विभिन्न मृदाओं, फसल और जलवायु परिस्थितियों पर विचार करते हुए, कृषि अनुसंधान संहित उर्वरकों के प्रयोग को और ज्यादा सुदृढ़ किया जायेगा । इसके लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत कृषि प्रयोगात्मक केन्द्रों का जाल बिछाया गया है ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उर्वरक प्रयोग को अधिक कारगर बनाने के लिए नियमित रूप से नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही है । इसके अतिरिक्त, मृद्रा जांच प्रणाली में सुधार और मृदा जांच सेवा को गहन बनाने के लिए वायोफर्टीलाइजर के प्रयोग को भी लोक प्रिय बनाया जा रहा है । उर्वरक प्रयोग से बेहतर/अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक स्थानों में मृदा जांच और फसल पर उसके प्रभाव के सहसम्बन्ध की भी साथ-साथ जांच की जा रही है ।

असम में चक्रवात

1193. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :**

श्री बापू साहिब मरुलेकर :

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान असम में कोई तेज चक्रवात आया था और यदि हां, तो क्या पहले से कोई चेतावनी दे दी गई थी;

(ख) उक्त चक्रवात के परिणामस्वरूप हुई क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि एवं ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अतिरिक्त माल गोदामों का निर्माण

1194. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री फूल चद वर्मा :

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार अतिरिक्त माल-गोदामों के निर्माण की आवश्यकता पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विचाराधीन योजना में सरकार ने राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को सम्बद्ध करने का निर्णय लिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) केंद्रीय खाद्य विभाग के नियोजित कार्यक्रम के अनुसरण में, खाद्यान्नों के भण्डारण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार की जा रही है ।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम के अधीन, भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य सरकारों के 16 भाण्डागार निगम अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार करने में कार्यरत हैं। छठी पंचवर्षीय योजनावधि 1980-85 के दौरान इन एजेंसियों द्वारा जितनी अतिरिक्त क्षमता तैयार किये जाने की परिकल्पना की गई है वह इस प्रकार है :—

भारतीय खाद्य निगम	35 60 लाख मी० टन
केन्द्रीय भाण्डागार निगम	16.25 लाख मी० टन
राज्य भाण्डागार निगम	25.00 लाख मी० टन

केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों द्वारा जितनी अतिरिक्त क्षमता बनाये जाने की परिकल्पना की गई है उसमें से लगभग 50 प्रतिशत भण्डारण क्षमता खाद्यान्नों के भाण्डारण के लिए उपलब्ध होने की आशा है । इस समय गोदामों का निर्माण करने में प्राइवेट पार्टियों को सम्बद्ध करने की कोई योजना नहीं है ।

सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू न किया जाना

1195. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली नगर निगम विभाग को बार-बार दिये गये अभ्यावेदनों के बावजूद सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है, जैसे कि सफाई अधीक्षक, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक और सहायक सफाई निरीक्षक आदि;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली नगर निगम तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कब तक लागू करेगा;

(घ) इस श्रेणी के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में बहुत दिनों से संशोधन नहीं किया है जबकि दिल्ली नगर निगम के अन्य कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में तीन-चार बार संशोधन किया जा चुका है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(च) इसमें कब संशोधन किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय नदियों पर सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

1196. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना अन्तर्राष्ट्रीय नदियों पर सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर सकते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्र कावेरी नदी पर हेमावती, हरिंगी, काबिनी सिंचाई बांधों को क्या मानेगी जिनका निर्माण कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा केन्द्र की स्वीकृति लिये बिना 250 करोड़ रुपये के निवेश से किया गया था ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) वर्तमान संविधानिक प्रबन्धों के अन्तर्गत, जल एक राज्य विषय है । अतः सभी सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अन्वेषण, सूत्रीकरण, निर्माण, प्रचालन तथा रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । बृहत् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के मामले में, उन्हें विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए राज्यों को जांच और स्वीकृति तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए उनकी स्कीम रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करनी होती हैं । अन्तर्राज्यिक पहलुओं वाली परियोजनाएं, अन्तर्ग्रस्त अन्तर्राज्यिक पहलुओं पर संबंधित राज्यों के बीच समझौते होने तक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं । अन्तर्राज्यिक नदियों पर केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बगैर सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण करने की राज्यों से अपेक्षा नहीं की जाती है ।

(ख) बेसिन वाले राज्यों के बीच कावेरी जल-विवाद के हल न होने के कारण, योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के लिए इन स्कीमों पर कार्रवाई नहीं की गई है। तथापि, कर्णाटक सरकार योजना-भिन्न धनराशियों से इन परियोजनाओं पर व्यय करती है।

खिलाड़ियों के लिए दान स्वरूप जापानी बर्दियां (यूनीफार्म)

1197. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खिलाड़ियों के लिये दान के रूप में जापानी बर्दियां स्वीकार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा दान स्वीकार करने की क्या मजबूरी है ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, एक जापानी खेल सामग्री निर्माण फर्म ने विशेष आयोजन समिति से नवम् एशियाई खेल मैसकट और प्रतीक का अधिकार प्राप्त किया है, जिसके संदर्भ में, सामान्य प्रक्रिया के रूप में, वे कुछ खेल किट की मुफ्त आपूर्ति कर रहे हैं जिसका उपयोग भारतीय एथलीटों और खिलाड़ियों के लिए किया जा रहा है। नवम् एशियाई खेलों की भारतीय टीम के लिए समारोह सम्बन्धी किट का निर्धारण सदा की भांति, भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा किया जायेगा। किसी मजबूरी का प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों/भूतपूर्व संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/भूतपूर्व विधान सदस्यों/महानगर परिषद के सदस्यों को डी० डी० ए० के फ्लैटों का आबंटन

1198. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों, महानगर परिषद् के सदस्यों और महानगर परिषद के भूतपूर्व सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक डी० डी० ए० के फ्लैट और प्लाट आबंटित किये गये हैं और कहां आबंटित किये गये हैं; और

(ख) इन लोगों को डी० डी० ए० के फ्लैट और प्लाट आबंटित करने के लिए नयी नीति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाढ़ पर नियंत्रण करने हेतु वनरोपण

1199. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम में परीक्षणों से यह पता लगा है कि तट बंधों, जलाशयों, डाइवारजन चैनलों आदि से बाढ़ पर नियंत्रण करने हेतु यांत्रिक उपाय केवल सीमित उपयोग के होते हैं जबकि वनरोपण उपायों को (अर्थात् फ्रांस में) अधिक प्रभावशाली नियंत्रण होता है और वे उपाय अधिक समय तक बने रहते हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार का क्या विचार है और क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए यांत्रिकी उपायों और वनरोपण प्रणाली के परीक्षणों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) कुछ देशों में प्रयोगात्मक परिणामों और भारत में केन्द्रीय भूमि और जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि वनरोपण, पुश्ते तथा कंगार बनाने आदि जैसे उपायों से उच्च बाढ़ों को कुछ कम किया जा सकता है। दीर्घीकृत अवक्षेपक के अन्तर्गत छोटे आकार के प्रयोगात्मक भूखंडों से प्राप्त किए गए ये निष्कर्ष व्यापक क्षेत्रों के लिए बहिर्वेशित नहीं किए जा सकते जैसा कि भारत की स्थितियों के मामले में है जहां पर वर्षापात मानसून की एक छोटी अवधि के दौरान संकेन्द्रित होता है, और पश्चिम में समान रूप से वितरित वर्षापात की तुलना में, तीव्रता अधिक होती है।

विभिन्न बाढ़ नियंत्रण उपायों की विस्तृत जांच करने के पश्चात, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अन्य उपायों के एक लाभकारी पूरक के रूप में वनरोपण एवं भू-संरक्षण उपायों को, विशेषकर भारी गाद प्रभारों वाली नदियों के जलविभाजकों में आरम्भ करने की सिफारिश की थी।

कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत 1980-81 से भारत में स्थित गंगा के बेसिनों की बाढ़ प्रवण नदियों के तटबंधों में एकीकृत जलविभाजक प्रबंध की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम प्रारंभ की गई है। इस स्कीम में अपर गंगा, अपर यमुना, साहिबी, गोमती, सोन, पुनपुन, अजय तथा रूपनारायण के नदी बेसिनों के 8 जलग्रहण क्षेत्रों में क्षेत्रों का उपचार करना परिकल्पित है।

कमजोर वर्गों के लिए रिहायशी मकान

1200. **श्री सूरज भान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को रिहायशी मकान उपलब्ध करने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को उपलब्ध कराये गये रिहायशी मकानों का राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राज्य सरकारें आवास स्थल एवं निर्माण सहायता योजना कार्यान्वित कर रही हैं जिनके अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को 100 वर्ग गज के आवास स्थल निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। आवास स्थल के आबंटियों को विभिन्न राज्यों में 500 रुपये से 5000 रुपये की सीमा में आर्थिक सहायता/ऋण के रूप में निर्माण सहायता भी दी जाती है। कुछ राज्य मकानों का निर्माण कर रहे हैं और उनको ऐसे परिवारों को आबंटित कर रहे हैं। छठी योजना में पहले लाभान्वित 77 लाख परिवारों के अतिरिक्त 68 लाख आवास स्थलों के आबंटन का विचार है जिससे 1985 तक लगभग 145 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित होने का अनुमान है। पहले लाभान्वित किये गये 5-6 लाख परिवारों के अलावा 36 लाख परिवारों के लिए निर्माण सहायता देने का प्रस्ताव है। यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व बीस सूत्री कार्यक्रम का एक भाग है।

(ख) यह सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आंध्र प्रदेश में कमान एरिया विकास कार्यक्रम

1201 **श्री अनन्तरामुलु मल्लु** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में कमान एरिया विकास कार्यक्रम के लिये प्रथम किस्त के रूप में हाल ही में आंध्र प्रदेश को कुछ अनुदान मंजूर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-कौन सी मदें शामिल हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) 1982-83 की पहली किस्त के रूप में स्वीकृत अनुदान का मदवार ब्यौरा निम्न प्रकार हैं :-

	(लाख रुपयों में)
1. राज्य स्तर के कमान क्षेत्र विकास सेल तथा कमान क्षेत्र विकास की स्थापना	14.720
2. स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण, इत्यादि	55.965
3. वारबन्दी	20.725
4. अनुकूली परीक्षण	5.720
जोड़ :	95.13

(पंचानवे लाख तथा तेरह हजार रुपये केवल)

दिल्ली नगर निगम द्वारा चीनी पर वसूल किए जाने वाला चुंगी शुल्क

1202. **श्री जो० नरसिंहा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा चीनी पर 11 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चुंगी ली जाती है जबकि कानपुर में यह 50 पैसे तथा बम्बई में 1.80 पैसे है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सितम्बर में दशहरा तथा दिवाली को ध्यान में रखते हुए भारी मात्रा में चीनी जारी की गई थी तथा इससे चीनी के थोक मूल्य में गिरावट आई परन्तु दिल्ली के सुपर बाजार में चीनी के बिक्री मूल्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी):(क) केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में चीनी की आयात पर सीमाकर/चुंगी 11 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि कानपुर में 1 रुपये प्रति क्विंटल है। बम्बई में चीनी पर चुंगी के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) सितम्बर, 1982 के लिए खुली बिक्री की चीनी की 3.30 लाख मीटरी टन की मात्रा की निर्मुक्ति करने के फलस्वरूप, देश भर में चीनी के मूल्यों में भारी गिरावट आई थी। दिल्ली में सी-30 ग्रेड की चीनी का थोक मूल्य, जोकि सितम्बर के शुरू में 512/- रुपये प्रति क्विंटल था, गिरकर सितम्बर, 1982 के अन्त तक 468/- रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर आ गया था। दिल्ली में चीनी के थोक मूल्यों में यह गिरावट सुपर बाजार द्वारा सितम्बर, 1982 के दौरान विभिन्न तारीखों को निर्धारित चीनी के खुदरा मूल्यों में प्रतिबिम्बित हुई थी जोकि इस प्रकार है :—

तारीख	खुली चीनी की दर रुपये प्रति क्विंटल	पैक की गई चीनी की दर रुपये प्रति किलो
सितम्बर, 82 से पहले	5.50	5.65
2.9.1982	5.40	5.55
4.9.1982	5.25	5.40
11.9.1982	5.15	5.30
15.9.1982	5.10	5.25
23.9.1982	4.85	5.00
24.9.1982	4.95	5.10
28.9.1982	4.85	5.00

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यू फ्रैंडज कालौनी और वसंत लोक में होटलों के लिए भूमि का आबंटन

1203. डा. कृपा सिंधु भोई : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्रैन्डज कालौनी और वसन्त लोक में दो होटलों के लिए भूमि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो आबंटन किस प्रकार किया गया है और इसकी कितनी कीमत लो गई है;

(ग) क्या भूमि का आबंटन नियमानुसार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवाज मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) होटल प्लाट नीलामी के आधार पर आवंटित किए गए थे । फ्रैन्डज कालौनी में प्लाट 1,60,00,000/- रुपये में बेचा गया था और वसन्त लोक में 1,82,00,000/- रुपये में बेचा गया था । तथापि फ्रैन्डस कालौनी में होटल के मामले में 2000 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि केवल पार्किंग के लिए 541/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित की गई थी । जिसकी कुल अतिरिक्त कीमत 10,82,000/- रुपये है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) उपर्युक्त भाग "ग" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

खुले मैनहोलों के कारण लोगों के हताहत होने के मामले

1204. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में खुले मैनहोलों के कारण कितनी मौतें हुई;

(ख) उपरोक्त अवधि में खुले मैनहोलों के कारण कितने व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं के कितने मामले दर्ज किये गये तथा क्या दंड दिया गया; और

(घ) दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को यदि कोई मुआवजा दिया गया है, तो कितना ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शिमला में वाइसरी गल लॉज को एक फाइव स्टार होटल में बदलना

1205. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा शिमला यानी क्वीन आफ दी हिल स्टेशन्स में एक फाइव स्टार होटल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर वहां स्थित वाइसरी गल लॉज को एक होटल में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इमारत इस कार्य के लिए उपयुक्त है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वाइसरी गल लॉज, शिमला को एक होटल में बदलने का एक सुझाव विचाराधीन है । अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खाद्यान्नों की हानि को रोकने हेतु निवारक उपायों का सुझाव देने के लिये समिति

1206. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न की हानि के कारणों की जांच करने तथा तत्काल निवारक उपाय सुझाने के लिये सरकार द्वारा व्यापक अधिकारों वाले एक उच्च स्तरीय भ्रमणकारी दल का गठन किया गया है;

(ख) क्या इस योजना के लाभों पर किसी प्रकार का मूल्यांकन किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खाद्यान्न हानि को प्रभावशाली रूप से पूरा करने के लिये अब कौन से कदमों पर विचार किया जा रहा है अथवा उन्हें कारगर ढंग से क्रियान्वित किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि, 1966 में एक विशेषज्ञ समिति ने कटाई के बाद के परिचालनों के दौरान खाद्यान्नों की हानियों के कारणों की समीक्षा की थी । यह पता लगाया गया है कि भण्डारण में हानियां चूहों, पक्षियों, कीड़ों और नमी के कारण होती हैं ।

(ग) सरकार ने कटाई के बाद हानियों को रोकने के लिए निम्नलिखित पग उठाए हैं:—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भण्डारण की विधियों को लोक प्रिय बनाने के लिए 17 अन्न सुरक्षा अभियान दलों का गठन किया गया है ।

(2) हानियों को रोकने के लिए विधियों की उपयुक्त नियमावली विकसित करने के लिए हापुड़ में भारतीय अनाज संचयन संस्था और लुधियाना (पंजाब), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), जोरहट (असम), जबलपुर, (मध्य प्रदेश), उदयपुर (राजस्थान) में इसके पांच फील्ड स्टेशन स्थापित किये गए हैं।

(3) फार्म स्तर पर भण्डारण में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को ऋण और सहायक अनुदान के रूप में सहायता सुलभ करना।

(4) राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक ढंग से खाद्यान्नों को हैंडल करने और उनका भण्डारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम, सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशनों की स्थापना करना।

बैलों की देशी नस्लों की उपेक्षा

1207. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में बैलों की देशी नस्लों की उपेक्षा के बारे में ए. के. टिक्कू की रिपोर्ट जो 10 सितम्बर, 1982 के "फार ईस्टर्न इकनामिक रिव्यू" में प्रकाशित हुई थी ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) क्या सरकार को उन विनाशकारी आर्थिक परिणामों की जानकारी है जिनमें देश की बैलगाड़ी परिवहन प्रणाली प्रभावित होगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) देश की दूध तथा भारवाही शक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों के उपयुक्त निकायों द्वारा समय-समय पर पशु प्रजनन नीति की समीक्षा की गई है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की 1976 की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर छठी योजना के अभिलेख में सुझाई गई प्रजनन नीति में यह व्यवस्था है कि जहां पशुओं का सुधार करने के लिए चुनींदा प्रजनन नीति अपनायी जाए वहां देशी पशुओं की सुपरिभाषित किस्मों वाले क्षेत्र में संकर प्रजनन शुरू न किया जाय। इस प्रजनन नीति का सम्पूर्ण भारवाही पशु शक्ति की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई

1208. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु ने राज्य में खाद्य की कठिन स्थिति पर काबू पाने के लिये प्रति माह 80,000 टन चावल की सप्लाई हेतु अनुरोध किया है;

(ख) किन अन्य राज्यों ने खाद्यान्नों के लिये अनुरोध किया है; और

(ग) सरकार की प्राप्तकर्ता राज्यों को कितना खाद्यान्न सप्लाई करने की योजना है और केन्द्रीय पूल से इस सहायता का आधार क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तमिलनाडु सरकार ने दक्षिण-पश्चिमी मानसून के विफल रहने के फलस्वरूप खेती तथा उत्पादन में गिरावट आने और आगामी महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल के उठान में सम्भावित वृद्धि होने की दृष्टि में अक्तूबर, 1982 के लिए केंद्रीय पूल से 80,000 मीटरी टन चावल का आवंटन करने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अक्तूबर, 1982 मास के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त खाद्यान्नों की माँग के बारे में बताया गया है।

(ग) राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पास उपलब्ध और अपने द्वारा स्थानीय तौर पर अधिप्राप्त स्टाक को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपनी वास्तविक आवश्यकताएं प्रति मास सूचित किया करें। विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन, केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किया जाता है।

जिस मास के लिए आवंटन किया जाता है उसके शुरू होने के 10 से 12 दिन पहले ही मासिक आवंटन आदेश जारी कर दिए जाते हैं ताकि उचित दर की दुकानों को वितरित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों को समय से सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के सभी भागों में स्थित अपने गोदामों में खाद्यान्नों का पर्याप्त आरक्षित स्टाक भी रखता है। एक संयुक्त उच्च स्तरीय ग्रुप द्वारा सभी राज्यों को खाद्यान्नों के संचलन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है तथा संचलन कार्यक्रम और जिलों तथा डिपों पर उपलब्धता के साथ अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके।

विवरण

अक्तूबर, 1982 मास के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की खाद्यान्नों की मांग को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल	गेहूं		जोड़	मोटे अनाज	जोड़
		सा० वि०	मिलें			
आंध्र प्रदेश	50.00	14.0	16.0	30.0	—	80.0
असम	50.0	17.5	21.0	38.5	—	88.5

राज्य/ संघ शासित प्रदेश	चावल	सा० वि०	मिलें	जोड़	मोटे अनाज	जोड़
बिहार	60.0	65.0	33.0	98.0	—	158.0
गुजरात	25.0	40.0	15 91	55.91	20.0	100.91
हरियाणा	1.5	15.0	24.0	39 0	—	40.5
हिमाचल प्रदेश	3.5	5.0	6.0	11 0	—	14.5
जम्मू तथा काश्मीर	16.0	7.0	14.0	21.0	—	37.0
कर्नाटक	40.0	10.0	40.0	50.0	--	90.0
केरल	135.0	10 0	10.0	20.0	—	155.0
मध्य प्रदेश	80.0	60.0	12.0	72.0	—	152.0
महाराष्ट्र	60.0	60.0	40.0	100.0	—	160.0
मणिपुर	6.0*	2.0*	—	2.0	—	8.0
मेघालय	9.2	1.3	1.3	2.6	—	11.8
नागालैण्ड	5.0	1.5	3.0	4 5	—	9.5
उड़ीसा	—	15.0	15.0	30.0	—	30.0
पंजाब	0.6	15 0	35.0	50.0	—	50.6
राजस्थान	2.0	60.0	15·0	75.0	20.0	97.0
सिक्किम	3.5	0.25	0.4	0.65	—	4.15
तमिलनाडु	80.0	10.0	50.0	60.0	—	140·0
त्रिपुरा	12.0	0:7	2.8	3.5	—	15.5
उत्तर प्रदेश	75.0	75.0	50.0	125.0	—	200.0
पश्चिमी बंगाल	200.0	120.0	55.0	175.0	—	375.0
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	0.5*	—	0.5	—	0.5
अरुणाचल प्रदेश	3.5	0.4	—	0.4	—	3.9
चंडीगढ़	0.2	1.5	1.0	2.5	—	2 7
दादर तथा नगर हवेली	0.06	0.02	—	0.02	—	0.08
दिल्ली	20.0	60.0	36.1	96.1	—	116.1
गोआ, दमन तथा दीव	3.78	1.5	1.9	3.4	—	7.18
पांडिचेरी	1.0	0 24	0.25	0.49	—	1.49
मिजोरम	10.0*	0.05	0.45	4.5	—	10.5

*मांग प्राप्त नहीं हुई । पिछले मास की मांग पर आधारित है ।
सा० वि०—सार्वजनिक वितरण ।
मो० अ०—मोटे अनाज ।
सं० शा० प्र०—संघ शासित प्रदेश ।

ऐसे व्यक्ति जिन्हें बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय भू-खंड आवंटित किये गये हैं

1209. **श्री मूल चन्द डागा : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे बेघर लोगों की संख्या क्या है जिन्हें 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय भूखंड दिये गये हैं तथा राज्यवार कितने परिवारों को ऐसी जमीन दी गई है; और

(ख) ऐसे परिवारों की संख्या क्या है जिन्हें अपने मकानों का निर्माण करने के लिये वित्तीय सहायता की गई है तथा राजस्थान में, विशेष रूप से पाली जिले में इस सहायता से कितने मकानों का निर्माण हुआ है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थल व निर्माण सहायता योजना के अंतर्गत प्रगति (बीस सूत्री कार्यक्रम का सूत्र संख्या-97—30-6-1982 तक कुल प्रगति

(हजारों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		आवंटित आवास स्थलों की संख्या	निर्माण सहायता दिये गये परिवारों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1625	503	
2.	असम	47	20	
3.	बिहार	40 730 (1)	41	
4.	गुजरात	555	197	
5.	हरियाणा	225	2	
6.	हिमाचल प्रदेश	6	3	

1	2	3	4	5
7.	जम्मू तथा काश्मीर	7	1	
8.	कर्नाटक	991	297	
9.	केरल	47	25	
10.	मध्य प्रदेश	762	94	
11.	महाराष्ट्र	475	484	
12.	उड़ीसा	214	17	
13.	पंजाब	295	22	
14.	राजस्थान ×	949	86	
15.	तमिलनाडु	1505	99	
16.	त्रिपुरा	38	प्राप्त नहीं हुआ	
17.	उत्तर प्रदेश	1471	42	
18.	पश्चिम बंगाल	267	83	
		10,249	2016	
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	0.8	
2.	दादर तथा नागर हवेली	1	0.3	
3.	दिल्ली	14	0.7	
4.	गोआ दमन एवं द्वीप	1	0.3	
5.	पांडिचेरी	12	6.6	
		30	8.7	
	योग :	10,278	2024.07	

(I) वास भूमि किरायेदारी अधिनियम के अन्तर्गत अतिक्रमण का नियमितकरण के द्वारा ।

टिप्पणी : यह योजना चार राज्यों (मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम) तथा तीन संघ राज्य क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, लक्ष द्वीप तथा मिजोरम) में कार्यान्वित नहीं की जा रही है ।

चंडीगढ़ की समस्याएं नगण्य हैं ।

× राजस्थान में पाली जिले में उपलब्धियां निम्नलिखित :—

1980-81 — 187 मकान—ऋण योजना —137 आवास सहायता योजना

1981-82 — 993 आवास सहायता योजना

1982-83 — 300 आवास सहायता योजना (आवंटित)

"आई० आर० डी० पी० एलोकेशन्स फार हरिजन्स पिट्टेंस" शीर्षक समाचार

1210. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अगस्त, 1982 के 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "आई० आर० डी० पी० एलोकेशन्स फार हरिजन्स पिट्टेंस" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कम से कम एक लाख पैंतीस हजार करोड़ रुपये की जरूरत है जबकि इस योजना में केवल 1500 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां ।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट (1979-81) में यह उल्लेख किया गया है कि छठी योजना में आवंटित किये गये केवल एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले में छठी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कम से कम कुल तेरह हजार पांच सौ करोड़ रुपये (चार हजार करोड़ रुपये आर्थिक सहायता के रूप में और नौ हजार पांच सौ करोड़ रुपये ऋण के रूप में, न कि एक लाख पैंतीस हजार करोड़ रुपये) की आवश्यकता होगी ।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये योजना परिव्यय में वृद्धि करने पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मुर्गीपालन परियोजनाएं

1211. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मुर्गीपालन परियोजना की अनुसंधान यूनिटें काम कर रही हैं और यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1971-72 से प्रत्येक यूनिटों को वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गई, कितनी धनराशि वसूल की गई और कितने वैज्ञानिक यूनिट-वार काम कर रहे हैं;

(ग) प्रत्येक यूनिट में आरम्भ से चारे पर वार्षिक रूप से कितनी धनराशि व्यय हुई और उनमें कितने पक्षी रखे गये थे;

(घ) केन्द्रीय मुर्गीपालन फार्मों में 1975-76 से प्रति वर्ष केवल चारे की लागत क्या थी और वहां रखे गये पक्षियों की संख्या क्या थी और कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ङ) छठी योजना के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक यूनिट में केवल चारे पर कुल कितना व्यय होगा और कितना राजस्व प्राप्त होगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान । तथापि मुर्गी प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के मुर्गीपालन यूनिटें हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), जबलपुर (मध्य प्रदेश), मथुरा (उ० प्र०), अगरतला (त्रिपुरा), मन्नूथी (केरल), बंगलौर (कर्नाटक), मद्रास (तमिलनाडु), भुवनेश्वर (उड़ीसा), अकोला (महाराष्ट्र), गंगटोक (सिक्किम), आनन्द (गुजरात), लुधियाना (पंजाब) तथा इज्जतनगर (उ० प्र०) में प्रायोजना समन्वय एकक के साथ स्थित हैं ।

(ख) वर्ष 1971-72 से एककवार तथा वर्षवार मुर्गीपालन प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना पर खर्च की गई निधि परिशिष्ट "क" में दी गई है । वर्ष 1971-72 से रिलीज की गई प्राप्ति की राशि एककवार तथा वर्षवार भी परिशिष्ट "ख" में दी गई है । स्टाफ सदस्यों की स्थिति परिशिष्ट "ग" में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5475/82]

(ग) अलग-अलग एककों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) केवल खिलाई-पिलाई पर खर्च तथा तदनुरूप केन्द्रीय मुर्गीपालन प्रजनन फार्म में रखे गये पक्षियों की सूचना परिशिष्ट "घ" में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5475/82]

(ङ) कुल खर्च, सिर्फ खिलाई-पिलाई पर खर्च तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वानुमानित राजस्व प्राप्ति एककवार तथ वर्षवार परिशिष्ट "च, छ तथा ज" में क्रमश: दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5475/82]

त्रिपुरा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये अध्ययन दल

1212. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल की बाढ़ के कारण हुई हानि का आकलन करने तथा केन्द्रीय सहायता का निर्धारण करने के लिये त्रिपुरा में एक अध्ययन दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, नहीं। यह निर्णय किया गया है कि अन्तर मंत्रालयी दल, जो राज्य के लिये केन्द्रीय सहायता के बारे में सुझाव देगा, के साथ विचार-विमर्श करने के लिये 14 अक्तूबर को राज्य सरकार के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाये।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

तटीय यंत्रीकृत मछलीपालन उद्योग को डीजल के लिए राज सहायता देना

1213. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने आल केरल फेडरेशन आफ मकेनाइज्ड फिशिंग बोछ ओनर्स एसोसिएशन को तटीय यंत्रीकृत मछलीपालन उद्योग को डीजल के रूप में राज सहायता देने का कोई आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह केवल केरल के लिये ही किया जायेगा अथवा अन्य राज्यों में तटीय यंत्रीकृत मछलीपालन उद्योग के लिये भी किया जायेगा; और

(घ) मछुआरों की सुरक्षा के लिये और सरकार के लाभ के लिये अन्तिम निर्णय कब लिये जाने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी नहीं। संघ ने सितम्बर, 1982 में एक ज्ञापन भेजकर हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद-

शुल्क में छूट देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया है कि हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क में छूट देने की प्रस्तावित योजना की अन्तः मंत्रालयी स्तर पर जांच हो रही है।

(ग) तथा (घ) अन्तः मंत्रालयी स्तर पर योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच पूरी होने पर योजना के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

राज्यों में क्षेत्रीय व्यावहारिक अनुसंधान स्थापित करना

1214. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन राज्यों में 'ट्रेनिंग एण्ड विजिट एक्सटेंशन' कार्यक्रम शुरू किये गये हैं वहां क्षेत्रीय व्यावहारिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ख) विभिन्न राज्यों में कृषि पर तत्संबंधी अनुसंधान करने के लिये अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। तेरह राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम) में प्रशिक्षण और निरीक्षण विस्तार कार्यक्रम शुरू किया गया है। फिर भी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित कर सकते हैं। अब तक दस राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, असम) में क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए 43 अनुसंधान उप-प्रायोजना स्वीकृत की गई हैं। अन्य राज्यों में भी इस तरह के केन्द्र खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। प्रत्येक राज्य में उस क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं पर अनुसंधान के लिए पता लगाये गये कृषि-जलवायवीय क्षेत्रों के आधार पर इन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को स्थापित सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ख) प्रशिक्षण और निरीक्षण पद्धति (प्र० और नि०) के अन्तर्गत कृषि विस्तार अधिकारियों और ग्राम सेवकों द्वारा गांवों का निरीक्षण करने की नियमित व्यवस्था है। विषय विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, उसके बाद वे एक पखवाड़े के प्रशिक्षण सत्र के द्वारा कृषि विस्तार अधिकारियों/ग्राम सेवकों तक तकनीकी जानकारी पहुंचाते हैं। इस प्रकार जानकारी उपलब्ध कराने के लिए और इस प्रशिक्षण और निरीक्षण व्यवस्था के लागू करने से प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाने के लिए एक सक्षम व्यवस्था तैयार की गयी है। राष्ट्रीय कृषि प्रायोजना से सहायता प्राप्त करने वाले क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों में भी छः

महीने की क्षेत्रीय कार्यगोष्ठियों के आयोजन की भी व्यवस्था है। इन कार्यगोष्ठियों में सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक, किसानों के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वे बैठक के दौरान अनुसंधान संस्थानों द्वारा किये गये अनुसंधान की प्रगति का जायजा लेते हैं और नई समस्याओं के बारे में जानकारी देते हैं जो आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों के अनुसंधान कार्यक्रम का अंग बन जाती हैं।

दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र में चीनी के उत्पादन में गिरावट

1215. **श्री के० टी० कोशलराम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण के राज्यों और महाराष्ट्र में आगामी मौसम में चीनी के उत्पादन में औसतन 20 प्रतिशत कमी होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चीनी के उत्पादन में गिरावट रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु/पांडिचेरी के बारे में 1981-82 की अपेक्षा 1982-83 मौसम में अनुमानित चीनी उत्पादन में गिरावट की प्रतिशतता क्रमशः लगभग 1.4, 4.3, 8.8 और 13.5 होने की सम्भावना है जबकि केरल के मामले में 29.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है। सामान्य परिस्थितियों में वर्ष प्रति वर्ष चीनी उत्पादन से ऐसी घट-बढ़ गन्ने के उत्पादन और अन्य स्वीटनिंग एजेंटों अर्थात गुड़ और खंडसारी के निर्माताओं के साथ प्रतियोगिता में चीनी फैक्ट्रियों की उसकी उपलब्धता और कृषि जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन पर भी आधारित होती है।

वृक्षारोपण के लिए राज्यों को वित्तीय धनराशि

1216. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 और 1982-83 (अब तक) के दौरान देश में वृक्षारोपण के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 (अब तक) के दौरान दी गई और 1982-83 के लिए निर्धारित की गई धनराशि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई राशि		1982-83 के लिए निर्धारित की गई राशि
	1981-82	1982-83 (अब तक)	1982-83
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	45.82	14.59	58.38
असम	15.60	7.29	29.19
बिहार	—	19.45	77.84
गुजरात	38.20	9.73	38.92
हरियाणा	80.74	13.40	68.92
हिमाचल प्रदेश	55.87	23.55	159.19
जम्मू व कश्मीर	—	1.88	44.19
कर्नाटक	32.14	12.16	48.65
केरल	7.01	7.29	29.19
मध्य प्रदेश	88.18	24.32	97.30
महाराष्ट्र	—	17.03	68.11
मणिपुर	—	2.44	9.73
मेघालय	9.96	2.44	9.75
नागालैंड	20.34	7.36	39.46
उड़ीसा	23.40	9.73	38.92
पंजाब	45.70	11.67	64.19
राजस्थान	45.95	19.46	77.84
सिक्किम	2.47	4.32	24.73
तमिलनाडु	28.96	9.73	38.92
त्रिपुरा	7.50	4.94	29.73
उत्तर प्रदेश	111.12	44.32	257.30
पश्चिम बंगाल	7.62	12.85	63.92
योग :	574.16	282.54	1394.35

1	2	3	4
संघ राज्य क्षेत्र :			
अरुणाचल प्रदेश	29.25	13.25	53.00
दिल्ली	—	—	0.50
मिजोरम	56.51	20.55	52.00
योग :	85.76	33.80	105.50
कुल योग :	759.92	316.34	1491.85
(राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र)			

गोल्फ लिंक्स कालोनी में नर्सिग होम/दुकानों/ गेस्ट हाउसेस के लिए नियत भूखंड

1217. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल्फ लिंक्स (नई दिल्ली) की कालोनी में भूमि के लिए अनुमत उपयोग क्या है और इस कालोनी में कौन-कौन से स्थान क्षेत्रीय विकास साइंट प्लान में किन्हीं नर्सिग होम, दुकानों और गेस्ट हाउसेज के लिए नियत किये गये हैं;

(ख) दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए उस भूमि का आज तक किसी प्रकार उपयोग किया गया जो क्षेत्रीय विकास योजना, जिसके अन्तर्गत गोल्फ लिंक्स क्षेत्र आता है, में इसके प्रारूप उपयोग करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुकद्दमा चलाये जाने से मुक्त है; और

(ग) किरायेदारों और मकान मालिकों पर मुकद्दमा चलाने के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति क्या है जबकि कोई किरायेदार मकान मालिक की अनुमति के बिना नियमों के विरुद्ध उपयोग के लिए परिसर को काम में लाता है जबकि मकान मालिक किरायेदार के विरुद्ध मकान खाली कराने की कार्यवाही शुरू कर देता है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली की बृहत् योजना और जोन डी-II के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप जिसमें—गोल्फ लिंक कालोनी भी स्थित है, के अनुसार इस कालोनी का भू-उपयोग रिहायशी है। क्षेत्रीय योजना में इस कालोनी में नर्सिग होम, विपणन केन्द्र तथा अतिथि गृहों के लिए कोई विशिष्ट स्थल उद्दिष्ट नहीं है।

(ख) दिल्ली बृहत योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में उस क्षेत्र में जहां गोल्फ लिंक स्थित है वहां किसी विशेष असंगत उपयोग को अभियोजन से छूट नहीं है।

(ग) दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार असंगत उपयोग के लिए किरायेदार और मालिक दोनों ही पर मुकद्दमा चलाया जाता है।

फसल ऋण के अन्तर्गत दिये गये उर्वरकों की किसानों द्वारा बिक्री

1218. **श्री रशीद मसूद :**

श्री दौलत राम सारण : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत छोटे किसानों को दिये गये उर्वरकों की अधिक प्रतिशतता को उनके द्वारा रियायती दर पर बेचा जा रहा है क्योंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत उन्हें दिये गये उर्वरक उनकी आवश्यकता से अधिक थे;

(ख) यदि हां, तो यदि नकदी और सामान के बीच कोई अनुपात है तो वह क्या है; और

(ग) क्या सरकार विद्यमान अनुपात को और अधिक युक्तियुक्त तथा वैज्ञानिक बनाने हेतु इसकी पुनरीक्षा करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) फसल ऋण के लिए दिये जाने वाले नगद और जिन्स के घटकों का निर्धारण एक तकनीकी ग्रुप द्वारा प्रत्येक जिले में अपनाई गई कृषि पद्धतियों, उपयोग किये गये बीज की किस्म, सिंचाई की सुविधाओं की उपलब्धि आदि के आधार पर किया जाता है। इस ग्रुप में कृषि विभाग, सहकारिता विभाग तथा सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा कुछ प्रगतिशील कृषक शामिल होते हैं। अतः वर्तमान पद्धति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

रबी और खरीफ की फसलों की पैदावार पर हाल की प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव

1219. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री के० मालन्ना :

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम आदि में बाढ़ के कारण चालू मौसम के दौरान धान की पैदावार को काफी नुकसान होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनुमान लगाया गया है कि किस सीमा तक धान का नुकसान होगा;

(ग) क्या सूखा, बेमौसमी वर्षा और बाढ़ों से रबी और खरीफ की फसलों पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम आदि में बाढ़ के कारण चालू मौसम में धान के उत्पादन में कुछ हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है । तथापि, संभावित कमी की मात्रा का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) तथा (घ) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में अप्रैल-मई, 1982 में हुई बेमौसमी वर्षा से गेहूं की खड़ी/कटी हुई फसल पर प्रभाव पड़ा है । लगभग 20 लाख मीटरी टन के नुकसान होने की संभावना है ।

खरीफ 1982 के दौरान सूखे तथा बाढ़ आने के कारण गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन कम होने की संभावना है । तथापि संभावित कमी की मात्रा का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) सूखे तथा बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) अल्पकालीन तथा कम पानी वाली फसलों पर जोर देते हुए वैकल्पिक फसल नीति अपनाना ताकि खरीफ की कमी को कम किया जा सके ।

(2) फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपलब्ध सिंचाई के पानी का इष्टतम उपयोग करना ।

(3) आदानों का प्रावधान ।

(4) पम्पसेटों को चलाने के लिए बिजली एवं डीज़ल की उपलब्धि को सुनिश्चित करना ।

(5) खरीफ-खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई संभावित कमी को पूरा करने के लिए रबी अभियान को तेज करना ।

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम

1220. **श्री वृद्धि चंद्र जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम में मन्त्रियों ने केवल उन समस्या वाले गांवों को उनकी पेय-जल समस्याओं के हल के

लिए चुना है जहां हैन्ड-पम्पों को लगाने से इसमें सफलता मिलेगी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के अधिकांश रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रमों को स्वीकृत न करके केन्द्रीय सरकार इन क्षेत्रों के प्रति घोर अन्याय कर रही है जो कि भयंकर जल संकट का सामना कर रहे हैं और हैण्ड पम्प लगाने से सफलता प्राप्त नहीं होगी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार अपनी नीति बदल कर राजस्थान के रेगिस्तान वाले क्षेत्रों को न्याय देगी; यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। पता लगाये गये सभी समस्याग्रस्त गांवों के लिए पीने के पानी की सप्लाई 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्रों में से एक सूत्र है। इसका लक्ष्य छठी योजना अवधि के अन्त तक सभी समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेय जल का कम-से-कम एक स्रोत मुहैया करने का है। तथापि, पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसके लिए राज्य के बजट में प्रावधान किये जाते हैं। राज्यों को उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए, केन्द्र, त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देती है। त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए इस मन्त्रालय का पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

मित्तव्ययता और समस्याग्रस्त गांवों को अधिक-से-अधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, खर्चीली पाइपों द्वारा जल पूर्ति योजनाओं की बजाय जहां भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, हैण्ड-पम्पों को लगाने जैसे कम लागत के साधन अपनाने के लिए राज्य सरकारों पर जोर डाला गया है। तथापि, उन क्षेत्रों जहां पाइपों द्वारा जल पूर्ति ही इसका हल है, वहां राज्य सरकारें पूर्ण औचित्य के साथ इस प्रकार की योजनाएं भेज सकती हैं और केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र के भीतर इन योजनाओं पर विचार करेगी। त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक राजस्थान में, केन्द्रीय सरकार ने 4909 गांवों के लिए 64.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की योजनाओं की मंजूरी दी है, जिनमें से 13.64 करोड़ रुपये हैण्डपम्पों द्वारा लाभान्वित किये जाने वाले 3006 गांवों के लिये हैं और शेष 1903 गांवों को 51.06 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पाइप द्वारा जल पूर्ति योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है।

रूस की तकनीकी जानकारी से बांध आदि का निर्माण

1221. **श्री वृद्धि चंद्र जैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विशेषज्ञ बांधों के निर्माण और नदियों को एक विस्फोट से एक दूसरे से मिलाने के लिए सोवियत तकनीकी का अध्ययन कर रहे हैं और क्या ऐसे परीक्षण भारत में करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडेय) : (क) भारतीय विशेषज्ञ, दिशात्मक विस्फोटन तकनीक के प्रयोग द्वारा बांधों के निर्माण की सोवियत तकनीक का अध्ययन कर रहे हैं। इस तकनीक द्वारा नदियों को जोड़ने के बारे में अध्ययन नहीं किया जा रहा है।

(ख) हिमाचल प्रदेश में दिशात्मक विस्फोटन की पद्धति के प्रयोग द्वारा एक प्रयोगात्मक बांध के निर्माण हेतु एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सोवियत संघ की सरकार के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किये गये हैं। यह केवल एक प्रायोगिक परियोजना है जिसमें प्रौद्योगिकी का अन्तरण अन्तर्ग्रस्त है और इस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि क्या दिशात्मक विस्फोटन की पद्धति द्वारा कोई परियोजना क्रियान्वयन के लिए हाथ में ली जाएगी।

स्टेडियमों में विज्ञापनों के लिए निविदाएं

1222. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एशियाड के दौरान सात स्टेडियमों में विज्ञापनों के लिये निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थीं और क्या एक विदेशी फर्म की पेशकश स्वीकार की गई है;

(ख) क्या इस एक मात्र विदेशी फर्म ने अभी तक गारंटी की धनराशि का भुगतान नहीं किया है; और

(ग) सरकार का किस प्रकार सात स्टेडियमों में विज्ञापनों के लिए स्थान किराये पर देने हेतु अब विचार है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति ने एरेना विज्ञापन एजेंसियों और नौवें एशियाई खेलों के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्टेडियमों के अन्दर विज्ञापन के स्थान के सम्बन्ध में प्रवर्तकों की नियुक्त करने के लिये नवम्बर, 1981 में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विज्ञापनकर्ताओं को सीमित टेंडर नोटिस जारी किये थे। बाद में विशेष आयोजन समिति ने, जो एक पंजीकृत सोसायटी है, ऐसे विशिष्ट स्थानों में जहां एशियाई खेल आयोजित किए जाने वाले हैं, विज्ञापन अधिकारों के लिए दुबई की मीटको ग्रुप आफ कम्पनीज के साथ एक ठेका किया।

ठेके की शर्तों के अनुसार उन्हें सोसायटी को 60 लाख अमरीकी डालर का भुगतान करना था जिसमें से 10 लाख डालर 30 अगस्त, 1982 तक सोसायटी के पास जमा कराये जाने थे। उन्होंने यह राशि जमा नहीं कराई है।

इसकी बजाए 21-8-82 को उन्होंने इस भुगतान तथा शेष किस्तों के भुनतान को, जो उनके द्वारा जमा कराई जानी थी, आस्थागित करने के लिये अनुरोध किया। ऐसा करना चूंकि, उनके द्वारा ठेके को पूरा न करने के समान है, अतः विशेष आयोजन समिति मामले को अध्यस्थता

के लिये भेज कर मीटको ग्रुप आफ कम्पनीज के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है जैसी कि मीटको के साथ हुए करार में व्यवस्था की गई है।

एशियाड-82 के दौरान विज्ञापन के लिये कोई नये प्रबन्ध नहीं किये गये हैं क्योंकि यह मामला मध्यस्थता की कार्यवाही से सम्बन्धित है जो मीटको ग्रुप आफ कम्पनीज के साथ हुए ठेके के सम्बन्ध में की जानी है।

महानदी पर दूसरे बांध का प्रस्ताव

1223. **श्री चिन्तामणि जैना :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बार-बार बाढ़ आने को ध्यान में रखते हुये महानदी पर दूसरा बांध बनाने के लिये केन्द्र को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में सर्वेक्षण किया गया है और बांध का निर्माण कब होने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने महानदी नदी के निचले भागों में बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिये मणिभद्र में बहु-प्रयोजनी परियोजना आरम्भ करने के एक प्रस्ताव का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को परियोजना रिपोर्ट भेज दिये जाने और उसकी संवीक्षा कर लिए जाने के पश्चात, इस परियोजना के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का निष्पादन

1225. **श्री सुभाष चन्द बोस अल्लूरी : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं;

(ख) प्रत्येक चालू मध्यम सिंचाई परियोजना का प्राक्कलन क्या है; और

(ग) उनके पूरा होने की तारीख क्या है तथा अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश में निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	मार्च, 82 तक हुआ व्यय (प्रत्याशित)	पूर्ण होने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5
	निर्माणाधीन स्कीमें :			
1.	वोट्टीगेड्डा परियोजना	282	246.13	पूर्ण हो गई है ।
2.	थानडव जलाशय	1191	746.72	1984-85
3.	कानुपुर नहर स्कीम	587*	559.44	1983-84
4.	गांडीपालम नहर	503	419.65	1984-85
5.	पुलिवांडला नहर	785	626.34	—तदेव—
6.	गजुलादिन्नी	885	676.92	1984-85
7.	गुन्टुर चैनल	289	250.89	पूर्ण हो गई है ।
8.	स्वर्णा	30.*	303.89	—तदेव—
9.	उकाचेत्तीवागु	213	202.37	—तदेव—
10.	रायवाडा	1185	788.78	1984-85
11.	कोनम	309	265.10	पूर्ण हो गई है ।
12.	बेंगलराया सगरम	917	496.96	1984-85
13.	मल्लूरवागु	287	223.33	1983-84
14.	वोट्टिवागु	924	282.06	1984-85
15.	मुक्काममीदी	115*	119.11	1982-83
16.	वोग्गुलवागु	315	198.85	1983-84
17.	पेड्डेरू चरण-एक	605*	570.54	1983-84
18.	वेंगलराया लिफ्ट सिंचाई स्कीम	382	359.95	—तदेव—
19.	कृष्णपुरम	250*	242.72	1983-84
20.	झंझावती	2148	557.35	1984-85
21	पेड्डाकालम	141	133.26	पूर्ण हो गई है ।
22.	माड्डुवालसा	1286	506.03	1984-85

1	2	3	4	5
23.	चैयेरू परियोजना	978	400.11	1984-85
24	वेराकलवा जलाशय	1013	420.30	—तदेव—
25.	पोड़ावोगु	508*	500.60	1982-83
26.	तलीपेरू	1357	684.61	1984-85
27.	गुण्डलावागु	307*	304.62	1983-84
28.	सतनाला	633	378.94	1984-85
29.	जाल्लेरू	345	278.18	1983-84
30.	मादीगेड्डा	256	243.88	पूर्ण हो गई है।
	++छठी योजना की नई स्कीमें :			
1.	वरादराजस्वामी गुडी**	713	28.7	छठी योजना से आगे++
2.	चम्पावती पर आंध्रा जलाशय	520	5	—तदेव—
3.	पड्डारू जलाशय चरण-दो	824	—	— तदेव—
4.	बुग्गावका जलाशय स्कीम**	486	—	—तदेव—
5.	मंजीरा पर एनीकट	300	—	छठी योजना से आगे
6.	माड्डीलेरू जलाशय	424	—	—तदेव—
7.	पालमवागु पर जलाशय	300	—	—तदेव—
8.	अपर कोलासनाला स्कीम	173	—	—तदेव—
9.	वोडापाडा गांव के निकट भोदा जलाशय	700	—	—तदेव—
10.	बौरादालवा जलाशय	2500	—	—तदेव—
11.	अडागांव के निकट पड्डावागु	1526	—	तदेव—
12.	दसनापुर के निकट पड्डावागु	666	—	—तदेव—
13.	मोदीकुन्टावागु	600	—	—तदेव—
14.	चालमलवागु	300	—	तदेव—
15.	सिलेरू व्यपवर्तन स्कीम	1200	—	—तदेव—

**ये अस्वीकृत स्कीमें हैं, इसलिये पूर्ण होने वाले वर्ष ज्ञात नहीं हैं।

++इस समय, नई स्कीमों के पूर्ण होने का वर्ष सुनिश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता।

अनुमानित लागत, जिसके संशोधित होने की संभावना है।

सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति

1226. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं और वे कितने वर्षों से पीछे चल रही हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक योजना कब पूरी होने की आशा है; और

(ग) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना की मूल अनुमानित लागत क्या थी जब वे शुरू हुई थीं और उनके पूरा होने पर प्रत्येक परियोजना की संशोधित लागत अनुमानतः क्या होगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु नए तरीके

1227. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गन्ने की आगामी फसल से गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नया तरीका लागू करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार का गन्ने का उत्पादन किस प्रकार बढ़ाने का विचार है; और

(घ) गन्ने के उत्पादन में किस हद तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) (1) उत्तम बीज के उत्पादन और वितरण, (2) मृदा उपचार आदि सहित गहन वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाने, (3) उर्वरक का उचित प्रयोग करने, (4) प्रदर्शनों तथा विस्तार सेवाओं के माध्यम से उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार करने, (5) गन्ना विकास कर्मचारियों तथा गन्ना उत्पादकों आदि को प्रशिक्षण देने की चालू नीति अगले वर्ष भी जारी रहेगी तथा रेटून व्यवस्था पर अधिक बल दिया जायेगा।

(घ) 1981-82 में गन्ने का 1836.4 लाख मीटरी टन के अनुमानित उत्पादन से 1984-85 तक 2150 लाख मीटरी टन तक करने का प्रस्ताव है।

बैल गाड़ी के पहिये का सुधरा हुआ डिजाइन प्राप्त करना

1228. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया से बैल गाड़ी के पहिये का सुधरा हुआ डिजाइन प्राप्त कर लिया है जैसा कि संसद में घोषणा की गई थी, और यदि हां, तो मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में 10 सितम्बर, 1982 के फार ईस्टर्न इकनामिक रीव्यू, में प्रकाशित श्री एम० के० टिकू की समाचार रिपोर्ट को देखा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हां, श्रीमान । मेलबोर्न विश्वविद्यालय के श्री फेन जेरांड द्वारा विकसित किए गए पहिये से संबंधित ब्यौरा आस्ट्रेलिया उच्चायोग ने दिया है। इसकी जांच कर ली गई है और यह सीमित प्रयोग के लिए उपयुक्त पाया गया है । तथापि, प्रयोगात्मक परीक्षणों के लिये अधिक सूचना की आवश्यकता है । इस बारे में श्री जेरांड से सम्पर्क स्थापित किया गया है । सूचना की अभी भी प्रतीक्षा है । यह उल्लेख किया गया है कि श्री जेरांड अभी भी पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले प्रस्तावित पहियों पर परीक्षण कर रहे हैं । इसमें हवा के कम दबाव वाले ट्यूब के साथ ट्रक टायर का उपयोग या कठोर नारियल की जटा युक्त लकड़ी के पहिये के धुरे का उपयोग किया जाता है, और जी० आई० पाईप के बने हुये गोल बियरिंग को इस्पात की गोल छड़ों से पृथक कर दिया है ।

(ख) जी हां, श्रीमान । सरकार को, फार ईस्टर्न इकनामिक रिव्यू के 10-16 सितम्बर, 1982 के अंक में प्रकाशित श्री टिकू के लेख की पूर्ण जानकारी है ।

नई चीनी नीति

1229. **श्री वी० वी० देसाई** :

श्री टी० आर० शमन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चीनी का बहुत अधिक उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि घरेलू उपभोग को बढ़ाने और गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से वर्ष 1982-83 के लिये नई चीनी नीति तैयार की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस नई चीनी नीति की मुख्य विशेषताएं क्या होंगीं और क्या यह नीति चीनी उद्योग, गन्ना उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी करेगी;

(घ) क्या सरकार ने कृषि मूल्य आयोग के साथ परामर्श करके और राज्य सरकारों द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसरण में नई चीनी नीति के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो नई नीति के कब तक घोषित किये जाने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 1981-82 मौसम में चीनी का उत्पादन सभी समय के रिकार्ड स्तर से अधिक 84 लाख मीटरी टन पर पहुंच गया है। पहले सबसे अधिक उत्पादन 1977-78 में 64.62 लाख मीटरी टन हुआ था।

(ख) से (ङ) सरकार चीनी वर्ष 1982-83 की चीनी नीति पर सक्रियता से विचार कर रही है।

केन्द्रीय सरकार गन्ने का केवल सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। गन्ने के वास्तविक मूल्य, जोकि चीनी मिलें गन्ना उत्पादकों को देती हैं, सप्लाई और मांग की बाजार शक्तियों द्वारा निश्चित किए जाते हैं ?

चीनी की उपलब्धता, बाजार में चल रहे मूल्य और प्रत्याशित मांग को ध्यान में रखते हुए, घरेलू खपत के लिए आवश्यक चीनी की मात्रा मासिक आधार पर निर्मुक्त की जाती है।

कावेरी जल विवाद

1230. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कावेरी जल विवाद के हल के लिए बंगलौर में 14 सितम्बर, 1982 को फिर से चर्चा आरम्भ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वह भी कावेरी बेसिन के चार राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो चर्चा का ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) कावेरी के जल के संबंध में केन्द्रीय सिंचाई मंत्री द्वारा 4 सितम्बर, 1982 को बंगलौर में मुख्य मंत्रियों की बुलाई गयी अन्तर्राज्यीय बैठक आयोजित नहीं हो सकी थी।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने की योजनाएं शुरू करना

1231. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने के लिए क्या योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) ये योजनाएं कब से शुरू की गई हैं;

(ग) उन योजनाओं को सफलता से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण विकास मंलालय द्वारा गरीबी हटाने के लिए ये मुख्य योजनाएं शुरू की गई हैं :–(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा (2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 1978-79 के दौरान चुने खण्डों में शुरू किया गया था। 2.10.1980 से इस योजना को देश के सभी खण्डों में लागू कर दिया गया है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था तथा 1980-81 में इस कार्यक्रम का नाम बदल कर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम रख दिया गया था।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। योजनाएं तैयार करने के लिए एजेंसी स्तर पर आयोजना दल सुलभ किये गये हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये खण्ड स्तरीय प्रशासन को मजबूत बनाया जा रहा है जिसके लिए इस मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम पर प्रभावी रूप से निगरानी रखने के लिये निगरानी कक्षों की स्थापना की जा रही है। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिये कई अन्य कदम उठाये गये हैं जिसमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण, क्षेत्रीय दौरे तथा कार्य-निष्पादन से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट भी शामिल हैं।

(घ) 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति को दर्शाने वाले विवरण-I व 2 सभा पटल पर रखे जाते हैं।

विवरण-I

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति (अनन्तिम)

वर्ष	व्यय (लाख रुपये में)	जुटाया गया आवधिक ऋण (लाख रुपये में)	लाभभोगी (संख्या)
1980-81	15,624.34	23,662.84	27,82,755
1981-82	26,259.45	48,464.72	28,29,393
1982-83 (जुलाई, 1982 तक)	3,336.26	4,586.56	4,85,299* *(अगस्त, 1982 तक)

विवरण-2

1980-81 से 1982-83 तक काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की प्रगति

क्रम सं०	मद	1980-81	1981-82	1982-83 (जून 82 के अंत तक)
1.	गत वर्ष का अधिशेष			
	(क) नकद निधियां (लाख रुपये में)	—	96.42	154.69 (194.82 को बचे खाद्यान्नों का मूल्य भी शामिल है)
	(ख) खाद्यान्न (लाख मीटरी टनों में)	6.68	1.93	
2.	बंटित नकद निधियां (करोड़ रुपये में)	127.40	333.08*	180.02*
3.	बंटित खाद्यान्न (लाख मीटरी टनों में)	12.88	3.12	1.56
4.	संशोधनों की उपलब्धता :			
	(क) नकद निधियां (लाख रुपये में)	127.40	429.50	334.71
	(ख) खाद्यान्न (लाख मीटरी टनों में)	19.56	5.05	1.99
5.	उपयोगिता :			
	(क) नकद निधियां (लाख रुपये में)	30.97	290.99	43.01
	(ख) खाद्यान्न (लाख मीटरी टनों में)	13.33	2.08	अप्राप्य
6.	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)	4208.11	3588.91	789.91

(1) *इसमें राज्यों का अंश तथा उठाए गए खाद्यान्नों का मूल्य शामिल है जिसे उपलब्ध नकद निधियों में से वहन किया जाता है।

(2) 1982-83 में संशोधनों का बंटन केवल प्रथम तिमाही से संबंधित है।

उत्तरी कोलाब, इन्द्रावती तथा सुवर्णरेखा नदी घाटी परियोजनाओं के आवास क्षेत्र में किए गए भूमि संरक्षण उपाय

1232. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को उत्तरी कोलाब, इन्द्रावती और सुवर्ण-रेखा नदी घाटी परियोजनाओं के आवास क्षेत्रों में भूमि संरक्षण उपाय किए जाने के सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) क्या उपयुक्त योजना की मंजूरी सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो भूमि संरक्षण की योजना को केन्द्र सरकार द्वारा कब तक मंजूर किए जाने की आशा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं के सुवर्ण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित मृदा संरक्षण की योजना उन्हीं सुवर्ण क्षेत्रों में जारी है जिनमें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन हो रहा था। धनराशि की कमी होने और पहले से उपचार किए जा रहे सुवर्ण क्षेत्रों में अभी शेष कार्य के पूरा न होने के कारण इसमें नए सुवर्ण क्षेत्र शामिल नहीं किये गये हैं। यद्यपि उड़ीसा सरकार ने प्रश्न के भाग (क) में उल्लखित सुवर्ण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए 1981 में योजना भेजी थी, किंतु उन पर विचार नहीं किया जा सका।

काजू का उत्पादन बढ़ाया जाना

1233. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा काजू का उत्पादन बढ़ाने हेतु हाल में क्या कदम उठाए गए;

(ख) इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा काजू उत्पादक राज्यों को क्या मार्गदर्शी निदेश भेजे गए हैं;

(ग) उन राज्यों को इस प्रयोजन के लिए पिछले दो वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) काजू के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) काजू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पैकेज कार्यक्रम सम्बन्धी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना काजू पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों में चालू है।

(2) देश में काजू के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 38.36 करोड़ रुपए की बहु-राज्य काजू परियोजना चालू है।

(ख) (1) योजना की स्वीकृति सहित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं।

(2) काजू निदेशालय के निदेशक समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं तथा मौके पर उनका मार्गदर्शन करते हैं।

(3) कुछ राज्यों को काजू विकास सम्बन्धी परियोजनाएं तैयार करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 1980-81 और 1981-82 के दौरान वर्षवार किया गया वित्तीय आवंटन नीचे दिया गया है :—

(रुपए लाखों में)

क्र० सं०	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम	1980-81		1981-82	
		आवंटित धनराशि	केन्द्रीय सहायता	आवंटित धनराशि	केन्द्रीय सहायता
1.	केरल	25.997	12.998	36·24	24.42
2.	कर्नाटक	8.477	4.738	17.76	11.58
3.	आंध्र प्रदेश	13.235	6.617	27.00	14.85
4.	महाराष्ट्र	3.867	1.933	4.65	3.22
5.	पश्चिम बंगाल	1.155	0.577	1.69	1.07
6.	उड़ीसा	22.809	11.404	55.44	28.62
7,	तमिलनाडु	15.301	7.650	25.40	15.40
8.	संघ शासित प्रदेश गोवा	7.697	7.697	10.60	10.60
9.	त्रिपुरा	—	—	0.52	0.26
	कुल :	99.538	53.614	179.30	110.02

आवास योजनाओं के लिये केरल सरकार द्वारा मांगी गई जीवन बीमा निगम/सामान्य बीमा निगम ऋण सहायता

1234. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :**

श्री ई० बालानन्दन : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा सामाजिक, ग्रामीण और सामान्य आवास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से मांगी गई जीवन बीमा निगम/सामान्य बीमा निगम ऋण सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त अनुरोध पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1982-83 के दौरान केरल सरकार से जीवन बीमा निगम/सामान्य बीमा निगम ऋण के लिये प्राप्त अनुरोध निम्न प्रकार हैं :—

(लाखों रुपयों में)

जीवन बीमा निगम		सामान्य बीमा निगम	
सामान्य आवास के लिये	ग्रामीण आवास के लिये	योग	
600,00	400.00	1000.00	1000.00

(ख) अन्य राज्यों से प्राप्त इसी प्रकार के अनुरोधों के साथ केरल सरकार के अनुरोध पर कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही नियतन कर दिया जाएगा ।

केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में केरल सरकार के समक्ष आने वाली कठिनाइयां

1235. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सामग्री की कीमतों में वृद्धि हो जाने, अनुमानों में बताई गई सामग्री के अभाव अथवा अनुपलब्धता, सीमेंट और इस्पात के अभाव आदि के कारण केंद्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को केंद्रीय सरकार के ध्यान में लाया है; और

(ख) यदि हां, तो उन कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। इस मंत्रालय को त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के मूल आक्कलन संशोधन करने हेतु कई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

(ख) तिविदा, अधिक्रय, सामग्री, मशीनरी तथा उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि या मूल आक्कलन के समय दी गई सामग्री की किस्म का उपलब्ध न होना तथा वास्तविक निष्पादन के दौरान स्वीकृत आक्कलन में परिवर्तन तथा संशोधन, मूल आक्कलन में संशोधन करने के कारण बताये गये हैं।

पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और इस कार्यक्रम के लिये प्रावधान राज्य बजट में किया जाता है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है।

अधिक से अधिक समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभांवित करने के लिये और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये राज्यों को जल पूर्ति मुहैया कराने के लिये अधिक लागत की योजनाओं के बदले में कम लागत वाले हल निकालने का सुझाव दिया गया है। त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के लिये निधियां सीमित हैं और राज्यों को इनका नियतन किया गया है। इन परिस्थितियों में राज्य को कहा गया है कि वे अपनी ही निधियों से पहले ही स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी वृद्धि को स्वयम् पूरा करें।

उथले (शैली) नलकूप स्थापित करने के लिए किसानों को राजसहायता

1236. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटे तथा मझौले किसानों को उनके अपने खर्चे पर उथले (शैली) नलकूप स्थापित करने के लिए राजसहायता देने की योजना समाप्त कर दी है; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि धन की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में उथले (शैली) नलकूपों द्वारा सिंचाई का विस्तार अभी भी बहुत कम है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केशर पांडेय) : (क) जी, नहीं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, उथले नलकूपों के निर्माण के लिए लघु और सीमान्त कृषकों को क्रमशः 25% और 33⅓% की सामान्य दरों पर 3000 रुपये तक अधिकतम राज-सहायता उपलब्ध है। तथापि, आदिम जाति के लाभ-भोगियों के लिए 50% तक राज-सहायता, जिसकी सीमा 5000/- रु० है, दी जाती है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए पश्चिम बंगाल में भी संस्थागत धन-राशि उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों में कृषि पुनर्वित्त विकास निगम (ए० आर० डी० सी०) द्वारा किया गया वर्ष-वार सवितरण नीचे दिया गया है :—

	(करोड़ रुपये में)
1979-80	5.36
1980-81	5.09
1981-82	5.69

कतिपय परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं मानने हेतु आंध्र प्रदेश का अनुरोध

1237. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** ; क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि आंध्र प्रदेश में नागार्जुन तथा कुछ अन्य परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनायें माना जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) आंध्र यदेश सरकार से किसी सिंचाई परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मानने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

अधिकतम सीमा से फालतू भूमि

1238. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन, अब तक पता लगाई गई, अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में सहयोग देने और अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का पता लगाने के कार्य को 1982-83 के दौरान पूरा करने के लिए कहा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । राज्य सरकारों से 20-सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में अनुरोध किया गया है कि वे सभी प्रशासनिक तथा कानूनी अड़चनों को हटाकर लम्बित पड़े अधिकतम सीमा संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान करें तथा अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का शीघ्र वितरण करें ।

विवरण

(एकड़ में)

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक अधिकतम सीमा से फालतू पाई गई भूमि (संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अंतर्गत जनवरी, 1982 से फालतू घोषित क्षेत्र)
आंध्र प्रदेष	—
असम	3,052
बिहार	901
गुजरात	17,310
हरियाणा	1,426
हिमाचल प्रदेश	—
जम्मू और काश्मीर	—
कर्नाटक	14,392
केरल	5,537
मध्य प्रदेश	455
महाराष्ट्र	—
मणिपुर	—
उड़ीसा	849
पंजाब	299
राजस्थान	—
तमिलनाडु	2,078
त्रिपुरा	—
उत्तर प्रदेश	2,974
पश्चिम बंगाल	3,946
दादर और नगर हवेली	—
दिल्ली	—
पाण्डिचेरी	40
योग :	51,259

राज्यों को लेवी चीनी देना

1239. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीने के दौरान केन्द्र ने प्रत्येक राज्य को प्रति मास कितनी लेवी चीनी आवंटित और वितरित की;

(ख) प्रत्येक राज्य को दी गई खुली बिक्री की चीनी के मासिक कोटे संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बाढ़ ग्रस्त राज्यों को चीनी का कोई अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पिछले 6 मास अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, 1982 तक उचित मूल्य की दुकानों से वितरण करने के लिए लेवी चीनी राज्यवार आवंटित मासिक कोटों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है। जहां तक उचित मूल्य की दुकानों से लेवी चीनी के वितरण का सम्बन्ध है, इसकी जिम्मेदारी पूर्णतया राज्य सरकारों की है।

19 राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन चीनी फैक्ट्रियों से आवंटित चीनी को उठाने की अपने आप व्यवस्था करते हैं जबकि शेष 12 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बारे में भारतीय खाद्य निगम यह कार्य करता है। मूल बैधता अवधि की समाप्ति के बाद लेवी चीनी आवंटन आदेशों की बैधता अवधि भी समय-समय पर बढ़ा दी जाती है ताकि समूची आवंटित मात्रा को उठाया जा सके।

(ख) खुली बिक्री की चीनी का राज्यवार मासिक आवंटन नहीं किया जाता है क्योंकि मौजूदा आंशिक नियन्त्रण की नीति के अधीन चीनी फैक्ट्रियां प्रत्येक मास उन्हें आवंटित खुली बिक्री की चीनी की मात्रा को देश के किसी भी राज्य के लाइसेंसशुदा व्यापारियों को बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं। देश के लिए आवंटित खुली बिक्री की चीनी का मासिक कोटा अप्रैल, 1982 के लिये 1.40 लाख मीटरी टन, मई, 1982 के लिये 1.50 लाख मीटरी टन, जून और जुलाई, 1982 के प्रत्येक मास के लिये 2.00 लाख मीटरी टन, अगस्त, 1982 के लिये 3.00 लाख मीटरी टन और सितम्बर, 1982 के लिये 3.30 लाख मीटरी टन था।

(ग) बाढ़ से प्रभावित राज्यों के लिये चीनी का कोई अतिरिक्त कोटा नहीं दिया गया है। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को अक्तूबर-नवम्बर, 1982 में पड़ने वाले त्यौहारों के अवसर पर वितरण के लिये 50,000 मीटरी टन लेवी चीनी का त्यौहार कोटा जारी किया गया है।

विवरण

पिछले 6 महीनों के दौरान अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, 1982 तक राज्यवार आवंटित लेवी चीनी के मासिक कोटे

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अप्रैल से सितम्बर, 1982 के दौरान आवंटित मासिक कोटा (मीटरी टन में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	22696
2.	असम	8469
3	मिजोरम	207
4.	बिहार	29675
5.	गुजरात	14433
6.	हरियाणा	5462
7.	हिमाचल प्रदेश	1801
8.	जम्मू और कश्मीर	2542
9.	केरल	10796
10.	मध्य प्रदेश	22156
11.	महाराष्ट्र	26645
12.	कर्नाटक	15743
13.	नागालैण्ड	340
14.	उड़ीसा	11166
15.	पंजाब	7085
16.	राजस्थान	14494
17.	तमिलनाडु	20526
18.	उत्तर प्रदेश	47111
19.	पश्चिमी बंगाल	23156
20.	अण्डमान तथा निकोबार	190
21.	चण्डीगढ़	275

1	2	3
22.	दादर तथा नगर हवेली	44
23.	दिल्ली	6104
24.	गोआ, दमन तथा दीव	470
25.	लक्षद्वीप	65
26.	मणिपुर	609
27.	मेघालय	564
28.	अरुणाचल प्रदेश	267
29.	पांडिचेरी	257
30.	त्रिपुरा	876
31.	सिक्किम	134
	जोड़ :	294348

कैफियत :— इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए थोड़ी सी मात्रा आवंटित की गई थी इत्यादि ।

मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता

1240. **श्री सुभाष यादव :**

स्वामी इन्द्रवेश : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितनी भूमि में सिंचाई की सुविधा है और कितनी भूमि में सिंचाई की सुविधा नहीं है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सिंचाई क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए नई परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) मध्य प्रदेश में अधिक भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कृषि मंत्रालय के अर्थ-शास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय द्वारा एकत्र तथा संकलित किए जाते हैं । अद्यतन

(1978-79 के अनन्तिम) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में सकल सिंचित क्षेत्र 2.413 मिलियन हैक्टेयर था और सकल असिंचित क्षेत्र 19.334 मिलियन हैक्टेयर था ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने 1982-83 के लिए 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है ।

(ग) यह अनुरोध विचाराधीन है ।

रिजर्व बैंक द्वारा शीर्षक बैंकों को ऋण दिया जाना

1241. **श्री उत्तम राठौर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक कृषकों को रियायती दरों पर ऋण देने के लिये शीर्ष बैंकों को उधार देता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सहायक बैंक, जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक समितियां कृषकों से अपनी स्वयं की दरों से ब्याज लेती हैं जिसके परिणामस्वरूप कृषकों को अधिक ऊंचे दर का ब्याज देना पड़ता है; और

(ग) क्या इन तीनों एजेंसियों को कृषकों द्वारा अदा किए जाने वाले ब्याज की दरें कम करने के लिए कहे जाने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां । भारतीय रिजर्व बैंक, अब नेबार्ड, कृषि कार्यों के लिये प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से ऋण प्रदान करने हेतु बैंक दर 3 प्रतिशत कम रियायती ब्याज की दर पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से शीर्ष बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधाएं उपलब्ध करता है ।

(ख) नेबार्ड ने कृषकों को दिये जाने वाले कृषि ऋणों पर ब्याज की अधिकतम दर भी निर्धारित की है । अत: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे अन्तिम कर्जदार से नेबार्ड द्वारा निर्धारित की गई दर से स्वेच्छा से अधिक ब्याज वसूल करें ।

(ग) अब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अन्न बचाओ अभियान

1242. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां "अन्न बचाओ अभियान दल" किसानों को भारतीय खाद्यान्न भण्डारण संस्थान, हापुड़ द्वारा विकसित की गई वैज्ञानिक भण्डारण प्रणालियां अपनाने के लिए जानकारी देने और राजी करने हेतु कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन दलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या उनका कार्यचालन संतोषजनक है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार करने हेतु 17 अन्य सुरक्षा अभियान दल कार्यरत हैं। इन दलों के स्थान और जिन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में ये दल कार्य कर रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

क्र० सं०	स्थान	जिन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्य किया जा रहा है।
1.	अहमदाबाद	गुजरात
2.	बंगलौर	कर्नाटक
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
5.	कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा
6.	चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़
7.	गौहाटी	असम, मणिपुर और मेघालय
8.	गाजियाबाद	हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली
9.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
10.	जयपुर	राजस्थान
11.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
12.	मद्रास	तमिलनाडु और पांडिचेरी
13.	पटना	बिहार
14.	पूना	महाराष्ट्र और गोआ, दमन और दीव
15.	रायपुर	मध्य प्रदेश
16.	त्रिवेन्द्रम	केरल
17.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

थ्रेशर दुर्घटनाओं के लिए कानून

1243. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

श्री निहाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय पर ध्यान दिया है जिसमें उन्होंने केन्द्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला है कि खेतिहर मजदूरों को बिना सुरक्षात्मक उपायों के बिजली के थ्रेशरों पर काम करते समय घायल होने और शरीर के अंग कटने से बचाने के लिए कानून बनाया जाये;

(ख) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान सारे देश में थ्रेशरों से घायल होने और अंग कटने वाले खेतिहर मजदूरों का कोई निर्धारण किया है;

(ग) क्या इस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे इन खेतिहर मजदूरों को ऐसी घटना घटने पर मुआवजा या चिकित्सा मिल सके;

(घ) क्या सरकार खेतिहर मजदूरों को वर्तमान कठिनाई से बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार एक केन्द्रीय कानून बनायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। स्वीकृत सुरक्षा के उपायों से युक्त विद्युत थ्रेशरों के विनिर्माण, बिक्री और प्रयोग को विनियमित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की गई है। 1980-81 के दौरान 799 व्यक्ति घायल हुए थे जबकि 1981-82 में 988 व्यक्ति घायल हुए और 3 व्यक्ति मारे गये। थ्रेशरों से सामान्य तौर पर लोग गम्भीर रूप से घायल होते हैं जिसके फलस्वरूप एक या एक से अधिक अंगों को नुकसान पहुंचता है।

(ग) बिजली से चलने वाले थ्रेशरों के काम में लगे कृषि मजदूर "कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923" के तहत मुआवजे के भुगतान के लिए हकदार हैं। यद्यपि घायल मजदूरों की डाक्टरी चिकित्सा के लिये अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु उनके लिये सार्वजनिक डिस्पेंसरियों तथा अस्पतालों में सुविधाएं सुलभ हैं।

(घ) उपरोक्त (क) के उत्तर के अनुसार।

(ङ) संसद के बजट अधिवेशन में बहस के लिये एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है।

20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वियन

1244. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारें, सरकार के 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही हैं;

(ख) ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये प्रत्येक राज्य को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि अभी तक ऐसा कोई निगरानी सैल गठित नहीं किया गया है जो इस कार्यक्रम को कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अब तक प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन कर सके;

(घ) क्या हाल ही में (27 अगस्त, 1982 को) दिल्ली में हुये एक सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि सरकार को चाहिये कि वह इस कार्यक्रम की संभावी योजनायें और वार्षिक कार्य योजनायें तैयार करें तथा भौतिक जांच और प्रभाव मूल्यांकन करे;

(ङ) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ग) कार्यक्रम की निगरानी की जिम्मेदारी विभिन्न स्तरों पर सौंपी गई है तथा योजना आयोग को एक मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी जाती है। बहुत से राज्यों ने राज्य स्तर पर निगरानी सैल स्थापित किये हैं और इस प्रयोजन के लिये वित्तीय सहायता मंत्रालय द्वारा दी जाती है ।

(घ) से (च) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रबोधन के लिये 24 तथा 25 अगस्त, 1982 को एक सम्मेलन हुआ था । कार्यों की सूची की पुनरीक्षा करना विशेषकर संभावी योजनायें और वार्षिक कार्य योजनायें तैयार करना और परिसम्पत्तियों की भौतिक जांच करना, प्रभाव-मूल्यांकन आदि करना जैसी मदें सम्मेलन के एजेन्डा में शामिल थीं । इस बारे में कार्यों की अन्तिम सूची मन्त्रालय द्वारा तैयार की गई थी तथा राज्य सरकार से समय सूची की अनुपालन करने के लिये अनुरोध किया गया था ताकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में सुधार लाया जा सके ।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1980-81		1981-82	
		केन्द्रीय आबंटन	बंटन	केन्द्रीय आबंटन	बंटन
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	810.00	715.39	972.00	1434.765
2.	असम	335.00	26.60	402.00	148.50
3.	बिहार	1467.50	551.59	1761.00	1249.06
4.	गुजरात	545.00	466.87	654.00	508.75
5.	हरियाणा	217.50	161.15	261 00	299.95
6.	हिमाचल प्रदेश	172.50	167.55	207.00	176.10
7.	जम्मू और कश्मीर	187.50	59.05	225.00	180.07
8.	कर्नाटक	437.50	376.86	525.00	360.30
9.	केरल	360.00	351.66	432.00	371.54
10.	मध्य प्रदेश	1145.00	708.94	1374.00	1374.00
11.	महाराष्ट्र	740.00	715.7875	888.00	593.02
12.	मणिपुर	65.00	32.50	78.00	13.50
13.	मेघालय	60.00	13.23	72.02	16.50
14.	नागालैण्ड	52.50	73.42	63.00	63.00
15.	उड़ीसा	785.00	680.34	942.00	731.19
16.	पंजाब	292.50	277.50	351.00	351.00
17.	राजस्थान	590.00	580.00	696.00	676.09
18.	सिक्किम	10.00	3.00	12.00	6.00
19.	तमिलनाडु	942.50	655.749	1131.00	1272.76
20.	त्रिपुरा	42.50	41.26	51.00	50.00
21.	उत्तर प्रदेश	2190.00	1407.657	2626.00	2513.58
22.	पश्चिम बंगाल	857.50	42.08	1005.00	39.84

1	2	3	4	5	6
	केन्द्र शासित क्षेत्र :				
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	25.00	—	30.00	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	240.00	52-00	288.00	130.00
25.	चण्डीगढ़	5.00	5.00	8.00	...
26.	दादर और नगर हवेली	5.00	—	6.00	—
27.	दिल्ली	2 .00	17.83	30.00	30.00
28.	गोवा, दमन और दीव	30.00	52.00	72.00	72.00
29.	लक्षद्वीप	25.00	3.00	30.00	—
30.	मिजोरम	100.00	15.00	120.00	60.00
31.	पाण्डिचेरी	20.00	6.66	24,00	23.40
	योग :—	12780.00	82580.4535	15336.00	12844.935

वर्तमान कृषि उत्पादन के सम्बंध में विशेषज्ञों के विचार

1245. **श्री वाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रारम्भ में सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों में अल्पावधि के भीतर तैयार होने वाली दालों और खाद्य तेलों की बीजाई से, उत्पादन कमी को पूरा करने के प्रयत्नों के बावजूद. कृषि विशेषज्ञों का विचार है कि पिछले वर्ष के 80 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में इस वर्ष खरीफ का उत्पादन बहुत कम होगा;

(ख) यदि हाँ. तो क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिए निर्धारित 80 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के अपने लक्ष्य को संशोधित कर दिया है अथवा करने का विचार है; और

(ग) किन कारणों से विशेषज्ञों ने यह महसूस किया है कि इस वर्ष उत्पादन कम होगा और उत्पादन को कम से कम 1981 के स्तर तक लाने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ का उत्पादन कम होने की संभावना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) अनेक राज्यों में खराब मानसून तथा दक्षिण-पश्चिमी मानसून मौसम के पुर्व एवं अंतिम चरणों में लम्बे अर्से तक सूखे की स्थिति रहने तथा देश के कुछ भागों में बाढें आने से इस

वर्ष खरीफ के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति से निपटने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के विभागों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे और उनसे स्थिति पर निरन्तर नजर रखने तथा किसानों को सहायता देने के लिये समय पर कार्रवाई करने के लिये उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध किया है। उठाये गये कुछ कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) नहरों में सिंचाई के पानी को योजनाबद्ध रूप से छोड़ना एवं नियंत्रित करना ताकि सामुदायिक नर्सरियों को लगाने तथा खरीफ फसलों की वृद्धि के नाजुक चरणों के दौरान पानी की उपलिब्ध को सुनिश्चित किया जा सके, (ख) नर्सरी के पौधों की बढ़ोत्तरी तथा फसलों की बढ़ोत्तरी के नाजुक चरणों के दौरान सिंचाई-उद्देश्यों के लिये डीजल तथा बिजली की उपलब्धि, (ग) सिंचित भूमि में सामुदायिक नर्सरियों का व्यापक कार्यक्रम ताकि मानसून आरम्भ होने के साथ ही असिंचित क्षेत्रों में किसानों को धान की पौध उपलब्ध हो सके, (घ) बीजों की सप्लाई तथा पहली फसल के खराब हो जाने तथा मौसम के बीच में तालमेल करके वैकल्पिक फसल उगाने के लिये वैकल्पिक फसलों के बीजों की उपलब्धि को सुनिश्चित करने हेतु आनुषंगिक योजना बनाना, (ङ) उन क्षेत्रों में धान लगाने के लिये किसानों को हतोत्साहित करना जहां वर्षा सुनिश्चित नहीं है, (च) सूखे की स्थिति में ऋणों की उपलब्धि तथा अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन करना, (छ) राजकीय नलकूपों, नहरों, जल वितरण नालियों आदि की मरम्मत करके उन्हें चालू करने के लिये व्यापक अभियान, (ज) विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में नलकूपों एवं पम्पसेटों को चलाने के उद्देश्य से बिजली तथा डीजल की सप्लाई बढ़ाने के लिये ऊर्जा तथा पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालयों पर दबाव डाला गया है तथा (झ) कृषि और सहकारिता विभाग, केन्द्रीय जल आयोग तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अधिकारियों से गठित केन्द्रीय दलों ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात के चुनींदा जिलों का दौरा किया ताकि स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके और उपचारात्मक उपाय सुझाये जा सकें।

धान के वसूली मूल्य के बारे में कर्नाटक की सिफारिश

1246. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक ने 1982-83 के मौसम के लिए धान का वसूली मूल्य 145 रुपये प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने पिछले वर्ष की कृषि आयोग द्वारा निर्धारित धान के 115 रुपये प्रति क्विंटल वसूली मूल्य के अतिरिक्त किसानों को 10 रुपये बोनस के रूप में दिये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को सलाह दे रही है कि वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये स्तरों से अधिक समर्थन मूल्य घोषित न करें। यह नीति सम्पूर्ण राष्ट्रीय हित में उचित समझी जाती है।

तालकटोरा में तरनताल

1247. **श्री एन० के० शेजवलकर :**

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तालकटोरा में तरनताल, मूलतः "इनडोर" तरनताल के रूप में बनाया गया था लेकिन बाद में, उसे ढकने के लिये किये गये बड़े निर्माण कार्य के बाद, उस निर्माण को हटा दिया गया है और उसे एक खुला तरनताल बनाया गया है जिसमें लाखों रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया और इस चूक तथा हानि के लिये कौन जिम्मेवार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह तरनताल भी अन्तर्राष्ट्रीय खेल आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बनाया गया है और इसमें अनेक परिवर्तन करने और विभिन्न दोष दूर करने के बाद इसका पुनर्निर्माण किया जायेगा; और

(घ) इसका गलत डिजाइन पास करने और दोबारा लाखों की हानि के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार था, और यदि इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मूल प्रस्ताव यह था कि तालकटोरा गार्डन में नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा बनाया जाने वाला तरणताल एक अंतरंग तरणताल होना चाहिए। छत को छोड़ देने का निर्णय छत के ढांचे के किसी बड़े निर्माण कार्य को शुरू करने से बहुत पहले ले लिया गया था।

(ख) तैयार किए गए डिजाइन के अनुसार छत का ढांचा जटिल प्रकृति का था। छत के ढांचे की दूसरी बार जांच करने पर यह पाया गया था कि इसमें कुछ संशोधन करना अपेक्षित होगा। ढांचे की जटिल प्रकृति तथा प्रस्तावित संशोधनों को देखते हुए यह महसूस किया गया था कि नवम् एशियाई खेलों के शुरू होने से पहले ढके हुए तरणताल के निर्माण कार्य को पूरा करना सम्भव नहीं होगा। एशियाई खेलों में तैराकी क्योंकि एक अत्यावश्यक खेल

हैं और खुले तरणताल से एशियाई खेलों की आवश्यकताएं अच्छी तरह से पूरी हो जायेंगीं, अतः एक खुला तरणताल बनाने का निर्णय लिया गया था।

(ग) और (घ) यह सही नहीं है कि नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्मित तरणताल से अन्तर्राष्ट्रीय खेल आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। तथापि, कुछ कठिनाइयां प्रकाश में आई जिन पर काबू पा लिया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका, जो निर्माण एजेंसी है तथा जिसने वास्तुकार परामर्शदाता को प्रतियोगिता के जरिए कार्य के लिए रखा है, इस मामले की उपयुक्त समय पर जांच करेगी।

लद्दाख में खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की कमी

1248. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा के मौसम के बाद पहले महीने में लगभग एक हजार ट्रक, खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई लेकर लद्दाख जाते हैं लेकिन इस वर्ष उस अवधि में केवल 50 ट्रक लद्दाख जा सके, जिसके परिणामस्वरूप वहां खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की अत्यधिक कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसा न हो, सरकार का क्या पूर्वोपाय करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

छोटा नागपुर में पूरी की गई सिंचाई परियोजनाएं

1249. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना और पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान छोटा नागपुर के उत्तर और दक्षिण डिवीजनों में पूरी की गई मध्यम दर्जे की और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई प्रत्येक मध्यम दर्जे की और बड़ी सिंचाई योजनाओं को अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) बिहार के उत्तरी तथा दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजनों से सम्बन्धित सूचना विवरण-एक और दो में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5476/82]

राजधानी में पानी, बिजली आदि से विहीन कालोनियां

1250. **श्री एन० ई० होरो** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में ऐसी कालोनियां हैं जिनमें लोग बिजली, पानी आदि के बिना अंधेरे में रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मिल मालिकों द्वारा गन्ने की खरीद न किया जाना

1251. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी मिलों के मालिकों ने गन्ना उत्पादकों से गन्ना न खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बटाला सहकारी चीनी मिल हाल में बन्द कर दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को मिली रिपोर्ट में बताया गया है कि बटाला सहकारी चीनी मिल ने 15.7.1982 को अपना मौसमी पेराई कार्य बंद किया था और इसका नये मौसम में 15.11.1982 को पेराई कार्य शुरू करने का विचार है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में अबैध रूप से काटे गए पेड़ों के मामले की जांच

1252. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक केन्द्रीय राज्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अबैध रूप से पेड़ काटने के मामले की जांच करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाई का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। तथापि, विगत में वृक्षों की अवैध कटाई की रिपोर्टें मिली थीं, जो राज्य सरकार को भेज दी गयी थीं।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आमतौर पर कार्यकारी योजनाओं के आदेशों के तहत पेड़ों की कटाई की जाती है। तथापि, क्षेत्रों के गलत अकन तथा सीमांकन के कारण गैर-सरकारी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई के मामले में कुछ अनियमितताएं हुई हैं। चूक करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है और बहुत से मामले न्यायालयों में लम्बित हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में एशियाई खेलों के टिकटों की बिक्री का काउंटर

1253. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में एशियाई खेलों के टिकटों की बिक्री के लिए कोई काउन्टर नहीं खोला गया है जिसके परिणामस्वरूप इस महान समारोह को देखने के इच्छुक बहुत से विद्यार्थियों को टिकट नहीं मिल सके तथा विद्यार्थी समुदाय में बहुत असन्तोष व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस महान समारोह को जो भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, को देखने का लाभ उठा सकें, क्या कदम उठाये जायेंगे ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एशियाई खेल, 1982 के लिये विशेष आयोजन समिति, ने खेलों के लिये केवल छात्रों और सुरक्षा कर्मचारियों को ही रियायती टिकटें देने का निर्णय किया है। रियायती टिकटें खरीदने वाले छात्रों के लिये प्रति छात्र टिकटों की बिक्री प्रति खेल/समारोह प्रति स्टेडियम में प्रति खेल दिवस एक टिकट और एक स्टेडियम में एक खेल के सभी दिनों के लिये कुल तीन टिकटों तक सीमित कर दी गयी थी। उद्घाटन और समापन समारोहों के लिये दिल्ली में इन समारोहों के लिये छात्र एक-एक टिकट के हकदार थे। दिल्ली में छात्रों को दो टिकटें संस्था के प्रधान द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र/पहचान पर्चियां प्रस्तुत करने पर ही एक अगस्त, 1982 से निम्नलिखित 9 सार्वजनिक बिक्री केन्द्रों में पृथक काउन्टरों पर बेची गई थीं :—

1. श्रमिक कल्याण केन्द्र, विश्वकर्मा केन्द्र, शाहदरा-110031
2. बाबू राम स्कूल, शाहदरा-110032
3. अन्तर राज्यीय बस अड्डा, काश्मीरी गेट के बाहर, दिल्ली-110006
4. दिल्ली नगर निगम, सामुदायिक केन्द्र, आजादपुर, दिल्ली-110033
5. नई दिल्ली नगर पालिका, सामुदायिक केन्द्र, बावर रोड, बंगाली मार्केट के पास नई दिल्ली-110002
6. बापू सेवा समाज सदन, सामुदायिक भवन, पंचकुइया रोड, नई दिल्ली-110001
7. दिल्ली नगर-निगम, सामुदायिक केन्द्र, एन० डी० एस० ई०-11, नई दिल्ली-110049
8. नई दिल्ली नगर पालिका, सामुदायिक केन्द्र, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली-110003
9. श्रमिक कल्याण केन्द्र, करमपुरा, दिल्ली-110015

निजी भूमि सम्पत्ति पर सीमा

1254. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में निजी भूमि सम्पत्ति पर इस समय भूमि सीमा कितनी है;

(ख) देश में राज्यवार अब तक घोषित कुल फालतू भूमि कितनी है; और

(ग) अब तक राज्यवार कितनी फालतू-भूमि वितरित की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है ।

(ख) व (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है ।

विवरण–I

भूमि की अधिकतम सीमाएं

राज्य का नाम	सिंचित	असिंचित
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	10 से 27 एकड़	35 से 54 एकड़
असम	50 बीघा (16-2/3 एकड़)	50 बीघा (16-2/3 एकड़)
बिहार	15 से 25 एकड़	30 से 45 एकड़

1	2	3
गुजरात	10 से 27 एकड़	20 से 54 एकड़
हरियाणा	7.25 हैक्टेयर से 10.9 हैक्टेयर	21.8 हैक्टेयर
हिमाचल प्रदेश	10 से 15 एकड़	30 से 70 एकड़
जम्मू तथा काश्मीर	8-13/14 से 12.5 एकड़	14-12/17 से 22-8/11 एकड़
कर्नाटक	10 से 30 एकड़	54 एकड़
केरल	12 से 15 एकड़	12 से 15 एकड़
मध्य प्रदेश	18 से 27 एकड़	54 एकड़
महाराष्ट्र	18 से 36 एकड़	54 एकड़
मणिपुर	5 हैक्टेयर	6 हैक्टेयर
मेघालय	—	—
उड़ीसा	10 से 15 एकड़	30 से 45 एकड़
पंजाब	7 से 11 हैक्टेयर	20.5 हैक्टेयर
राजस्थान	18 से 27 एकड़	54 से 175 एकड़
सिक्किम	12.5 से 50 एकड़	12.5 से 50 एकड़
तमिलनाडु	12 एकड़	50 एकड़
त्रिपुरा	4 से 12 हैक्टेयर	4 से 12 हैक्टेयर
उत्तर प्रदेश	7.30 हैक्टेयर	10.95 से 18.25 हैक्टेयर
पश्चिम बंगाल	5 हैक्टेयर	7 हैक्टेयर

विवरण–2

(एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू घोषित कुल भूमि	संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत वितरित फालतू भूमि
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	8,79,881	3,16,270
असम	5,84,592	3,21,886

1	2	3
र	2,37,590	1,41,867
ात	1,49,598	8,623
ाणा	29,088	19,862
चल प्रदेश	94,187	3,344
और काश्मीर	—	—
टक	2,83,597	82,124
ा	1,23,211	53,331
प्रदेश	2,56,666	82,072
राष्ट्र	3,70,193	2,81,586
पुर	1,029	—
सा	1,37,821	1,03,974
ब	46,616	12,926
स्थान	2,61,976	1,30,974
लनाडु	81,370	60,683
ुरा	1,827	1,210
र प्रदेश	2,85,121	2,34,249
चम बंगाल	1,64,767	62,460
र और नगर हवेली	8,958	3,383
ली	722	374
डचेरी	2,560	906
योग :	40,01,370	19,22,163

अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सीमेंट की खरीद

1255. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा अन्य सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से प्रति वर्ष औसतन कितना मेंट खरीदा जाता है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय सरकार द्वारा फरवरी 1982 से लिये गये निर्माण ठेकों को पूरा करने के लिये अपेक्षित सीमेंट की पूर्ति कर सका है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा पूर्ति विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लगभग 50 लाख टन, जो कि सीधे मांगकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रचालित वार्षिक दर ठेकों के लिये निकासी पर आधारित है।

(ख) किसी भी प्रयोक्ता सरकारी विभाग। एजेंसी से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गेहूं का वसूली मूल्य

1256. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने चालू वर्ष के लिये गेहूं का वसूली मूल्य निर्धारित कर है; और

(ख) यदि हां, तो घोषित मूल्य पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : तथा (ख) सरकार ने 15-4-198 को कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार विपणन 982-83 के लिये गेहूं का वसूली मूल्य 142 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया था।

दिल्ली दुग्ध योजना/मदर डेरी द्वारा दिल्ली में ट्रालियों से दूध की बिक्री

1257. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेरी ने 1 सितम्बर, 1982 से दिल्ली में ट्रालियों की बिक्री की एक योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली/नई दिल्ली तथा पुनर्वास कालोनियों में दूध की बिक्री के लिये ट्रालियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या दूध विक्रेताओं को लाइसेंस या परमिट जारी किये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना अथवा मदर डेरी द्वारा कोई ऐसी योजना प्रारम्भ नहीं की गई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

रूसी मत्स्य पोत (ट्रालर)

1258. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और रूस के बीच भारत में इस्तेमाल के लिये मत्स्य पोत सप्लाई करने के बारे में एक करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन मत्स्य पोतों की क्षमता; वित्तीय वचनबद्धता; तकनीकी सहायता और इनके चालन के स्थल तथा अन्य सम्बन्धित सूचनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत में गहरे समुद्र में चलने वाले ऐसे मत्स्य पोत बनाने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) कुछ भारतीय शिपयार्ड कुछ श्रेणियों के गहन समुद्र के ट्रालरों का विनिर्माण पहले से ही कर रहे हैं ।

असम में चालू/अन्वेषणाधीन भूमि जल अन्वेषण योजनाएं

1259. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान असम में जिलेवार चालू अन्वेषणाधीन भूमि जल अन्वेषण योजनाओं के क्या नाम हैं;

(ख) कौन सी योजनायें अब तक पूरी हो चुकी हैं और प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितनी लागत के भू-क्षेत्र में सिंचाई किये जाने की संभावना है; और

(ग) जो अन्य योजनाएं अभी तक चालू/अन्वेषणाधीन हैं वे कब तक पूरी हो जायेंगीं और प्रत्येक योजना से कितनी अनुमानित लागत के प्रस्तावित क्षेत्र की सिंचाई होने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित, पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने असम में नवगौंग, कामरूप और दारंग जिलों में भूमिगत जल अन्वेषण की स्कीम क्रियान्वित की हैं ।

(ख) और (ग) दारंग जिले में भूमिगत जल अन्वेषण की स्कीम पूर्ण हो चुकी है । तथापि, नवगौंग और कामरूप जिलों में कार्य चल रहा है, जिससे इस क्षेत्र में संघात-एवं-घूर्णक (पर्कशन-कम-रोटरी) रिग के उपलब्ध होते ही पूर्ण हो जाने की संभावना है । कार्य की यथानुपात

आधार पर लागत नवगोंग के लिए 14.30 लाख रुपये, कामरूप के लिए 9.35 लाख रुपये और दारंग के लिए 11.00 लाख रुपये परिकल्पित की गई है ।

असम में छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि

1260. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या ग्रामीण और विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कितने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान और खेतिहर मजदूर हैं; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को पुराने और नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन असम में भूमि आवंटित की गई ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) एक विवरण (1) संलग्न किया गया है।

(ख) एक विवरण (2) संलग्न किया गया है।

विवरण-1

छोटे किसानों की संख्या	संख्या	वर्ष	स्रोत
(1 से 2 हैक्टेयर के बीच प्रचालन जोतें)	5,09,800	1976-77	कृषि गणना 1976-77
सीमान्त किसान की संख्या (1 हेक्टेयर से कम प्रचालन जोतें)	13,43,700	1976-77	कृषि गणना 1976-77
भूमिहीन किसान (भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार)	1,25,000	1974-75	ग्रामीण श्रम जांच 1974-75
कृषि श्रमिक (भूमि वाले तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार)	2,82,000	1974-75	ग्रामीण श्रम जांच 1974-75

विवरण-2

पुराने 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत	संख्या	अवधि
संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के माध्यम से असम में उन भूमिहीन श्रमिकों की संख्या जिन्हें भूमि आवंटित की गई है	1,49,449 भूमिहीन श्रमिकों को 1,72,662 एकड़ भूमि आवंटित की गई	मार्च, 1975 से जनवरी, 1977 तक
नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत असम में उन भूमिहीन श्रमिकों की संख्या जिन्हें भूमि आवंटित की गई	2,533 एकड़ भूमि आवंटित की गई	जनवरी, 1982 से जून, 1982 तक

अमाखार सिंचाई परियोजना

1261. **श्री रणजीत सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के गया जिले में अमाखार नाम की कोई सिंचाई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडेय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार के गया जिले में अमाखार सिंचाई परियोजना नाम की कोई स्कीम, योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम में रेस्टोरेंटों तथा स्नेक्स-बारों को पट्टे पर दिया जाना

1263. **श्री बी० डी० सिंह** :

श्री जगपाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम में एशियाड के लिये निर्मित रेस्टोरेन्ट तथा स्नेक्स-बार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक पट्टे पर नहीं दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और ये रेस्टोरेन्ट तथा स्नेक्स बार पट्टे पर नहीं दिये जाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन्डोर स्टेडियम परिसर में 4 रेस्टोरेन्ट तथा 40 स्नेक-बारों में से 3 रेस्टोरेन्ट और 30 स्नेक-बार पहले ही आवंटित किये जा चुके हैं। इसने यह भी सूचित किया है कि शेष रेस्टोरेन्ट व 10 स्नेक-बारों को शीघ्र ही बेचा जायेगा।

नेपाल के साथ वार्ता के लिए अधूरी पड़ी परियोजनायें

1264. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री रशीद मसूद : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के साथ वार्ता के लिए कोई परियोजना (परियोजनायें) अधूरी पड़ी हैं, जिसके/जिनके पूरा हो जाने के बाद राज्य में न केवल अधिक बिजली उत्पादन में मदद मिलेगी बल्कि इससे उत्तर प्रदेश के एक बड़े भाग में बार-बार आने वाली बाढ़ को समस्या भी हल हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं के बारे में नेपाल सरकार के साथ समझौते में देरी के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) भारत सरकार नेपाल से भारत की ओर बहने वाली सभी नदियों पर जल संसाधन विकास परियोजनाओं के बारे में नेपाल की महामहिम सरकार के साथ द्विपक्षीय बातचीत कर रही है। नेपाल में करनाली नदी (घाघरा) शारदा नदी (महाकाली) और राप्ती नदी पर बहुद्देश्यीय जल संचयन स्कीमों से सिंचाई और जल-विद्युत उत्पादन के लाभों के अतिरिक्त, नेपाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण संबंधी लाभों के होने की भी प्रत्याशा है। जल-संचयन स्थलों का प्रारम्भिक रूप से पता लगा लिया गया है। इन परियोजनाओं के आकार को निर्धारित करने तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनके अन्वेषण का कार्य प्रारम्भ करने हेतु नेपाल की महामहिम सरकार की सहमति अपेक्षित है। इसके बारे में उपयुक्त तरीके से कार्यवाही की जा रही है।

अनुसूचित जाति की सहकारी समितियों को आवंटन

1265. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1982 के अन्त तक देश में अनुसूचित जाति की सहकारी समितियों को कुल मिलाकर कितनी राशि का ऋण दिया गया है;

(ख) ऐसी कितनी समितियों को ऋण दिया गया है और उनकी श्रेणियां क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन समितियों को वित्तीय सहायता देने का कोई पेटर्न तैयार किया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जो कृषि मन्त्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग का एक कार्यकारी स्कन्ध है, ने मात्स्यकी सहकारी समितियों, जुलाहों की सहकारी समितियों तथा विपणन और परिसंस्करण समितियों, जिनमें अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य हैं, को सहायता देने के लिए असम, कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल राज्य सरकारों को, मार्च, 1982 के अन्त तक 72.148 लाख रुपये की वित्तीय सहायता निर्मुक्त की है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 30 समितियों को वित्तीय सहायता दी है, जिनमें 27 मात्स्यकी सहकारी समितियां, 2 जुलाहों की सहकारी समितियां तथा 1 फल और सब्जी विपणन समिति है।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अंशपूंजी भागीदारी, सीमान्त धनराशि सहायता, परिवहन वाहन की खरीद, गोदामों के निर्माण तथा परिसंस्करण एककों की स्थापना, राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति सहकारी निगमों/संघों द्वारा तकनीकी औरस बेंधनात्मक कक्ष की स्थापना करने के लिए राजसहायता देने तथा व्यवहार्य अध्ययन करने के लिये राजसहायता देने हेतु राज्य सरकारों के माध्यम से अनुसूचित जाति की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये एक पद्धति तैयार की है। वर्तमान परिसंस्करण एककों के पुनर्स्थापना, विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता उपलब्ध है। सहायता की संशोधित पद्धति के अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राज्यों में ऐसी सहकारी समितियों की सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता प्रदान करता है।

फलों और पशुओं को बीमा पर कानून का बनाया जाना

1266. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में फसलों और पशुओं की बीमा के लिये आगामी संसद सत्र में कानून बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनायन) : फसल तथा पशु बीमा के लिए कानून बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय सामान्य बीमा निगम की गौण कम्पनियां सम्पूर्ण देश में पशु बीमा करती हैं। भारतीय सामान्य बीमा निगम भी राज्य सरकारों के सहयोग से मार्गदर्शी आधार पर फसल बीमा करता है।

टिड्डी दल का आक्रमण

1267. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिड्डी दल के आक्रमण से देश के विभिन्न क्षेत्रों में, क्षेत्रवार कितना नुकसान हुआ;

(ख) टिड्डी दल के आक्रमण की सूचना कब मिली थी और उसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये थे; और

(ग) टिड्डी दल के आक्रमण से देश के किन भागों में फसलों और वृक्षों का नुकसान हुआ ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अभी तक देश के किसी भी भाग में टिड्डी दलों के आतंक से कोई नुकसान नही हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

हरियाणा में फसलों पर सूखे का प्रभाव

1268. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सूखे की लम्बी अवधि के कारण हरियाणा में 25 प्रतिशत फसल को नुकसान हुआ है;

(ख) क्या इस स्थिति से निपटने के लिये हरियाणा सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता मांगी गई है और इस स्थिति से निपटने के लिये केन्द्रीय सरकार का हरियाणा सरकार को कितनी सहायता देने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : हरियाणा में फसलों की सूखे से प्रभावित होने के बारे में राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

राज्यों को भेजे गए पत्र

1269. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय/विभाग द्वारा 1982 के पूर्वार्द्ध के दौरान क और ख क्षेत्रों के राज्यों को कुल कितने मूल पत्र भेजे गए और उनमें से कितने पत्र हिन्दी में तथा कितने अंग्रेजी में भेजे गए;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 में यह उपबन्ध है कि इन राज्यों को सभी मूल पत्र हिन्दी में भेजे जाएं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को मूल पत्र अंग्रेजी में भेजे गए और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इन राज्यों को मूल पत्र हिन्दी में भेजे जाएं, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि स्वीकृति

1270. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने कर्मचारियों को अधिकतम 75 महीने का वेतन अथवा फ्लैट की लागत जो भी कम हो, के बराबर मकान निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि स्वीकृत करती है ;

(ख) क्या उन सरकारी कर्मचारियों, जिनकी दस वर्ष से कम की सेवा हो, की भुगतान क्षमता उनके वेतन का 60 परसेंट लिया जाता है; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) में बतायी गई श्रेणी के किसी सरकारी कर्मचारी की 60 परसेंट भुगतान क्षमता रखते समय उनको डी० डी० ए० द्वारा बनाये गए फ्लैटों की ऊंची लागत का भुगतान करने हेतु समर्थ बनाने के लिए हाल में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में शामिल किये गये महंगाई भत्ते की भी उसके वेतन के रूप में माना जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) किसी कर्मचारी को गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम राशि 70,000/- रुपये या 75 महीनों का मूल

वेतन या मकान/फ्लैट की निर्माण लागत या कर्मचारी को की अग्रिम वापस करने की क्षमता, इसमें से जो भी कम हो, अनुमेय है।

(ख) उन कर्मचारियों के लिये जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम शेष है, ऋण को लौटाने के लिये उनके मूल वेतन का 60 प्रतिशत तक लिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

पंजीकरण की राशि पर ब्याज

1271. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवंटिती को ड्रा की तारीख के बाद से अपनी पंजीकरण की जमा राशि पर ब्याज मिलना बन्द हो जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को मांग पत्र जारी करने तथा आवंटियों को कब्जा देने में 7 महीनों से लेकर 1 वर्ष तक का समय लग जाता है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार पंजीकरण के समय से लेकर सूचना/मांग पत्र जारी करने की वास्तविक तारीख तक जमा राशि पर ब्याज देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लाटरी निकालने के बाद मांग पत्रों को जारी करने तथा आवंटियों को कब्जा देने में कोई असाधारण विलम्ब नहीं होता है। तथापि, अपवादस्वरूप मामलों में जिसमें फ्लैटों के निर्माण में उपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विलम्ब होता है, उनमें मांग पत्र आदि जारी करने में विलम्ब होता है।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन मामलों के संबंध में जिनमें फ्लैटों का निर्माण कार्य, या जल पूर्ति, विद्युत आदि जैसी सेवाओं के पूरा न होने के कारण फ्लैटों को कब्जा लाटरी निकालने के बाद उचित समय के भीतर नहीं दिया जाता, ऐसे फ्लैटों की पूर्ण होने की तारीख तक ब्याज दिया जाता है।

खान की खुदायी के लिए वन भूमि का इस्तेमाल

1272. **श्री जय नारायण रोत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान राज्य के वनों में कुछ ऐसी भूमि है जहां कोई वृक्ष अथवा पौदा न तो अब तक लगाया गया है और न भविष्य में ही होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार ऐसी भूमि को खानों के लिए अथवा अन्य उपयोग में लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) प्राकृतिक और/अथवा जैविक कारणों से राजस्थान के वन क्षेत्रों में खाली जगह है, जहां वृक्ष नहीं हैं। तकनोलोजी के विकास से इन क्षेत्रों में पौधे उगाना सम्भव होना चाहिए।

(ख) तथा (ग) ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, परन्तु इस प्रकार के क्षेत्र का सामाजिक वानिकी तथा अन्य रोपण योजनाओं के तहत उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के क्षेत्रों को खनन तथा अन्य गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने के प्रस्ताव भेजने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। इस सम्बंध में कोई नीति संबंधी निर्णय नहीं है।

• राजस्थान में अकाल की स्थिति

1273. **श्री जय नारायण रोत** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़ जिलों में अकाल की स्थिति क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को क्या राहत और वित्तीय सहायता प्रदान की है और इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) राजस्थान सरकार से उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़ जिलों में मानसून के बाद सूखे की स्थिति के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में अपर्याप्त अकाल राहत कार्य

1274. **श्री जय नारायण रोत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है अथवा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में शुरू किया गया अकाल राहत कार्य बिलकुल अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आदिवासियों की बजाय गैर-आदिवासी लोगों को अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत काम पर लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राजस्थान राज्य में सूखाराहत कार्य के लिए कितने-कितने गैर-आदिवासी तथा आदिवासी लोगों को काम पर लगाया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बाढ़, सूखा तथा अकाल के लिए राजस्थान को मंजूर की गई राशि

1275. **श्री जय नारायण रौत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़, सूखा, अकाल सहायता के प्रयोजन से राजस्थान राज्य को कुल कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है तथा कितनी अप्रयुक्त राशि शेष है ;

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राजस्थान को 1981-82 के दौरान बाढ़ राहत के लिए 45.056 करोड़ रुपये तथा सूखा राहत के लिए 87.28 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गई थी।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कपास का उत्पादन

1276. **श्री नवीन रवाणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान कपास का कितना उत्पादन हुआ और विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों का उत्पादन कितना था;

(ख) भारतीय रुई निगम द्वारा प्रत्येक कपास उत्पादक राज्य से कितनी मात्रा में कपास खरीदी गई और किस दर पर; और

(ग) देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपने कपास उत्पादन और कपास की किस्म में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण 1 और 2 में दे दी गई है।

(ग) देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कपास के उत्पादन और उसकी किस्म में सुधार करने के लिए नौ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में एक वृहत केन्द्रीय प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें— (1) उन्नत प्रौद्योगिकी का तेजी से प्रसार करना, (2) सिंचित कपास के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना तथा (3) इष्टतम संभावना तक अधिक उपज देने वाली संकर कपास के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करना शामिल है।

विवरण-I

कपास का उत्पादन

(प्रत्येक 170 कि० ग्राम की गांठें लाख में)

राज्य	1979-80 (अंतिम)	1980-81	1981-82 (अनंतिम)
आंध्र प्रदेश	4.2	7.5 (अनंतिम)	6.6
गुजरात	17.9	17.1	21.0
हरियाणा	5.9	6.5	6.8
कर्नाटक	7.1	4.7	5.4
मध्य प्रदेश	2.6	2.7	3.3
महाराष्ट्र	17.0	12.7	14.6
पंजाब	12.2	11.8	12.7
राजस्थान	4.8	3.9	4.3
तमिलनाडु	4.7	2.6	3.1
अन्य	0.6	0.6	0.5
अखिल भारत	77.00	70.1 (अनंतिम)	78.3

विवरण-2

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास उत्पादक राज्यों से खरीदी गई कपास की मात्रा सहित दर के

मात्रा क्विंटल में—मूल्य प्रति क्विंटल रुपये में

		1979.80		1980-81		1981-82	
राज्य	किस्म	खरीदी गई मात्रा	औसत मूल्य	खरीदी गई मात्रा	औसत मूल्य	खरीदी गई मात्रा	औसत मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब	जे-34	1626545	362	1038204	447	882511	464
	एफ-414	35227	383	265791	484	98499	486
	देसी	48248	301	32645	331	19208	462
हरियाणा	जे-34	444873	356	361536	434	347108	474
	देसी	74703	306	24936	388	15483	454
	एच० 777	4753	530	5067	486	—	—
	320-एफ	1862	—	—	—	—	—
राजस्थान	जे-34	621318	354	586582	441	595636	460
	देसी	45589	326	3062	364	40847	439
	320-एफ	15301	385	18599	456	12037	557
	अगेती	10872	375	28645	493	4508	535
	विजय	—	—	8032	532	—	—
	दिगविजय	—	—	—	—	10574	460
	को-2	—	—	—	—	195	440
गुजरात	एस-4	144823	452	325941	576	249542	529
	को-2	143460	372	186691	544	130342	445
	दिगविजय	140817	418	164054	548	144869	500
	वी-797	167668	356	130939	556	120875	453

1	2	3	4	5	6	7	8
	वगाद	101	—	—	—	—	—
	सी. जे. 73	24202	341	32228	453	686	608
	कालागिन	7626	—	43155	—	1457	—
	वी/लक्ष्मी	5632	—	—	—	—	—
	एस. आर. टी.	—	—	512	509	—	—
मध्य प्रदेश	वी/लक्ष्मी	28173	479	3438	541	37655	483
	एच-4	69825	444	139904	503	88190	513
	ए-51/9	413414	374	499052	505	395237	496
	197/3	24785	343	19329	497	11811	481
	ए-147	20528	398	—	—	—	—
	सी. आई.	648	440	4510	525	5208	455
	वाई-1	94978	383	243653	516	243308	501
	जे· के. 11	156	450	594	532	—	—
	1007	—	—	55083	547	24129	518
आंध्र प्रदेश	वी/लक्ष्मी	198383	504	112852	546	186083	481
	एच-4	6258	429	55838	544	53098	557
	एम. सी. यू.-5	98332	461	351779	526	320303	508
	1007	83361	363	91976	504	54727	510
	जी—6	—	—	7531	495	—	—
	मुंगरी	—	—	214	—	—	—
	एफ. जी. ओ.-2	—	—	520	475	—	—
	सुचिन	—	—	33592	706	—	—
तमिलनाडु	वी/लक्ष्मी	77222	493	30390	574	1892	495
	एम. सी. यू.-5	179019	455	400315	472	307824	536
	सविन	2695	775	5396	745	—	—
	लक्ष्मी	—	—	359	510	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक	वी/लक्ष्मी	186865	490	37932	503	66947	518
	एच-420	219	—	4446	—	2249	640
	जयधर	258532	332	296855	475	187403	418
	लक्ष्मी	27508	318	90608	419	19131	375
	विरनार	220	—	5569	—	3601	609
	फार्म	400	—	—	—	—	—
	हम्पी	2254	586	16432	528	9328	383
	ए. के.-235	—	—	110	—	—	—
	मंगारी	—	—	208	—	—	—
	जयधर	—	—	20679	490	4488	369
	170/सी. ओ.-2	—	—	5523	466	—	—
उत्तर प्रदेश	जे-34	—	—	815	434	1236	498

उपर्युक्त किस्मों की अलावा एफ, पी. बिक्री तथा लिन्ट के रूप में निम्न किस्में भी खरीदी गई हैं :—

लिंट	क्विंटल में	1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5
	वगाद	10462	36101	45269
	वी/लक्ष्मी	583	133	11
	जयधर	10522	22729	33994
	लक्ष्मी	11	4071	7801
	हम्पी	10414	7725	—
	वी-797	—	1364	51825
	सुयोधर	—	5037	38
	सी. जे-73	—	—	512
एफ. पी. बिक्री	(170 कि० ग्राम प्रत्येक)			
	एस-4	19353	10050	36144
	सी. यू.-2	878	—	1900

1	2	3	4	5
	जयधर	—	—	1000
	वी-797	950	3600	5173
	वाई-1	—	—	200
	वी/लक्ष्मी	300	—	406
	ए-51/9	256	350	900
	1007	100	—	—
	एम. सी. यू. 5	1600	—	—
	रिग	—	—	300
	वगाद	—	—	394

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित किये गये क्वार्टरों का दुरुपयोग

1277. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली के प्रत्येक ब्लाक/सेक्टर में केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को दो क्वार्टर आवंटित किये गये हैं; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) ब्लाक/सैक्टरवार कितने क्वार्टर आवंटित किये गये हैं और उसका क्या मानदण्ड है, तथा सरकार ने किस प्रयोजन के लिये ये क्वार्टर आवंटित किये हैं;

(ग) उन क्वार्टरों में कितने कनिष्ट इंजीनियर रह रहे हैं और प्रत्येक आवंटी से कब से और कुल कितना रुपया किराये के रूप में बसूल किया गया है; और

(घ) किन परिस्थितियों में ये सरकारी कर्मचारी मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे है जबकि वे सरकारी आवास में रह रहे हैं और सरकारी आवास का आवासीय प्रयोजन के लिये इस्तेमाल रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान द्वारा खरीदी गई मशीनरी

1278. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान, केशोपुर (तिलक नगर) ने 4.53 लाख रुपये की मशीनरी किस तारीख को खरीदी थी;

(ख) क्या उपयोग में न आने तक मशीनरी को सुरक्षित स्थान पर रखा गया था; और

(ग) उस समय खरीदी गई मशीनरी का वर्तमान मूल्य क्या है तथा इसे शीघ्र बेचने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में क्रिकेट टैस्ट मैचों से अर्जित धनराशि

1279. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसियेशन (डी० डी० सी० ए०) के अधीन जब से कोटला ग्राउंड में एक आधुनिक स्टेडियम बनाने का कार्य सौंपा गया था, उस समय से लेकर गत अनेक वर्षों में टैस्ट मैचों से बड़ी धनराशि अर्जित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है, वर्ष-दर वर्ष उसका कितना ब्याज अर्जित किया गया है और वह राशि किसके पास है;

(ग) क्या भारत के क्रिकेट-नियंत्रण बोर्ड का किसी भी प्रकार संबंध इस राशि से है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह राशि किसके नाम से जमा की गई थी और क्या अब वह राशि दिल्ली और जिला क्रिकेट ऐसोसियेशन द्वारा वसूल कर ली गई है; और

(ङ) इस राशि के उपयोग की क्या योजनायें हैं ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड से अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

गोमती नदी पर विरामपुर घाट का निर्माण

1280. **श्री त्रिलोक चंद** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ के विनाशकारी प्रकोप को रोकने के लिए जौनपुर जिले में गोमती पर केन्द्र द्वारा विरामपुर घाट का निर्माण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह कब पूरा हुआ था और क्या इसमें सभी 17 डेम्पर्स उपलब्ध कर दिए गए थे: और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी, नहीं। निर्माण-कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दालों के सुधार संबंधी समेकित परियोजना

1281. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 1967 में दालों के सुधार संबंधी समेकित परियोजना शुरू की गई थी और यह बात रिकार्ड में है कि दालों के उत्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ है और उनका उत्पादन पिछले एक दशक से अवरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो पिछले 15 वर्षों के दौरान इस परियोजना पर कुल कितना धन खर्च किया गया; और

(ग) देश में दालों के उत्पादन में सुधार करने में इस परियोजना की क्या उपलब्धियां हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में 28 केन्द्रों पर सन् 1967 में दालों के सुधार के लिए अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना शुरू की गयी थी। इस प्रायोजना के अन्तर्गत, बहु-फसली पद्धति के लिए उपयुक्त, कम समय में पकने वाली और अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्में विकसित की गयीं हैं। इन किस्मों से, विभिन्न फसल पद्धतियों के अन्तर्गत फसल-क्रमों में दालवाली फसलें उगाने के क्षेत्र में वृद्धि होगी और दालों का अधिक उत्पादन होगा। फसल प्रबन्ध प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत फसल संरक्षण के उपायों को मानकीकृत किया गया। फसल संरक्षण के इन उपायों को अपनाने से दालों के उत्पादन में वृद्धि होगी और स्थिरता आयेगी।

(ङ) पिछले 15 वर्षों (1967-68 से 1981-82) के दौरान, अखिल भारतीय समन्वित दाल प्रायोजना के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कुल 366.85 लाख रुपये खर्च किये ।

(ग) अखिल भारतीय समन्वित दाल सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत दाल अनुसंधान की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की सूची नीचे दी गई है :—

उन्नत किस्में :

फसल	किस्में
(I) चना	जी-150, जी-235, एच-208, एच-355, के-468, वी० जी०-209, पंत जी-114, जे० जी०-62, अन्निगेरी, चाफा, आर० एस-10, काबुली, एल-550 ।
(II) अरहर	प्रभात, यू० पी० ए० एस०-120, पंत ए०-3,पंत ए-1, मुक्ता, टी-21, पूसा अगेली शारदा ।
(III) उड़द	टी-9, माश-28, खरगांव-3, पंत यू-19, पंत यू-30 ।
(IV) मूंग	टी-44, पूसा वैसाखी, पी० एस-16, एस-8, पी० एस-7, पी० एस-10, वर्षा, जी-85, एस-8 (मोहिनी) ।
(V) लोविया	पूसा-फालगुनी, पूसा-दोफसली, एफ० एस-68, जी-152 ।
(VI) मसूर	एल-9-12, टी-36, पंत एल-639, पंत-209, पंत एल-406 ।
(VII) मटर	एल-118, ई० जी०-13866 ।

2. **गर्मियों में मूंग उगाने की प्रौद्योगिकी :**

मूंग की कम अवधि में तैयार होने वाली कई किस्में विकसित की गयीं, जिन्हें बहु-फसली पद्धतियों के अन्तर्गत गन्ना, आलू, सरसों और गेहूं जैसी फसलों के साथ उगाया जा सकता है । इन किस्मों को देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में धान के बाद खाली भूमि में उगाया जा सकता है । गर्मी के मौसमों के दौरान देश के उत्तरी भागों के अन्तर्गत परीक्षणों में मूंग की आठ किस्मों की औसत उपज की जांच की गयी । इन किस्मों से 63-65 दिनों में, 7.36 क्विंटल से 9.97 क्विंटल के बीच प्रति हैक्टर उपज प्राप्त हुई । गर्मी के मौसम में किसानों के खेतों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, इन किस्मों में से एक किस्म पी० एस०-16 की उपज 9.00 से 11.4 क्विंटल प्रति हैक्टर तक हुई ।

3. कम अवधि में पकने वाली अरहर की किस्में :

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों और इसी तरह देश के अन्य भागों में स्थित संस्थानों के कृषि वैज्ञानिकों ने भी, कम अवधि में पकने वाली अरहर की कई किस्में विकसित की हैं। इन किस्मों की कटाई करीब पांच महीने में की जा सकती है। अरहर की इन किस्मों से उत्तरी-पश्चिमी मैदानी भागों में गेहूं अरहर फसल-चक्र उगाना संभव हो गया है, जो पहले संभव नहीं था। अरहर की इन किस्मों में से कुछ किस्मों की किसानों के खेतों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों में जांच की गयी। इन प्रदर्शनों से अरहर की औसत उपज 21 क्विंटल फी हैक्टर तक मिली। देश में अरहर की औसत उपज 8 क्विंटल फी हैक्टर से भी कम है।

4. पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी :

देश में उपलब्ध अरहर की ज्यादातर किस्में एक या एक से अधिक कीटों और बीमारियों की सुग्राही हैं। कई रासायनिक दवाओं का पता लगाया गया है, जिनसे फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाया जा सकता है। पौध संरक्षण उपायों (जिसमें आनुवंशिक रोधिता शामिल है) के अन्तर्गत पौधों की आवश्यकता पर आधारित पौध संरक्षण दवाएं विकसित की गयी हैं।

5. प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम :

अखिल भारतीय समन्वित दाल सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत उन्नत और कम अवधि में पकने वाली किस्मों के प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर संगठित किया जा रहा है। बीज श्रृंखला को सरल और कारगर बनाया जा रहा है ताकि किसानों की मांग पूर्ति के लिए प्रजनक बीज, मूल बीज और प्रमाणित बीज का काफी मात्रा में उत्पादन किया जा सके।

सरकारी उपक्रमों के निदेशक बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों को गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नामजदगी

1282. **श्री भीखा भाई : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संस्था के अन्तर्नियमों में कोई ऐसा विशेष खंड नहीं है जो सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नामजदगी पर रोक लगाता हो;

(ख) यदि नहीं, तो उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन, मजदूर संघ अथवा सामाजिक क्षेत्रों से सहकारी क्षेत्र में विश्वास रखने वाले प्रमाणित क्षमता के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशक नामित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उत्कृष्ट व्यक्तियों को नामित करने की कोई सिफारिशें विचाराधीन हैं, यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया; और

(घ) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के ऐसे कौन-कौन से उपक्रम और उनकी आनुषंगिक कम्पनियां हैं, जिनके बोर्डों में गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशक नामित किए जाने हैं तथा उनका कार्यकाल क्या होगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) निर्माण और आवास मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संस्था के अनुच्छेद में ऐसी कोई धारा नहीं है जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को उनके बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित करने से बंचित करती हो। बोर्डों के गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन सभी तथ्यों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं, (i) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, (ii) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड और (iii) आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड। उनके विद्यमान निदेशकों के बोर्डों का गठन इस प्रकार किया गया था :—

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	दिसम्बर, 1980
हिन्दुस्तान प्रीफेब लि०	अप्रैल, 1980
हुडको लिमिटेड	मार्च, 1981

उनकी समय अवधि क्रमशः (एन. बी. सी. सी. लिमिटेड) दिसम्बर, 1982; (हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०) अप्रैल, 1983 तथा (हुडको लि०) दिसम्बर, 1983 में समाप्त होगी।

महाराष्ट्र को अकाल के लिए सहायता

1283. **श्री वी. एन. गाडगिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अकाल की स्थिति से निपटने के लिए विशेष वित्तीय सहायता के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय दल, जिसने 4 तथा 6 अक्तूबर, 1982 के बीच राज्य का दौरा किया, की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा उस पर राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय सहायता निर्धारित की जाएगी।

सहकारी स्पिनिंग मिलें

1284. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सहकारी स्पिनिंग मिलों के कुल कितने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि प्रस्तावित जगदम्बा अनुसूचित जाति सहकारी सूत गिरिन, माधे, जिला शोलापुर, ही देश में एक मात्र सहकारी स्पिनिंग मिल है जिसके सभी शेयर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा खरीदे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति देते समय इसको उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास 24 प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें से 20 प्रस्ताव नई सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के बारे में हैं तथा 4 प्रस्ताव विद्यमान मिलों के विस्तार के लिए हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार यही एकमात्र ऐसी समिति है जिसके सभी शेयर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने खरीदे हैं।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कमजोर वर्गों के लिए गठित की गयी संस्थाओं को प्राथमिकता देती है।

भारतीय खेलों की फोटो प्रदर्शनी

1285. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों की विशेष संगठन समिति का विचार खेलों में भाग लेने के लिए विदेशों से आए व्यक्तियों के लिए भारतीय खेलों की एक फोटो या चित्र प्रदर्शनी लगाने का है; और

(ख) क्या समिति का विचार खेलों में भाग लेने के लिए विदेशों से आये हुए व्यक्तियों को भारतीय खेलों के साहित्य के वितरण का है ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सह) : (क) जी, नहीं।

(ख) खेल के प्रदर्शन के दौरान कबड्डी संबंधी साहित्य बांटने का निर्णय किया गया है।

दिल्ली के विस्तार के कारण उत्पन्न पर्यावरण एवं यातायात समस्याएं

1286. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है दिल्ली की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण औद्योगिक बस्तियों के धुएं के कारण वायु और जल प्रदूषण और यातायात कठिनाईयां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नई कालोनियों और घरों के निर्माण तथा नये उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगा कर और कुछ कार्यालयों को अन्य राज्यों को अन्तरित कर नगर की और विस्तार पर रोक लगाने की कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण सन् 200 तक की अवधि के लिए दिल्ली की भावी योजना तैयार कर रहा है जिसमें दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित एवं रोकने के उपायों पर विचार किया जाएगा। योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही ब्यौरे उपलब्ध होंगे।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मिथिला (उत्तर बिहार) की नदियों के नियंत्रण की मांग करने वाला प्रतिनिधि मंडल

1287. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मिथिला संघ की ओर से कुछ संसद सदस्यों सहित एक प्रतिनिधि मंडल ने 9.8.82 को उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें बहु-उद्देशीय बांधों के माध्यम से मिथिला (उत्तर बिहार) की नदियों को नियंत्रित करने तथा उन्हें सुवाहित बनाने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उस पर क्या कदम उठाये गये ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) इस संबंध में अखिल भारतीय मिथिला संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) इस ज्ञापन में जिन विभिन्न बहु-उद्देशीय जल-संचयन बांधों का प्रस्ताव किया गया है, वे नेपाल में पड़ते हैं। इस संबंध में नेपाल की सरकार के साथ विचार-विमर्श किये जा रहे हैं।

पश्चिमी कोसी नहर के पानी को पम्प करने का प्रस्ताव

1288. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि ने एक संसद सदस्य और बिहार के सम्बद्ध अधिकारियों सहित 19-21 सितम्बर, 1982 को कोसी और कमला नदी के क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सम्पूर्ण कमला नहर प्रणाली को जो कि अब मृत प्रायः है, बारहमासी नहर में बदलने के लिये सम्पूर्ण पश्चिमी कोसी नहर को मकुआ के निकट से पम्प करके कमला के उत्तरी बांध तक ले जाने का विचार था जिससे कि उसका पुनः निर्माण एवं विस्तार करके कमला के नीचे साइफन बनाने और भूमि के अभिग्रहण और कमला के पश्चिम में पश्चिमी कोसी नहर की खुदाई करने की जरूरत से बचा जा सके; और

(घ) क्या उपरोक्त (ख) के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से 50 करोड़ रुपये और 2 वर्ष के समय की बचत होगी; यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य इंजीनियर, मानीटरिंग ने संसद सदस्य और राज्य के इंजीनियरों के साथ 19 से 21 सितम्बर, 1982 तक पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का निरीक्षण किया था।

(ग) निरीक्षण के दौरान माननीय सदस्य द्वारा ऐसा एक सुझाव दिया गया था।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित प्रस्ताव की व्यवहार्यता, लागत, लाभों तथा सापेक्ष लाभों के बारे में, अन्य उपायों की तुलना में, राज्य सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक विस्तृत जांच की जानी होगी।

एन० डब्लयू० विष्णु गार्डन में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था

1289. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन० डब्ल्यू० विष्णु गार्डन दिल्ली नगर निगम की एक अधिकृत कालोनी है;

(ख) क्या वहां के निवासियों के लिये सीवर बिजली और पानी जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये सुविधायें अन्य मंजूरशुदा कालोनियों के निवासियों को उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कालोनी के निवासियों को ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केशवपुर गैस संयंत्र से गैस

1290 **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** 28-4-1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10078 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान के केशवपुर गैस संयंत्र में अप्रैल, 1982 तथा 15 अक्तूबर, 1982 के दौरान कितनी गैस भण्डार की गई;

(ख) इस संयंत्र की गैस का भण्डार करने के लिये खरीदे गये भण्डार उपकरणों का मूल्य कितना है; और

(ग) उपर्युक्त संयंत्र की गैस के वितरण के लिये, उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु किस स्थान पर कार्यालय खोला गया है तथा वहां पर कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये आयोग बनाना

1291. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वैज्ञानिक एवं समन्वित विकास के बारे में सलाह देने एवं उसके अधीक्षण के लिये नगर आयोजकों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से युक्त एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन करने की मांग की गई है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा सरकारों ने दिल्ली के चहूं ओर के पार्श्ववर्ती नगरों का दर्जा बढ़ाने का निर्णय किया है और उसके परिणामस्वरूप यह विश्व में अपनी प्रकार का सबसे बड़ा नगर होगा;

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना बनाने, प्रबोधन, और विकास के लिये केन्द्रीय स्तर पर एक सांविधिक बोर्ड के गठन के लिए कार्यवाही करने की सहमति हुई है।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा सरकारों द्वारा लिये गये इस प्रकार के किसी निर्णय से सरकार, अवगत नहीं है। तथापि केन्द्रीय नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये एक संशोधित भावी योजना बनाने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकटवर्ती नगरों का विकास

1292. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकटवर्ती नगरों के विकास की योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सिकन्दराबाद, खुर्जा, बुलन्दशहर, दादरी और औरंगाबाद के विकास की क्या योजनाएं हैं; और

(ग) इन नगरों में डाक, तार, परिवहन और रेल सेवाओं तथा उद्योगों के विकास के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना विद्यमान है जिसे एक उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड ने 17 सितम्बर, 1973 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संतुलित वृद्धि सुनिश्चित करने के ध्येय से अनुमोदित किया था। तथापि, यह अब संशोधनाधीन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना लगभग 30,292 वर्ग किलो मीटर की एक अन्तर्राज्यीय क्षेत्रीय योजना है जिसकी अनुमानित जन संख्या 1971 की जनगणनानुसार 142 लाख है। इस योजना में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 2 जिले, हरियाणा के 3 जिले व 9 तहसील तथा राजस्थान की 3 तहसील शामिल हैं। इस बात पर विचार किया गया था कि इस दायरे में अवस्थित 18 क्षेत्रीय अथवा आज-पास के नगरों को वर्ष 1981 तक 31 लाख की मूलभूत जन संख्या के रोजगार तथा निवास का ध्यान रखने के अर्थों

में स्वतः पूर्ण एककों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन 18 आस-पास के नगरों में सिकन्द्राबाद, खुर्जा तथा बुलन्दशहर भी शामिल हैं। तथापि, फिलहाल केवल पांच आस-पास के नगरों अर्थात मेरठ तथा हापुड़ उत्तर प्रदेश के, गुड़गांव तथा पानीपत हरियाणा के और अलवर राजस्थान के नगरों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत ऋण सहायता के माध्यम से विकासित किया जा रहा है जिसमें इन 5 नगरों की अनुमोदित चालू योजनाओं पर व्यय की 50 प्रतिशत लागत पूरी की जानी है बशर्ते कि समतुल्य निधियां राज्य सरकारों की हों।

(ग) डाक, टेलीग्राफ, परिवहन तथा रेल सेवाओं तथा इन नगरों में उद्योगों की आवश्यकताओं पर उचित समय पर सम्बन्धित केन्द्रीय एवं राज्य अभिकरणों द्वारा विचार किये जाने की संभावना है।

———

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हमने दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापकों के बारे में एक प्रश्न उठाया था। आपने कहा था कि इस पर आप एक ध्यानाकर्षण की अनुमति देंगे। वह ध्यानाकर्षय कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे विचाराधीन है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : पिछले सप्ताह आपने कहा था कि ध्यानाकर्षण पर चर्चा होगी पिछले सप्ताह आपने हमें आश्वासन दिया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापकों के विषय में चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनो प्रोफेसर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं चाहता हूं मैं उस पर दृढ़ रहता हूं। यह मेरे विचाराधीन है इसमें समय लगेगा और यह आयेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। इस प्रकार धमका नहीं सकते।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये। यह मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मनीराम बागड़ी को कहा है।

(व्यवधान)*

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : ध्यानाकर्षण के बारे में क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : कल से वे हड़ताल कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : यूनिवर्सिटी वाले मामले पर हमने भी दे रखा है और आपने कह दिया कि वह अंडर कंसिड्रेशन है । लेकिन रेलवे के बारे में जो मेरा कालिंग अटेंशन है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास है, यह मेरे विचाराधीन है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह कब तक आपके विचाराधीन रहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब मेरे कंसिड्रेशन में है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप समय क्यों नहीं बता सकते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समय नहीं बता सकता, नहीं मैं कुछ कहूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मैं नहीं कह सकता क्योंकि यह नियमों के मुताबिक नहीं है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती: आप इस संसद को अजीब वस्तु बना रहे हैं । ऐसा क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : देखिये प्रोफेसर । आप एक पढ़े-लिखे आदमी हैं । आप लोगों को पढ़ा रहे हैं । है ना ? परन्तु यह कक्षा नहीं है । इस सभा में लोगों के प्रतिनिधि हैं । और इस पुस्तक में कुछ नियम निर्धारित किये गये हैं । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे विचाराधीन हैं और वे मेरे विचाराधीन तब तक रहती हैं जब तक, उनका निपटान नहीं हो जाता । इतनी सीधी-सी बात है । मैं उन पर यहां चर्चा नहीं करता । मैं स्वयं अपने से चर्चा करता हूं कि प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए और मैं उनको प्राथमिकता देता हूं । मैंने आपके ध्यानाकर्षण को अस्वीकृत नहीं किया । यह निलंबित रखा गया है परन्तु मैंने रेलवे के बारे में कल के लिए निर्णय लिया है यह

मैंने आज ही निर्णय लिया है। जो मुझे परसों के लिए निर्णय करना है उसके बारे में मैं कल सोचूंगा । नियम के अन्तर्गत ऐसा है और इसलिए मैं तारीख वार नहीं बतला सकता ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाता ।

(व्यवधान)*

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं बस यही चाहता हूं कि आप तारीख की घोषणा कर दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप तारीख निर्धारित करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कहता कि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । यह मेरे विचाराधीन है उस समय इसको परसों के लिए भी रखा जा सकता है और अगले सप्ताह भी । मैं कह नहीं सकता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या फर्क पड़ता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार इसको देखना मेरा काम है ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : बिहार के पत्रकारों की पिटाई हुई है। एक फोटो ग्राफर को जान से मारने की कोशिश की गई है। यह पूरे देश का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : नैशनल हेराल्ड में हुई हड़ताल के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

डा० कृपा सिंधु भोई : पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति है। मैंने उसके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं यह राज्य का विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बाढ़ों के विषय में चर्चा करने जा रहे हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ वे कहते हैं उसको कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : रेलवे में रोजाना चोरियां हो रही हैं। एम० पीज० तक का सामान लूटा गया है। नई दिल्ली स्टेशन पर हो रही है.....

अध्यक्ष महोदय : रेलवे का आ रहा है। कल बात करिये।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक)	विवरण संख्या 23 — सातवां सत्र, 1979,	छठी लोक सभा
(दो)	विवरण संख्या 13 — दूसरा सत्र, 1980	सातवीं लोक सभा
(तीन)	विवरण संख्या 20 — तीसरा सत्र, 1980	
(चार)	विवरण संख्या 14 — चौथा सत्र, 1980	
(पांच)	विवरण संख्या 14 — पांचवां सत्र, 1981	
(छः)	विवरण संख्या 8 — छठा सत्र, 1981	
(सात)	विवरण संख्या 6 — सातवां सत्र, 1981	
(आठ)	विवरण संख्या 5 — आठवां सत्र, 1982	
(नौ)	विवरण संख्या 1 — नवां सत्र, 1982	

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5455/82]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड पोर्ट ब्लेयर की वर्ष 1980-81 की वार्षिक रिपोर्ट और उसकी समीक्षा

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मैं राव वीरेन्द्र सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5456/82]

नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 और आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 की वार्षिक समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5457/82]

(3) (एक) आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड बम्बई, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5458/82]

असम क्रय-कर (संशोधन) नियम, 1980 और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

(1) राष्ट्रपति द्वारा 19 मार्च, 1982 को जारी की गई उद्घोषणा के साथ पठित असम क्रय-कर अधिनियम, 1967 की धारा 43 की उपधारा (4) के अन्तर्गत असम क्रय-कर (संशोधन) नियम, 1980, जो 17 मार्च, 1981 के असम राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० टी० एक्स० 143/79/57 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी 5459/82]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सीमा-शुल्क (अपील) नियम, 1982, जो 10 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 56(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 581(अ), जो 1 अक्टूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को उन मुद्राओं में बदलने की विनिमय दर के बारे में हैं।

(तीन) सा० का० नि० 584(अ) जो, 1 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो अपरिष्कृत तांबे पर वर्तमान मूल सीमा-शुल्क की मूल्यानुसार 70 प्रतिशत की दर की 31 अक्तूबर, 1982 को समाप्त होने वाली एक मास की अवधि तक जारी रखने के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 585(अ), जो 1 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो अपरिष्कृत तांबे को उपसंगी सीमा-शुल्क से दी गई छूट को 31 अक्तूबर, 1982 को समाप्त होने वाली एक मास की अवधि तक जारी रखने के बारे में हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5460/82]

(पांच) सा० का० नि० 588(अ), जो 1 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो प्लास्टिक फिल्म केपेसिटर्स को बनाने के काम में आने वाली सादी अल्मोनियम फाइल के आयात पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत के रियायती मूल सीमा-शुल्क को रखने के बारे में है।

(छः) सा० का० नि० 589(अ), जो 1 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो मुलायम अपशिष्ट रूई पर निर्यात शुल्क की दर को मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से कम करके मूल्यानुसार 12.5 प्रतिशत करने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5460/82]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 586(अ) जो 1 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जिसके द्वारा वर्तमान मूल उत्पाद-शुल्क की अवधि बढ़ाई गई है।

(दो) सा० का० नि० 587(अ), जो 1 अक्तूबर 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जिसके द्वारा ताम्बे के निर्माण पर वर्तमान 3700 रुपये प्रति एम० टी० के मूल उत्पाद-शुल्क की अवधि 1-10-1982 से एक मास की अवधि के लिये बढ़ाई गई है।

(तीन) सा० का० नि० 590(अ), जो 5 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा हाथ से चलाये जाने वाले पम्प द्वारा परिचालित गर्म तेल से स्थिर भेजों पर छापे गये सूती कपड़े को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 5461/82]

———

राज्य सभा से संदेश

सचिव—मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज 8 अक्तूबर, 1982 को हुई अपनी बैठक में मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का निर्धारित समय राज्य सभा के एक सौ पच्चीसवें सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक और बढ़ाया जाए।"

———

अध्यक्ष महोदय : वे जो कुछ भी कहते हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. आजमी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखिये। वह उपस्थित नहीं है। श्री बी. वी. देसाई। श्री पी. के. कोडियान। श्री कोडियान भी उपस्थित नहीं हैं ?

(व्यवधान)*

श्री राजेश कुमार सिंह।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फ्लड और ड्राउट पर डिस्कशन आ रहा है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मेरी कांस्टीट्यूऐंसी का मामला है, इसकी जांच करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : लीडर बन कर भी उतनी ही बात करते हो जितनी पहले करते थे। मैं यही बात कह रहा हूं, आप सुनते नहीं हो। पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं कि डिस्कशन आ रहा है फ्लड और ड्राउट पर, इसी हफ्ते आ रहा है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(व्यवधान)

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पंजाब नेशनल बैंक समेत राष्ट्रीयकृत बैंकों की तिजोरियों से खराब और जारी न किए जा सकने वाले करेंसी नोटों को निकाल ले जाने के कांड के समाचार तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

"पंजाब नेशनल बैंक समेत राष्ट्रीयकृत बैंकों की तिजोरियों से खराब तथा जारी न किये जा सकने वाले करेंसी नोटों को निकाल ले जाने के कांड के समाचार तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का समाचार।"

(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : भूखमरी से लोग मर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या बिना सूखा पड़े ही लोगों की भूख से मृत्यु हो जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या बिना सूखे पड़े भी लोग भूख से मरते हैं ? सूखा और भूख से मरना, क्या एक ही बात नहीं है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोरय : आप अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठते ? बहुत हो चुका। ऐसा नहीं होता। यह शोभा नहीं देता। हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : लोग भूख से इसलिसे मरते हैं कि उनके पास खरीदने के लिये पैसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि पर्याप्त अनाज है, तो कोई व्यक्ति नहीं मरेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा चिल्लाते क्यों हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बेकार की बातें नहीं सुनता। मैं उद्देश्यपरक बातें सुनता हूं।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : स्मरण होगा कि····· उत्तर में ·····

(व्यवधान)

श्री नीरेन घोष : अध्यक्ष महोदय···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पता नहीं श्री नीरेन घोष बोल रहे हैं या नहीं ।

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : स्मरण होगा कि

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : स्मरण होगा कि इस वर्ष सदन में 6 अगस्त को उत्तरित माननीय श्री जी० वाई० कृष्णन के अतारांकित प्रश्न सं० 4386 के उत्तर में कहा गया था कि पंजाब नेशनल बैंक के निरीक्षकों ने इस बैंक की नौरोजी नगर, नयी दिल्ली शाखा के निरीक्षण के दौरान मुद्रा—तिजोरी (करेंसी चेस्ट) में नकदी में कमी पायी थी। बैंक ने सम्बद्ध शाखा में मौजूद सारी नकदी की गिनती के लिये तुरन्त कार्रवाई आरम्भ कर दी थी। इस बीच 30-9-1982 को गिनती पूरी हो गयी है। तिजोरी में रखे रुपयों की वास्तविक गिनती से 29.043 रु० की कमी ज्ञात हुई।

पंजाब नेशनल बैंक ने दिल्ली में अन्य स्थानों पर भी अपनी मुद्रा-तिजोरियों की शेष नकदी की वास्तविक जांच शुरू कर दी है। किन्तु यह जांच अभी चल रही है।

नौरोजी नगर में मुद्रा-तिजोरी में नकदी की कमी को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक, नयी दिल्ली से अनुरोध किया कि वह, अपने यहां पड़ी हुई पंजाब नेशनल बैंक की प्रेषणाओं की जांच/फिर से जांच करें। बैंक के पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली स्थित दफ्तर ने 27 जून, 1979 और 8 मार्च, 1982 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक को 6 प्रेषणाएं की थीं। 14-1-1982 को भेजी गयी 19.40 करोड़ रुपये की एक प्रेषणा की गिनती आरम्भ की गयी है। अब तक गिने गये 17,23,40,000 रु० में से, 9-10-1982 तक कुल 90,670 रु० की संचयी कमी पायी गयी है। गिनती अभी चल रही है।

नौरोजी नगर शाखा में पायी गयी कमी के बारे में पुलिस में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज करा दी गयी है और एक सहायक प्रबन्धक समेत 4 कर्मचारी निलम्बित कर दिये गये हैं। उन खजांचियों (कैशियर्स) के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं जिन्होंने उन पैकटों पर जिनमें कमी पायी गयी है, इस आशय

के हस्ताक्षर कर दिये थे कि उन्होंने नकदी की फिर से गिनती कर ली है। जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक को की गयी प्रेषणाओं में कमी का सवाल है कमी की पूरी मात्रा का पता चलना अभी बाकी है। इस बीच ब्यौरेवार जांच के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा पायी गयी कमियों के बारे में रिजर्व बैंक की पर्चियों की इस दृष्टि से जांच की जा रही है कि उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय और अपराधी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाई की जाय।

नौरोजी नगर की घटना के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी निरीक्षण और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये उपाय किये हैं। सारे भारत में क्षेत्रीय/आंचलिक प्रबन्धों को हिदायतें दे दी गयी हैं कि वे मुद्रा-तिजोरियों में शेष राशियों की अचानक जांच करने के लिये तुरन्त कदम उठायें। निरीक्षण तंत्र को मजबूत बनाने के भी उपाय भी किये जा रहे हैं। ये निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा की जाने वाली मासिक जांच के अलावा होंगे। शाखाओं को हिदायत दी गयी है कि वे शाखा के एक खजांची और एक अफसर के साथ, अपनी सभी प्रेषणाएं मुद्रा-तिजोरी को भिजवायें और नकदी को गिनवा कर जमा कराने की रसीद प्राप्त कर लें। इस विषयक स्थायी आदेशों पर फिर से गिनती और जांच के बारे में ब्यौरेवार हिदायतें दे दी गयी हैं। मुद्रा-तिजोरी में शेष राशियों की मासिक जांच एक प्रोफार्मा द्वारा की जायगी जिसमें यह बताया जायगा कि विभिन्न मूल्यांकित, उन नोटों की प्रतिशतता और मूल्य क्या है जिन्हें वास्तव में गिना गया है।

जहां तक 1982 के दौरान, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की मुद्रा-तिजोरियों में नकदी की कमी का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के मुताबिक ऐसा एक और मामला हुआ। भारतीय स्टेट बैंक, हुनगुण्ड (कर्नाटक) की मुद्रा-तिजोरी में 6,095 रु० की कमी पायी गयी। यह कमी अगस्त, 1982 में, नकदी शेषों की वास्तविक जांच के समय पकड़ी गयी थी। पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा है कि वे प्रशासकीय व्यवस्थाओं को कसें और सुनिश्चित करें कि इस विषयक हिदायतों का पालन कड़ाई से हो, ताकि इस प्रकार की हानियों से बचा जा सके।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राजेश कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है—

"तिजोरी में रखे रुपयों की वास्तविक गिनती से 29,043 रु० की कमी ज्ञात हुई।"

फिर उन्होंने और बैंकों के बारे में भी कहा है कि स्टेट बैंक में भी कहीं पर शार्टेज है। इन्होंने यह भी कहा कि—

"सारे भारत में क्षेत्रीय/आंचलिक प्रबन्धों को हिदायतें दे दी गई हैं कि वे मुद्रा-तिजोरियों में शेष राशियों की अचानक जांच करने की तुरन्त व्यवस्था करें।"

यह कहने से ही बात पूरी नहीं होती। वास्तविकता के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ बताने की कोशिश नहीं की।

नये नोटों पर तो प्रीमियम मिलता ही है, लेकिन अब पुराने नोटों पर भी प्रीमियम मिलता है। डिस्ट्रक्शन की पद्धति के बारे में भी उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया है। उन्होंने यह तो बता दिया कि कितनी शार्टेज कहां पर काउंटिंग में हुई है। एक स्पेशल प्रोसीजर उन्होंने अडाप्ट किया, पहले टाप सीक्रेट प्रोसीजर था। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसीजर फाइनेन्स मिनिस्ट्री या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अडाप्ट किये।

मेरा कहना यह है कि जो स्पेशल प्रोसीजर है, इसमें इतनी ज्यादा लूपहोल्स हैं जिनका इन्तहा नहीं है और वे पिलफ्रेज भी करते ही हैं और साथ ही नेशनल एक्स-चैकर को भी काफी बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं जिस पर भी आप गौर कर लें।

होता क्या है कि पुराने नोटों के बंडल के बंडल बना लेते हैं और उसके बाद किसी पंचिंग मशीन से निशान नहीं किये जाते हैं और न उनकी डिफेसिंग की जाती है और उनको बोरों में भर दिया जाता है। ऐसे बैग डिस्ट्रक्शन के लिये ले जाये जाते हैं, उनके साथ 2 कांस्टेबल और एक सब-इन्सपैक्टर और इनके अफसर होते हैं। जो सोयल हो गये हैं, उनके 2, 3 बंडल निकाले और जला दिया जाता है, लेकिन इसके बीच की बात आप जरा सोचें।

जब सायल्ड नोटों को डेस्ट्राय करने के लिए ले जाते हैं, तो बीच में बोरे गयाब यायब हो जाते हैं और कई बार नोटों की जगह कागज मिलते हैं। सिक्युरिटी की आज-कल क्या हालत है, इससे तो आप अपरिचित ही है। लगभग 16 लाख रुपए के एक रुपए और दो रुपए के नोट रोज डेस्ट्राय किए जाते हैं। 600, 700 रुपए के नोट हर महीने डेस्ट्राय किए जाते है।

जहां तक नोटों को जलाने की पद्धति का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय को याद होगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने इस स्पेशल प्रोसीजर का विरोध किया था। इसी तरह रिजर्व बैंक के डायरेक्टर्ज की भी राय थी कि इस प्रोसीजर में खामियां है। मैं जानना चाहता हूं कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज की राय के बावजूद इस प्रोसीजर को क्यों एडाप्ट किया गया। देश में 3300 चैस्ट्स हैं और वे सब पुराने नोटों से ओवरफ्लो कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें जलाने की व्यवस्था नहीं है और स्टाफ की कमी है।

इन नोटों के बारे में एक रैकट चल रहा है। अखबारों में आया है कि पंजाब और चंडीगढ़ में बैंक के अधिकारियों से मिल कर इस तरह के नोट बाजार में पुनः चलाए जाते हैं। चूंकि सायल्ड नोटों का डीफेसिंग या पंचिंग नहीं होता, इसलिए दे लीगल टेण्डर बने रहते हैं। इसी का नतीजा है कि पुराने नोटों का कारोबार करने वाले बहुत से लोग पनप रहे हैं। वे इस तरह के नोट डिसकाउन्ट पर लेते हैं, दस रुपए का नोट आठ रुपए में लेते हैं। मेरे दोस्त ये दो नोट दिखा रहे हैं। मुझे पता नहीं कि ये सायल्ड नोट्स हैं या नहीं। इनकी हालत खस्ता है।

पता नहीं, ये कैसे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर और पंजाब में इनका खूब प्रचलन है।

इस स्पेशल प्रोसीजर की जस्टिफिकेशन यह दी जाती है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है और हमारे लिए नोटों की काउंटिंग करना संभव नहीं है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट के मुताबिक इस बारे में वीक्ली फिगर्ज पबलिश किए जाने चाहिए कि सर्कुलेशन में कितने नोट हैं और प्राप्रर पंचिंग के बाद कितने नोट डेस्ट्राय किये गये हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। पता नहीं, क्यों 1 जुलाई, 1972 को 1953 मिलियन गारंटी नोट्स और चेस्ट नोट्स का एग्जामिनेशन होना बाकी था।

रिजर्व बैंक ने एडवाइस दी कि हम पर बहुत वर्डन है, इसलिए काउंटिंग का काम कामर्शल बैंक कर लें, डेस्ट्रक्शन का काम हम कर लेंगे। कामर्शल बैंकों ने यह कह कर मना कर दिया कि हम यह ख्वाह-म-ख्वाह का वर्डन नहीं लेना चाहते। अगर कामर्शल बैंक काउंटिंग कर देते हैं और बंडल बना देते हैं, तो वे रास्ते में गायब हो सकते हैं। यह जो करोड़ों रुपयों का घपला हो रहा है इसकी कोई खोज-खबर नहीं की गई है। रिजर्व बैंक द्वारा अलग-अलग बैंकों द्वारा रेमिटेंसिज एक्सेप्ट करने के बारे में अलग-अलग रवैया अपनाया जाता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी रिजर्व बैंक, एम्पलाईज एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने ये बड़े साफ शब्दों में इस मामले के सम्बन्ध में कहा है :-

"खराब, त्रुटिपूर्ण और अव्यवहार्य करेंसी नोटों के परिचलन के कारण क्षेत्रों में बेईमान तत्त्व पैदा हो गए हैं, जिन पर संदेह किया गया है कि वे नकली करेंसी नोटों का परिचालन करते हैं।"

उनका एलिगेशन यह भी है कि सारे लूपहोल्स के लिए रिजर्व बैंक के अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। वे मि० शर्मा हैं जिन्होंने खुले आम चार्ज लगाया है।

"श्री शर्मा ने आरोप लगाया है कि इससे गबन, छलकपट और कुप्रबन्ध बढ़ गया है, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत बैंक को पारिचलित करेंसी नोटों के नवीनतम साप्ताहिक आंकड़े तथा छपने के बाद खराब हो गए नोटों की संख्या प्रकाशित करनी चाहिए।"

इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है -

"उन्होंने आरोप लगाया कि इसके जारी करने वाले सभी 15 केन्द्रों में, करीब 3000 तिजोरियां हैं, जहां पर खराब नोटों की बिना उचित जांच, गिनती और उनकी गुणवत्ता तथा संख्या का पता लगाए उन्हें तुरन्त जला देने की व्यवस्था है।"

कोई जरूरत नहीं है, न तो गिनने की, न क्वालिटी देखने की और न क्वांटिटी देखने की। सोचते हैं कि यह तो जनता का पैसा है जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस निर्धन देश की दौलत यदि इस तरह से बर्बाद होती रहेगी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा—इस बात पर सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए।

ओवर-फ्लोइंग के बारे में यह कहकर वे बच नहीं सकते हैं कि ओवर-फ्लोइंग बनी रहेगी। इसके साथ ही साथ जहां नोट्स की प्रिंटिंग होती है, नासिक में, उसके बारे में भी अखबार में निकला है :—

"मुद्रा-मुद्रण में उच्च अवशिष्ट दर" (हाई वेस्ट्स रेट्स एन करेंसी प्रिंटिंग)

पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने भी 1971-72 में अपनी रिपोर्ट में इन नोट्स के बारे में कार्यवाही करने के लिये कहा था लेकिन उनके सुझावों पर भी सरकार ने कोई विचार नहीं किया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि प्रिंटिंग में 1980-81 में एक रुपये के नोट्स 11.09 परसेन्ट बर्बाद हुये, दो रुपये के नोट्स 13.23 परसेंट बर्बाद हुए और सौ रुपये के 11.38 परसेंट बर्बाद हुए। उसमें से कुछ परसेंट की खराबी मशीनों और पेपर की वजह से हो सकती है परंतु इन सारी बातों पर कभी भी विचार नहीं किया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन सारे लूपहोल्स को प्लग करने के लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे ? आज इस देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें इस प्रकार से जो देश का धन बर्बाद हो रहा है, उसको रोकने के लिये क्या आप आफिसर्स के खिलाफ, जो कि कुछ लोगों से मिलकर एक रैकेट चला रहे हैं, कार्यवाही करेंगे ? इसमें केवल पंजाब नेशनल बैंक का ही सवाल नहीं है, स्टेट बैंक्स में भी, सारे मुल्क में यही हालत है। इसलिए पहले तो इसमें प्रोजीजर बदलने की बात आती है और दूसरे जो आफिसर्स इसमें इन्वाल्वड हैं उन्हें बदलने तथा उनके खिलाफ कार्यवाही करने एवं प्रिंटिंग, एकाउंटिंग और सेक्योरिटी को मजबूत करने की बात आती है।

श्री प्रणव मुकर्जी : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं और जैसा कि मैंने प्रस्ताव के उत्तर में बताया है, हम पहले ही इस पर कार्यवाही कर चुके हैं। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उन्हें निलंबित कर दिया गया है और पंजाब नैशनल बैंक की सभी तिजोरियों की नकदी की गिनती की जा रही है।

महोदय, हमें समस्या की गम्भीरता को समझना होगा। भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य बैंकों सहित सम्पूर्ण देश में लगभग 3795 मुद्रा तिजोरियां हैं। मैं माननीय सदस्यों की सूचनार्थ उन नोटों की संख्या देता हूं जो इनके द्वारा संभाले जाते हैं। 31 मार्च, 1982 तक 354.1 करोड़ रुपए के सड़े-गले नोटों को नष्ट किया जाना था और इसके लिए वर्ष भर 2600 सिक्के और नोट परीक्षकों की आवश्यकता थी। मैं केवल इन आंकड़ों का उल्लेख कर रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, यह मैं थोड़ी देर में बताता हूं। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक को एक रुपये से 100 रुपये तक के विभिन्न मूल्यों के नोटों को संभालना था। यदि आपके पास कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है और यदि आप केवल प्रत्यक्ष जांच के द्वारा गणना करते रहेंगे तो कुल 7300 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इतने अधिक कर्मचारियों को लगाना और इतना अधिक खर्च करना ठीक होगा ?

एक माननीय सदस्य : ठीक क्यों नहीं होगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं उस पर भी आ रहा हूं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस क्रियाविधि का पालन करना होगा।

श्री प्रवण मुखर्जी : मेरे मित्रों के साथ यह समस्या है कि वे समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। यही समस्या फिर आएगी। आज क्या स्थिति है ? मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। एक रुपए के नोट पर हमारी कागज पर लागत तथा अन्य प्रासंगिक खर्चे आदि होते हैं। एक एपए के नोट छः महीनों से प्रचलन में हैं। यदि आप इन कर्मचारियों को लगा देते हैं तो आज इस समय रिजर्व बैंक में प्रशासकीय खर्च इस प्रकार है कि इस उद्देश्य के लिए कुल स्टाफ संख्या 2500 है और मुझे 7300 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। इसकी लागत क्या पड़ेगी ?

श्री हरिकेश बहादुर : इससे बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप भत्ता देकर बेरोजगारी की समस्या दूर कर सकते हैं। परन्तु अर्थव्यवस्था का क्या होगा ? इसकी लागत क्या पड़ेगी ? 3,795 करेंसी तिजोरियों में से पिछले चार वर्षों में 1978 से 1982 तक इस प्रकार की धोखा धड़ी के 11 मामले पकड़े गए हैं। जब कभी ऐसी स्थिति सामने आई है जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, तो एक रुपए से दस रुपए तक के नोटों के बारे में यह सच है कि उन्हें नष्ट करने से पूर्व उनकी प्रत्यक्ष गणना नहीं करते हैं, माननीय सदस्य ने जैसा कि कहा है, हम केवल नमूने के तौर पर गणना करते हैं। परन्तु प्रत्यक्ष गणना दो स्थितियों में होती हैं। एक तो वह जब इन्हें शाखा कार्यालय से करेंसी-निजोरी में भेजा जाता है और दूसरा इन्हें करेंसी-तिजोरी पर ही गिना जाता है। जहां तक बड़े मूल्य के नोटों अर्थात् 20 रुपए के नोटों, 50 रुपये के नोटों और 100 रुपये के नोटों का सम्बन्ध है, नष्ट करने के समय भी इनकी प्रत्यक्ष गणना की जाती है।

परन्तु यदि आप चाहते हैं और मैं यह समझता भी हूं कि प्रत्येक मजदूर संघ अधिक नौकरियां उपलब्ध कराकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। परन्तु लागत-लाभ अनुपात क्या होगा ?

(व्यवधान)

इस पर आपत्ति क्यों की जाती है। अब जिस बात की वकालत की जा रही है उसकी मुझे बहुत कम जानकारी है। इससे कुछ मजदूर संघों को अपने साम्राज्य के विस्तार में सहायता मिलेगी। मैं इसे बुरा नहीं मानता हूं। परन्तु मुझे इस पर एक गम्भीर आपत्ति है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। क्या वह उत्तर नहीं देंगे ? कृपया उन्हें सुनिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, निश्चय ही मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि नोटों को नष्ट करने की लागत अधिक तथा अनानुपातिक होगी। अतः रिजर्व बैंक द्वारा जिस विशेष

प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है वह मेरे विचार में उचित है और हम यह स्पष्ट रूप से देखते हैं कि स्थालीप्रलाक जांच की जाती है तथा व्यापक प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाता है। और इसके लिए जब कभी ऐसा अवसर आता है तब हमें उत्तरदायित्व लेना होगा। परन्तु निश्चय ही हम ऐसे किसी हल को स्वीकार नहीं कर सकते जो अनानुपातिक रूप से मंहगा हो। हमें इन दोनों में सन्तुलन कायम करना होगा। हम अब यही कर रहे हैं। एक पहलू यह भी है। अतः इसी कारण स्पष्ट रूप से यह निश्चय किया है कि कठिनाइयों को कम करने के लिये हम एक रुपये अथवा दो रुपए के नोटों के स्थान पर सिक्के चलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यह अधिक लम्बे समय तक चलें। इसके साथ ही नष्ट करने की समस्या भी कम हो जाएगी।

दूसरे मामले का जहां तक सम्बन्ध है मजदूर संघों ने जो सुझाव दिए हैं मैंने उनकी जांच की है। उनके सुझाव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। हमें इस मामले को नहीं उठाना चाहिए क्योंकि मैं इसे दूर करने में समर्थ हूं। उन्होंने भी हमारे सूत्र को स्वीकार कर लिया है। हमें और ज्यादा इस पहलू में नहीं जाना चाहिए।

श्री राजेश कुमार सिंह : मुद्रणालय के संबंध में क्या है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : उसका इससे कोई संबंध नहीं है। आप एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा प्रत्येक विषय पर चर्चा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका संबंध केवल सड़े-गले नोटों से है। यह आम चर्चा नहीं है। इसके लिए आपको कोई और अवसर मिलेगा।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सड़े-गले नोटों को नष्ट करने के संबंध में लोगों के दिलों में विद्यमान अनेक भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास किया है। परन्तु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली को अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। जब कभी समाचार पत्रों में खयानत अथवा बैंकिंग प्रणाली में गड़बड़ी के बारे में कुछ प्रकाशित होता है तो कभी-कभी लोगों के बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को धक्का लगता है। हमारे जैसे देश में जहां बैंकिंग प्रणाली अत्यन्त पिछड़ी हुई है, इस प्रकार की प्रकृत्ति का सख्ती से मुकाबला करना होगा। निस्सन्देह, समस्या की गम्भीरता को माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है। परन्तु अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यद्यपि इस संबंध में अनुदेश विद्यमान हैं, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, परन्तु ये अनुदेश त्रुटिरहित भी होने चाहिए तथा इन अनुदेशों का पालन भी नहीं किया गया है। माननीय मत्री महोदय कहते हैं कि इन अनुदेशों को दोहरा दिया गया है। आखिरकार बैंक अधिकारी कम काम करके अत्यधिक वेतन पा रहे हैं। इसके बावजूद मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अनुदेशों का उल्लंघन अधिक और पालन कम क्यों किया गया है।

इसे दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने इन अनुदेशों का पालन नहीं किया

है। मैं जानना चाहता हूं कि वक्तव्य में केवल पंजाब नेशनल बैंक का उल्लेख है। परन्तु राष्ट्रीयकृत तथा ऐसे दूसरे कई बैंक हैं जहां बहुत अधिक धन राशि का विनिमय होता है तथा बैंक द्वारा इस धन को इस्तेमाल करने में तथा पैकेटों में कम नोट होने के समाचार अखबारों में दिन प्रतिदिन प्रकाशित होते रहते हैं। क्या कारण है कि, माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में जैसा कि कहा है कि उनकी जांच तथा प्रति जांच नहीं की जाती है ? सर्व प्रथम मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा नहीं किया गया है तो क्या इन अनुदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

दिये गये उत्तर से जो दूसरा प्रश्न पैदा होता है वह यह है। यह कहा गया है कि जिस खजांची ने पैकेटों पर हस्ताक्षर किये थे उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं। विभागीय कार्यवाही क्यों ? जब अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस मामले बनाये गये हैं तो इस खजांची के प्रति इतनी उदारता क्यों दिखाई जा रही है ? आखिर यही तो वह व्यक्ति था जिसने नोटों की जांच की थी। इसी व्यक्ति की प्रथम जिम्मेवारी थी। विभागीय कार्यवाही क्यों ? कभी-कभी विभागीय कार्यवाही का अर्थ होता है बहुत कम सजा। जिस व्यक्ति ने नोट प्राप्त किये, सबसे पहले वही जवाबदेय है। अतः जब तक उस व्यक्ति के विरुद्ध भी अन्य अपराधियों के साथ आपराधिक मामला नहीं बनाया जाता तब तक आप कुछ नहीं बना सकते। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस भद्र पुरुष के विरुद्ध, जिसे खजांची बताया जाता है, विभागीय कार्यवाही क्यों की गई है ?

दिये गये उत्तर से एक और प्रश्न जो पैदा होता है वह क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मासिक जांच किये जाने के बारे में है। क्या क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मासिक निरीक्षण किया गया था ? यदि नहीं तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ? मैं एक बार पुनः बल देता हूं कि यह महत्वपूर्ण है कि लोगों का बैंकिंग प्रणाली में विश्वास कम न हो। मैं जानता हूं कि यह धन राशि बहुत ही कम है और यह मंत्रालय अथवा भारतीय रिजर्व बैंक में आतंक पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। महत्व धन राशि का नहीं है। महत्वपूर्ण तो बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास है।

माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि 1978 से 1981 के बीच 11 धोखाधड़ी के मामले पकड़े गये। पिछले तीन वर्षों के क्या आंकड़े हैं ? क्या इनमें वृद्धि हुई है ? यदि इनमें वृद्धि हुई है तो पहले से ही पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाये गये ? जहां तक मुझे सूचना है, इनमें वृद्धि हुई है। ये लगभग दोगुना हो गए हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि पिछले आंकड़े क्या थे।

जयपुर रिजर्व बैंक में आंदोलन चल रहा है। समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि जयपुर स्थित रिजर्व बैंक के अधिकारी सड़े-गले नोटों की धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह समाचार उनके ध्यान में आया है और उन्होंने इस मामले की जांच की है और यदि उनके अधिकारियों ने जांच की है तो इसका खंडन

क्यों नहीं किया गया है ? आखिर रिजर्व बैंक में जन-सम्पर्क अधिकारी होता है और यदि कोई धोखाधड़ी नहीं थी तो लोगों को विश्वास में क्यों नहीं लिया जाना चाहिए । इसका क्या कारण है कि रिजर्व बैंक अथवा अन्य बैंक झूठे वक्तव्यों का खण्डन करने हेतु वक्तव्य जारी नहीं कर रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : सर्वप्रथम, मैं माननीय महोदय से सहमत हूं कि यह धन राशि का प्रश्न नहीं है और यह केवल एक या दो मामलों का प्रश्न नहीं है । परन्तु निस्संदेह, हमें सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को सुनिश्चित करना तथा इसे बनाए रखना होगा ।

मैं जब यह कहता हूं कि ऐसे मामलों की संख्या थोड़ी ही है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामले उठ खड़े होने चाहिये । मैंने तो केवल समस्या के आयामों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है ।

परन्तु निश्चित रूप से यह मेरा अथवा अन्य किसी का इरादा नहीं है कि इस प्रकार के मामलों की छूट दी जाये या वे जारी रहें, क्योंकि इससे अन्ततः संस्थान की विश्वसनीयता को ही ठेस पहुंचेगी । यह एक गम्भीर समस्या हैं ।

यह भी वस्तुतः विस्तार के ही कारण है । जैसा कि मैं कह चुका हूं माननीय सदस्य यह याद करेंगे कि 13 वर्ष पूर्व राष्ट्रीयकरण के समय, यदि मुझे ठीक से याद है तो बैंकों की कुल 6,800 शाखाएं थीं । आज इनकी संख्या 35,000 से भी अधिक है । परन्तु बैंकों की शाखाओं के विस्तार के साथ-साथ जमा राशि में वृद्धि नहीं हुई है । यह सच है कि हम उस तरह की विशेषज्ञता उत्पन्न नहीं कर सके जो कि विस्तृत जांच-पड़ताल कर सके और कार्य कुशलता प्रदान कर सके । अतः इस प्रकार की कमियां तो हैं और निश्चित रूप से हमें उनमें सुधार करना होगा ।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि जब मैंने यह सुझाव दिया था कि आदेशों को न केवल दोहराया गया बल्कि प्रत्येक बैंक को अनुदेश दिये गये हैं कि 'आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्षेत्रीय अधिकारियों तथा प्रभारी लोगों को इन आदेशों का पालन करना चाहिये और यदि वे अपने कर्त्तव्य में असफल रहते हैं तो उचित कार्यवाही की जायेगी ।'

तीसरे, जहां तक उस कोषाध्यक्ष की बात है, जिसके बारे में यह विशिष्ट प्रश्न उठाया गया है कि केवल विभागीय कार्यवाही ही क्यों की गई तो मैं कहूंगा कि यह न केवल विभागीय कार्यवाही थी परन्तु उसको निलम्बित भी कर दिया गया है । वह यही व्यक्ति है जिसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट द्वारा आपराधिक आरोप लगाये गये हैं और इसलिये अन्य सभी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

चतुर्थ प्रश्न यह है कि सुधार लाने हेतु और क्या कदम उठाये गये हैं ? हमने पहले ही रिजर्व बैंक के डा० हाथी के अधीन एक छोटे से ग्रुप की नियुक्ति कर दी है जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पर विचार करेगा । माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि कभी-कभी हमें शिकायतें मिलती हैं कि वास्तव में नोटों को नष्ट नहीं किया गया था । यदि सुरक्षा की व्यवस्था

पर्याप्त नहीं है तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जबकि कोई भी व्यक्ति 100 रुपये के दस नोट जेब में डालकर ले जा सकता है। जिसका अर्थ है कि काफी धनराशि अर्थात एक हजार रुपये। अतः सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिये एक छोटे से ग्रुप की नियुक्ति कर दी गई है; जिसमें विभिन्न गुप्तचर और सुरक्षा अभिकरणों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है जिससे कि वे अपनी सिफारिशें कर सकें और हम उन्हें कार्यान्वित करेंगे। न केवल सरकार की ओर से, बल्कि रिजर्व बैंक और अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा जब कभी भी इस प्रकार के मामलों की ओर हमारा ध्यान दिलाया जाता है तो वे उस पर ध्यान देते हैं और हम कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।

जयपुर की घटना के सम्बन्ध में जहां तक अन्तिम मुद्दे का सम्बन्ध है दुर्भाग्य से मुझे उसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी हासिल करनी पड़ेगी और माननीय सदस्य को भेज दी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. ए. यू. आजमी—जब आपको बुलाया गया था तो आपको अपने स्थान पर होना चाहिये था। परन्तु मैं विशेष रूप से आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं ध्यानाकर्षण नोटिस में आपका पहला स्थान है। चूंकि उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है, अतः उन्हें संक्षेप में बोलना चाहिये ··

(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इसका एक पूर्व दृष्टान्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : किशोर जी, सदभावना द्वारा हम पर्याप्त भलाई कर सकते हैं।

डा० आजमी।

श्री ए० यू० आजमी (जौनपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बहुत से फंक्शन्स हैं उनमें एक यह भी है कि सोइल्ड नोट्स को जमा करे और नये नोट्स से उनको रिप्लेस करके तमाम नेशनलाइज्ड बैंक्स को दे। अभी पिछले महीने आर. बी. आई. ने कोशिश बैंक लोग को क्लीयर करने की लेकिन अभी भी सर्क्यूलेशन में 16 करोड़ के जो नोट्स पड़े हुए हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सका। बदकिस्मती से यह भी पता चला कि 8 जुलाई को नौरोजी नगर की पंजाब नैशनल बैंक की ब्रान्च से 15,000 रुपये के नोट्स इस तरह के गायब पाये गये जिससे भी अंदाजा लगता है कि जो सिस्टम है सोइल्ड नोट्स रखने का, उनकी काउन्टिंग करने का, उनकी क्वालिटी और कंडीशन को देखने का वह बताता है कि इस तरह की गबन होती रहे। और उसके बाद यह कोशिश की गई कि कोई इमरजेंसी मैथड अडाप्ट किया जाये ताकि क्लीयरेंस हो जाय। और दिल्ली आर. बी. आई. ने कोशिश की और उसने देखा, दिल्ली आफिस ने अकेले ही, 30 जून को पता चला कि 1 और 2 रु० के करेन्सी नोट्स 26 करोड़ 29 लाख के हैं, और 5 और 10 रु० के नोट 19 करोड़ 18 लाख के हैं।

20 रुपये के एक करोड़ 74 लाख रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के दो करोड़ 75 लाख रुपये बर्बाद करने के लिये पड़े हुए हैं। इनके रिप्लेसमेंट की ड्यूटी पूरी न करने की वजह यह भी

मालूम हुई कि जो हमारे नोट एग्जामिनेशन सेन्टर हैं, जहां पर कि सिर्फ 6 हजार लोग काम कर रहे हैं और एक हजार वैकेन्सी पड़ी हुई हैं और सिर्फ 15 इश्यू सेन्टर आर. बी. आई. के हैं जो करेन्सी सर्क्यूलेशन को हैन्डल करते हैं।

ये बैंक सायल्ड नोट्स को स्टोर करते हैं जिसकी देखभाल हमारा आर. बी. आई. करता है और उनकी कन्डीशन और क्वान्टीटी चैक करते हैं। लेकिन इसके बाद यह देखा गया कि यहां पर नया तरीका ईजाद किया जाये और कोशिश की गई कि उसको जल्दी से डिस्पोज ऑफ किया जाय जिसमें कि तीन महीना लग गया। जब यह चैक पहुंचा वहां सेन्टर पर तो काउन्टिंग, एग्जामिनेशन और क्लेरीफिकेशन का जो तरीका एडाप्ट किया उसने 3 महीने 6 दिन कम कर डाला, जिससे बहुत परेशानियां पड़ीं इनको। बहरहाल, यह सब तरीके ऐसे हैं कि जिसकी वजह से यह मौका दिया गया और मौका मिलता है उसमें से नोट गायब करने का। वहां स्टाफ की कमी भी है और जो स्टाफ रेगुलर काम करता है, वह भी एक रैकेट बनाये हुए है, इसका चैक अभी तक नहीं किया गया।

मैं मंत्री महोदय से दो बातें अर्ज अरूंगा। सजेशन मेरा यह है कि जहां पर काउन्टिंग होती है नोटों की, अगर मुस्तकिल हो तो स्टाफ बढ़ा दें और नहीं तो जब काउन्टिंग शुरू करें उसकी, उस वक्त कुछ लोगों को हॉयर कर लें ताकि वे रैकेट न बना सकें और इस काम में गबन न हो सके। दूसरा, जो कुछ हुआ जिसके चार्जेस लगाये गये हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं हिन्दुस्तान के, क्या उसकी जांच मंत्री महोदय सी. बी. आई. के जरिये करायेंगे और इस रैकेटियर्ज को गिरफ्तार करेंगे और सजा देंगे और इसको फिर चैक करेंगे ताकि आईन्दा ऐसा न हो सके।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं मुख्य प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

जहां तक पंजाब नेशनल बैंक का संबंध है, हमने उन्से आदेश दिया है कि पूर्ण प्रत्यक्ष गणना के बाद सारी की सारी मुद्रा को बदल दिया जाये। सबद्ध व्यक्तियों को तो पहले ही निलम्बित किया जा चुका है। हम उन व्यक्तियों के बारे में भी अनुदेश जारी कर चुके हैं जो कि अनुदेशों और सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। इस कार्य के लिए जहां तक बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने का सबंध है मैं अपनी कठिनाई स्पष्ट कर चुका हूं। मैं माननीय सदस्य को कुछ आंकड़े दे सकता हूं कि कितना काम किया जा रहा है।

1978 में नष्ट किये गये गले-सड़े नोटों की कुल संख्या 363.5 करोड़ थी। इस प्रकार 1979, 1980 और 1981 में ऐसे नष्ट किये गये नोटों की संख्या क्रमशः 345 करोड़, 446 करोड़ और 378 करोड़ थी। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं एक ग्रुप की नियुक्ति कर दी गई है और वे यह सिफारिशें करेंगे कि किस संभव तरीके से हम त्रुटियों को दूर कर सकते हैं और कार्यकरण में सुधार करते हैं। माननीय सदस्य ने बताया है कि यह कोई सुस्पष्ट प्रणाली नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि संभवतः इस स्थिति में हम उस सुस्पष्ट प्रणाली को पूर्णतया

जागू नहीं कर सकते हैं, परन्तु यथासंभव हम इसके अंश को कम करना होगा और हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लिये जायेंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) भारत की सांस्कृतिक धरोहर बनाए रखने हेतु नीति बनाने की आवश्यकता

श्री भीखाभाई (वांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय इस सदन में उठाना चाहता हूं—

मेरा तात्पर्य तीर्थ यात्रियों द्वारा उठाये जा रहे कष्ट के बारे में है जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को बनाये रखने हेतु है। जो यात्रीगण हेमकुंड गुरुद्वारा जाते हैं, इनको अपार कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। हेमकुंड गुरुद्वारा उत्तर प्रदेश में हिमाचल की एक चोटी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 15,2।।। फीट है। इस गुरुद्वारे में जाने के लिए आखिरी पड़ाव गोविन्द-घाट एवं गोविन्दधाम गुरुद्वारा में करना पड़ता है। इन गुरुद्वारों के अलावा यहां पर ठहरने आदि का और कोई प्रबंध नहीं किया गया है।

गोविन्द धाम एवं गोविन्दघाट के गुरुद्वारों का प्रबंध किसी निजी ट्रस्ट में है और यहां के कार्यकर्ता लोग मनमाने तरीके से यात्रियों को आवश्यक सुविधायें प्रदान करते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि बहुत से यात्री अगर इस ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं आदि से संबंधित नहीं हैं, तो उनको कम्बल, लंगर वगैरह का प्रबंध सुचारुरूपेण नहीं हो रहा है और यात्रियों को अपार कष्ट का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा भारत सरकार से पुनः आग्रह है कि वो भारत की सांस्कृतिक धरोहरों के रख-रखाव व सुविधाजनक वातावरण के लिए कोई ठोस नीति बनायें। बहुत पहले बनाये गये कानूनों में परिवर्तन करें और तत्संबंधी प्रशासनिक ढांचे को ठोस बनायें। खेल मंत्रालय की तरह एक अलग से मंत्रालय तुरन्त इसके लिए बनाया जाये।

(दो) राजस्थान के कापुर्डी और मेड़ता क्षेत्रों में उपलब्ध लिग्नाइट संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न लिखित वक्तव्य देना चाहता हूं।

राजस्थान में लिग्नाइट का भारी भण्डार है, विशेषकर कापुर्डी (जिला बाड़मेर) और मेड़ता रोड (नागौरा जिला) में। राजस्थान सरकार ने इन दो चुने हुए खण्डों में लिग्नाइट के भण्डारों की प्राथमिक जांच अपने खान और भूविज्ञान विभाग से करा ली है।

अब तक के परिणाम बड़े ही उत्साहवर्धक रहे हैं और यह आशा की जाती है कि खनिज अन्वेषण निगम मेड़ता के 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में और कापुर्डी के 6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत रूप से जांच करेगी। यह अनुमान लगाया गया है कि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र का जांच से लगभग 300 से 350 लाख टन के भण्डार मिलेंगे। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में मिलने वाले लिग्नाइट की गुणवत्ता नेवेली के लिग्नाइट से की जा सकती है। कपुर्डी क्षेत्र की पहले जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां भण्डारों के अच्छे आसार का समाचार है।

केन्द्रीय खनिज अन्वेषण निगम से विस्तृत खोज का कार्य करने का निवेदन किया जाता है और भारत सरकार के कोयला विभाग से इस उद्देश्यार्थ खनिज अन्वेषण निगम को आवश्यक धन प्रदान करने का निवेदन किया जाता है।

चूंकि लिग्नाइट का उपयोग मुख्यतया विद्युतोत्पादन के लिए किया जाता है, तो आर्थिक कार्य विभाग और ऊर्जा विभाग से भी उस क्षेत्र में न केवल खोज कार्य करने अपितु 'तापीय सयन्त्र' भी स्थापित करने हेतु उपयुक्त विदेशी संगठनों के साथ मिलकर दीर्घकालीन सहयोग कार्यक्रम पर विचार करने का निवेदन किया जाता है।

राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में लिग्नाइट संसाधनों की खोज, अन्ततः राज्य के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।

(तीन) केरल में काफी उत्पादकों को यथोचित मूल्य दिलाना

श्री इ० के० इम्बीचीबावा (कालीकट) : केरल की रबड़, खोपरा, कॉफी, चाय, मसाले आदि जैसी नगदी फसलों को इसकी अर्थ व्यवस्था की रीढ़ कहा जा सकता है। केरल के कॉफी उत्पादकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं जिन्हें सही ढंग से केन्द्रीय सरकार की सामयिक कार्यवाही द्वारा ही हल किया जा सकता है। कॉफी की कुल सम्पदा का 5।% केरल में है। कॉफी उत्पादकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनको अविलम्ब हल किया जाना चाहिए। समस्याएं इस प्रकार हैं :-(1) अधिकतम आरक्षित मूल्य निश्चित करना। अ० आ० मू० के पीछे यह सिद्धांत कार्य कर रहा है कि कॉफी को किसी भी समय उत्पादन लागत से कम मूल्य पर नहीं बेचा जाना चाहिए। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय बेतरतीब नमूना विधि द्वारा उत्पादन लागत निश्चित करती है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रतिनिधि इकाईयों से कुछ अनुमानित खर्च पता करके औसत निकाल ली जाती है। यह एक गलत तरीका है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों के मुकाबले में केरल में काफी उत्पादन पर अधिक लागत आती है। अतः, जब एक औसत निकाली जाती है तो केरल में उच्च उत्पादन लागत उसमें दिखाई जाती है। इसलिए निम्नांकित सुझावों पर विचार किया जाये।

अधिकतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने का अधिकार कॉफी बोर्ड की विपणन-समिति को दिया जाना चाहिए, (2) कॉफी बोर्ड की विपणन समिति को अधिकतम आरक्षित मूल्य का

आवधिक संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए और कॉफी का अधिकतम आरक्षित मूल्य इस ढंग से निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के साथ मेल खा सके।

कॉफी पर उत्पाद-शुल्क वास्तव में ही एक बाधा है। उत्पाद-शुल्क और निर्यात-शुल्क को समाप्त कर दिया जाना चाहिये, जिससे कि बिना किसी पूर्वाग्रह के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सके।

दुर्भाग्य से वर्तमान कॉफी बोर्ड में केरल का केवल एक ही प्रतिनिधि है। बड़े-बड़े (रॉबूस्टा) उत्पादकों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

(चार) **केरल में चेरुथुरुथि स्थित भारतीय पंचकर्म संस्थान में पोलियो केन्द्र स्थापित करना**

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालाघाट) : केरल के भारतीय पंचकर्म संस्थान, चेरुथुरुथि में एक पोलियो-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव था। पोलियो-ग्रस्त लोगों के उपचारार्थ 50 बिस्तरों की व्यवस्था करने तथा आधुनिक अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव था। पंचकर्म संस्थान, आयुर्वेद और सिद्ध केन्द्रीय परिषद के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन है। गथ वर्ष इस परिषद के एक उच्चाधिकारी ने विस्तार से विचार-विमर्श किया था और उसके आधार पर एक प्राक्कलन तैयार करके अनुमोदनार्थ दिल्ली भेजा गया था। अब यह पता चला है कि प्रस्तावित पोलियो केन्द्र चेरुथुरुथि में स्थापित नहीं किया जायेगा। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है।

पंचकर्म संस्थान को आज से ग्यारह वर्ष पूर्व मुख्य रूप से पक्षाघात पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से स्थापित किवा गया था। इस रोग पर अनुसंधान करने वाला दक्षिण भारत का यह प्रथम आयुर्वेदिक संस्थान है। इसमें भर्ती किये गये रोगियों के उपचारार्थ यहां पर पर्याप्त सुविधाएं हैं। तेल मालिस, भौतिक-चिकित्सा जैसे सुप्रसिद्ध आयुर्वेदीय उपचार यहां किए जाते हैं। इसकी अपनी यन्त्रीकृत भेषजशाला में औषधियां तैयार की जाती हैं।

इन सुविधाओं के यहां पर उपलब्ध होने के बावजूद, यह और भी विचित्र बात है कि इस संस्थान में प्रस्तावित पोलियो केन्द्र स्थापित न करने का निर्णय लिया जाय। अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस पर फिर से विचार करें और चेरुथुरुथि में केन्द्र स्थापित करें।

(पांच) **कर्नाटक के गोमटेश्वर के आसपास खदान कार्य पर रोक लगाने हेतु कदम उठाना**

श्री० टी० आर० शमन्ना (बंरलौर दक्षिण) : एक ही शिला को काटकर बनाई गई श्री गोमटेश्वर जी की मूर्ति विश्व में बेजोड़ है। यह 600 फुट ऊंची छोटी पहाड़ी पर है।

छोटी पहाड़ी और 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की मूर्ति एक बड़ी चट्टान है जो कि एक वर्ग मील क्षेत्र से अधिक में फैली हुई है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भगवान बाहुबली (गोमटेश्वर) की मूर्ति एक हजार वर्ष पूर्व बनाई गई थी। यह याद होगा कि 1980 में गोमटेश्वर का 1000 वां वर्ष मनाया गया था और सम्पूर्ण श्रद्धा और सजधज के साथ महा-मस्ताभिषेक सम्पूर्ण हुआ था। विश्व में श्री गोमटेश्वर की मूर्ति आकार में अद्वितीय है। मूर्ति पूर्ण है और यह सजीव है और जो कोई भी इस चमत्कारी दैवी मूर्ति को देखेगा आनन्दित हो उठेगा।

यह बड़े खेद की बात है कि इस ऐतिहासिक दैवी और अद्भुत स्मारक को क्षति पहुंचाई जा रही है।

गोमटेश्वर चट्टान की बड़े पैमाने पर खदान कार्य चल रहा है और ठेकेदारों के शक्तिशाली गिरोह के लिए हजारों असभ्य मजदूर उस चट्टान को काट रहे हैं। ठेकेदारों की सहायता बहुत से स्वार्थी राजनीतिक लोग कर रहे हैं और चट्टान को तोड़ने के लिए शक्तिशाली डायनामाइट प्रयोग में लाया जाता है (अब उनका कहना है कि अब वे केवल बारूद प्रयोग में ला रहे हैं और डायनामाइट का प्रयोग बन्द कर दिया है)। विशेषज्ञों के मतानुसार इससे गोमटेश्वर को क्षति पहुंचेगी। श्रवर्ण बेलागोला के जैन स्वामी जी की आपत्ति को अनसुना कर दिया जाता है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की शिकायत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। प्रेस के माध्यम से किए गये सभी समझदार लोगों के विरोध की परवाह नहीं की जाती है। इस खदान कार्य में अमूल्य प्राचीन शिलालेख और एक देवी का मन्दिर नष्ट हो गये हैं।

हमारे देश की संसद को अधिनियमानुसार इस प्रकार के ऐतिहासिक स्मारक की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना होगा। मैं जोरदार शब्दों में भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रभावी कदम उठाकर इस असभ्य कार्य को रोका जाए और विश्व प्रसिद्ध गोमटेश्वर को इस क्षति से बचाया जाए। विन्ध्यगिरि की पवित्र पहाड़ी के चारों ओर खदान कार्य पर पाबन्दी लगाने के सरकारी आदेश हैं।

(छः) देश में नशाबन्दी लागु करने हेतु कदम उठाना

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन जहरीली शराब से देश में मौतें हो रही हैं। विडंबना है कि गांधी के देश में गरीबों को शराब पिलाकर मारा जा रहा है। गरीबों की बस्ती में आवश्यक वस्तुयें तो उपलब्ध करा नहीं पाते, परन्तु उनके परिवारों को अनाथ तथा बर्बाद करने के लिए शराब की दुकानें अवश्य खोल दी जाती हैं। सरकार आश्वस्त करे कि गरीब, मेहनतकशों की बस्ती के आस-पास शराब की कोई दूकान नहीं खुलेगी और हरिजन आदिवासी बस्तियों के समीप विद्यमान शराब की दूकानों को शीघ्र स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

हास्यास्पद है कि एक ओर तो करोड़ों रुपए ऐसे विज्ञापनों पर व्यय किए जाते हैं कि शराब जहर है, यह सर्वविनाशक है, दूसरी ओर बोतलें लोगों के गलों में ढालते जा रहे हैं। देश

समाज में निरन्तर बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, अनाचार आदि राष्ट्रीय चरित्र में जो ह्रास आया है, उसके प्रमुख कारणों में शराब भी एक है। देश को तय करना होगा कि उसे शराब की आय प्रिय है अथवा राष्ट्र का चरित्र ? केन्द्रीय सरकार इस समस्या के प्रति निरपेक्ष है। मद्य-निषेध एक राष्ट्रीय नीति है। संविधान के निदेशक सिद्धांतों की धारा 47 के अंतर्गत इसके प्रति सरकार का उत्तरदायित्व है। एक लम्बी कहानी हो जायेगी कि इन्सान शराब के उन्माद में हैवान बनकर कैसे-कैसे अकल्पनीय अनाचार कर बैठता है। यह देश की प्रति दिन की करुण गाथा है।

अतएव मैं माननीय गृह मंत्री जी से साग्रह अनुरोध करूंगा कि वे राज्यों के गृह मंत्रियों, समांज कल्याण मंत्रियों एवं एच्छिक संस्थाओं आदि के सहयोग से कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त करें, जो धीरे-धीरे मद्य-निषेध की दिशा में अग्रसर हो सके। इस ज्वलन्त समस्या पर दो-तर्फा प्रहार होना चाहिए—"मद्य निरोधनम् तथा मद्य-वर्जनम्" के द्वारा। कठोर वैधानिक कार्यवाही तथा ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा जागृत चेतना, दोनों का समन्वय विशेष लाभकारी होगा।

———

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे ही सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत होगी, विदेश मंत्री, श्री पी० वी० नरसिंह राव प्रधान मंत्री के हाल ही के सोवियत संघ के दौरे और बंगलादेश जनवादी गणराज्य की सरकार की मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष महामहिम ले० जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की हाल की भारत यात्रा के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट तक के लिए स्थगित हुई ?

———

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 12 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

प्रधान मन्त्री की सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की यात्रा के बारे में एक वक्तव्य

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : जैसा कि सदन को ज्ञात है कि राष्ट्रपति ब्रेजनेव के निमंत्रण पर प्रधान मंत्री ने 20 से 26 दिसंबर तक सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की राजकीय यात्रा की थी। मास्को के अलावा उन्होंने ताल्लिन और कीव की भी यात्रा की। उन्होंने राष्ट्रपति ब्रेजनेव से परम्परागत मित्रता और हार्दिकता के वातावरण में बातचीत की।

जोकि भारत-सोवियत संबंधों की विशेषता है, और इस बातचीत में उन्होंने आपसी हित के विविध विभिन्न विषयों पर चर्चा की। प्रधान मंत्री ने मास्को में सोवियत प्रधान मंत्री श्री निकोताई तिखोनोव, विदेश मंत्री श्री आन्द्रे ग्रोमिको और सर्वोच्च सोवियत के विशिष्ट सदस्यों से बातचीत की और ताल्लिन तथा कीव में क्रमश: एस्टोनियाई और यूक्रेनियाई गणराज्यों के नेताओं से भी। उन्होंने मास्को में महत्वपूर्ण सोवियत संगठनों द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक रैली को भी सम्बोधित किया। एक विशेष समारोह में मास्को नगर के एक चौक का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। उन्हें कीव में उस ऐतिहासिक नगर की मानद नागरिकता और कीव राज्य विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गयी। प्रधान मंत्री जहां भी गयीं उनका वहां की जनता ने बहुत हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया और प्रधान मंत्री ने भी उनके प्रति भारत की जनता की शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

भारत और सोवियत संघ की मित्रता का आधार हमेशा ठोस और सुदृढ़ रहा है और प्रधान मंत्री की इस यात्रा से हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के संबंध और सुदृढ़ हुए। राष्ट्रपति ब्रेजनेव के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत से, जिसके परिणाम एक संयुक्त घोषणा में लिपिबद्ध किए गए हैं, यह स्पष्ट हुआ कि सोवियत संघ भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है और वह विभिन्न क्षेत्रों में हमारे साथ अपने सहयोग का दायरा बढ़ाने को तत्पर है। हमने भी अपनी ओर से इसी तरह के भाव व्यक्त किए। भारत-सोवियत संबंध पारस्परिक एक दूसरे के साथ लाभदायक होने के साथ-साथ ही संसार में शांति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटक भी है। राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने गुट-निरपेक्षता की नीति पर निरन्तर चलने की तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और मित्रता की दिशा में हमारे कार्य की अत्यन्त हार्दिकतापूर्ण शब्दों में सराहना की।

अपने सार्वजनिक भाषणों में और व्यक्तिगत विचार-विमर्शों में प्रधान मंत्री ने विश्व की बिगड़ती हुई स्थिति पर अपनी गंभीर चिन्ता और शांति तथा निरस्त्रीकरण की दिशा में अधिकाधिक प्रयत्न करने के अपने संकल्प पर बल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की ओर निरंतर प्रयत्नशील हैं। उन्होंने इन अवसरों पर यह भी बताया कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध सामान्य करने की दिशा में और अपने क्षेत्र में बढ़ते हुए सैन्यकरण के बावजूद मतभेदों को बातचीत के द्वारा हल करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

दोनों पक्षों ने अपनी यह धारणा दोहरायी कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बल-प्रयोग अथवा बल-प्रयोग की धमकी का परित्याग तथा राज्यों की अखंडता का सम्मान और एक-दूसरे के राज्य के आंतरिक मामलों में अ-हस्तक्षेप होना चाहिए। हमने प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में खासतौर से परमाणु निरस्त्रीकरण

की दिशा में प्रभावकारी कदम उठाने का भी अनुरोध किया। सोवियत संघ ने नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग न करने के संबंध में एक अभिसमय के हमारे प्रस्ताव का तथा पूर्ण परीक्षण प्रतिबन्ध संधि की भूमिका के रूप में नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षणों को तत्काल स्थगित करने के हमारे आह्वान का समर्थन किया है। दोनों पक्षों ने नाभिकीय अस्त्रों वाले राज्यों की इस विशेष जिम्मेदारी पर बल दिया कि उन्हें निरस्त्रीकरण की दिशा में तत्काल उपाय बरतने चाहिये और हमने इस लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किये जाने वाले सभी रचनात्मक प्रस्तावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। हमने सोवियत संघ की इस घोषणा का स्वागत किया कि वह नाभिकीय अस्त्रों के प्रयोग में पहल नहीं करेगा। यह नाभिकीय अस्त्रों की धमकी या उनके प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दोनों पक्षों ने हिन्द महासागर, पश्चिम एणिया, दक्षिण-पश्चिम एशिया जिसमें अफगानिस्तान और अफ्रीका भी शामिल हैं, की ताजा घटनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निर्लज्जतापूर्ण उल्लंघन करते हुए अपनी विस्तारवादी और आक्रमणकारी नीतियों पर चलते रहने के लिए, लबनान पर अकारण आक्रमण करने के लिये तथा नागरिकों का विशेष रूप से शरणार्थी महिलाओं और बच्चों का नर-संहार करने और जेलों में जुल्म ढाने के लिए इजराइल के कारनामों पर अपना विक्षोभ और निराशा व्यक्त की। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है हम इस बात पर सहमत थे कि इसका समाधान राजनीतिक बातचीत के द्वारा निकाला जा सकता है और निकाला ही जाना चाहिये। हमने यह भी महसूस किया कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ने जो पहलकदमी की है, वह उपयोगी है।

प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने अपने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की समीक्षा की जो कि पहले से भी काफी व्यापक है और धीरे-धीरे और अधिक विस्तृत हो रहे हैं। सोवियत संघ की उनकी इस यात्रा से ठीक पहले भारत-सोवियत आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक संयुक्त आयोग की वार्षिक बैठक हुई थी। आयोग ने विगत एक वर्ष की प्रगति की समीक्षा की और निकट भविष्य के लिये ठोस लक्ष्य निर्धारित किये। दोनों पक्ष लौह एवं अलौह धातु कर्म, कोयला एवं तेल, मशीन-निर्माण एवं विद्युत शक्ति जैसे क्षेत्रों में और आधार-भूत एवं व्यवहृत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में और अधिक विस्तार की सम्भावनाओं पर विचार करेंगे। हमने आगामी चार वर्षों में दोनों देशों के बीच के व्यापार को डेढ़ से दो गुणा तक बढ़ा देने का सुनिश्चय कर लेने के अपने संकल्प की भी पुनः पुष्टि की है।

बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने सोवियत संघ के आर्थिक एवं अन्य विकासों का उल्लेख किया। प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर पड़ोस की घटनाओं की समीक्षा करने तथा अपने देश की स्थिति की चर्चा करने के सुयोग का भी लाभ उठाया तथा भारत के समक्ष उपस्थित बहुत सी चुनौतियों से निपटने के लिये राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता की आवश्यकता की ओर

भी संकेत किया तथा यह भी बताया कि भारत द्वारा स्थायित्व और गुट-निरपेक्षता की नीति पर अनुसरण करने से इस क्षेत्र की और विश्व की शांति की दिशा में कितना योगदान मिलता है ।

सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और इनमें किसी अन्य राष्ट्र का अहित नहीं । प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति ब्रेजनेव और प्रधान मंत्री तिखोनोव को भारत आने का निमंत्रण दिया; ये निमंत्रण स्वीकार कर लिये गये हैं । हमें विश्वास है कि इस प्रकार की उच्च स्तरीय यात्राओं से हमारे संबंध और सुदृढ़ होते हैं क्योंकि हमारे इन संबंधों का एक लोकप्रिय चरित्र है जो मित्रता, पारस्परिक सम्मान और सहयोग की ठोस नीति पर आधारित है ।

— — —

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संसद की सीमा पर तूफान मचा है, गोलियां चल रही हैं, पब्लिक के लोग मारे गए हैं, तमाम गाड़ियां फूंक दी गई हैं । मैं कहना चाहूंगा गृह मंत्री जी से कि वह जानते थे यहां पर कोई प्रदर्शन होने वाला है अकालियों का तो उन्होंने पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की जिससे सुरक्षा हो सकती और लोगों की जान बच जाती, जो जन.सम्पत्ति नष्ट हो गई है, वह बच जाती । यह सरकार का निकम्मापन है । सरकार का ढीलापन है । पब्लिक की तमाम मोटर साइकलें फूंक दी गई हैं, गाड़ियां फूंक दी गई हैं । इस समय भी बाहर तूफान मचा हुआ है । संसद के बाहर निकल कर सीमा पर आप देख सकते हैं । एनेक्सी के एक गेट पर पत्थर चले हैं, तमाम लाइटें तोड़ दी गई हैं, तमाम शीशे वहां तोड़ दिये गये हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि इस सबको रोकने की क्या व्यवस्था की गई थी ? क्यों इतनी पुलिस फोर्स नहीं लगाई, क्यों तत्काल बचाने की कोशिश नहीं है । आपको बताना चाहिये । समस्याओं को हल करने से सरकार कतराती है । गृह मंत्री को तत्काल ब्यान देना चाहिये ...

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनको अनुमति नहीं दे रहा हूं । उनको चिल्लाने दो ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनको अनुमति नहीं दूंगा । कृपया कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें । यही सही रास्ता नहीं है । पहले मंत्री को वक्तव्य समाप्त कर लेने दें ।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें। यह सही रास्ता नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ नहीं है। श्री नरसिंह राव, आप अपना दूसरा वक्तव्य पढ़ सकते हैं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें। वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। मंत्री महोदय एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं। सदन में कुछ गंभीरता होनी चाहिए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यह सही तरीका नहीं है।

बंगलादेश जनवादी गणराज्य की सरकार की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की हाल की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर महामान्य, लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद एन. डी. सी., पी. एस. सी., ने 6 और 7 अक्तूबर को भारत की राजकीय यात्रा की।

मैं सदन की मेज पर यात्रा के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति गंगा के जल के बारे में दोनों सरकारों द्वारा की जाने वाली अगली कार्रवाई संबंधी समझौता ज्ञापन, तीन बीघा के स्थायी पट्टे की शर्तों से संबंधित समझौता और दोनों देशों के बीच एक संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना से संबद्ध समझौते की प्रति रख रहा हूं, जिन सबका आदान-प्रदान 7 अक्तूबर, 1982 को बंगलादेश के विदेश मंत्री और मेरे बीच हुआ था।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, ये दस्तावेज इस बात का स्वयं प्रमाण हैं कि इस यात्रा की क्या-क्या उपलब्धियां रहीं। गंगा के पानी के बंटवारे का प्रश्न भारत और बंगलादेश दोनों में ही गहरी चिंता और काफी वाद-विवाद का मामला बना रहा है। हाल ही की बातचीत के दौरान दोनों पक्षों की यही कोशिश रही है कि इस मामले में आगे बढ़ा जाए, ताकि हमारी आज की कमियां हमारे जीवन का स्थायी अंग न बन जाएं, और प्रवाह में अनुकूलतम आवश्यक अधिकतम वृद्धि यथा शीघ्र हो सके। इसलिए दोनों सरकारों ने निर्णय किया कि अगले 18 महीनों के अन्दर-अन्दर व्यवहार्यता सम्बन्धी पूर्व-अध्ययन करके, उक्त अवधि के अन्त तक कार्यान्वयन के लिये एक इष्टतम समाधान पर सहमत हो जायें। इसी बीच, हमने उपलब्ध पानी के बंटवारे का एक नया आधार तैयार कर लिया है, जिसके अन्तर्गत हमारे लिये यह जरूरी नहीं कि हमें पानी की कमी का बोझ निरन्तर बर्दाश्त करना पड़ता रहे बल्कि यह हमें ज्यादा सहयोग के साथ और सिर्फ 18 महीनों के लिये करना पड़े। इस बात की कोशिश की गई है कि इसमें बंगलादेश की समस्याओं को और कलकत्ता पत्तन की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा जा सके। हमारा विश्वास है कि अध्ययन पूरा होने तक के लिये यह व्यवस्था दोनों देशों की जनता के हितों के साधन का सबसे अच्छा प्रबन्ध है और इसके साथ ही इस बात का भी दृढ़ निश्चय किया गया है कि यह अध्ययन बहुत जल्द पूरा कर लिया जाए ताकि दीर्घकालिक समाधान तक पहुंचा जा सके।

इस बारे में भारत में कुछ चिन्ता व्यक्त की गई है कि तीन बीघा क्षेत्र बंगलादेश को पट्टे पर दे देने से, कुचली बाड़ी का क्षेत्र शेष भारत से कट जायेगा। बंगलादेश के साथ वार्ता के समय इन बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है और, जैसा कि सहमत शर्तों से पता चलता है, कुचली बाड़ी में भारतीय राष्ट्रिकों के आवागमन का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। उक्त पट्टे पर हुये समझौते से दोनों देशों के बीच 1974 के भू-सीमा समझौते में उल्लिखित वचनबद्धता पूरी हो गई है और वह हमारे सम्बन्धों के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह बन गया है।

संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना से, दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों को बड़ा प्रोत्साहन तथा व्यापकता प्राप्त होगी। यह आयोग विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान संस्थाओं की जगह नहीं लेगा, बल्कि एक मार्गदर्शी और समन्वय एजेंसी का कार्य करेगा, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित हो सके, जैसा कि दोनों सरकारें चाहती हैं। दोनों सरकारों में इस बारे में भी सहमति हुई कि वे दीर्घावधि वाणिज्यिक संविदायें करने पर और संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने पर विचार करेंगी जिनसे दोनों पक्षों को लाभ पहुंचे।

भारत और बंगलादेश दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि बहुत से समान और निकट संबंधों में परस्पर गुथे हुए हैं, लेकिन कभी-कभी इन संबंधों पर क्षणिक समस्याओं के बादल छाये से

मालूम पड़ते हैं। बंगलादेश की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष की इस यात्रा से दोनों सरकारों को अपने सम्बन्धों के सभी पहलुओं का जायजा लेने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, ताकि उन्हें और मजबूत बनाया जा सके और कतिपय अनिर्णीत प्रश्नों को हल किया जा सके। यह यात्रा सौहार्द्रपूर्ण व मैत्रीपूर्ण रही है और यह दोनों ही देशों के भविष्य के लिये शुभ होगी और मुझे यकीन है कि भारत की संसद और जनता इसका स्वागत करेगी।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पौइंट आफ आर्डर है। मैंने अभी कहा कि संसद घिरी है और ईंट पत्थर चल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इनको इसकी सूचना है कि नहीं ? अगर सूचना है तो इनको तत्काल सदन को सूचना देनी चाहिये और बयान देना चाहिये।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें। कोई भी स्पष्टीकरण नहीं पूछ सकता। अगर आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो, इसकी सूचना दें। अब विधान कार्य सम्बन्धी विधेयकों पर विचार होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं तो केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। इसी बीच रक्षा मंत्री सदन छोड़ गये हैं। ठीक है, कोई बात नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई स्पष्टीकरण मांगा जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं तो केवल भविष्य के लिये, आपका निदेश चाहता हूं। मैं नहीं समझता कि लोक सभा सदस्यों को उस विशेषाधिकारों से वंचित क्यों रखा जाये जो कि दूसरे सदन के सदस्यों को प्राप्त हैं। जब कभी भी, इस प्रकार के एक जैसे वक्तव्य दोनों सदनों में पेश किये जाते हैं तो कम से कम स्पष्टीकरण पूछने की और कुछ प्रश्न पूछने की दूसरे सदन में उनको अनुमति दी जाती है। अगर वही प्रक्रिया यहां भी अपनाई जाती है और हमें भी अनुमति दे दी जाये तो आसमान नहीं गिर जायेगा। अब अगर कोई एक स्पष्टीकरण चाहता है तो पीठासीन अधिकारी शीघ्र ही उसे यह कहकर चुप करा देंगे, "नहीं, मैं उनको कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दूंगा।" यह ठीक नहीं है .....

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बातों को सुना है।

नियम 372 में कहा गया है :—

"लोक-महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।"

इसलिए नियमों को बदलें। आप नियम बदलकर, प्रश्नों को पूछ सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर आप इतने ही कट्टर हैं तो ....

उपाध्यक्ष महोदय : हमें नियमों के अनुसार सदन की कार्यवाही सम्पन्न करनी है। मान लें, मैं नियमों के अनुसार सभा की कार्यवाही का संचालन नहीं करता तो व्यवस्था का प्रश्न उठ खड़ा होगा कि मैंने नियमों की अवहेलना की है और मैं नियमों के अनुसार नहीं चला हूं। इसलिए माननीय सदस्यों, जिनके लिए मेरे दिल में काफी आदर है, को सुझाव देना चाहूंगा कि वे इन मामलों को नियम समिति में उठा कर इन्हें बदल सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि दूसरे सदन में कोई नियम नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दूसरी सभा से कोई मतलब नहीं है। मैंने यह कहा है कि : कृपया नियमों को बदलें, जोकि आप कर सकते हैं। मगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं॥ इसलिए नियमों को बदलें।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : नियमों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक नियम नहीं बदले जाते मैं इनके विरुद्ध नहीं जा सकता।। नियम बहुत स्पष्ट है। नियम 372 बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए मैं अगले विषय, विधायी कार्य, पर आता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब इस पर कुछ भी कहने को नहीं बचा। आपको नियमों को बदलना होगा, जोकि आप हमेशा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आपने कुछ नियम बनाकर हमें दिये हैं। हम सभा की कार्यवाही इनके अनुरूप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उपाध्यक्ष ने इनको बनाया हो। माननीय सदस्यगण, नियम आपने बनाये हैं और आप चाहते हैं कि हम इनका आदर करें, इन्हें मानें। इसीलिए मैंने नियम 372 का पालन किया है, जो कि आपने बनाया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम कई वर्षों से कुछ नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते आ रहे हैं.....(व्यवधान)। हममें से कुछ सदस्य काफी अर्से से इस सदन के सदस्य हैं। अगर मैं यह कहूं कि मैं आपसे पहले इस सदन का सदस्य बना हूं, तो मेरा मतलब आपका व्यक्तिगत अनादर करना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय मैं दूसरे सदन में था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर आप दूसरे सदन में थे तो आप भाग्यशाली थे। पहले हम पर भी वही कानून लागू होते थे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, और मैं पहले की कार्यवाही वृत्तांत से उदाहरण दे सकता हूं कि 10-15 वर्ष पहले भी हम पर यही कानून लागू होते थे, लेकिन सभापति महोदय कुछ वाजबी स्पष्टीकरण या एक या दो प्रश्नों की अनुमति दे दिया करते थे, और इस तरह का सख्त रवैया नहीं अपनाया जाता था कि क्योंकि कानून में ऐसा है, इसलिये हम इस पर से बिल्कुल ही इधर-उधर नहीं हट सकते। मैं नहीं समझता कि भारत का प्रभुसत्ता-सम्पन्न सदन इस तरह चल सकता है। इसकी कुछ अपनी परिपाटियां होनी चाहिए। कुछ लचीलापन होना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सतीश अग्रवाल। केवल आप इसी बात पर बोलें, वक्तव्य पर नहीं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : जैसा कि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि कुछ परिपाटियां और मान्यतायें भी होती हैं। यहां-वहां कुछ स्पष्टीकरण से नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होता। नियम अपनी जगह पर हैं। राज्य सभा के भी कुछ नियम हैं, जिसके काफी समय तक सदस्य बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। स्वभावतः, हमारा आपसे इतना ही निवेदन है कि इन सब नियमों के बावजूद कुछ परिपाटिगां और मान्यताएं भी हैं, जिनके फलस्वरूप हम कुछ छोटे-मोटे स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। आपको उसकी हमेशा अनुमति देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री हाल्दर बोलेंगे। सिर्फ इसी मामले पर।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कामरेड इन्द्रजीत गुप्त और श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं एक छोटा-सा अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय विदेश मंत्री ने सभा पटल पर भारत और बंगलादेश के बीच हुई संयुक्त विज्ञप्ति रखी है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। सदन को इस पर अवश्य चर्चा करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में अध्यक्ष को सूचना दें, अब श्री राही बोल सकते हैं। आप वक्तव्य के मूल पाठ पर न जायें, सिर्फ इसी पर बोलें।

श्री राम लाल राही : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाह रहा था, उससे इस सदन की मर्यादा भी जुड़ी हुई है। मुझे जहां तक पता है, सुबह अकाली दल के कुछ लोग अध्यक्ष महोदय से मिलने आये और मिलकर चले गये, वह कोई अपनी मांगें लेकर मांग-पत्र देने आये थे।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह हाउस, संसद घिर जाये, कुछ लोग इसे घेर लें और अगर सरकार को इस बात का पता हो कि लोग इस पर हमला करेंगे या घेरेंगे या अपनी मांगों को लेकर आयेंगे तो क्या इस सरकार का यह दायित्व नहीं है कि पहले से तैयारी रखे और कोई अप्रिय घटना न होने दे ?

मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार को जानकारी थी, तो इस तरह से लोगों की जान खतरे में क्यों डाली गई ? जब धन का नुकसान हुआ है, संसद पर पत्थर चले, शीशे टूटे हैं, लोग मारे गये हैं, मोटर साइकिलें फूंक दी गई हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप गृह-मंत्री से कहें कि वह स्टेटमैंट दें और लोगों की जान-माल की सुरक्षा की गारन्टी दें।···

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सूचना दें, मैं इसको अध्यक्ष तक पहुंचा दूंगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें। आप कहीं पर भी घटित किसी भी घटना की यहां चर्चा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक आप सूचना नहीं देते, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप सिर्फ अपने संतोष के लिए ही बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

(व्यवधान)*

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन बैठा हुआ है, दो मुल्कों का फैसला हुआ है और बड़ा गम्भीर मामला था। इसमें जब जमीन के लेने-देने का सवाल था और भारत की जमीन परमानन्टली पट्टे पर दी जाये और सदन यहां बैठा हो, तो उसकी मंजूरी के बगैर राष्ट्र की जमीन देना गलत है, यह नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर आप केवल इसी विषय पर बोलें।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : हां, सिर्फ इसी विषय पर। हम इससे आगे कुछ नहीं बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य के मूल पाठ पर नहीं, बल्कि श्री इंद्रजीत गुप्त द्वारा उठाये गये मुद्दे पर।

श्री के० मायातेवर : माननीय विदेश मंत्री ने प्रधान मन्त्री की सोवियत संघ की यात्रा और बंगलादेश के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के बारे में दो वक्तव्य दिये हैं। सारे देश के लिये और विदेश मंत्रालय की नीति के लिये यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उपयुक्त ही और सही ही कहा है कि नियम हमारी सुविधा के लिये बनाये गये हैं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप द्वारा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : कम से कम मेरे द्वारा नहीं।

श्री के० मायातेवर : हां, हमारे द्वारा। लेकिन नियम लचीले होने चाहिए। दूसरे सदन की तुलना में हमारे विशेषाधिकार काफी सीमित और प्रतिबन्धित हैं।

वह सदन तो प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व भी नहीं करता है। हम लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुने गए हैं। परन्तु हमारा क्षेत्र बहुत अधिक है और हमारे विशेषाधिकारी बहुत हैं (व्यवधान) महोदय आपकी क्या सलाह है ? विदेश मन्त्री वक्तव्य देने के तुरन्त बाद चले गये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तेवर, उनको दूसरे सदन में कुछ कार्य होगा। उन्होंने केवल नियमानुसार कार्य किया है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेम्बरों के अधिकार के बारे में सवाल उठा रहा हूं। हम लोग डेरे से आ रहे थे, तो हमें नहीं आने दिया गया। बहुत घूम कर आना पड़ा। वहां पर ईंट-पत्थर फेंकने वाले लोग भी थे। कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि मेम्बर के आने में कोई कठिनाई न हो, रुकावट न हो। (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, विदेश मंत्री द्वारा दिए गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह एक पूर्व दृष्टांत हैं कि जब प्रधान मंत्री विदेश जाते है तो उनको वहां से आने के तुरन्त बाद सभा में वक्तव्य देना होता है। महोदय, मैं आपकी सूचना के लिए पूर्व दृष्टांत उद्धृत कर सकता हूं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जब भी बाहर जाते थे, जब अपनी पुत्री के साथ भी जाते थे—जो वर्तमान प्रधान मंत्री हैं—तो वह वक्तव्य दिया करते थे (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, संसद में कोई वक्तव्य देने से पहले वह समाचार पत्रों को जरा भी समाचार नहीं देते। परन्तु दुर्भाग्य से हमारी वर्तमान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस सदन को बहुत कम महत्व दे रही हैं। हम संसद सदस्यों को—जनता के प्रतिनिधियों—को पहले सूचना नहीं दी जाती। वह सभा में नहीं आती और हमें (व्यवधान) यह संसद सदस्यों के अधिकारों का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी दूसरे अवसर पर इसको उठा सकते हैं। यह अवसर नहीं है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, आप पीठासीन अधिकारी हैं। मुझे निवेदन करने की अनुमति दें। मुझे समाप्त करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा श्री मायातेवर ने जो कुछ कहा था उस पर मैं राय जानना चाहता हूं। जब कोई मंत्री वक्तव्य देता है तो नियम 372 के अनुसार कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। अब आप सबने यह मत प्रकट किया है कि इस प्रकार के स्पष्टीकरण की दूसरे सदन में अनुमति दी गयी है अतः यहां भी उनकी अनुमति दी जाये। मैंने इसको नोट कर लिया है और इसके लिए उचित स्थान नियम सम्बन्धी समिति है जिसके लिये मैं इस मामले की सिफारिश करूंगा। इसको नियम सम्बन्धी समिति में लीजिए और वहां पर इस नियम का संशोधन प्रस्तुत करें और वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांगने के लिये उपबन्ध करिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधायी कार्य।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय मैं चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे मद पर आता हूं। श्री शंकरानन्द उत्तर देंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आपको समझना चाहिए। यह हाउस आफ कामन्स में कभी नहीं हुआ। यह औचित्य का प्रश्न है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर आप कृपया मेरी तरफ देखें। मेरे हाथ में यह अन्तिम गांधीवादी हथियार है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं लगातार आपको देखने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मिस्टर डिपुटी स्पीकर, मेरा पायंट आफ आर्डर है। गोलियां चल रही हैं गोलियां। अभी मैं दो मिनट पहले आ रहा हूं। एम्पीज के फ्लैटों में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तमाम आदमी घुसे जा रहे हैं। वहां आंसू के गोले चल रहे हैं। अभी-अभी पांच मिनट पहले गोलियां चली हैं। नार्थ ऐवेन्यु में एमपीज के फ्लैटों में तमाम लोग घुसे जा रहे हैं। हम लोगों की औरतें और बच्चे खतरे में पड़े हुये हैं। गोलियां चल रही हैं, आदमी मर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। सभा की कार्यवाही इस प्रकार से नहीं टोकी जा सकती। नहीं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जा रहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल मत करिये।

(व्यवधान)*

औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेगी। मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में मुझे उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिये जिन्होंने विधेयक के उपबन्धों का समर्थन किया है। वास्तव में जब वे विधेयक के उपबन्धों के बारे में बोल रहे थे तब उन्होंने न केवल गुलदस्ते भेंट किये बल्कि पत्थर भी फेंके—गुलदस्ते विधेयक के उपबन्धों के लिये और पत्थर उनको कार्यान्वित न करने व असफलता के लिये। मगर सबका वास्तव में ही नकली अपमिश्रित तथा अयुक्तियुक्त दवाईयों की बिक्री, वितरण तथा उत्पादन के लिये चिन्तित हैं। मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं क्योंकि औषध नियंत्रण के उपबन्धों तथा उनके कार्यान्वयन में कुछ कमी रही है। वस्तुतः कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है—क्या वर्तमान उपबन्ध इस पर नियन्त्रण करने के लिये पर्याप्त नहीं थे ? परन्तु हमारा अनुभव यह है कि हमें कुछ और शक्तियां लेनी पड़ेंगीं। हाथी समिति ने यह

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सिफारिश की थी कि इस अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग जन-स्वास्थ्य की कीमत पर पैसा कमाते हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

माननीय सदस्यों को यह भी जानकारी है कि हाथी समिति ने, जिसने औषध उद्योग के सभी पहलुओं का अध्ययन किया है, यह भी सिफारिश की थी कि अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अधिनियम में और अधिक संशोधन किये जाने चाहिये। जैसा कि सभा को मालूम है हाथी समिति ने सिफारिश की थी कि ब्रान्ड नामों को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार ने ब्रान्ड नामों को चरणबद्ध रूप से हटाने का निर्णय किया है और प्रारम्भ में सरकार ने पांच ब्रान्ड नाम हटाये हैं। कुछ सदस्यों ने यह महसूस किया है कि ब्रान्ड नाम हटाने से नकली और अपमिश्रित दवाईयों में और अधिक वृद्धि होगी। वास्तव में सरकार सदस्यों की आशंकाओं से सहमत नहीं है। माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र वर्मा ने विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर बोलते समय ब्रान्ड नामों के हटाने के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया था। यह निर्णय अभी हाल ही में दिया गया है और सरकार इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर रही है।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस संशोधनकारी विधेयक, जिसको हम पुरःस्थापित कर रहे हैं, की मुख्य विशेषता यह है कि औषध की परिभाषा संशोधित की जा रही है जिससे औषधों के संघटकों के ऊपर नियन्त्रण किया जा सके जिनमें खाली ग्लेटिन कैपसूल भी सम्मिलित है।

वर्तमान अधिनियम में नकली दवाओं की कोई परिभाषा नहीं थी और अब हम नकली दवाओं की नयी परिभाषा दे रहे हैं। वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार को किसी भी औषध तथा प्रसाधन सामग्री के जो विषाक्त हैं तथा शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं आयात और निर्माण के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने की कोई शक्ति नहीं है परन्तु वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत सरकार उन औषधों, जो विषाक्त हैं, अप्रभावी या अयुक्तियुक्त हैं तथा जो प्रसाधन सामग्री हानिकारक है उनके आयात या उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति प्राप्त कर रही है।

वर्तमान विधेयक में हम औषध निरीक्षकों को अधिक शक्तियां दे रहे हैं। वस्तुतः औषध निरीक्षकों को अधिक शक्तियां देने पर भी बहुत ही आलोचनात्मक टिप्पणियां दी गई हैं परन्तु उनको अधिक शक्तियां दिये बिना हम कानून के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं कर सकते और इसीलिये हम औषध निरीक्षकों को अधिक शक्तियां देने के लिये नया खण्ड जोड़ रहे हैं। हां अधिनियम में शाक्ति और दण्ड को युक्तिसंगत बनाया गया है और हम उन्हें और अधिक कठोर तथा प्रभावी बना रहे हैं। निस्सन्देह तर्क दिये गये है। परन्तु अधिकांश ने इस कार्यवाही का समर्थन किया है।

सभा को जानकारी है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने इस देश की जनसंख्या को दुगना कर दिया है । जनसंख्या दो गुने से ज्यादा हो गई है ।

औषध नियन्त्रण अधिनियम का पांच बार संशोधन किया जा चुका है और अब छठी बार हम सभा में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधन के लिये लाये हैं ।

ज्यों-ज्यों औषध उद्योग का विकास हुआ है और जनसंख्या की आवश्यकतायें काफी हद तक वढ़ गई हैं त्यों-त्यों स्थिति बदल गई है और जब भी आवश्यकता पड़ती है हम अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन के लिये सभा में आते रहे हैं । पिछली बार इसमें संशोधन तब किया गया था जब इसको जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया गया था । पिछले 10 वर्षों के दौरान समय-समय पर इस अधिनियम का संशोधन किया गया है । हमारे देश में औषध उत्पादन 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,300 करोड़ रु० हो गया है ।

दूसरी विशेषता है देश में औषध उत्पादकों में पर्याप्त वृद्धि है, जो फिलहाल 5,000 है । जहां इस वृद्धि से उपभोक्ता जनसंख्या के लिये औषध की पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हुई है वहां औषध नियन्त्रण संगठनों को लागू करने वाली मशीनरी पर बहुत अधिक भार भी पड़ा है । औषध उद्योग तथा व्यापार की वृद्धि के साथ इस मशीनरी का विस्तार नहीं किया गया । स्वभावत: देश में औषध उद्योग के विस्तार के साथ औषध नियन्त्रण मशीनरी में विस्तार नहीं हो सका और यह भी एक कारण रहा है जिसकी वजह से औषध नियन्त्रण उपबन्धों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वियन नहीं किया जा सका ।

मैं सदस्यों की इस बात से सहमत होता हूं कि औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के संशोधनों के साथ लागू करने वाले पहलू पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये । इस संदर्भ में मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि औषध नियन्त्रण के पुनर्संगठन और मजबूत बनाने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाने तथा पर्याप्त मात्रा में औषध निरीक्षकों व पर्यवेक्ष कर्मचारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है ताकि औषधों के उत्पादन और बिक्री पर अधिक नियन्त्रण किया जा सके । साथ ही साथ राज्य सरकारों को एक सुसंगठित औषध परीक्षण प्रयोगशाला, जिसमें सभी प्रकार की औषधों का परीक्षण किया जा सके, की स्थापना तथा प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के संगठनों में विधायी खुपिया विभाग की स्थापना जो नकली दवाओं से निपटने के लिसे पूर्णतया सज्जित हो, तथा तकनीकी रूप से योग्य औषध नियन्त्रकों व निरीक्षकों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है । केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों की सुसज्जित खाद्य व औषध प्रयोगशाला स्थापित करने में सहायता भी की है जिनमें से कुछ ने कार्य करना शुरू भी कर दिया है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने, जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य मंत्री सम्मिलित हैं, हाल ही में एक संकल्प पारित किया है जिसमें देश में औषध व प्रसाधन सामग्री अधिनियम को प्रभावी

ढंग से लागू करने के लिये कुछ विशेष उपाय निर्धारित किये गये हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 'नकली औषधियों' शब्द की परिभाषा के अभाव में हमारा अनुभव यह है कि अदालतें ऐसे उत्पादनों के निर्माण तथा बिक्री के अपराधों पर उतनी गम्भीरता से विचार नहीं करतीं जितनी गम्भीरता से किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से ऐसी औषधियों के जो विषाक्त हैं और अयुक्तियुक्त हैं के आयात तथा उत्पादन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के उपबंधों के अभाव में ऐसे उत्पादों के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही नहीं हो पाती। अधिनियम में संक्षिप्त विचारण के लिये ऐसा कोई उपबन्ध न होना भी इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामलों के निपटान में लम्बी कार्यवाही के लिये अंशतः जिम्मेदार है। प्रस्तावित विधेयक से इस प्रकार की कमियां दूर करने में सहायता मिलेगी तथा इससे कानून को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

एक माननीय सदस्य ने यह भी तर्क दिया है कि सरकार संक्षिप्त विचारण की शक्ति ले रही है और वह न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर रही है। अन्ततः वह भी इसका समर्थन कर रहे थे। क्योंकि जब सभा में इस विषय पर विचार किया गया तो कई अवसरों पर संक्षिप्त विचारण का पूर्णतः समर्थन किया गया तो जिस माननीय सदस्य ने संशोधी विधेयक में निहित अपराधों के लिये सरकार द्वारा संक्षिप्त विचारण की शक्ति लेने पर आपत्ति की थी वह अपने तर्क को जारी नहीं रख सके और अन्त में वह सहमत हो गये कि इस सम्बन्ध में यह ठीक है।

जहां सदस्य एकमत होकर विधेयक के उपबन्धों का समर्थन कर रहे थे वहां वे कुछ संदेहास्पद थे और उन्होंने विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में संदेह प्रकट किया जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस अर्थ से हमने प्रभावी उपाय किए हैं और कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार हमेशा राज्य सरकारों को समझाने के लिये प्रयास करती रही है, क्योंकि अपने राज्यों में औषध नियंत्रण तथा औषध प्रशासन तथा लाइसेंस देना तथा उनका उत्पादन राज्य सरकारों का विषय है। हमारी यह राय और अनुभव है। हमने क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों की लगातार प्रति वर्ष बैठक बुलायी है। और स्वास्थ्य मंत्रियों की केन्द्रीय परिषद ने सहमति दी कि औषध नियंत्रण तंत्र को प्रभावपूर्ण ढंग से मजबूत किया जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप उन्हें सहायता क्यों नहीं देते ?

श्री बी० शंकरानन्द : हम उन्हें वित्तीय सहायता दे रहे हैं।

इस समय केन्द्रीय सरकार की तीन औषधि जांच प्रयोगशालाएं हैं जिनमें सांविधिक रूप से औषधियों की जांच की जाती है—उनमें से एक हैं सेन्ट्रल ड्रग लेबोरटरी, कलकत्ता। अन्य हैं—सैन्ट्रल इंडियन फार्माकोपैय्या लेबोरटरी, गाजियाबाद। और तीसरी है—सैन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली। ये सभी केन्द्रीय संस्थान हैं। हर किस्म की औषधियों की जांच की सुविधाएं चार राज्यों—गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी हैं। कुछ राज्य, जैसे—आंध्र प्रदेश,

बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरल में गैर-जैवि औषधियों की जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये प्रयोगशालाएं आठ राज्यों में स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई थी। वे आठ राज्य जिन्हें संयुक्त रूप से खाद्य और औषध प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सहायता दी गई, उनके नाम हैं—आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

देश में समुद्री मार्ग से तथा हवाई मार्ग से जो औषधियां आयात की जाती हैं, उनकी उतराई वाले स्थान पर वहां नियुक्त अधिकारियों और औषध नियंत्रकों द्वारा औषधियों की किस्मों का नियंत्रण किया जाता है। 1980-81 और 1981-82 के दौरान देश में आयात किये जाने वाली औषधियों के 3183 और 2090 नमूनों की सरकारी तथा अन्य औषध प्रयोगशालाओं में जांच की गई। इनमें से क्रमशः 70 और 50 नमूने अवमानक क्वालिटी के पाये गये। कलकत्ता में स्थित सैन्ट्रल ड्रग लेबोरेटरी देश में विभिन्न निर्माताओं द्वारा बेची जा रही कुछ आवश्यक तथा जीवन रक्षक औषधियों की क्वालिटी का अध्ययन कर रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जांच किए गए 9812 नमूनों में से 64 नमूने अवमानक क्वालिटी के पाये गये।

(श्री वी० एन० गाडगिल पीठासीन हुए)

38 औषधियां नकली पाई गईं। महोदय, मैंने हाल ही में औषध नियंत्रण की पर्याप्तता की जांच करने के लिये कार्य बल नियुक्त किया है। मैंने अभी हाल ही में ऐसा किया है और कार्यबल औषध नियंत्रण तंत्र और जांच केन्द्रों को उपयुक्त रूप से बढ़ाने और उसे मजबुत करने के लिए उपायों की सिफारिश करेगी। मुझे विश्वास है कि मैंने जो ये सब उपाय किये हैं, उनका भविष्य में अधिक फलोत्पादक और प्रभावशाली परिणाम होगा।

महोदय, सदस्यों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित कुछ औषधियां, जिन पर उत्पादक देशों में प्रतिबन्ध है। इस विषय पर इस सदन में तथा दूसरे सदन में कई बार चर्चा की गई है। मैंने औषधि-वार और देश-वार विस्तार से बताया है। मैंने उन्हें उन औषधियों के बारे में बताया है जिन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है; वह सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एकत्र की गई है और वह ही इस प्रकार की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों को देता है।

उस सूचना से हमें इस बारे में जानकारी मिली है। हमने 20 में से 16 औषधियों को रोकने अथवा उन्हें बेचने की अनुमति न देने के लिये कदम उठाये हैं। इन 20 औषधियों पर कुछ देशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है। हमने भी 14 औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाया है। 4 औषधियों के बारे में मैं पहले ही स्पष्टीकरण कर चुका हूं। इन चार औषधियों को विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी-

चिकित्सा सलाह पर इस देश में बेचने की अनुमति दी गई है। उन्हें लोगों की आवश्यकताओं तथा देश की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी है। केवल इतना ही नहीं, इन औषधियों पर अन्य देशों में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। फिर भी न केवल विकासशील देशों में बल्कि अन्य विकसित देशों में भी ये औषधियां बेची जा रही हैं। मैं यह सूचना सदन को पहले ही दे चुका हूं।

महोदय, माननीय सदस्य यह जानते हैं कि हमने हाल ही में 18 श्रेणियों वाली निश्चित मात्रा की औषधियों को, जिन्हें चिकित्सीय दृष्टि से असंगत माना जाता है, समाप्त करने के लिये भी कुछ कार्यवाही की है। और आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि यह आश्वासन देने के लिये सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं कि देश में केवल विश्वस्त और सुरक्षित क्वालिटी की दवाईयों की ही बिक्री की जायेगी।

माननीय सदस्य, श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ने वह बोतल, जिसमें मक्खी थी, सदन में दिखाई और उस मक्खी को देखकर सदन ने मुझे आंखें दिखाई और उन्हें शिकायत थी—एक सच्ची शिकायत, निश्चय ही कि उनकी शिकायत के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही नहीं की गई है। महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। अन्यथा मैं जिस तिथि से उन्होंने मुझे लिखा तब से अब तक का पूरा विस्तार बताऊंगा कि हमने क्या कार्यवाही की। लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में यह कहूंगा कि माननीय सदस्य ने सूर्य केमिकल्स लखनऊ द्वारा बनाई गई क्लोरोफार्म स्प्रिट के मामले के संबंध में मुझे मार्च 1981 में लिखा। हमारे अनुदेश पर उत्तर प्रदेश औषध नियंत्रण ने जांच की और 3 जुलाई, 1981 को निर्माता का लाइसेंस निलम्बित कर दिया।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : तो फिर उन्होंने जो कुछ कहा, वह ठीक था। आपके ध्यान में यह बात लाने के बाद आपने कार्यवाही की। इससे आपकी कार्यकुशलता का पता चलता है।

श्री वी० शंकरानन्द : मेरे सहयोगी, मेरा ख्याल है, यदि मुझे सब जानकारी है, संभवतः प्रश्न काल यहां व्यर्थ होगा। (व्यवधान) प्रश्न काल होने का अर्थ यह है कि आपको सब बातों की जानकारी नहीं है, आप तथ्य जानना चाहते हैं, यही कारण है कि मैं आपको सूचना दे रहा हूं।

श्री आर० पी० यादव (मधेपुरा) : जो सूचना दी जाती है हम उसी संबंध में प्रश्न पूछते हैं। आपको सब बातों की जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्हें अपनी बात जारी रखने दीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : उस फैक्टरी की अस्वास्थ्यकर स्थिति के बारे में बहुत सी शिकायतें थीं। जिनमें कहा गया था कि स्वास्थ्य के प्रति स्थिति वहां संतोषजनक नहीं है। (व्यवधान) श्री शास्त्री, मैं आपके विरुद्ध शिकायत नहीं कर रहा। मेरा संबंध सचमुच उसी से है जिससे आपका संबंध है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : औषध नियंत्रक क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानंद : जैसा कि आप जानते हैं स्वास्थ्य राज्य का विषय है। प्रत्येक राज्य में अपना औषध नियंत्रण संबंधी संगठन है। मेरे विचार से माननीय सदस्य को यह जानकारी होगी।

जैसे ही हमें श्री शास्त्री से वह बोतल मिलेगी हम उसकी जांच आरम्भ कर देंगे। मेरे विचार से श्री शास्त्री जांच के लिये हमें वह बोतल देने के लिये सहमत हो गए हैं।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : मैं तो तैयार हूं बोतल देने के लिये। लेकिन आप कहते हैं कि हम क्या करेंगे। ड्रग कंट्रोलर आफ इण्डिया ने यह कहा कि आप हमारे पास बोतल भिजवा दीजिए और इसके लिये 15 दिन का समय दिया। और तब मैं यहां था नहीं अपने क्षेत्र में गया हुआ था।

श्री बी० शंकरानन्द : अब तो दे दीजिये। जिसको देने के लिये हमने कहा है उसको दे दीजिये। कृपया वह बोतल दे दीजिए क्योंकि एक व्यक्ति को जांच का कार्य सौंप दिया गया है; और वह इसकी जांच करेगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप हमारे पास उनको भेज दीजिये।

श्री बी० शंकरानन्द : उन्होंने मुझे बम्बई की ग्लेक्सो लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित पिरीटोन के अन्य मामले का उल्लेख किया। हमारे निदेश पर खाद्य और औषध प्रशासन, महाराष्ट्र, के अधिकारी ने उस फर्म के निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और यह महाराष्ट्र के अधिकारियों की रिपोर्ट है। उन्होंने पता लगाया कि फर्म में सामान्य रूप से औषधियां बन रही हैं। माननीय सदस्य से बोतल मिलते ही वह इस मामले की जांच करने के लिए सहमत हो गए।

कुछ सदस्यों ने देश में आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाइयों में नकली दवाइयों के प्रचलन का उल्लेख किया है। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। इसी उद्देश्य के लिए हमने जो संशोधनकारी विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें देश में उपलब्ध नकली, अपमिश्रित और मिथ्या छाप की आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाइयों की अलग-अलग परिभाषाएं दी गई हैं। नकली दवाइयां बनाने और बेचने वालों के लिए कड़े दंड और जुर्माने का उल्लेख किया गया है।

श्री राही यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने देश में कुछ औषधियों के दुरुपयोग का उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है, सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पेकोट्रापिक औषधियों, जिसमें मैंडरैक्स भी शामिल है, के आयात, निर्माण और बिक्री पर कठोरता से नियंत्रण करने के लिए हाल ही में 'औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम' में संशोधन किया गया है।

माननीय सदस्य, श्री रवीन्द्र वर्मा ने कुछ मुख्य प्रश्न पूछे हैं। लेकिन उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वह बिलकुल ठीक नहीं थे। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा औषधि निर्माण इकाइयों के निरीक्षण में कमी आई है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में जांच किए गए नमूनों के सही आंकड़ों तथा जिन मामलों का पता लगाया जाना है, उनमें हुई वृद्धि के बारे में कुछ गड़बड़ हो गई है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान औषधि निर्माण इकाइयों में क्रमशः 574, 597 और 585 निरीक्षण किए गए। उन्होंने कहा कि इनकी संख्या कम हो रही है, जो कि ठीक नहीं है। वर्ष 1981-82 में अप्रैल से अक्टूबर 1981 तक 346 मुआयने किये गए जबकि माननीय सदस्य, श्री वर्मा, का कहना है कि इसकी संख्या केवल 34 है। संभवतः उन्होंने '346' के केवल पहले दो अंकों का उल्लेख किया था। सदन सचमुच उस समय यह सुनकर बहुत गंभीर हो गया कि इन मुआयनों की संख्या केवल 34 है। ऐसा नहीं है। सही आंकड़े 346 हैं।

प्रसंगवश, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आंकड़े केवल केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा परीक्षण के रूप में किए गए मुआयनों के हैं, इनमें राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा किए गए मुआयने सम्मिलित नहीं हैं। अत. ये जो आंकड़े दिए गए हैं वे केन्द्रीय औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा किए गए परीक्षण के हैं और इन आंकड़ों से राज्य और केन्द्र दोनों के द्वारा किए गए निरीक्षणों के कुल आंकड़ों का पता नहीं चलता माननीय सदस्य ने केवल तकनीकी योग्यता प्राप्त अधिकारियों को ही राज्य औषधि नियंत्रक नियुक्त करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। महोदय उन्होंने यह कहा कि कुछ राज्यों के औषधि नियंत्रक तकनीकी योग्यता प्राप्त नहीं हैं और कुछ राज्यों में आई० पी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों को औषधि नियंत्रक नियुक्त किया गया है। मैं कहता हूं किसी समय यह ठीक था, अब ऐसा नहीं हैं और इस बारे में मेरे निरंतर अनुभव करने से, मैंने राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों से

बातचीत की और मैंने देखा कि उन्होंने भी तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति को आषधि नियंत्रक नियुक्त रकने का प्रयत्न किया और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें इसमें सफलता मिली है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की अंतिम बैठक में यह मामला पुनः उठाया गया। लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुई पिछली बैठक में, उन्होंने इसके लिए सहमति प्रकट की कि वे ऐसा ही करेंगे। वे इसके लिए सहमत हो गए कि वे तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को ही राज्य के औषधि नियंत्रक नियुक्त करेंगे। यह दुर्भाग्य की बात थी कि एक आई० पी० एस० को औषधि नियंत्रण अधिकारी बनाया गया था। उदाहरण के लिए, मैं इसके लिए आंध्र-प्रदेश सरकार को राजी करूंगा और उसके स्थान पर तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति नियुक्त करें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार, हमें इस मामले में शत प्रतिशत सही परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते, सदन इस बात की प्रशंसा करेगा कि लोगों को जिस वक्त भी औषधियों की आवश्यकता से उन्हें विशुद्ध औषधियां प्राप्त हो न कि नकली और अपमिश्रित औषधियां। उन्हें विशुद्ध औषधि की जानकारी न होने से इन समाज-विरोधी तत्त्वों के लिए यह धन कमाने का अच्छा साधन बन गया है और वे लोगों के स्वास्थ्य के मूल्य पर यह कार्य करने में लगे हुए हैं।

माननीय सदस्य ने आयातित, पेटेंट और निर्माणाधिकार औषधियों के मामले में उनके लेबल पर संघटकों की सूची लगाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि यहां तक कि इस समय भी किसी भी पेटेंट या निर्माणाधिकार औषधि को तब तक आयात नहीं किया जा सकता जब तक कि इसका फार्मूला लेबल पर न दिया हो तथा देश में किसी भी औषधि की तब तक आयात करने की अनुमति नहीं है जब तक यह पता न चल जाए कि वह औषधि सुरक्षित एवं प्रभावोत्पादक है। यह ठीक नहीं है कि आई० डी० पी० एल० के पास अपेक्षित मानक की औषधियों का उत्पादन करने की तकनीक नहीं है। सदस्यों ने आई० डी० पी० एल० को होने वाले घाटे का भी विरोध किया। लेकिन मैं औषधियों के मानक, उनके उत्पादन, बिक्री और वितरण से चिंतित हूं क्योंकि जहां तक औषधि उद्योग का संबंध है, मैं स्वास्थ्य पर बल देता हूं।

माननीय सदस्य, श्री डागा ने बताया कि धारा 18 का दूसरा उपबंध, जिसमें केन्द्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह बोर्ड से परामर्श करके और सरकारी राजपत्र में अधिसूचना देकर ऐसी औषधि का बिक्री के लिए उत्पादन या उसकी वितरण कर सकती है; जो मानक क्वालिटी की न हो, अपने आप में उद्देश्यहीन है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस तरह का अधिकार प्रदान करने वाला उपबंध देश में उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए इस तरह आवश्यक हो जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जो कि इस तरह की औषधि की 'औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड' की एक तकनीकी संगठन है, और जो यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह की औषधि का प्रयोग करने से कोई हानि नहीं होगी, से परामर्श करने के बाद प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

माननीय सदस्य श्री रीतलाल वर्मा द्वारा दिये गये इस सुझाव का कि विधेयक में नकली और मिलावटी दवाओं के निर्माण के लिए की जा रही सख्त से सख्त दण्ड की व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा प्रचार मिलना चाहिए, वास्तव में स्वागत है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब विधेयक को पारित कर दिया जायेगा, तो विभिन्न विज्ञापन माध्यमों द्वारा इस विधेयक के उपबन्धों का पर्याप्त प्रचार किया जायेगा।

माननीय सदस्यों ने लोगों को मानक औषधियां दिये जाने की राजनैतिक इच्छा के बारे में पूछा है। इस संशोधित विधेयक को पुरःस्थापित करने से ही हमारी राजनैतिक इच्छा व्यक्त हो जाती है कि हम लोगों को मानक औषधियां प्रदान करने के लिए कठोर से कठोर तक दण्ड देने को तैयार हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू नहीं होता जो कि इस विधेयक के उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं, अपितु उन पर भी लागू होता है जो इस देश के गरीब लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए पैसा कमाते हैं।

माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के उपबन्धों को सख्ती से लागू करने और इसको इस तरह से लागू करने कि बड़े-बड़े लोग शायद बच जायें और छोटे लोग पकड़े जायें आदि के बारे में आशंका व्यक्त की है। यह इसलिए महसूस किया जा रहा है क्योंकि हमने निरीक्षकों को और अधिक शक्तियां प्रदान की हैं। इससे वे आशा करते हैं कि निरीक्षकों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने से भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी।

कुछ सदस्यों ने एक कम्पनी की ओर इशारा किया है, जो कि घटिया दवाईयों का निर्माण कर रही है और वे महसूस करते हैं कि अगर सदन में कम्पनी का नाम ले लिया जाये, तो इससे उस कम्पनी के कर्मचारियों पर बुरा असर पड़ेगा। अगर सदस्यों और जनता से मुझे इसी प्रकार का सहयोग मिला तो मैं नहीं समझता कि केवल सरकारी निरीक्षक ही, देश के सामने आई हुई इस गंभीर समस्या का सामना कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए जनता और माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। तभी हम भ्रष्टाचार आदि के मामलों को सामने ला सकते हैं।

कई माननीय सदस्य ऐसे अनेक पहलुओं पर बोले हैं जो कि संशोधी विधेयक के उपबन्धों के संगत नहीं हैं। उन्होंने ऐसे मामलों का जिक्र किया है जो कि संशोधी विधेयक के उपबन्धों के विरुद्ध होंगे, उन्होंने विचार प्रकट नहीं किये हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी मामले, औषधियों की उपलब्धता, आदि के बारे में बोलते हुए, उन्होंने इस विधेयक के उपबन्धों का आमतौर पर स्वागत किया है। इसलिए मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सदन सिद्धान्त रूप से इस विधेयक के उपबन्धों से सहमत है और मैं विधेयक पेश करता हूं।

प्रो० रूप चन्द्र पाल (हुगली) : श्रीमन्, माननीय मंत्री ने विधेयक के नकली दवाइयों संबंधी विशिष्ट उपबन्धों के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने पहलू पर ध्यान नही दिया है मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन्होंने इसे नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने स्वयं इसी विधेयक में नकली दवाइयों संबंधी विशिष्ट उपबन्ध दिये हैं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : श्रीमन्. मैं इस विधेयक पर बोलने वाली पहली वक्ता थी । अभी-अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि वह हमारा सहयोग चाहते हैं । श्रीमन्, मैंने अपने भाषण में कम-से-कम भ्रष्टाचार के चार ठोस मामलों का उल्लेख किया था । मंत्री महोदय ने उनका कम से कम खडन करने या उनका उल्लेख करना भी जरूरी नहीं समझा । इसलिए, क्या मैं यह मानूं कि ये सभी सही साबित हैं ? विशेष रूप से मैं श्री के० के० के बारे में जानना चाहती हूं, जिन्हें कि हटाया गया था : वह अब किस पद पर कार्य कर रहे हैं ? इसी तरह से मैंने कई ठोस प्रश्न पूछे थे । मैं इन प्रश्नों के बारे में पूछना चाहती हूं । क्योंकि मैं समझती हूं कि सहयोग देने का मतलब है, इसी प्रकार के ठोस तथ्य पेश करना ।

श्री बी० शंकरानंद : गीताजी के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है । वह बहुत-बहुत अध्यवसायी हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने उठाई है, उनका इस विधेयक के उपबन्धों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या शक्तियां देने संबंधी इस विधेयक के उपबन्धों से इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है ?

श्री बी० शंकरानंद : जो कुछ मैंने कहा, शायद आप समझ नहीं सकी हैं । इसलिए, मैं क्या कह सकता हूं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हां, मैं शायद नासमझ हूं । लेकिन आप अपनी बुद्धि से क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह विधेयक के उपबन्धों से सबंधित है या नहीं ?

श्री बी० शंकरानंद : माननीय सदस्यों को इसके बारे में शिक्षित करना मेरा काम नहीं है । उन्हें खुद ही उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : लेकिन आपको अपने औषध नियंत्रकों के बारे में लगाये गये ठोस आरोपों का उत्तर देना होगा । मैं आपसे इतना ही पूछना चाहती हूं ।

(व्यवधान)

प्रो० रूप चन्द्र पाल : गलत ब्रांड वाली औषधियों, अपमिश्रित औषधियों और नकली औषधियों के बारे में तो विशिष्टियां हैं लेकिन घटिया औषधियों, जो कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा बनाई जाती हैं, के बारे में विधेयक के उपबन्धों में कुछ नहीं कहा गया है ।

श्री बी० शंकरानंद : माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि कानून और उपबन्धों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में यह परिभाषा है कि मानक औषधि क्या है। अगर कोई औषधि, औत्रधि इस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती है तो वह अवमानक औषधि है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको परिभाषित करूं ? अगर आप जानते हैं कि 'फर्माकोपिया' जैसी कोई चीज है तो आप पायेंगे कि इसके लिए मानक निर्धारित हैं।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1940 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 9 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब खण्ड 10 में सरकारी संशोधन है।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 28,—

(i) "और" के स्थान पर "या" प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) पंक्ति 34, —

"और" के स्थान पर "या" प्रतिस्थापित किया जाए (10)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 6,—

(i) पंक्ति 28,—

"और" के स्थान पर "या" प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) पंक्ति 34,—

"और" के स्थान पर "या" प्रतिस्थापित किया जाए :"

प्रस्ताव स्वीकत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोरय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 से 42 विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 11 से 42 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय ।

श्री बी० शंकरानंद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : श्री मनी राम बागड़ी ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से एक वाक्य में निवेदन करूंगा कि वे जितना काम कर रहे हैं, उनकी शक्ति के अनुसार ठीक है लेकिन जहां 35 करोड़ लोग भूखे हों, वहां पर दवाइयां उनको देने की बात क्या हो सकती है । यह देश बहुत भाग्यशाली है, जिसका राष्ट्रपति इतना भाग्यशाली हो कि अकेले उस पर 2 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं दवाइयों पर लेकिन 35 करोड़ भूखे मरने वाले लोगों में से 10 करोड़ लोगों को दवाई मिलना तो दरकिनार, रात को वे भूखे ही सो जाते हैं । दवाइयों के बारे में सजा देने की बात वे लोग किया करते हैं, सख्त सजा देने की बात वे लोग किया करते हैं जहां सभ्य समाज न हो । जहां पर सभ्य समाज होता है, वहां समाज को बनाने की बात की जाती है । हाथ काट दो चोरी करने

वालों के और आंखों को फोड़ दो कुदृष्टि से देखने वालों की, ये जंगली और पापी लोगों के कानून हैं, सभ्य समाज के नहीं। सजा की अगर बात करते हो, तो जो धन जोड़ने वाले हैं, उनके लिए यह कर दो कि ऐसे कुसूरवार लोगों की सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी। तब तो समझ में आने वाली बात है। फांसी दे देंगे या छः दफा उल्टा लटका देंगे, ऐसे लोगों को, यह पागलपन की बात है, कोई सभ्य समाज की बात नहीं है।

मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि जब आप दवाइयों को हिस्तों में बांटते हैं और 500 करोड़ रुपये की बात करते हो, तब 500 एम० पीज और बड़े-बड़े लोगों की ही बात आ जाती है और फिर छोटे लोगों तक वह दवाई नहीं पहुंच पाती है। 1 करोड़ रुपये या 2 करोड़ रुपये इस देश के राष्ट्रपति पर खर्च किये जाते हैं। मैं कहता हूं कि आप 50 करोड़ रुपये उन पर खर्च करो लेकिन कम-से-कम लाचार और गरीब लोगों को भी कोई दवाई मिलेगी या नहीं, ऐसा इसमें कोई प्रयोजन है या नहीं। जिस देश में ऐसा हुआ करता है कि एक व्यक्ति पर एक करोड़ और दो करोड़ रुपये दवाई पर खर्च हो जायें, वहां दूसरी तरफ देश के अन्दर करोड़ों लोगों को दवाई तो दूर रही, रोटी का टुकड़ा और पानी न मिले और गन्दा पानी पी कर वे मरा करते हैं, तो कम-से-कम आप तो उस गरीब की कोख पहचानते हैं, जिस कोख के साथ यह होता है। इसलिए उनके साथ भी आपको हमदर्दी होनी चाहिए। यही बात मैं कहना चाहता था।

डा० वी० कुलनदईवेलू (चिदम्बरम) : औषध और प्रसाधन (संशोधन) विधेयक का स्वागत करते हुए मैं कुछ आलोचना करना चाहता हूं तथा इस विधेयक के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन हेतु बहुमूल्य सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदय ने 'जेनेरिक' बनाम 'ब्रांड' नामों के बारे में कुछ कहा है। यह एक विवादास्पद मामला है।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय हाथी समिति की 'जेनेरिक' नामों के अपनाने और 'ब्रांड' नामों को छोड़ने की सिफारिश के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कुछ औषधियों के ब्रांड नामों को समाप्त करने के बारे में भी टिप्पणी की थी। इस विषय पर पेशेवर लोगों द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए। यहां तक कि 'लेनसट', जैसे ब्रिटिश मेडीकल जर्नलों तथा अन्य प्रमाणित मैडीकल जर्नलों ने भी औषधियों की व्यवहारिकता के बारे में, तैयार करने के बारे में, उनकी अवशोषण क्षमता के बारे में तथा औषधियों को उपयोगी बनाने के बारे में लिखा है। हाथी समिति की सिफारिश पर हमें गणित की भांति विचार नहीं करना चाहिए। इसमें लचीलापन हो सकता है। पशु-चिकित्सा विशेषज्ञों तथा पत्रकारों द्वारा दी गई सिफारिशों का अनुसरण करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ यह सुझाव दे रहा हूं। औषधियों के वास्तविक

घटकों और संघठन का अन्य जगहों पर स्वीकार्य ढंग की भांति अनुसरण करने में कोई बुराई नहीं है।

मेरे पूर्व वक्ता ने ग्रामीण लोगों के लिए औषधियों के अभाव के बारे में कहा था। मैं राष्ट्रपति के बारे में उनके वक्तव्य पर खेद प्रकट करता हूं। वस्तुतः हमें अपने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पर गर्व करना चाहिये। वह एक पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं। अब राष्ट्रपति बन कर उच्चतम पद को सुशोभित कर रहे हैं। एक डाक्टर होने के नाते मैं तीन वाहिकाओं वाली कारोनरी धमनी के बारे में जानता हूं। उन्होंने एक सुसज्जित अस्पताल में आपरेशन करवाया है और उनकी देखभाल उच्च तकनीकी और सुयोग्य डाक्टरों ने की है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं तथा आशा करता हूं कि सभा भी मेरे साथ उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करेगी।

राजनीतिज्ञ और यहां तक कि मंत्रीगण भी यूनानी, सिद्ध आयुर्वेद तथा होम्योपैथिक औषधियों को ग्रामीण लोगों के लिए तथा एलोपैथी औषधियां शहरी लोगों के लिए विकसित करने के बारे में विचित्र वक्तव्य दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है ? मुझे ऐसे वक्तव्य सुनकर धक्का लगा है। रोग सामान्य है; बल्कि निर्धन लोगों में यह बहुत होता है। भोले-भाले लोग अधिक खतरनाक बीमारियों के शिकार होते हैं। अतः सभी महत्वपूर्ण औषधियों को निर्धनतम वर्ग को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि हम गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हो तो भी हमें इस बात को अवश्य ही स्मरण रखना चाहिए।

हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस संबंध में वक्तव्य दिया है। वह टी. बी. (तपेदिक) को 20 वर्षों में समाप्त करने तथा नियंत्रण करने का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में कह रही थीं। यह बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। उनका इस बीमारी को 2000 ई० तक समाप्त तथा नियन्त्रित करने का लक्ष्य है। तपेदिक के लिए औषधियों का अभाव होने की दशा में यह कैसे संभव है। यहां तक कि मुख्यालय अस्पतालों जैसे विशिष्ट अस्पतालों में स्ट्रेप्टोमाइसिन, आई० एन० एच० 'पात' जैसी प्राथमिक तथा अन्य औषधियां भी उपलब्ध नहीं हैं। अतः औषधियों के अभाव का अन्दाजा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लगाया जा सकता है और वस्तुतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रिकार्ड रखने वाले केन्द्रों के रूप में रखा जा रहा है। इन केन्द्रों को कोई औषधि उपलब्ध नहीं करायी जाती है। निर्धन लोगों के बच्चे अतिसार, उलटी आदि जैसे छोटी-छोटी बीमारियों के कारण तथा उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइटस, तरल पदार्थों और एंटीबायोटिक्स के अभाव में मृत्यु का शिकार होते हैं। अतः उपयुक्त एंटीबायोटिक्स तथा अन्य औषधियों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अभाव रहता है। अतः इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की परामर्श-दात्री समिति की बैठकों में मैंने सुझाव दिया था कि मंत्रालय को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बुनियादी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए आगे आना चाहिये।

जब मांगों पर चर्चा की जा रही थी तो मैंने सरकार से निवेदन किया था कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये पर्याप्त आबंटन होना चाहिए, गरीब वर्गों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें दी जानी चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में दवाईयों की पूर्ति की जानी चाहिये।

आप औषध निरीक्षकों को शक्तियां देने के बारे में कह रहे थे परन्तु हमें याद रखना चाहिए कि यह सार्वभौमिक भ्रष्टाचार, रिश्वत और कांडों का जमाना है। अतः हमें यह देखना है कि औषध नियंत्रक अपने कर्त्तव्य का पालन गम्भीरता से करें और अपने कर्त्तव्य के प्रति वफादार रहें तन्त्र को मजबूत किया जाना चाहिये और जांच भी होनी चाहिए। इसको गुप्त रखा जाना चाहिये ताकि तंत्र इस तरीके से काम कर सके कि नियन्त्रक या औषध निरीक्षक की स्थिति का शोषण करने का जरा भी अवसर न मिले। अतः इस मुद्दे को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिये। कदाचार, रिश्वत तथा औषध उद्योग की अचानक अतिवृद्धि पर निगरानी रखी जानी चाहिए। वस्तुतः मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि औषध उद्योग फले-फूले और यह अन्य विकसित देशों के उद्योगों के बराबर पहुंचे। परन्तु अचानक वृद्धि को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप नकली औषधों तथा अपमिश्रित औषधों का उत्पादन होता है। इस सम्बन्ध में मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि नकली औषधों का उत्पादन सरकारी उपक्रमों द्वारा भी किया जा रहा है और कितने जल्दबाजी के तरीके से बनायी जा रही हैं संगठन अधिनियम में गलती करने वाले अधिकारियों व लापरवाह अधिकारियों को, जो दवाईयों का निर्माण लापरवाही से कर रहे हैं सजा देने के लिए उपबन्ध होने चाहिए। इस विधेयक में सम्बन्धित अधिकारियों को भी सजा देने का प्रावधान होना चाहिये। यहां भी मुझे भ्रष्टाचार की बात दोहरानी है। अभी उस दिन श्रीमती गीता मुखर्जी ने भी इसका उल्लेख किया था।

आपने सजा की विविधता का भी उल्लेख किया है। इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। आखिर कोई भी जो नकली औषधों का निर्माण कर रहा है या बेच रहा है समाज के प्रति अपराध कर रहा है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से इस अपराध को सहन किया जाना चाहिए। जब कोई गलती करता है और नकली औषध बनाता है उसको सजा देनी चाहिये। कठोर दण्ड होना चाहिए। जब तक आप इस विधेयक से इसको निर्धारित नहीं करते इस मामले में किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। अदालत दया दिखा सकती है, परन्तु कानून इस मुद्दे पर दया नहीं दिखा सकता। अदालत को इस आधार पर निर्णय देना होता है कि निर्णय ठीक है या नहीं।

सभापति महोदय : तीसरे वाचन में, आपके लिये विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है। आपको विरोध में या समर्थन में केवल अपने तर्कों का उल्लेख करना होता है। स्वीकृति या अस्वीकृति देनी होती है। अतः कृपया समाप्त कीजिए।

डा० बी० कुलनदईवेलू : मैं समाप्त कर रहा हूं। विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे मेरे द्वारा उठाये गये पोइन्टस पर विचार करें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : मैं माननीय सदस्यों को विधेयक को समर्थन देने के लिये धन्यवाद देता हूं ।

दुर्भाग्य से माननीय सदस्य श्री मनीराम बागड़ी ने राष्ट्रपति के विदेश में इलाज का जिक्र दिया है जिसका विधेयक के प्रावधानों से कोई सम्बन्ध नहीं है । हमारे लिए, देश के लिये तथा संसद् के लिये राष्ट्रपति के स्वास्थ्य का सुधार जिसका अब इलाज चल रहा है, अति महत्वपूर्ण है । मैं सोचता हूं कि इस विधेयक के प्रावधानों पर बातचीत करते हुए माननीय सदस्य को इस मुद्दे को नहीं लाना चाहिये । इस सभा ने कई अवसरों पर मेरे साथ राष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है । सौभाग्य से राष्ट्रपति के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है । मैं पुनः सभा से निवेदन करता हूं कि वे मेरे साथ राष्ट्रपति के स्वास्थ्य लाभ और उनकी देश में सुरक्षित वापिसी की शुभ कामना करें ।

माननीय सदस्यों द्वारा ब्रांड नामों के स्थान पर 'जेनटिक' नामों की शुरुआत करने की आवश्यकता के बारे में की गयी टिप्पणी के सम्बन्ध में, ताकि दवाईयां सस्ती दर पर उपलब्ध हों, सरकार कार्यवाही कर रही है । परन्तु दुर्भाग्य से कुछ निर्माता अदालत में जा रहे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमारे विरुद्ध निर्णय दिया है । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यदि हम निरीक्षण-कर्मियों को अधिक शक्तियां दे देते हैं तो शायद भ्रष्टाचार और अधिक होगा । परन्तु मैं माननीय सदस्य व सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि संशोधी विधेयक में इस उद्देश्य के लिए एक नया प्रावधान किया गया है । यदि माननीय सदस्य ने विधेयक के उपबंधों को पढ़ा होता तो सम्भवतः वह इस प्रश्न को नहीं उठाते । खण्ड 36 में कहा गया है :—

"इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई निरीक्षक जो—

(क) संदेह के युक्तियुक्त आधार के बिना किसी स्थान, यान, जलयान या अन्य सवारी की तलाशी लेगा; या

(ख) किसी व्यक्ति को तंग करने वाले रूप में और अनावश्यक रूप से तलाशी लेगा; या

(ग) तंग करने वाले रूप में और अनावश्यक रूप से किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री या किसी पदार्थ या वस्तु या किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ का अभिग्रहण करेगा; या

(घ) यह विश्वास करने के कारण के बिना कि ऐसा कार्य उसके कर्त्तव्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाते हुए, ऐसे निरीक्षक के रूप में कोई अन्य कार्य करेगा,

वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगुल) : वह पर्याप्त नहीं है।

श्री बी० शंकरानंद : प्रश्न पर्याप्तता और अपर्याप्तता का नहीं है। हम कह चुके हैं कि यदि निरीक्षण प्राधिकरण अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाता है तो उससे निपटने के लिये ही यह खण्ड है।

इस अभिमत के साथ मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वह सर्वसम्मति से इस विधेयक को स्वीकार कर ले।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक—(जारी)

सभापति महोदय : अब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सदन इस बहुत ही महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक विचार करने जा रहा है। मुझे बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक पर आपत्ति है।

उस दिन अर्थात् 5 अक्तूबर को मैं इस मुद्दे को उठा रहा था और मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि चूंकि पांच बजे हमें एक अन्य विषय पर चर्चा करनी है आप अपना व्यवस्था का प्रश्न कल भी जारी रख सकते हैं। मैं उस विशिष्ट तथ्य को नहीं दोहराऊंगा। मेरे पास वित्त मन्त्री महोदय का अन्तिम उत्तर है जो मुझे 1 अक्तूबर को मिला था अर्थात् दो दिन पूर्व शनिवार को। महोदय, संक्षेप में मैं कहूंगा कि संवैधानिक विधि विशेषज्ञ होने के नाते आप कृपया इस पर विचार करेंगे .....

सभापति महोदय : नहीं, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं ।

श्री सतीश अग्रवाल : ..... कि आज यह सभा जिस अधिनियम को संशोधित करने जा रही है, यह एक ऐसा अध्यादेश है जिसे तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल ने दिसम्बर 1945 में लागू किया था और यह 1959 तक अध्यादेश के रूप में लागू रहा, जबकि इसको संशोधित करने वाला विधेयक सभा में आया और थोड़े से विवाद और चर्चा के बाद अध्यादेश ने अधिनियम का रूप धारण कर लिया । बाद में, 1960 में इसमें कुछ मामूली से संशोधन किये गये ।

जैसा कि स्वयं अध्यादेश में उल्लिखित है, 1945 में इस अध्यादेश का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक समझौते को लागू करना था । इसमें आगे कहा गया है :—

"जबकि ऐसी आपात स्थिति पैदा हो गई कि उपर्युक्त समझौते को लागू करने के उद्देश्यार्थ कुछ उपबन्धों को बनाना आवश्यक है, जिसके लिये इस अध्यादेश को अधिनियमित किया गया था ।"

1945 में इसे युद्धकालीन उपाय के रूप में अंग्रेजों द्वारा जारी किया गया था । अत: यह एक ऐसा उपनिवेशवादी अध्यादेश का जो हमें विरासत में मिला और अब वित्त मंत्री द्वारा इसको सशोधित करने का विचार है ।

मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि इस अध्यादेश के अधीन एक धारा 4 है जो केन्द्रीय सरकार, या रिजर्व बैंक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को कुछ सूचना देना परमावश्यक करार देता है और वह सूचना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दी जानी होती है जो कि ऐक बाह्य अभिकरण है । अब मैं विचारधाराजन्य आधार पर बात नहीं कर रहा हूं और न ही मैं इस विधेयक के लाभों या सरकार की उधार-नीति के लाभ-हानि या संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन मुद्दे से सम्बद्ध किसी विधि की अनुपस्थिति की चर्चा कर रहा हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार की उधार शक्ति पर कुछ सीमायें लगाई जायें या नहीं । मैं बहुत ही छोटी-सी बात कहूंगा । 1945 में हमारा संविधान नहीं बना था और गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट, 1935 लागू था और अध्यादेश में यह धारा मौजूद थी । 1950 में संविधान लागू हुआ और संविधान में इस देश के नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकारों की गारन्टी दी गई ।

मैं कहता हूं कि देश में ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, लोकहित में, हम आयकर अधिनियम में ही कुछ उपबन्ध रख सकते हैं जो कि हमने 1922 में बनाये थे और जिनका 1964 में उनका संशोधन किया था । आयकर अधिनियम 1964 के माध्यम से हम अपने नागरिकों, अपने लोगों, अपनी संस्थाओं को अपने हित के लिये जन उपयोगिता के प्रयोजनों के लिये सरकार को कुछ सूचना देने के लिये बाध्य कर सकते हैं । परन्तु इस धारा 4 के अधीन सरकार सभा की औपचारिक अनुमति प्राप्त कर रही है ताकि यह सूचना "व्यक्तियों" से प्राप्त

की जा सके । 'व्यक्ति' शब्द में बैंक, एसोशिएशनें, आयतक, निर्यातक, संस्थायें, संगठन, वस्तुतः सभी आ जाते हैं। महोदय, उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के नाते आप भली-भांति जानते हैं कि "व्यक्ति" में सभी कुछ, सभी संगठन और संस्थान आ जाते हैं ।

मेरा प्रश्न यह है। संविधान में मूलभूत अधिकारों से सम्बन्धित अध्याय तीन तथा 26 जनवरी, 1950 को भारत के सर्वप्रभुत्तासम्पन्न बनने को दृष्टिगत रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस अधिनियम की धारा 4 के उपबन्ध हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं अथवा नहीं । मेरे विचार में उल्लंघन होता है । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जरूरतों को पूरा करने के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सूचना उपलब्ध कराने के लिये अब इस धारा 4 में संशोधन किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ प्राधिकार दिये जा रहे हैं ।

मैंने 21 जुलाई, 1982 को माननीय वित्त मन्त्री को लिखे अपने पत्र में इस प्रश्न को उठाया था । ढाई महीनों के बाद मुझे यह उत्तर प्राप्त हुआ है । यदि माननीय सदस्य चाहें और महोदय यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने पत्र तथा प्राप्त उत्तर तथा अपने 5 अक्तूबर के दूसरे पत्र तथा उसका जवाब 9 अक्तूबर को प्राप्त उत्तर को सभा पटल पर रख सकता हूं । अपने पहले वाले उत्तर में अन्तिम पैरे में उन्होंने लिखा है :—

> "आपने संविधान के अनुच्छेद 292 के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की हैं तथा 1945 के अधिनियम की धारा 4 के संबंध में कुछ कानूनी पेचीदगियों का जिक्र किया है । मैं इन सभी पहलुओं की जांच करवा रहा हूं :"

इसका अर्थ हुआ कि मुझे जवाब प्रेषित करने तक यह सरकार इस उपबन्ध विशेष की कानूनी पेचीदगियों के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत आश्वस्त नहीं थी और इसीलिए इसकी जांच करवा रही है । मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने कम से कम उस मुद्दे विशेष का उत्तर तो दिया जिसे मैंने अपने 21 जुलाई के पत्र में उठाया था ।

5 अक्तूबर को जब यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया तो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । इस संवैधानिक मामले को उठाया था तथा माननीय उपसभापति ने, जो उस समय पीठासीन थे, कहा था कि "आप कल जारी रख सकते हैं ।" इसी बीच वित्त मंत्री ने अत्यन्त चतुरता, बुद्धिमानी तथा संभवतः प्रवीणता से तत्काल यह निर्णय लिया तथा 9 अक्तूबर को मुझे यह सूचित किया है कि : —

> "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा बैंक अधिनियम, 1945 की धारा 4 के संवैधानिक पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच की गई है । हमें यह परामर्श दिया गया है कि अधिनियम की धारा 4 के उपबन्ध असंगतता की बुराई के कारण क्षतिग्रस्त नहीं होते, विशेष रूप से इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा लगाई गई बाधिता को देखते

हुए इस धारा के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का सम्बन्ध विनिमय दर नीतियों तथा देश की सम्पूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति से है न कि किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित अथवा किसी व्यक्ति विशेष के निजी आधिपत्य में सूचना से। धारा 4 में जिस प्रकार सूचना प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है उसका किसी नागरिक विशेष के मूल भूत अधिकारों से संबध नहीं है।

संसद के समक्ष वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किए जाने वाले भुगतान शेष की स्थिति तथा आंकड़ों के विवरण की नियमित पुनरीक्षा करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग में निरीक्षक तन्त्र की स्थापना के आपके सुझाव का जड़ों तक संबंध है, यद्यपि संघ की ऋण प्राप्त करने की शक्ति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है फिर भी, जैसा कि मैंने संसद के दोनों सदनों में चर्चा के दौरान बार-बार स्पष्ट किया है सरकार वाणिज्यक ऋणों के सम्बन्ध में बहुत ही सावधानीपूर्ण चुनिन्दा नीति का अनुसरण कर रही है। अपनी ऋण भार सामर्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए अर्थ-व्यवस्था की बाह्य स्थिति का निरीक्षण करने की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।"

जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं केवल सीमित मुद्दे को लूंगा। जहां तक उनके पत्र के प्रथम भाग का संबंध है वह कहते हैं "हमें सलाह दी गई है।" मैं जानना चाहता हूं कि किसके द्वारा ? मैं मांग करता हूं कि मामले के इस पहलू पर अपनी राय व्यक्त करने के लिये महाधिवक्ता को सभा में बुलाया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या महाधिवक्ता से परामर्श किया गया है; क्या उन्होंने कोई मत व्यक्त किया है और क्या आप उस मत को सभा पटल पर रख सकते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं पीठासीन अधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। इस समय किन उपलब्धों तथा किन नियमों के अन्तर्गत यह आपत्ति उठाई जा रही है ? इस विधेयक की वैधता से संबंधित ये सभी आपत्तियां, अर्थात क्या सभा इस विधेयक को पारित करने में सक्षम है या नहीं, पुरःस्थापित करने के समय उठायी जा सकती थी। इस विधेयक को जुलाई में पुरःस्थापित किया गया था, अब विधेयक विचारार्थ लाया गया है। केवल उसी मुद्दे को स्पष्ट किया जाये तभी मैं अन्य मुद्दों को स्पष्ट करूंगा। अब ये आपत्तियां किस नियम के अन्तर्गत उठाई जा रही हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, यदि मेरे माननीय मित्र को यह आपत्ति उठानी थी तो वह इसे 5 अक्तूबर को उठाते आज नहीं। मुझे अभी अपने तर्क देने हैं। आपको यह आपत्ति इस मुद्दे पर मेरी मूल आपत्ति के समय उठानी थी। आज इस समय, जब मैं अपने तर्कों को समाप्त करने वाला हूं, आप यह आपत्ति नहीं उठा सकते।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने समझा आप समाप्त कर चुके।

श्री सतीश अग्रवाल : नहीं-नहीं । ऐसा कोई प्रश्न नहीं है । आप कार्यवाही-वृतान्त को देख सकते हैं । आपने मुझ से केवल एक मिनट मांगा था ।

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि आप कृपया रिकार्ड को देखें कि आपने उस दिन क्या कहा था और आज क्या कह रहे हैं. तो आप देखेंगे कि आपने वस्तुतः ये सभी बातें उठा ली थीं और मैंने यही सोचा था कि वाद-विवाद का उत्तर देते हुये मैं इन सभी बातों को ले लूंगा । परन्तु मैंने इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैंने पुरःस्थापित कर दिया था । आपके बोल चुकने के पश्चात तकनीकी दृष्टि से यह स्थिति है कि मैंने कहा था "मुझे एक वाक्य कह लेने दीजिये और तब वह अपना भाषण आरम्भ करें" तत्पश्चात् मैंने यही सोचा कि सभा में बोलने की मेरी बारी है । और मैंने यही निर्णय लिया कि वाद-विवाद का उत्तर देते हुये मैं आपके सभी मुद्दों का उत्तर दूंगा । मैं नहीं जानता कि वस्तुतः आपके समक्ष क्या मुद्दे हैं और आप किस प्रकार निर्णय लेंगे क्योंकि इन मुद्दों को तब उठाया जाना चाहिए था जब विधेयक जुलाई में पुरः-स्थापित किया गया था ।

श्री सतीश अग्रवाल : किस नियम के अन्तर्गत ? आपका कहने का यह अर्थ है कि आपत्ति विधेयक को पुरःस्थापित करने के समय उठाई जानी चाहिए थी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जी हां । आपको आपत्ति विधेयक को पुरःस्थापित करने के समय उठानी थी । कृपया प्रक्रिया को देखिये । आप लोक सभा के सदस्य हैं, आप जानते हैं । दो अवस्थाओं में आपत्ति उठाई जा सकती है—अर्थात क्या सभा इसे पारित करने में समर्थ है क्या यह संघ सूची में है, क्या यह कानूनानुसार नहीं है । इसका निर्णय पुरःस्थापित करने के समय किया जाना था । आप विधेयक के कुछ उपबन्धों के बारे में भी कतिपय आपत्तियां उठा रहे हैं । यह सभा इस अवस्था में इस विधेयक को पारित करने पर आपत्ति नहीं उठा सकती है । आप इससे असहमत हो सकते हैं । हम अनेक निधेयक पारित करते हैं, न्यायालय उन्हें रद्द कर देता है, तब वे शक्ति-बाह्य हो जाते हैं क्योंकि वे मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध हैं । चूंकि सदस्य सभा में यह तर्क देते हैं कि यह मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध है तो केवल इसी कारण सभा को इस विधेयक पर विचार करने से नहीं रोका जा सकता । यह मेरी साधारण सी बात है । अतः इस मामले को वह वाद-विवाद में भाग लेते समय उठा सकते हैं और मैं इसका उत्तर दूंगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी भी विधेयक की संवैधानिकता के बारे में विनिर्णय नहीं दे सकता । इस पर विचार करना सभा का काम है ।

श्री सतीश अग्रवाल : जहां तक माननीय वित्त मंत्री की इस आपत्ति का संबंध है कि विधेयक की संवैधानिक वैधता के बारे में आपत्ति विधेयक को पुरः स्थापित करने के समय उठायी जानी चाहिए थी अर्थात 20 जुलाई, 1982 को उठायी जानी चाहिए थी, मैं आपका ध्यान सभा

के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 64 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :—

"अध्यक्ष से प्रार्थना की जाने पर, वह किसी विधेयक (उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण, विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन संबंधी ज्ञापन और उससे संलग्न वित्तीय ज्ञापन सहित) के गजट में प्रकाशन का आदेश दे सकेगा यद्यपि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव नहीं रखा गया हो। उस अवस्था में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा और यदि विधेयक बाद में पुरःस्थापित किया जाए तो उसको फिर प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

अतः एक विधेयक को अनुमति लेकर ही पुरःस्थापित किया जा सकता है। जब विधेयक राजपत्र में प्रकाशित होता है तब भी विधेयक पुरःस्थापित किया गया समझा जाता है।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह पहले ही पुरःस्थापित हो चुका है।

श्री सतीश अग्रवाल : जहां तक नियमों का संबंध है, उनमें किसी विधेयक विशेष की संवैधानिकता के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस आपत्ति को चर्चा के समय नहीं उठाया जा सकता।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप आपत्ति नहीं कर सकते। प्रश्न यह है कि आप द्वितीय चरण के समय अर्थात विचार करने की अवस्था के समय नहीं उठा सकते। इस बारे में सीमित शक्तियां हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : जहां तक इस सभा का संबंध है, परम्परा यह रही है। पुरःस्थापित करने के समय संवैधानिक वैधता के बारे में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। पुरःस्थापित होने के बाद नियमित वाद-विवाद होता है। पुरःस्थापित हो जाने के बाद और आपत्तियां नहीं उठाई जा सकती हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : जहां तक उनके हस्तक्षेप का संबंध है इसे महा-महती का निष्ठापूर्ण विरोध समझना चाहिए इससे अधिक कुछ नहीं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं श्री सतीश अग्रवाल से बेहतर सुझाव की आशा करता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : आप सरकार की प्रत्येक बात पर समर्थन करते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : जब श्री सतीश अग्रवाल ने आपत्ति उठाई तब अध्यक्ष महोदय ने उन्हें इसकी अनुमति दी थी। उस समय माननीय वित्त मंत्री भी उपस्थित थे। उस दिन उन्होंने अपनी आपत्ति नहीं उठाई और उन्हें बोलने की अनुमति दी गई। चूंकि

उस दिन समय नहीं था इसी तथ्य की वजह से उन्हें अपना भाषण अगले दिन जारी रखने की अनुमति दी गई थी । कृपया रिकार्ड देखिये ।

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं-नहीं । कृपया रिकार्ड देखिये । मैंने एक वाक्य बोला था । मैंने कहा था "मैं बोल रहा हूं, मुझे एक वाक्य कहने दीजिये ।" वास्तव में मैं बोल रहा था । कृपया रिकार्ड देखिये और जांच कर लीजिये ।

श्री सतीश अग्रवाल : नहीं-नहीं आपने केवल यह कहा था कि "मुझे एक मिनट दीजिए । मैं कुछ कहना चाहता हूं ।" मेरे विचार में आप कुछ कहना चाहते थे । अतः मैं स्थगन के लिए सहमत हो गया था ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं आपका ध्यान कार्यवाही वृतान्त की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें मैंने खड़े होकर अध्यक्ष से पूछा था 'क्या यह औपचारिक रूप से पूरा हो गया है ।" उन्होंने कहा था "नहीं, नहीं । वाद-विवाद जारी रहेगा ।" माननीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस पर आपत्ति नहीं की थी । मुझे इस आपत्ति को उठाने का औचित्य दृष्टिगोचर नहीं होता । संभवतः वह अधिक खिन्न तथा बुद्धिमान हो गये हैं । अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी थी । वह सर्वोच्च हैं । मैं अनुरोध करता हूं कि श्री अग्रवाल को अपने तर्क जारी रखने की अनुमति दी जाए ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप किस नियम के अन्तर्गत माननीय सदस्य को इस मुद्दे विशेष पर बोलने से रोक सकते हैं ।

सभापति महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है ।

यह एक भिन्न मामला है कि आपत्ति पुरःस्थापित करने अथवा बाद में किसी अवस्था पर उठाई जा सकती है । यह केवल परंपरा से नियन्त्रित होता है ।

यदि मैं श्री अग्रवाल से व्यक्तिगत स्तर पर बात करूं तो मुझे याद है जब मैंने राज्य सभा में पेंशनभोगियों के संबंध में एक विधेयक पुरःस्थापित किया था तब आपने वित्त राज्य मंत्री के रूप में पुरःस्थापित करने के समय एक संवैधानिक आपत्ति उठाई थी कि "यह धन विधेयक है ।" अतः सामान्यतः यह आपत्ति पुरःस्थापित करने के समय उठाई जानी चाहिये । चूंकि आपने उठाई थी इसलिये मैं केवल इतना कहता हूं । मैं उद्धृत करता हूं :

> "लोक सभा में यह एक मान्य प्रथा है कि अध्यक्ष व्यवस्था के इस प्रश्न पर कि क्या कोई विधेयक संवैधानिक दृष्टि से सभा की विधायी क्षमता में है अथवा नहीं, कोई विनिर्णय नहीं देता है । सभा विधेयक की शक्तियों के विशिष्ट प्रश्न के बारे में भी कोई निर्णय नहीं लेती है । सदस्य सभा की विचार करने की शक्तियों के पक्ष तथा विपक्ष में अपने

विचार व्यक्त करने के लिये स्वतन्त्र हैं। सदस्य विधेयक को पुरःस्थापित करने की शक्तियों के पक्ष तथा विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करने के लिये स्वतन्त्र हैं। सदस्य विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव अथवा बाद के प्रस्तावों पर मतदान के समय इस पहलू को ध्यान में रखते हैं।"

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि नये मुद्दे होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। परन्तु मुद्दे तो वही हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह केवल फिर से बल देने वाली बात है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : क्योंकि वह कोई पत्र पढ़ रहे थे..... ..... (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : मैं उन सबका पहले ही कृतज्ञ था।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि एक अच्छे अधिवक्ता की तरह उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं लेकिन गलत मंच पर उन्हें इसे उच्चतम न्यायालय में उठाना चाहिये था।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे याद है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक अधिनियम, 1945 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विशेष आहरण अधिकार योजना में हमारी भागीदारी प्राधिकृत करने हेतु, अन्तिम बार 1969 में संशोधित किया गया था। उपयुक्त मुद्रा एवं विनिमय प्रणाली को बढ़ावा देने के लिये, विशेष आहरण अधिकार योजना का बनाना अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी प्रयास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मैंने सभा में विचार के लिये अब जिस संशोधी विधेयक को प्रस्तुत किया है वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते की शर्तों के उस द्वितीय संशोधन के अनुसरण में है जो कि 1 अप्रैल, 1978 को लागू हुआ था।

मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते की शर्तों के द्वितीय संशोधन की पृष्ठभूमि और प्रकार पर संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, आज से लगभग 38 वर्ष पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाने जाने वाले राष्ट्र संघ मुद्रा और वित्त सम्मेलन में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप की गई थी। भारत कोष का संस्थापक-सदस्य है। ब्रिटन वुड्स सम्मेलन में भाग लेने वालों ने कोष को तीन मुख्य कार्य सौंपे थे—पहला' इसे विनिमय दर नीतियों और चालू लेखा कार्यों से सम्बद्ध भुगतानों को नियन्त्रित करना था। दूसरा, इसे भुगतान असन्तुलनों को सही करने के लिये वित्तीय संसाधनों सहित सदस्य जुटाने थे। तीसरा, इसे एक ऐसा मंच बनाना था जिसमें सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा समस्याओं के हल में सहयोग दे सकें।

ब्रिटन वुड्स सम्मेलन का आधार राष्ट्रीय मुद्राओं का निश्चित समान मूल्य स्थापित करना था जो कि छोटी सीमाओं के भीतर परिचालित होगा और जिसे कोष से सलाह करने के

बाद ही और मूलभूत असन्तुलन को सही करने के लिये ही बदला जा सकता है। समान मूल्य प्रणाली ने छठे दशक के मध्य से बढ़ते हुये दबाव के संकेत दिये थे। अगस्त, 1971 में, अमरीका ने डालर को सोने और अन्य आरक्षित अस्तियों में अधिकारिक विनिमय का औपचारिक रूप से निराकरण किया था। सातवें दशक के आरम्भ में, सदस्य देशों द्वारा चालू विनिमय दरों के व्यापक रूप से अपनाये जाने के कारण, यह प्रणाली अन्तिम रूप से समाप्त हो गई। इन परिणामों को देखते हुये, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का भली-भांति पुनरीक्षण करने और सुधार करने की तत्काल आवश्यकता पड़ी। जुलाई, 1972 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 की समिति के नाम से लोकप्रिय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली तथा सम्बद्ध मामलों में सुधार संबंधी एक समिति गठित की। समिति सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली का समग्र अनिवार्य ब्यौरा तैयार करने में असमर्थ थी, यद्यपि जून, 1974 में इसकी छठी बैठक में सुधार की व्यापक रूपरेखा स्वीकृत की गई थी। ऊर्जा संकट के कारण अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के ढांचे में हुये अचानक परिवर्तन के फलस्वरूप, समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के कुछ तात्कालिक मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया। 20 की समिति, अर्थात् अन्तरिम समिति के उत्तरवर्ती निकाय द्वारा मुद्रा सुधार पर आगे बातचीत की गई थी। अन्तरिम समिति की जमैका में जनवरी, 1976 में हुई एक बैठक में परिवर्तनों के ब्यौरों पर समझौता हुआ था। इनको समझौते की शर्तों के द्वितीय संशोधन में सम्मिलित किया गया था।

(डा० राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं)

श्री प्रणव मुखर्जी : मोटे तौर पर द्वितीय संशोधन के निम्नांकित उद्देश्य हैं—

(1) **विनिमय प्रबन्ध** : संशोधन चालू विनिमय दरों को विधिक रूप प्रदान करता है। परन्तु विनिमय दर प्रणाली के कोष संबंधी पर्यवेक्षण को सशक्त बनाता है और कुछ ऐसे सुझाव देता है जिसमें प्रणाली का विकास हो सके। इससे सदस्यों को कुछ दायित्वों को स्वीकार करने की शर्त पर अपनी पसन्द की विनिमय व्यवस्था को अपनाने का अधिकार मिलता है। सदस्यों को व्यवस्थित प्रबन्ध सुनिश्चित करने हेतु, कोष तथा अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करने के सामान्य दायित्व को वहन करना होता है। कोष से अपनी निगरानी में सदस्यों की घरेलू, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों को सम्मान देने की अपेक्षा की गई। संशोधन में विनिमय प्रबन्ध प्रणाली की स्थापना की गई है जो कि एक लक्ष्य के रूप में विनिमय दर की स्थिरता को मान्यता प्रदान करती है तथा आर्थिक और वित्तीय बातों में और अधिक स्थिरता की उपलब्धि से इसे सम्बद्ध करती है। संशोधन में एक ऐसा भी समर्थकारी उपलब्ध है जिसमें न्यायसंगत समान मूल्यों को निश्चित करने के लिये अन्ततः प्रतिफल की व्यवस्था है।

मुद्राओं के समान मूल्य के आम 'डिनोमीनेटर' के रूप में और 'एस. डी. आर.' के मूल्य की इकाई के रूप में सोने की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। सोने की सरकारी कीमत को समाप्त कर दिया गया था। यही बात सदस्यों द्वारा कोष को सोने में अनिवार्य भुगतान और

कोष द्वारा सदस्यों को भुगतान के मामले में था। एस. डी. आर. के स्वरूप और उपयोगिता के अनेक परिवर्तनों द्वारा एस. डी. आर. की भूमिका को सशक्त बनाने का प्रस्ताव था।

यहां मुख्य परिवर्तन कोष की मुद्राओं की जमा स्थिति की उपयोगिता से सम्बद्ध हैं। इसके प्राथमिक मापदंड हैं : भुगतान-सन्तुलन और सदस्यों की 'रिजर्व' स्थिति तथा विनिमय बाजारों की स्थिति संशोधन में सहायक की संकल्पना और अन्तर्नियमों में विस्तारित कोष सुविधा जैसी इसी तरह की अन्य व्यवस्था निहित है।

यह स्पष्ट है कि समझौते की शर्तों में इन परिवर्तनों का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार पर व्यापक करार की ओर एक अन्तरिम उपाय के रूप में ही समझा जा सकता है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्याशा की दृष्टि से विशेष आहरण अधिकारों और विकास सहायता के बीच सम्पर्क स्थापित करेगा तथा कोष में निर्णय लेने में विकसित देशों को और अधिक भूमिका अदा करने का अवसर देगा। भारत, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अन्य विकासशील देशों के सहयोग से अन्तरिम और विकास समितियों में तथा वास्तव में अन्य मंचों पर सम्मिलित प्रयास कर रहा है।

भारत सरकार ने द्वितीय संशोधन के उपबन्धों को स्वीकार कर लिया है। कोष के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार किये जाने के बाद ही केवल संशोधनों को लागू किया गया है। भारत सरकार की स्वीकृति को जून, 1977 में प्रेषित कर दिया गया था। उसके पश्चात् 1 अप्रैल, 1978 को दूसरा संशोधन लागू हुआ। इस विधेयक द्वारा विद्यमान अधिनियम में उन परिवर्तनों को समावेश करने की बात कही गई है जिनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

माननीय सदस्य देखेंगे कि परिवर्तन स्वयंमेव हैं। भारत 20-की समिति का सदस्य होने के नाते इस तथ्य से परिचित था कि जब कभी भी विनिमय दर के दीर्घ कालीन विकास पर किसी की विचारधारा हावी होती है तो विश्व को आने वाले लम्बे समय तक चालू विनिमय दरों को अपनाये रहना पड़ेगा।

इसी प्रकार, सोने के संबंध में भी हमारा यह रवैया रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सोने की भूमिका समाप्त होनी चाहिए। हम निरन्तर यह तर्क देते रहे हैं कि विशेष आहरण अधिकार को मुद्रा प्रणाली के सुधार का बिन्दु होना चाहिए। हमें विश्व व्यापी स्थिरता के हित में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संबंधों के पुनर्गठन के लिए कठिन परिश्रम जारी रखना पड़ेगा। यह 1980 की कार्यसूची का एक मुख्य मुद्दा है।

समझौते की शर्तों के संशोधन की प्रक्रियागत आवश्यकतायें ऐसी हैं कि जब तक संशोधनों के प्रस्तावों को पर्याप्त संख्या में देश स्वीकार नहीं करते, संशोधन लागू नहीं होते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जिसका अर्थ है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मतदान शक्ति का 3/5 भाग ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह तो अधिशासी निकाय है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : अधिशासी निकाय नहीं, मतदान शक्ति का 3/5 भाग । यह कोई साधारण बहुमत नहीं है, यह तो हमारे संवैधानिक संशोधन की तरह है और कुछ जटिल है जब समझौते की शर्तों में परिवर्तन किये जाते हैं तो तभी विधायी कार्यवाही की जा सकती है । फिर भी, स्वयं व्यापक परिवर्तनों को देखते हुए सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग के क्षेत्र में आधारभूत राष्ट्रीय नीतियों का निरन्तर ध्यान रखा है ।

जहां तक दूसरे संशोधन के अधीन परिवर्तनों की बात है, हमने सदैव बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में विकासशील विश्व के हितों की सुरक्षा के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है ।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतानों का संबंध है केवल उसी धन का भुगतान किया जायेगा जिसे विनियोग विधेयक में संसद स्वीकार कर चुकी है। संसद की पूर्वानुमति के बिना यह विधेयक किसी प्रकार के भुगतान की अनुमति नहीं देता है ।

अब मैं विधेयक को सभा में विचार के लिए पेश करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक अधिनियम 1945 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : सभापति महोदया, इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय ही हमने अन्य सदस्यों के साथ स्वयं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया था । हमारे दल के नेता श्री समर मुखर्जी तथा अन्य लोगों ने सभा में अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं । कुछ भी हो, जैसा कि होता है, ये आपत्तियां गया औपचारिकता बनकर रह गई हैं । यह सच है कि आपत्तियां हो सकती हैं, परन्तु अध्यक्ष महोदय किसी विधेयक-विशेष की विधायी क्षमता पर या अन्यथा किसी प्रकार का विनिर्णय नहीं देंगे ।

चाहे कुछ भी हो, हमें विधेयक के अभिप्रेत अर्थ को समझना होगा । जब तक हम यह नहीं समझ लेते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दो अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों की

स्थापना क्यों की गई थी, किसने की थी, कब की थी, उनकी स्थापना के पीछे कौन सा उद्देश्य था, तब तक हमारे लिये अपने संदर्भ को निश्चित करना और एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक और दूसरी ओर हमारे देश तथा अन्य देशों के बीच किए गये सभी प्रकार के सौदों पर चर्चा करना और किसी उपयुक्त निर्णय पर पहुंचना संभव नहीं है। यह 1944 की बात है जब सोवियत लाल सेना रूस को हिटलर के सैन्य दलों से पहले ही खाली करा चुकी और पूर्वी तथा मध्य यूरोप में से होकर गुजर रही थी तो कुछ देशों ने अमरीका के नेतृत्व में निर्णय लिया कि ब्रेटन वुड न्यू हेम्पशायर, अमरीका में यह निर्णय लेने के लिए कि विश्व का भावी आर्थिक स्वरूप क्या हो, एक सम्मेलन बुलाया जाये। और उस सम्मेलन में, दो संस्थानों की स्थापना की गई। एक संस्थान था अन्तर्राष्ट्रीय पूर्ननिर्माण और विकास बैंक जो कि विश्व बैंक के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा संस्थान था अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जब इन दो संस्थानों की स्थापना की गई थी तो इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य रखे गये थे। विश्व बैंक का उद्देश्य उस समय वह नहीं था जैसा कि आज विश्व बैंक उद्घोषित करता है। विश्व बैंक का उद्देश्य यूरोप की क्षत-विक्षत अर्थ-व्यवस्था को सुधारना और उसे नया जीवन प्रदान करना था और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य न केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नियमित करना था अपितु देशों के बीच विनिमय दरों को भी। इन दो निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु जुलाई, 1944 में एक सम्मेलन में इन दो अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई थी जिसका प्रधानतः नेतृत्व अमरीका और ब्रिटेन ने किया था।

जुलाई, 1944 में पृष्ठभूमि क्या थी? सारे के सारे पूर्वी और मध्य यूरोप में लाल सेना की आवाज गूंजती थी और वे जानते थे कि हिटलर पराजय के कगार पर था। आज या कल हिटलर की हार हो जायेगी। उसके बाद उनकी मुख्य चिन्ता यह थी कि यूरोप के बारे में क्या किया जाए। एशिया या अफ्रीका या लेटिन अमरीका की उन्हें चिन्ता नहीं थी। तब तक वे यह समझते थे कि विश्वयुद्ध के पश्चात प्रथम सितम्बर, 1939 से पहले की दुनियां अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा से पूर्व की दुनियां चलती रहेगी, वही औपनिवेशवादी विश्व चलता रहेगा जो कि एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के 3-4 विशाल उप महाद्वीपों में फैला हुआ है। उनका विचार था कि वह विश्व चलता रहेगा। परन्तु समस्या यूरोप की थी। यूरोप की क्षत-विक्षत अर्थ-व्यवस्था का क्या किया जाये? उन्होंने निर्णय लिया कि पूंजीवादी विश्व में जो कुछ टूटी-फूटी अर्थ-व्यवस्था बची है विश्व बैंक उसको सम्भालने का कार्य अपने हाथ में ले। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का काम अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास के बैंक को सौंपा गया तो उन्होंने पाया कि यह उनके लिए बहुत बड़ा काम है, जिसे शायद वह पूरा न कर सके। उनके बदले अमेरिका ने इस काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया और मार्शल योजना से उन्होंने यूरोप की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। विश्व बैंक ने यूरोपियन महाद्वीप से अपना ध्यान हटा कर तीसरे विश्व के महाद्वीपों पर ध्यान केन्द्रित कर दिया और तभी से वह एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के इस विशाल भू-खण्ड पर अपना व्यापार और राजनैतिक कार्य कर रहे हैं।

अब, श्री मुखर्जी ने ठीक ही कहा है कि वर्ष 1945 में हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक सदस्य बने। लेकिन 1945 में भारत इसका सदस्य नहीं बना। यह ब्रिटिश भारत था,

जो इसका सदस्य बना। उस समय भारत पराधीन था। मैं समझता हूं कि उस समय चर्चिल या अटली राज्य कर रहे थे। मुझे याद नहीं कि 1945 में चर्चिल को हटा कर अटली आये थे; लेकिन मुझे याद नहीं कि यह जुलाई से पहले की बात है या जुलाई के बाद की बात है। यहां पर बावेल का राज्य था। और इससे पहले 1942 में सारे भारत में असंतोष की लहर थी और नवम्बर, 1945 में भारत ने विद्रोह किया था। श्री मुखर्जी शायद आपको याद होगा, शायद आप उस समय बहुत छोटे होंगे और भाग नहीं ले सके होंगे, लेकिन मुझे याद है कि 1945 के नवम्बर माह में हमने कलकत्ता शहर की गलियों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद बम्बई में लड़ाई भड़की और नौसेना के साधारण नाविकों ने लड़ाई लड़ी। सशस्त्र सेना ने विद्रोह किया, वायु सेना ने विद्रोह किया और नौसेना के साधारण नाविकों ने विद्रोह किया। इसलिए वहां जिस देश ने प्रतिनिधित्व किया था, वह पराधीन भारत था जोकि अपनी आजादी के लिये संघर्षरत था और जो मजबूरन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का सदस्य बना।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने झूठा वक्तव्य दिया है और वह इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि भारत एक संस्थापक सदस्य था और वह अं० मु० को० के बारे में यह सभी बातें कह रहे हैं। लेकिन यह अं० मु० को० और विश्व बैंक का विधेयक है। लेकिन विधेयक—आपका संशोधनकारी विधेयक नहीं—बल्कि मूल अधिनियम में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही नहीं बल्कि विश्व बैंक भी शामिल है।

अब विश्व बैंक की स्थापना से ही वे यह दावा करते आ रहे हैं कि वे विश्व की सहायता करते रहे हैं। और हमारी सरकार भी इस बात में गर्व महसूस करती है कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उन्हें इतनी राशि की सहायता प्राप्त हुई है। लेकिन वे किस उद्देश्य से यह राशि दे रहे हैं? इस युद्ध से क्षत-विक्षत अर्थ-व्यवस्था से वह साम्राज्यवाद को बचाना चाहते हैं...

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : क्या वह विधेयक पर बोल रहे हैं?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : वह पूरा इतिहास बता रहे हैं।

श्री सुनील मैत्रा : जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आप यह नहीं जान सकते कि यह क्या है? कम से कम इन बातों को जानने के लिए धैर्य रखें। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि उस तरफ के 90% लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे।

इसके अलावा विश्व बैंक के प्रधान कौन रहे हैं? मैं आपको नाम बता रहा हूं। जून से दिसम्बर, 1946 तक यूगेन मायर, 1947 से 1949 तक जान मैक क्लाए 1949 से 1962 तक युगन ब्लैक, 1963 से 1968 तक जार्ज वुड्स, 1968 से 1980 तक राबर्ट मैकनमारा और 1981 से टॉम क्लाडसन। इनमें से हर कोई जोकि विश्व बैंक का प्रधान बना, वह बहु-राष्ट्रीय बैंकों से

ही आया, और वर्तमान प्रधान श्री टॉम क्लाउस्सेन भी एक बड़े बहु-राष्ट्रीय बैंक, यानि बैंक ऑफ अमेरिका से आये हैं। वह विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। ये सभी व्यक्ति अमेरिका के बहु-राष्ट्रीय बैंकों से आये हैं। क्या आपकी मान्यता यह है कि वे यहां आकर तीसरे विश्व के देशों की सहायता करने के लिये आ रहे हैं, ताकि ये देश औद्योगिक क्षमता का विकास कर सकें ताकि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वे आत्म निर्भर बन सकें और एक मजबूत राष्ट्र बन सकें, क्या इसका ध्यान रखने के लिये आ रहे हैं ? क्या आपका यही तर्क है ? क्या यही तुम्हारा तर्क है ?

विश्व बैंक इस उद्देश्य, यानि तीसरे विश्व के देश अपने यहां पूंजीवाद को बढ़ावा दें, से स्थापित किया गया था। (व्यवधान) आपको अपने पर शर्म आनी चाहिए। श्री अन्तुले के बारे में क्या है ? श्री गुन्डू राव के बारे में क्या है ? आप यह सब कहने के उचित व्यक्ति नहीं हैं, यहां एक पुस्तक है जोकि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी हुई है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'मनी लेंडर्स' में लिखा है। लेखक का नाम है एंथनी सेम्पसन। मैं उसमें से उद्धृत करता हूं:—

> "दो बहुत ही आबादी वाले देश, भारत और पाकिस्तान, जोकि राजनैतिक दृष्टि से पश्चिम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें ऋण की बहुत आवश्यकता है। लेकिन सामान्य बैंकों के मानदंडों से उन्हें ऋण नहीं दिया जा सकता। वाशिंगटन में सीनेट इस बात पर जोर डाल रही थी तीसरे विश्व के देशों को और अधिक आसान शर्तों पर ऋण दिया जाय, जिससे कि उन्हें साम्यवाद से बचाया जा सके। इसके फलस्वरूप 1960 में विश्व बैंक ने एक नई एजेंसी, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना की। अं० वि० सं० को विश्व बैंक ही चलाता है, लेकिन मात्र 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से यह 'साफ्ट' ऋण देता है, जिसे कि 50 वर्षों के दौरान वापस करना होता है। इसके लिए कोष 19 अमीर देशों से आता है, जिनका मुखिया अमेरिका है। इस कोष को 80 से अधिक सबसे गरीब देशों को दिया जाता है, जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 375 डालर से कम है। अगले 12 वर्षों में अं० वि० सं० ने इन देशों को 4.4 मिलियन डालर का ऋण दिया, जिसमें से आधे से ज्यादा भाग भारत और पाकिस्तान को दिया गया।"

अं० वि० सं० से आपको इस प्रकार का पैसा मिलता है। अं० वि० सं० आपको बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए पैसा देता रहा है, और फिर उन्होंने कृषि विकास के लिए पैसा दिया और फिर उन्होंने बुनियादी ढांचा और कृषि को विकास करने के लिए आपको पैसा दिया, जिससे कि इस देश में पूंजीवाद प्रगति के आधार तक पहुंच सके। और पिछले 35 वर्षों में आप विश्व बैंक और अं० वि० सं० के कोष को इस देश में पूंजीवाद के विकास के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। 1978 तक इन दो बैंकों—यानि अं० वि० सं० और विश्व बैंक ने मिलाकर भारत को 7.09 मिलियन डालर का ऋण दिया था। इस पैसे से आप पिछले 35 वर्षों में यहां पूंजीवाद का निर्माण करने की कोशिश करते रहे हैं। अब आप संकट या अव्यवस्थित दशा में हैं, जिसका

कि प्रबन्ध इतना खतरनाक है कि आपके लिए इस संकट से उबरने या इस संकट का इस प्रक्रिया से समाधान करना मुश्किल है।

इस सदन में पिछले दिनों श्री मुखर्जी के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा विदेशी ऋण 15,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें से 12,000 करोड़ रुपये के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस 15,000 करोड़ रुपयों में से, कई एक अन्य देशों और संस्थानों का कितना अंश है? मैं समझता हूं कि आपको यह राशि अन्य संस्थानों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त आयोग, जो कि विश्व बैंक की निजी सत्र की इकाई है—से प्राप्त हुआ है, जो कि देशों को निजी क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करती है। यह राशि विभिन्न यूरोपीय और अमरीकी बैंकों के निजी क्षेत्रों से आती है। इन सब बातों से आप, इस देश में पूंजीवाद का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप कह सकते हैं कि इन सभी सुविधाओं से आप खाद्य की समस्या हल कर पायेंगे? क्या आपने खाद्य की समस्या हल कर ली है? इसमें कोई शक नहीं कि खाद्यान्न का आपका उत्पादन बढ़ा है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि आप हमेशा के लिए खाद्य की समस्या हल कर देंगे?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री सुनील मैत्रा : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। आपको मुझे कुछ और समय देना चाहिए।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती : यह हमारी विचारधारा की भी लड़ाई है—कम से कम आपको उन्हें कुछ और समय देना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री सुनील मैत्रा : हमारे देश में 60% लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। अगर आपका उत्पादन 100% भी बढ़ जाये, तो इससे क्या होता है? अगर 60% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं तो आप कभी भी उन्हें काफी खाद्य भोजन नहीं दे सकते। यह मेरा मत्र निवेदन है। यह मेरा ही निवेदन नहीं है, लेकिन यह 1982 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास प्रतिवेदन में कहा गया है। इसमें बंगलादेश, श्रीलंका और अन्य देशों के उदाहरण दिये हुए हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जहां खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई हैं, वहां भी 'अकाल' पड़ता रहता है। अकाल, खाद्य क्षेत्र में उत्पादन में कमी की वजह से नहीं पड़ता है बल्कि लोगों की क्रय-शक्ति में कमी की वजह से पड़ता है।

पिछले 35 वर्षों से आप इस देश में पूंजीवाद को स्थापित करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। आप इतना अधिक ऋण लेते रहे हैं। आप कहते हैं कि आपने कृषि का विकास किया

हैं। आप कहते हैं कि आपने हरित क्रांति लाई है। लेकिन सच्चाई यह है कि : आपके लिए यह भी सम्भव नहीं है कि उन 60% लोगों को, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, भोजन भी उपलब्ध करा सकें।

तुलना की दृष्टि से, मैं कहना चाहूंगा कि चीन ने क्या किया है। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि चीन अब विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि का सदस्य बन गया है, लेकिन प्रश्न यह है कि विश्व की इन इकाइयों का सदस्य बनने से पहले चीन अपनी खाद्य समस्या को सुलझाने में कैसे सफल हो सका।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री सुनील मैत्रा : मैं समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे, मैं सभी महत्वपूर्ण बातों पर कैसे बोल सकता हूं। संसद के इतिहास में पहली बार हम 1945 के विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन की स्थापना से, इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। इसलिए, कृपया मेरा साथ दें। पहली बार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया मुझे ध्यान से सुनें।

विश्व बैंक और मुद्रा कोष की सहायता के बिना, चीन अपनी खाद्य समस्या कैसे सुलझा सका? इसके बारे में विश्व विकास प्रतिवेदन, 1982 में बताया गया है।

मैं इस अंश को पढ़ रहा हूं जो पृष्ठ 88 पर है। इसमें यह बताया गया है :—

"खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में चीन के दृष्टिकोण को अन्य परिस्थितियों में आसानी से नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं मुख्यतः चीन के अनुरूप हैं।"

महोदय, वे कहते हैं कि यह "मुख्यतः चीन के अनुरूप" हैं। जिसका तात्पर्य है "मुख्यतः समाजवादी"। उन्होंने "समाजवादी" शब्द का उपयोग नहीं किया है।

इसके पश्चात् प्रतिवेदन में कहा गया है—

"महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था सामूहिक व्यवस्था के अनुसार की जाती है। जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन करने वाले वर्ग कामगारों तथा अन्य स्थानीय समूहों के सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके...एक समुदाय के अन्तर्गत मूलभूत आवश्यकताओं को मुख्यतः वार्षिक सामूहिक आय के विनियोग के माध्यम से किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक राशन प्राप्त होता है।"

(व्यवधान)

कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए । प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक राशन दिया जाता है । कृपया इसको समझने का प्रयत्न करें ।

"... यह उनको भी दिया जाता है जिनके काम का औसत सामान्य औसत से कम है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से कार्य करना होता है । वृद्ध लोगों को भी आमतौर से कुछ हल्का कार्य दिया जाता है ताकि वे सामुदायिक आय में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकें ।

कभी-कभी दुर्भाग्यवश परिवार में कुछ छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं, जैसे बीमार होना—उसका व्यय भी सामूहिक निधि से खर्च किया जाता है ..।"

इस बात पर ध्यान दीजिए कि इसका ऋण सामूहिक निधि से लिया जाता है न कि महाजन से । ..... सभी संगठनों के लिए आवश्यक होता है कि वे ब्रिग्रेड व कम्यून स्तरों पर अनाज का आरक्षित भंडार रखें ।

"बहुत से कम्यूनों के पास राज्य खाद्य एजेन्सी की ओर से या पशुधन के लिए, चारे के लिए भंडार होते हैं और ये सब मिलाकर खराब फसल की स्थिति के प्रति संतुलित करने के लिए प्रायः पर्याप्त होते हैं ।"

अतः चीन विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने से पहले भी अपने खाद्य उत्पादन व खाद्य वितरण का प्रबन्ध इस प्रकार से कर रहा था । उसने अपने 100 करोड़ लोगों को भोजन देने के लिए निश्चित व्यवस्था की हुई है । हम अपने 70 करोड़ लोगों का पेट क्यों नहीं भर सकते ? अतः आप कृपया यह अन्तर देखिये ।

पिछले 35 वर्षों में आप यह प्रणाली नहीं ला सके । पिछले 35 वर्षों से आप इस देश में पूंजीवाद का निर्माण कर रहे हैं । पिछले 35 वर्षों में उन्होंने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता के बिना जिस प्रणाली का निर्माण किया है उससे सभी चीन वासियों को खाद्य सुरक्षा मिली है, और यह बहुत अच्छी है और आप इन वर्षों के दौरान यह नहीं कर सके ।

मेरे मित्र श्री सतीश अग्रवाल ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते के अनुच्छेद आठ की धारा 4 का जिक्र किया है, सभा तथा इस देश के लोगों को यह जानना चाहिए कि भारत ब्रिटेन के लॉर्ड वैवेल, तथा श्री चर्चिल या लॉर्ड एटली द्वारा शासित था जिन्होंने हमें इन संस्थाओं की सभी प्रकार की शर्तों के प्रति वचनबद्ध किया था । अब मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुच्छेद आठ की धारा 5 का संदर्भ देना चाहूंगा । इसमें लिखा है—

(क) "कोष सदस्यों से ऐसी सूचना मंगा सकता है जिनको यह अपनी गतिविधियों के लिए आवश्यक समझता है, जिसमें निम्नलिखित मामलों पर वे राष्ट्रीय आंकड़े भी शामिल हैं जो कोष के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन में न्यूनतम आवश्यकता के रूप में चाहिए :—

(i) देश तथा विदेशों में (1) सोने, (2) विदेशी मुद्रा के रूप में सरकारी धारिताएं;

(ii) सरकारी एजेन्सियों के अलावा, बैंककारी व वित्तीय संस्थाओं की देश तथा विदेशों में (1) सोने, (2) विदेशी मुद्रा के रूप में धारिताएं;

(iii) सोने का उत्पादन;

(iv) गन्तव्य तथा मूल देशों के अनुसार स्वर्ण का आयात तथा निर्यात;

(v) गन्तव्य तथा मूल के देशों के अनुसार आयात तथा निर्यात किए गए सामान का स्थानीय मुद्रा में मूल्य;

(vi) अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन, जिसमें (1) वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार, (2) स्वर्ण सम्बन्धी सौदे, (3) ज्ञात पूंजीगत सौदे तथा (4) अन्य मदें सम्मिलित हैं;

(vii) अन्तर्राष्ट्रीय निवेशों की स्थिति, अर्थात् जहां तक सम्भव हो, सदस्य के राज्य क्षेत्र में विदेशियों के निवेश तथा विदेशों में सदस्य के निवेशों के बारे में सूचना देना;

(viii) राष्ट्रीय आय;

(ix) मूल्य सूचकांक, अर्थात् थोक तथा फुटकर बाजारों में वस्तुओं के मूल्य सूचकांक तथा निर्यात व आयात मूल्यों के सूचकांक;

(x) विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री दरें;

(xi) विनिमय नियंत्रण अर्थात् कोष की सदस्यता लेने के समय लागू विनिमय नियंत्रणों का व्यापक विवरण और जैसा ही कोई परिवर्तन हो उसका ब्यौरा देना; और

(xii) जहां पर सरकारी स्वीकृति के प्रबन्ध हैं वहां वाणिज्यिक व वित्तीय सौदों के संबंध में उस राशि का ब्यौरा देना जिसकी स्वीकृति देना बाकी है और/या वह अवधि जब से वह बकाया राशि पड़ी है।"

अब जहां तक हमारी आर्थिक सूचना का संबंध है, वित्तीय सूचना का संबंध है, जहां तक हमारी विकास सूचना का सम्बन्ध है, जहां तक हमारे व्यापार का संबंध है, जहां तक हमारी विदेशी मुद्रा के भंडारों का संबंध है, जहां तक हमारे आर्थिक आंकड़ों का संबंध है, उनको पहले ही ब्रिटिश भारत ने इन साम्राज्यवादियों, विशेषकर अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा शासित एजेंसियों को देने का वचन दिया हुआ है। उन्होंने हमसे सभी किस्म के आंकड़े अमरीकी साम्राज्यवादियों को देने के लिए वचनबद्ध किया हुआ है। यह हमारे आर्थिक, वित्तीय व राजनीतिक जीवन के लिये शर्म की बात है। अब 1945 में जब इस देश पर अंग्रेजों का शासन था उन्होंने हमारे ऊपर ये सब बाध्यतायें लगायी थीं। और वित्त मंत्री अब इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हम विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक सदस्य हैं। समूचा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? 7वें दशक के शुरू में पेट्रोलियम का मूल्य एक दम चार गुना बढ़ गया और आपको मालूम है कि अरब देशों ने विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करने वाले देशों ने भारी मात्रा में धन कमाया जिसको वे अपने देश में खर्च नहीं कर सके। उन्होंने वह धन संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुराष्ट्रीय बैंकों में जमा कराया। अमरीकी कांग्रेस में सीनेट-सदस्य श्री फ्रैंक चर्च की अध्यक्षता में एक सीनेट उप समिति का गठन किया गया और उस समिति ने पता लगाया कि 2-1/2 वर्ष के दौरान—केवल 1974 तथा मार्च 1976 के बीच सं० रा० अमेरिका के छः बड़े बहु-राष्ट्रीय बैंकों में 14.5 बिलियन डालर जमा किये गये। अतः बहुत अधिक मात्रा में धन उधार दिया गया। ये बहु-राष्ट्रीय बैंक उधार देना चाहते थे और वे तृतीय-विश्व देशों को उधार देने गये मैं उनके उधार देने का उदाहरण दे रहा हूं। जैरे को उन्होंने 4 बिलियन डालर उधार दिये, अर्जेन्टीना को 36 बिलियन डालर, ब्राजील को 75 बिलियन डालर, मैक्सिको को 33.5 बिलियन डालर, नाईजीरिया को 5 अरब डालर। ये बहुत से मामले हैं परन्तु मैं इन आंकड़ों को अद्धृत करने के लिए सभा का समय नहीं लूंगा। परन्तु आज इसका क्या परिणाम है? हम देख चुके हैं कि मैक्सिको ऋण वापस नहीं कर पाया। जब मैक्सिको वापस नहीं कर सकता, जब ब्राजील वापस नहीं कर सकता, जब जैरे वापस नहीं कर सकता। जब वे अदा करने की स्थिति में नहीं हैं फिर बहु-राष्ट्रीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाते हैं जो कि आज कल विश्व भर में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व बहु-राष्ट्रीय बैंकों के मौद्रिक सिपाही का कार्य कर रहा है। आजकल न केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में और विश्व बैंक में बल्कि बहु-राष्ट्रीय बैंकों के अध्यक्षों के सम्मेलनों में भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी उपस्थित होते हैं तथा अपनी पारस्परिक सलाह से वे यह निर्णय करते हैं कि किस देश को उधार देना है। बहु-राष्ट्रीय बैंकों की सलाह पर ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण की शर्तों को निर्धारित करते हैं। जब बहु-राष्ट्रीय बैंक इन देशों को उधार देते हैं तो वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि तृतीय विश्व देशों के प्रति उनकी शर्तें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी ही हों। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित ऋण की शर्तें तृतीय विश्व के देशों पर जबरन लगायी जाती हैं। आज हमारा देश ऐसा देश है जिसने कल ही 55 अरब डालर का ऋण लिया है। जब अर्थ-व्यवस्था खराब होती तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सामान्यतः हमें रुपये का अवमूल्यन करने के लिए सलाह देगा। मैं अपने माननीय मित्र को पूछता हूं कि पिछले तीन वर्षों में डालर के मुकाबले में रुपये का कितना अवमूल्यन हुआ है?

यह 30% है और आपके रुपये की प्रति सप्ताह कीमत कम होती है। पिछले दो ढाई वर्षों में रुपये का डालर के मुकाबले मूल्य कम हो जाने से, व्यवहारिक रूप से 30 प्रतिशत तक अवमूल्यन किया जा चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दूसरा सुझाव कीमतें कम करना होगा और तीसरा राज्य सहायता को कम करना। अभी उस दिन श्री मुखर्जी ने सदन में बताया था कि हम राज-सहायता को कम नहीं करेंगे और महोदय यह विश्व बैंक की रिपोर्ट है और वह कहते हैं कि हम राजसहायता को कम नहीं करेंगे। आप ही सबसे पहले यह कार्य करेंगे। आप स्वयं के स्वयं मालिक नहीं हैं। आपको राजसहायता को समाप्त करना पड़ेगा।

अब महोदय मैं आपको केवल एक व्यक्ति जिसका आप विश्वास करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं और जिसका आप आदर सम्मान करते हैं, का उद्धरण देकर मैं समाप्त करता हूं। वह श्री आर्थर स्फलेसिन्जर, राष्ट्रपति कैनेडी के विशेष सहायक। उन्होंने अपनी पुस्तक 'थाउजैंड डेज' में कहा है और मैं उद्धृट करता हूं :—

> 'यदि 19वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कसौटी संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी लागू होती तो हमारे अपने आर्थिक विकास में काफी लम्बा समय लग जाता। विकास-शील देशों को वित्तीय शास्त्र सम्मतता का उपदेश देते हुए हमारी स्थिति कुछ ऐसी है जैसी उस वेश्या की जो अपने धन्धे से निवृत्त होकर इस बात में विश्वास करती है कि जन नैतिकता के लिए वेश्या ग्रहों को बन्द किया जाना आवश्यक है।"

ठीक यही कार्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कर रहा है जिनसे आप पहले ही 5 अरब डालर ऋण का उन शर्तों पर समझौता कर चुके हैं जिनसे देश की अर्थ व्यवस्था का अभी से सर्वनाश होना शुरू हो गया है और इस प्रक्रिया में आपने इस देश की अर्थव्यवस्था को उनके पास बन्धक रख दिया है।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : माननीय सदस्य उस सैनिक के समान कार्य कर रहे हैं जो हवा में फायर करते हैं परन्तु निशाने पर गोली नहीं मारते। वह संसार की सभी बातों के बारे में बात करते हैं अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के बारे में, साम्यवाद, उपनिवेशवाद, मार्क्स-वाद सभी के बारे में बातें करते हैं परन्तु वे विधेयक के प्रावधानों के बारे में बात नहीं करते।

1944 में हैम्पशायर में हुये बरेट नवुडस सम्मेलन ने दो जुड़वां संस्थाओं अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक को जन्म दिया। प्रथम संस्था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात देशों के बीच व्यवस्थित मौद्रिक सम्बन्ध बनाने के लिए बनायी गयी थी। 1918 और 1939 के बीच की अन्तर्युद्ध अवधि में अत्यधिक अस्थिर मुद्रा दरें, मुद्रा की कीमत में कमी तथा बहु-मुद्रा प्रथायें जारी थीं, जिससे देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक विकास में बाधा पड़ती थी।

अतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संबंध व्यवस्थित प्रकार के हो जाए । दूसरी संस्था युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए तथा विकासशील देशों और पिछड़े देशों के विकास के लिए धन प्रदान करना था दोनों संस्थाओं ने पिछले 35 वर्षों में विश्व की बड़ी सेवा की है । भारत ब्रैटन वुड्स सम्मेलन का सदस्य था जहां पर हमारा सक्षम प्रतिनिधित्व किया गया था और हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्माताओं में से हैं । इसका संविधान 1944 में बनाया गया था परन्तु उस समय इस देश की तत्कालीन विधान सभा ने 1945 में एक अधिनियम पारित किया था । ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि हम 1945 के अधिनियम के प्रति वचनबद्ध नहीं हैं । स्वतन्त्रता से पहले भारत में सैंकड़ों अधिनियम पारित किये गये थे क्या हम उनके प्रति वचनबद्ध नहीं हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : यह अधिनियम द्वारा नहीं बल्कि अध्यादेश द्वारा किया गया था ।

श्री वाई० एस० महाजन : वह अध्यादेश बाद में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिनियम 1945 में परिवर्तित किया गया था ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह 1945 में एक अध्यादेश था । इस पर केन्द्रीय विधान सभा में चर्चा नहीं की गयी थी यह 1959 में अधिनियम में परिवर्तित किया गया था ।

श्री वाई० एस० महाजन : माननीय मंत्री स्थिति को स्पष्ट करेंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उदेश्य स्थिर विदेशी विनिमय संबंध बनाये रखना, बहु-मुद्रा प्रथा को कम करना, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिये चालू स्थान्तरणों पर प्रतिबन्धों को ढालना और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को प्रोत्साहन देना और विकासशील देशों का आर्थिक विकास करना है ।

प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लचीली विनिमय दर का सम-मूल्य प्रणाली द्वारा पुष्टिकरण किया था । वर्तमान विधेयक में विनिमय दर प्रणाली में अधिक लचीलेपन को प्रोत्साहन दिया गया है जो कि आधुनिक विश्व में आवश्यक है । वह ऐसा देशों को अपने भुगतान संतुलनों की सामयिक कठिनाईयों से निपटने में सहायता करके कर सकता है । यदि भुगतान सन्तुलनों की कठिनाई अस्थायी है तो तुरन्त सहायता दी गई है, यदि भुगतान संतुलनों में मूलभून असन्तुलन होता है तो तुरन्त सहायता नहीं दी गयी होती । मूलभूत असंतुलन तब होता है जब देश को कठिनाई पर विजय पाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करने पड़ें । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मूलभूत असन्तुलन की अवधारणा की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है, परन्तु उपरोक्त स्पष्टीकरण एक सामन्य तरीके से दिया जा सकता है । सम-मूल्य प्रणाली या बंधी हुई विनिमय दरें परिवर्तन के अध्याधीन थी । यह पहले 1971 में तथा दूसरे 1973 में विखण्डित हो गया था ।

आधुनिक युग में उस प्रणाली का पुनः प्रचलन असंभव नहीं है। विनिमय दर में और अधिक लचीलापन लाने के लिए इस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा। और यह हमारी आर्थिक नीति के अनुकूल बैठता है।

हमारी विनियम दर 1975 से भारत के कई व्यापार भागीदारों की मुद्राओं के साथ जुड़ी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में पौंड्स स्टर्लिंग से जुड़ी हुई है। रुपये और उक्त मुद्राओं के बीच संबंध किसी भी पक्ष द्वारा 5 प्रतिशत की गुंजाईश रख कर कायम रखा जाता है यह प्रणाली बहुत ही संतोषजनक सिद्ध हुई है और इसलिए हमें इस विधेयक में किये गये संशोधनों का समर्थन करना चाहिये।

इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सोने का योगदान कम करना है। विश्व मुद्रा बाजार में सोने की श्रेष्ठता को, जो श्रेष्ठता इसे 1930 के नेपोलियनवादी युद्ध के समाप्त होने के बाद से प्राप्ति थी, कम किया गया है। अमेरिका वह अन्तिम देश था जिसने सोने को मानक मानने की प्रथा को छोड़ा था, जो एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सोने के भाव का निर्धारित मूल्य और मुद्रा के प्रयोग को बराबर बताया गया है। आम भाषा में, सोने की प्रथा से हमारा तात्पर्य ऐसी प्रथा से है जिसमें देश की मुद्रा के पीछे सोना रखा जाता है अथवा सोने का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए सुरक्षित वस्तु के रूप में किया जाता है। इस देश में यह प्रथा 1930 तक चली, लेकिन अमेरिका ने 1933 में यह प्रथा छोड़ दी। उसने 1933 में सोने के रूप डालर का भुगतान करने से मना कर दिया लेकिन उसने सोने के पीछे डालर को इस मूल्य से 25 प्रतिशत तक समर्थन देना जारी रखा और 1968 में इसने इसे भी समाप्त कर दिया। 1966 अथवा 1933 और 1968 के बीच हमारे यहां "स्वर्ण विनिमय मानक" प्रथा थी। इसमें देशों को स्वर्ण के मूल्य के बदले डालर जैसी किसी मुद्रा का मूल्य बनाये रखना पड़ता है। अतः हमारे यहां 1933 से 1968 तक 'डालर-विनिमय मानक' था। यह भी असंतोषजनक सिद्ध हुआ क्योंकि बढ़ते हुए व्यापार, अत्याधिक घाटे और अत्याधिक बचत से विश्व के देशों ने देखा कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में अन्तर का भुगतान करने के काफी साधन नहीं हैं और इसलिए नकदी को बढ़ाया जाना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक विचार सूझा, जो कि बहुत अच्छा विचार था। यह विचार इस शताब्दी के महान अर्थशास्त्री लॉर्ड केयनिस द्वारा व्यक्त किया गया था। जिस समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापित किया गया था, तब प्रस्ताव अथवा दो योजनाएं रखी गई—एक योजना केयनिस द्वारा रखी गई और दूसरी व्हाइट द्वारा, जो कि अमेरिकी राजकोष के प्रतिनिधि थे। आरंभ में व्हाइट के प्रस्ताव स्वीकार किये गये थें, लेकिन अब, अनुभव होने के बाद, हमने केयनिस के प्रस्ताव स्वीकार किये हैं, जिसने कहा था "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा में एक निश्चित एकता होनी चाहिये, विश्व को मुद्राओं का आधार बनाया जाना चाहिये। हमें विभिन्न देशों को विभिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं का भंडार बनाना चाहिये।

अन्ततः इस व्यवस्था में काफी कठिनाइयां आने लगीं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विशेष आहरण अधिकार प्रणाली आरंभ करनी पड़ी, जो अन्य प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय नकदी प्रणाली का

पूरक है उनसे भिन्न नहीं, सोने का महत्व कम करने की प्रणाली सम्बन्धी इस नीति का अनुसरण करते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सोने को वेचने का साहसिक कार्यक्रम प्रारम्भ किया और इस तरीके से मई, 1980 तक कुल 2 करोड़ 50 लाख औंस सोना वेचा गया, जिसका मूल्य 4.6 विलियन डालर था।

सदन के समक्ष रखे गये इस प्रस्ताव का तीसरा उद्देश्य यह है कि एस डी. आर. की भूमिका बढ़ायी जानी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, एस. डी. आर. एक नये प्रकार की नकदी है, एक नये प्रकार का भंडार है और अब हमें यह देखना है कि इससे डालर या पौंड स्ट्रलिंग के संबंध में इसका महत्त्व बढ़ाया जाये, तथा मुद्रा में इसके प्रयोग की अनुमति देकर, अग्रवर्ती संचालन से, दान या अनुदान देकर और ऐसे सरकारी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करके, जो एस. डी. आर. का अर्जन अथवा उसका प्रयोग कर सकें, इसका महत्व बढ़ाया जा सकता है। एस. डी. आर में एक नये प्रकार की नकदी होनी चाहिये और इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के विकास में आगे कदम बढ़ाना चाहिये। इन संशोधनों और अनुच्छेदों का उद्देश्य एस. डी. आर. को केन्द्रीय भूमिका देना है अर्थात इसको निवेश के माध्यम तथा लेखा के संविदा यूनिट के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में प्रमुख, आरक्षित संपदा के रूप में मान्यता देना है। इन परिवर्तनों से एक अधिक उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की व्यवस्था की जा सकेगी और एक उपयुक्त आर्थिक प्रणाली लाई जा सकेगी तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों का विकास हो सकेगा।

अब मैं इस सदन में तथा इस सदन से बाहर उठाए गए विवाद पर आता हूं, क्योंकि प्रस्ताव सदन में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा रखा गया था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण पर लगाई गई शर्तों के बारे में भी बहुत गलतफहमी है। भारत को 'विशेष रूप से विस्तारित निधि' के अन्तर्गत ऋण दिया गया था, जो कि 1974 में बनाई गई थी और इसका उद्देश्य उन सदस्य देशों की सहायता करना है जिनको गभीर भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसका कारण व्यापार, उत्पादन तथा मूल्यों में संस्थागत असंतुलन था, अर्थात ऐसे देश जिनके भुगतान संतुलन की स्थिति कमजोर रहती है। इस सुविधा के अन्तर्गत आहरण तीन वर्ष की अवधि में किया जा सकता है और वह सदस्यों द्वारा कार्यान्वयन संबंधी कार्य निष्पादन खंडों के अध्याधीन होता है तथा ऐसे नीतिपरक उपायों पर निर्भर है जो उनके अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में संतुलन लाने के लिए आवश्यक होते हैं।

अभी तक जेमैका, बंगलादेश, पाकिस्तान, मिश्र, फेरक्को आदि जैसे लगभग 20 देशों ने इस सुविधा का उपयोग कर लिया है। इनमें से अधिकांश देश विकासशील देश साधारणतः तेल का आयात न करने वाले देशों के भुगतान संतुलन के कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जब विशेष तौर पर प्रवत्त सुविधा शुरू ही की गई थी तो 20 सदस्यों की समिति, जिसका मंत्री महोदय ने जिक्र किया है, ने योजना का पुरजोर समर्थन किया और कम विकसित देशों के प्रतिनिधियों ने शर्तों का समर्थन नहीं किया। यह उचित भी था, क्योंकि शर्त कुछ भी नहीं है—शब्द

क्या है, यह मजाक है, शर्त और शर्तें, यह तो अंग्रेजी की बात है–इसका अर्थ वे आर्थिक, राजकोषीय तथा वित्तीय नीतियां हैं, जिनके बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा ऋण लेने वाले देशों के बीच आर्थिक स्थिति को सामान्य बनाने के लिए समझौता हुआ है अर्थात् ऐसी शर्त जिसके अन्तर्गत निर्यात उस देश के आयात से बराबर होगा, जिसमें अदृश्य मद भी शामिल होंगे। यह उद्देश्य आयात को हटाकर निर्यात के बराबर करने से पूरा नहीं करता था बल्कि ऐसे उपायों द्वारा करना था जिसका परिणाम बहु मुद्रा प्रणालियों अथवा चालू भुगतानों पर प्रतिबंधों में होगा ताकि संतुलन एक उच्च स्तर पर प्राप्त किये जा सके। निर्यात वृद्धि करके उच्च स्तर पर संतुलन प्राप्त करने की यह नीति विश्व के सभी देशों के विकास तथा आर्थिक समृद्धि के लिए हितकारी है। प्रतिबंधात्मक उपायों द्वारा आयात कम करने की दूसरी नीति का परिणाम भिखारी पड़ोसी की नीति में होता है। अपने पड़ोसी को भिखारी बनाने का अर्थ यह है कि आप अपने आपको भिखारी बना रहे हैं। वास्तव में यह पाठ हमने 1918-28 की अवधि के दौरान सीखा। उस समय के ये विचार कि ऐसी नीतियां राष्ट्रों की प्रभुसत्ता के विरुद्ध हैं, तथ्यों को तोड़ता-मरोड़ता है। यह वास्तविक स्थिति को गलत ढग से रखता है। ऐसी कोई भी शर्त नहीं है जिसे उस प्रभुसत्ता सम्पन्न सस्था तथा इस देश के लोगों ने स्वीकार न किया हो। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष इन नीतियों के कार्यान्वियन के संबंध में सूचित करने के अधिकार, जिसका जिक्र श्री सतीश अग्रवाल ने किया है, की मांग करता है। यह शर्तों की जरूरत भेदभावहीन है और चीन, कम्पूचिया तथा वियतनाम जैसे साम्यवादी देशों ने भी अपने आपको इन शर्तों के अधीन कर दिया है। यदि कोई देश विशेषतौर पर प्रवत्त सुविधा का उपयोग करता है तो उन-देशों द्वारा ऐसी नीतियों से सहमत होना उचित ही होगा जिनके द्वारा वे अर्थ-व्यवस्था संबंधी ढांचे को असंतुलन पर काबू पा सकेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इस बारे में सूचित करते हुए इसको पर्यवेक्षकों को आकर देश की प्रगति स्वयं देखने की अनुमति देंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया का विरोध करना ऐसा ही है जैसा कि केक को लेना और उसे खाना है। मेरे विचार में विपक्ष के कुछ सदस्य ऐसी ही स्थिति में हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे पांच बड़े लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित होना है। उससे पहले भाषण समाप्त करना मेरे लिए सम्भव न होगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त को भाषण देना है और उन्हें बाहर जाना है। वक्ताओं की सूची में कई लोग हैं। मेरा सुझाव हैं कि उन्हें पहले बोलने दिया जाये और मुझे कल बोलने की अनुमति दी जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मैं आपका तथा अपने मित्र श्री सतीश अग्रवाल का धन्यवाद करता हूं।

हमने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ दिलचस्प बातें सुनी हैं। मैं भी इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं लेकिन इस अवसर तथा इस चर्चा के दौरान यह सब सम्भव नहीं है। शायद विपक्ष पेश करने के समय कुछ ढीला रहा है। मुझे

स्वयं याद नहीं कि 20 जुलाई को यह पेश हुआ था। शायद हम में से कुछ यहां नहीं थे। मुझे याद नहीं। लेकिन हमने ढिलाई से काम लिया है। मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं है कि हमें कुछ अधिक सचेत रहना चाहिए था और हमें ये प्रश्न उस समय उठाने चाहिए थे। इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

अभी हमने उस पक्ष के एक माननीय सदस्य का भाषण सुना था जिसमें दावा किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नीतियां शर्तें तथा लक्ष्यों का उद्देश्य ढांचे सम्बन्धी सन्तुलन को बहाल करना है जो कि हमारे जैसे विकासशील देश की अर्थ-व्यवस्था में विद्यमान है। मुझे मालूम नहीं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी स्वयं इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं क्योंकि विकासशील देशों के ढांचे सम्बन्धी असन्तुलन को ठीक करना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम है। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक तरह से दानवीर होना चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूं क्योंकि सारी लड़ाई नई आर्थिक व्यवस्था के बारे में है, इसलिए बुनियादी संघर्ष विकासशील देशों और विकसित देशों, उत्तर और दक्षिण के बीच है जिसके सन्दर्भ में, मैं समझता हूं कि भारत काफी सीमा तक विकसित देशों के साथ है। इसका कारण स्पष्टतः ढांचे सम्बन्धी असन्तुलन से है, जो विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था में उनके किसी दोष के बिना नहीं पैदा किया जाता, बल्कि किसी ऐतिहासिक कारणों से पैदा किया जाता है, केवल इसी कारण कि ऐसे असन्तुलनों पर न केवल काबू पाने का उद्देश्य है बल्कि उन्हें अधिक सम्बद्ध तथा विकसित देशों द्वारा बनाये रखने तथा बढ़ाये जाने का भी है। अतः मैं नहीं जानता कि ऐसा दावा क्यों किया गया ? यह हास्यपद है।

अभी हाल में, मेक्सिको के राष्ट्रपति श्री लुईस फेलिो, जो दो वर्ष पहले गणतंत्र दिवस पर हमारे अतिथि थे, ने जब मेक्सिको में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ने यह स्पष्ट किया था कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था इन एजेंसियों द्वारा विकासशील देशों के हितों के विरुद्ध कैसे चल रही है। मैं उनकी बात उद्धृत नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने कुछ स्पष्ट बातें कहीं कि अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में हेर-फेर करके तथा उन देशों को ऋण में अधिक-से-अधिक डुबाने के लिए अधिकाधिक ऋण लेने, जिसे वे कभी भी अदा नहीं कर सकते हैं, के लिए बाध्य करके तीसरे विश्व के देशों—एशिया, अफ्रीका अथवा लातिन अमरीका, को कैसे गहरे से गहरे संकट में डाला जाता है। उन्होंने कहा कि इस नीति को पश्चिम की अधिक समृद्ध ताकतें तथा विकसित देश जान बूझकर चला रही हैं। मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता। हम इस पर यदि अवसर मिले, भविष्य में चर्चा कर सकते हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : क्यों ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि इस सभा में किसी भी आर्थिक नीति के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जाती है, यद्यपि मैं इस सम्बन्ध में काफी समय से कहता आ रहा हूं, यहां तक कि

योजना पर भी चर्चा नहीं की जाती है, अन्य आर्थिक नीतियों की तो बात ही छोड़िये। अतः मैं इस विधेयक तक ही सीमित रहता हूं।

सब से पहले मैं, मंत्री महोदय से एक अथवा दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। विधेयक में संलग्न परिशिष्ट में मूल अधिनियम के खंडों और धाराओं के उन अंशों को माननीय सदस्यों द्वारा देखे जाने के लिए दिये गये हैं, जिनका संशोधन किया जाना है ताकि वे आसानी से उनका हवाला दे सकें। मैं समझता था कि इस विधेयक में भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 54 की उपधारा (1), (2) तथा (3) के प्रावधानों को हमारे देखने के लिए यहां उद्धृत किया जायेगा क्योंकि धारा 3 के अनुसार अब उनका लोप किया जाना है। सबसे पहले अब भारतीय आयकर अधिनियम 1922 अब लागू नहीं है; इसे कई बार संशोधित किया जा चुका है और आपको आयकर अधिनियम 1961 में पहले के सभी संशोधनों का समावेश किया गया है। अब आप भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 54 की उपधारा (1), (2) तथा (3) के प्रावधानों के प्रभावों को समझने के लिए हमें कह रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप हमें इतना अधिक परिश्रम और अनुसधान करने के लिए क्यों बाध्य करते हैं; हम ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम यहां परीक्षा देने के लिए कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं। खंडों अथवा प्रावधानों के अंशों को परिशिष्ट में देना एक आम बात है।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह मूल अधिनियम नहीं है, मूल अधिनियम, आयकर अधिनियम नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मूल अधिनियम में इस खंड का जिक्र है।

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि आप यहां आयकर अधिनियम के उपबंधों को चाहते हैं, तो इसका कोई भी अंत न होगा। फिर आपको हर विधेयक में अनेक कानूनों के प्रावधानों का समावेश करना पड़ेगा। प्रश्न मूल अधिनियम के प्रावधानों का जिक्र करने की रही है। यहां भी वही प्रथा अपनायी गयी है; मूल अधिनियम के प्रावधानों का जिक्र किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप देखें कि क्या यह उपलब्ध है। हम इतना परिश्रम करने के लिये बाध्य नहीं हैं, जबकि यह कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप ग्रन्थालय से अनुरोध करें तो वह आपको आयकर अधिनियम 1961 देंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : उस मामले में भी आपको प्रासंगिक प्रावधान मिलेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मूल अधिनियम की धारा 54 तथा आयकर अधिनियम 1922 की धारा 54 एक समान नहीं है; वे दो विभिन्न बातों से सम्बन्धित हैं।

कुछ भी हो, मेरा प्रश्न यह है। उद्देश्य तथा कारणों के कथन में मंत्री ने कहा

"इस अवसर पर, अधिनियम की धारा 4 में इण्डियन इन्कम टेक्स एक्ट 1922 के प्रति निर्देश का लोप किया जा रहा है—"

लेकिन इसका लोप करने का क्या कारण है, इसका जिक्र कहीं भी नहीं किया यया है। इस संशोधी विधेयक का क्या सारा उद्देश्य धुंधला रहा है जिसके कारण यह वार्ता अथवा विवाद सभा के अंदर तथा बाहर, प्रेस तथा हर स्थान पर चल रहा है। भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के जिक्र का लोप करने सम्बन्धी संशोधन की क्या आवश्यकता थी, जो इस धारा सम्बन्धी सूचना पर लागू होना चाहिये जैसे कि ये उक्त धारा में उल्लेखित बातों पर लागू होता है। इसका इतने लम्बे समय से कोई उत्तर नहीं दिया गया। अपने भाषण को आरम्भ करते हुए उन्होंने टिप्पणी की थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर बोर्ड द्वारा 30 अप्रैल, 1976 को किए गए संशोधन पहली अप्रैल. 1978 को लागू कर दिए गए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग चार वर्ष पहले बल्कि चार वर्ष से भी अधिक समय पहले अप्रैल, 1978 को इन्हें लागू कर दिया गया था।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब अक्तूबर, 1982 है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्वयं अनुच्छेदों में संशोधन करने के चार वर्ष से भी अधिक समय बाद इस संशोधनकारी विधेयक को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई आप इस संशोधन के बिना ही कार्य चलाते रहे। अतः कोई भी तर्कों के सहारे इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि यह संशोधन कोई महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक नहीं है और आप इसके बिना चार वर्षों तक काम चला सकते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि इस खण्ड के न होते हुए भी जब आप चार वर्ष तक काम चला सकते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो सूचना चाहिए वह आप बिना किसी कठिनाई के सप्लाई कर रहे हैं। अब उपर्युक्त अंश को निकालना क्यों आवश्यक है ? अब आयकर के उपर्युक्त संदर्भ को हटाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गयी है। आप यह दर्शाना चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जिस प्रकार की सूचना आप से चाहिए वह सूचना आप इसके बिना सप्लाई नहीं कर सकते ? इन पिछले वर्षों में इसकी आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई ? श्री मुखर्जी आप दोनों ढंग से नहीं चल सकते। आप केक प्राप्त भी करें और खाएं भी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको यह कहना होगा कि इस संशोधन की कोई जल्दी नहीं है। यदि कोई जल्दी नहीं थी तो आपने इतने वर्ष इसके बिना काम कैसे चलाया ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं आपको उत्तर दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निःसन्देह आप उत्तर देंगे। आप अधीर क्यों होते हैं ? आप मुझ से अधिक समय लेना और चाहो तो आधे दिन तक बोलते रहना।

दूसरी ओर, क्या 1978 और 1982 के बीच किसी ने हस्तक्षेप किया ? अब ऐसी क्या नई बात हो गई है जिसके कारण आप इस खण्ड को हटा देना चाहते हैं ? केवल एक नई बात हुई है जो कोई भी देख सकता है । वह तथ्य यह है कि पिछले वर्ष ही आपने ऋण के लिए समझौता किया है । आपने 5000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है । इसके पश्चात ही, इसके जल्दी बाद ही आपने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर दिया । जब तक आपने उपर्युक्त ऋण नहीं लिया था आपने इस संशोधन विधेयक को लाने की कभी आवश्यकता नहीं समझी यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष चार वर्ष पहले ही ये संशोधन कर चुका था । अब यदि आप यह कहते हैं कि ये संशोधन अवश्य ही किए जाने चाहिए ताकि ये उन संशोधनों के अनुरूप हो सकें तो मैं समझ सकता हूं । परन्तु चार वर्षों तक ये क्यों आवश्यक नहीं थे और अब अचानक ये कैसे आवश्यक बन गए ? केवल एक नई बात हुई है वह यह कि आपने बड़ा भारी ऋण लिया है इतना भारी ऋण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अब तक किसी भी ऋण लेने वाले सदस्य देश को नहीं दिया है । अतः वह सभा को यह अवश्य ही स्पष्ट करें कि उन्हें किन शर्तों के अधीन पिछले वर्ष ऋण मिला है जिसके कारण आयकर अधिनियम में इस संदर्भ को हटाना आवश्यक हो गया है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारे से जिस प्रकार की सूचना चाहता है, वह हम उसे उपलब्ध करा सकें । इसी कारण ये सभी सन्देह उत्पन्न हुए हैं । आयकर उपबन्धों के अधीन कुछ संरक्षणों की व्यवस्था थी । वे यहां तक तो ठीक हैं परन्तु आगे नहीं । वे कतिपय सूचना और आंकड़े दे सकते हैं परन्तु एक उस निश्चित सीमा तक जो सूचना सप्लाई करने वाले किसी निगम या कम्पनी या व्यक्ति विशेष अथवा पार्टी के कुछ ब्यौरे का अतिलंघन न करती हो । एक बार आपने सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया तो इससे नहीं बचा जा सकता क्योंकि यह सप्लाई करनी पड़ेगी । इस कानून का यही अर्थ है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिनियम में यह कहा गया है कि जिस सीमा तक जानकारी सप्लाई की जानी है उसे भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को याद रखना होगा और यह निर्णय अन्तिम होगा तथा इस पर कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता । कोई भी न्यायालय में जाकर यह नहीं कह सकता कि "मुझे उस सीमा तक ब्यौरा देने को कहा गया है जिसे प्राप्त करना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए आवश्यक नहीं है ।" आप ऐसा नहीं कह सकते । उनका निर्णय अन्तिम होगा । परन्तु आपको कितना ब्यौरा सप्लाई करना होगा ? मैं विनम्रता से यह प्रश्न पूछता हूं कि इन सभी वर्षों में यह क्यों आवश्यक नहीं हुआ और अब अचानक यह कैसे आवश्यक हो गया है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किस प्रकार की जानकारी मांगे जाने की आशा है ? इसे सप्लाई करने हेतु हमारे लोगों के लिए आयकर अधिनियम में जिन संरक्षणों की व्यवस्था है उन्हें हटाना होगा । इस पर अभी तक प्रकाश नहीं डाला गया है ।

इस संबंध में कोई कुछ नहीं कहता । सरकार ने उद्देश्यों और कारणों के कथन में अथवा माननीय मंत्री महोदय की आरम्भिक टिप्पणी में इसे स्पष्ट नहीं किया है । इस प्रकार स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के बारे में हमारा क्या विचार है ? मैं इसे नहीं समझ सकता । एक आम प्रश्न जो हमने पहले कई बार पूछा है कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि

एक बार ऋण प्राप्त कर लेने के बाद देश की आर्थिक सर्वप्रभुता समाप्त हो सकती है। जहां तक आपकी अर्थ-व्यवस्था का प्रश्न है आप स्वयं इसके कर्त्ताधर्ता नहीं हैं। यह अपरिहार्य है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऋण लेने के लिए हमें कभी भी बाध्य नहीं किया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कभी भी हमें गले से पकड़ कर यह नहीं कहा कि "आपको यह ऋण लेना होगा।" वे ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। हमने, हमारी सरकार ने स्वेच्छा से, खुली आंखों से, प्रत्येक बात को समझते हुए, सभी जोखिमों का पता होते हुए यह ऋण प्राप्त करने का निर्णय लिया। उसे पता था कि इस ऋण की ये शर्तें हैं। ऐसा करने के पश्चात् यह उनका कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वे सभा को बताएं कि वे इस विधेयक में संशोधन क्यों कर रहे हैं और इस उपबन्ध को हटा रहे हैं जबकि पिछले चार वर्षों में ऐसा करना आवश्यक नहीं था? स्पष्टत: इसकी ऐसी आवश्यकता नहीं थी। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस प्रकार की अधिकाधिक सूचना और आंकड़े सप्लाई करने के लिए दबाव डालना आरम्भ कर दिया जिनका प्रकटीकरण आयकर अधिनिमम के अन्तर्गत निषिद्ध था। आपको अवश्य बताना चाहिए कि वह क्या है? न संसद की, न ही देश के किसी न्यायालय की, यहां तक कि उच्चतम न्यायालय की भी इन तथ्यों तक पहुंच नहीं है।

आपको पुरानी स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना याद होगी। कुछ लोगों ने इस योजना के अधीन अपनी आय और सम्पत्ति प्रकट की थी। उन्हें प्रोत्साहन दिए गए। यदि आप स्वेच्छा से अपनी आय अथवा सम्पत्ति प्रकट करते हैं तो आपको कुछ सीमा तक भार मुक्त किया जाएगा। क्या किसी को जानने का अधिकार है? वित्त मंत्रालय प्रकट नहीं कर सकता। इस देश के आयकर प्राधिकारी उसे प्रकट नहीं कर सकते, वे लोग कौन हैं तथा उन्होंने स्वेच्छा से कितना प्रकट किया। इसे गोपनीय रखा जाता है।

पिछले वर्ष श्री वेंकटरामन् ने काले धन का पता लगाने के लिये धारक बांड जारी किये थे और बताया जाता है कि बहुत से लोगों ने बैंकों में जाकर अपने काले धन का कुछ भाग जमा कराया। कोई प्रश्न नहीं पूछा गया कि आप कौन हैं, आपने यह धन कहां से प्राप्त किया तथा इस धन का क्या हिसाब है? उन्हें गारंटी दी गई थी कि कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कुछ भी प्रकट नहीं करना पड़ेगा। यह सब गोपनीय रहेगा संसद नहीं जान सकती। उच्चतम न्यायालय नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता।

अब अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी एजेंसी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी के बारे में कोई भी आंकड़े, ब्यौरा इत्यादि मांग सकती है और सरकार को वह सूचना सप्लाई करनी होगी। पहले इस संबंध में जो कुछ संरक्षण थे उनका उपबन्ध भारतीय आयकर अधिनियम में किया गया था। अब उन्हें हटाया जा रहा है। क्यों? मैं जानना चाहता हूं। उन्हें अवश्य ही इस बात का

उत्तर देना चाहिये। मैं वास्तव में अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि विधेयक में विवाद का मुख्य विषय यही है। निस्सन्देह कुछ बातें और भी हैं।

आपके मूल अधिनियम के अनुच्छेद 9 की धारा 5 में उल्लिखित है कि :

"कोष के अभिलेख उलंघनीय होंगे।"

इसका अर्थ हुआ कि सभी सामग्री, सूचना आंकड़े तथा और सभी कुछ जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एकत्रित करता है और अपने अभिलेख में रखता है, वह सब अलंघनीय होगा। इसका अर्थ है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो भी सूचना होगी वह 100 प्रतिशत गुप्त और गोपनीय रखे जाने की आशा है।

उनसे कुछ भी प्रकट नहीं होगा। वे सर्वोच्च किस्म के संरक्षक, सर्वोच्च पुलिस वाले होंगे। वह जो सूचना मांगेंगे वह प्रत्येक व्यक्ति को सप्लाई करनी पड़ेगी। जहां तक उनके अभिलेखों का संबंध है, वे अलंघनीय होंगे। हम इस किस दोहरी नीति को स्वीकार करने के लिये सहमत हो गये हैं। क्या हमारा सर्वप्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र नहीं है? मैं नहीं जानता कि उस ओर के सदस्यों का इसके प्रति आग्रह क्यों है। आखिरकार हम भारतीय हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हम संसद सदस्य हैं। हमें देश की सर्वप्रभुत्ता और सुरक्षा की चिन्ता है तथा विदेशी एजेंसियों के साथ सरकार के सर्वप्रभुत्वपूर्ण अधिकारों की चिन्ता है। मैं नहीं जानता कि वे इस प्रकार प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त करते हैं। वे हमारी आलोचना से इतने उत्तेजित हो जाते हैं। इन बातों के बारे में किसी को तो सन्तुष्ट होना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सर्वोच्च एजेंसी की भांति बहुत ऊंचे ओहदे पर बिठा दिया गया है। मुझे सर्वोच्च-राष्ट्र कहना चाहिये। और इसके अतिरिक्त वे किसी को कुछ भी बताने के लिये उत्तरदायी नहीं हैं तथा प्रत्येक राष्ट्र, जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य के रूप में ऋण लेता है, उसके द्वारा मांगी गई प्रत्येक सूचना देने के लिये बाध्य है। हमारे मामले में, भारतीय आयकर अधिनियम है, जो उस सूचना के ब्यौरे पर तथा जिस हद तक सूचना देने के लिये हम बाध्य हैं उस पर एक सीमा लगाता है। अब मन्त्री महोदय ने संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है और कहते हैं कि इसे अवश्य हटाया जाना चाहिये तथा वह इस सभा में उसे स्पष्ट करने के लिये बाध्य नहीं हैं। अब तक इस बारे में उन्होंने एक भी शब्द क्यों नहीं कहा है? इसकी आवश्यकता क्यों है? किस उद्देश्य के लिये? वे हमारे से क्या मांग रहे हैं? हम जानना चाहते हैं।

महोदय, हम इस प्रकार के विधेयक के विरुद्ध हैं। अन्त में मैं यह बात कहना चाहता हूं। हमारे देश के कई राज्यों में एक बड़ा भू-भाग सूखे तथा बाढ़ के कारण भयंकर खाद्य संकट का सामना कर रहा है हम उस पर इसी सप्ताह आगे चर्चा करेंगे। मैं इस संबंध में जो बात कह रहा हूं, और मेरे विचार में सुबह प्रश्न काल में मंत्री महोदय ने भी जिसका उल्लेख किया

था वह यह कि सूखे और बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में जहां अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, उससे निर्धनतम लोगों को बचाने के लिये सरकार को उन लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई करने हेतु अधिकाधिक मात्रा में खाद्यान्न खरीदना होगा। इसके बिना आप बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में तथा अनेक राज्यों में लोगों को भयंकर स्थिति से नहीं बचा सकते।

अब चावल 4 रु० प्रति किलो की दर से बिक रहा है। हमारे लोग कैसे जिन्दा रहेंगे? कानूनी रूप से जो राशन मिलता था, उसकी मात्रा 4 किलो ग्राम से कम करके 2 किलो ग्राम कर दी गई है। इसका बिक्री मूल्य पहले ही 13 पैसे प्रति किलो ग्राम बढ़ा दिया गया है। इसलिये, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस भयंकर संकट की स्थिति में, जिसका कि हमें सामना करना पड़ रहा है, सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वे खाद्यान्न को खरीद कर उन्हें सस्ते दामों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित करें, इसमें उन्हें राजसहायता देनी आवश्यक होगी। बिना राजसहायता के यह काम नहीं किये जा सकते। यह सही है कि सरकार को काफी अधिक दामों पर खाद्यान्न खरीद कर उसे कम दामों में जनता को सप्लाई करना होगा। इन ...

एक माननीय सदस्य : 700

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो कुछ भी हो, 700 करोड़ या जो भी राशि हो। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या अ० मु० को० की शर्तों के तहत, इसकी अनुमति है या नहीं? मैं ऐसे समय में यह पूछ रहा हूं—जब इस देश के लाखों लोग जो कि कमजोर वर्ग से हैं, उन्हें लगभग अकाल और भूखों मरने की नौबत आ गई है। आप देख रहे हैं कि लोग पहले ही इन हालातों से मजबूर होकर, कई स्थानों पर सहायता और भोजन की मांग के लिये प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इन सब का बहुत पहले ही सामना कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये भी हमें अ० मु० को० की अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या आप मंत्री महोदय से पूछ रहे हैं?

श्री इन्द्रजीत सिंह : मैं नहीं जानता। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं। मैंने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में ही नहीं, बल्कि राजसहायता बढ़ाने के लिये भी ..

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इस महान संसद की अनुमति लेनी होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे विश्वास है, कि आपको इस बात की जानकारी होगी कि अ० मु० को० की शर्तें इस प्रश्न से सम्बन्धित हैं कि सर्वत्र राजसहायता कम की जानी चाहिये।

पिछले वर्ष जब हम इस ऋण पर बहस कर रहे थे तो मैंने पूछा था कि क्या यह नीति खाद्य पर भी लागू होगी। मैंने पूछा था कि जिन देशों को ऋण मिलता है, उनके लिए क्या यह एक सामान्य नीति के अन्तर्गत आवश्यक है कि राज-सहायता में कमी करें या यह उस राज-सहायता पर भी लागू होगी जो खाद्य की वितरण प्रणाली बनाये रखने के लिये आवश्यक है। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

लेकिन आज स्थिति काफी गम्भीर और विकट बन गई है। और यह संशोधित विधेयक पेश किया गया है। मैं नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। इस राष्ट्र का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़ और सूखे के क्षेत्रों में जहां राज-सहायता द्वारा सस्ते दामों पर अन्न उपलब्ध करवाना अनिवार्य है, क्या इस अ० मु० को० की इन शर्तों से कि राज-सहायता में भारी कमी की जाये, किसी किस्म का कोई असर तो नहीं पड़ने वाला है। (व्यवधान) अ० मु० को० से दबाव का मतलब है, वितरण मूल्य में वृद्धि होना।

इसका यही मतलब होगा कि अब 13 पैसे प्रति किलो ग्राम की वृद्धि की बजाय वह वे इसमें कई गुणा वृद्धि करेंगे, जो कि आम गरीब जनता की सामर्थ्य से बाहर होगी। इसका यही मतलब है। क्या वे इस नीति पर चलना चाहते हैं या वे आ० मु० को० यह कहने की स्थिति में हैं कि अगर हमारे लोग भूख आदि से पीड़ित हैं तो हम चाहे ये शर्तें हों या न हों, उनको आवश्यक अधिक राज्य सहायता देंगे। इस बारे में सरकार की क्या राय है, हम यह जानना चाहते हैं। हमें ये सब आशंकायें हैं। हमें बताया गया है कि हमें इस बारे में चिन्ता करने की कोई बात नहीं है, वे कहते हैं कि यह सरकार प्रभुसत्ता-सम्पन्न है और वही करेंगे जो उन्हें पसन्द होगा। लेकिन इस तरीके से हमें नहीं चलना चाहिये। अगर आप इस एक धारा पर भी तसल्लीबक्श जवाब नहीं दे सकते तो और आप क्या कर सकते हैं? इसलिये बड़े मामलों पर हमारी आशंकायें सही हैं और मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इसे जल्दबाजी में पेश किया गया है।

अब, अन्तर्राष्ट्रीय आयात निर्यात के अन्तर और विनिमय दर के स्थायित्व के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही हैं। विनिमय दर में स्थायित्व कहां है? उन्होंने विनिमय दर में स्थायित्व की बात कही है। मेरे माननीय मित्र, प्रो० साहब ने विनिमय दर में लचीलेपन की बात कही है। क्या यह वही चीज है? उनका कहना है कि अ० मु० को० से विनिमय दर में स्थायित्व पैदा होगा। क्या ऐसा होने जा रहा है? प्रो० साहब का कहना है कि "नहीं, नहीं, इसका मतलब है विनिमय दर में और ज्यादा लचीलापन" जोकि एक अन्य बात है। आप देख रहे हैं कि डालर की कीमत के मुकाबले में रु० की कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। हम अब यहां बड़ी-बड़ी आर्थिक चर्चा नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि भविष्य में कुछ समय मिल सकेगा। जैसा कि यह दिखाई देता है, यह इतना सरल और दोषयुक्त नहीं है हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मन्त्री महोदय क्या उत्तर देते हैं। लेकिन मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : टोरेंटो में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि धनी राष्ट्र तीसरी दुनिया के देशों को इगनौर नहीं कर सकते हैं। आई० एम० एफ० के लोन के बारे में जब चर्चा हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि तीसरी दुनिया बड़ी है और मालदार राष्ट्र डिवेलेपिंग कंट्रीज जो आगे बढ़ना चाहती हैं और चाहती हैं कि संसार के लोगों में आपस में बैलेंस बना रहे, उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं।

हिन्दुस्तान एक गरीब देश है। लेकिन उसकी क्रेडिट वर्दिनैस बहुत है, उसकी इज्जत बहुत है और यही वजह है कि उसको पचास अरब रुपया लोन के तौर पर मिल सका है। हमारे पहले जो वित्त मंत्री महोदय थे उन्होंने जो कुछ कहा था उसको हम को मान लेना चाहिये। उन्होंने कहा था :

"हमारी राष्ट्रीय नीति और संसद द्वारा पारित नीतियों के विरुद्ध, उनके द्वारा दी गई किसी भी राज्य को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं।"

भूतपूर्व वित्त मंत्री ने जो बात कही थी उसको मैं रिपीट करता हूं :—

"हमारी राष्ट्रीय नीति और संसद द्वारा पारित नीतियों के विरुद्ध, उनके द्वारा दी गई किसी भी राय को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं।"

माननीय श्री इंद्रजीत गुप्त बताएं कि क्या यह सही नहीं है कि आई. एम. एफ. लोन जब लेने की बात चली थी तो क्या यह सच नहीं है कि कुछ राष्ट्रों ने अड़चन भी पैदा की थी लेकिन फिर भी हमारी क्रेडिट वर्दिनेस की वजह से, हमारी इज्जत की वजह से हम को यह मिल गया था ? हमें विकास के काम करने हैं। ओपेक देशों ने तेल के दाम बढ़ा दिए थे। हमारा एक्सपोर्ट कम हो पा रहा था और तेल पर हमारा जो खर्चा था आयात के कारण वह बहुत बढ़ गया था। तब हमारे सामने रास्ता कौन सा रह गया था ? भारत सरकार ने कई बार इस बात को बताया है कि हम किसी देश की शर्तें मानने के लिये तैयार नहीं हैं। यह तो अपने विकासशील देश को आगे बढ़ाने का अच्छा तरीका है।

तो इसके पहले भी हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा था—

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : "ऋण से भारत को विनिमय की समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिली है।"

मैक्सिको, जो कि अ० मु० को० पर काफी हद तक आश्रित एक अन्य देश है और दिवालियेपन की स्थिति में है के प्रकाश में ऋण के करारों के प्रति आलोचना करने वालों की आशंकाओं के उत्तर में उन्होंने कहा कि :

"सब कुछ ऋण पर ही निर्भर नहीं करता है (बल्कि) इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस पर भी निर्भर करता है। इस ऋण की सहायता से हम अपने उन सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं को पूरा कर सकते हैं, जिसका हमारे पास पर्याप्त आधारभूत ढांचा है।"

हमारे पहले वित्त मंत्री ने भी कहा था कि अभी मैं राजनीति में नहीं हूं, न किसी पार्टी से संबंध रखता हूं, लेकिन आज जो लोन लिया जा रहा है उसका एक बेस है कि भारत जैसे विकासशील देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। हमें जो 50 अरब का लोन मिला है हम उनकी शर्तें मानने के लिये तैयार नहीं हैं। केवल यह बात थी कि धन का उपयोग कैसे होगा। हमने पावर में उसका इस्तेमाल किया, कोल प्रोडक्शन हमारा बढ़ा, स्टील का उत्पादन बढ़ा, तेल की खोज में पैसा लगाया और हमारे पैट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि आने वाले समय में 75 परसेंट तेल हम स्वयं उत्पादन कर लेंगे और निकट भविष्य में आत्म निर्भर हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि आई० एम० एफ० लोन जो हमने लिया है उसका उपयोग किस प्रकार से देश कर रहा है। देश ने जो तरक्की की है, उन्होंने कहा है :—

"भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन (जो इस क्षेत्र के कुल उत्पादन का $\frac{1}{4}$ भाग है) 1940 में 4 प्रतिशत था, जो 1981 में बढ़कर 5 प्रतिशत हो गया है।"

"खाद्यान्न उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है, 1980 से शुरू हुई औद्योगिक उत्पादन में प्रगति जारी रही। निजी निवेश में वृद्धि हुई; हालांकि वर्ष के अन्तिम भाग में ऋण में कड़ाई बरतने से इस पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ा है।"

तो उन्होंने बताया कि इस लोन को लेने के बाद हम सब क्षेत्रों के अन्दर प्रगति कर रहे हैं। जनता पार्टी के शासन काल में हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। कोयले का उत्पादन घटा, तेल नहीं निकला, उद्योगों का उत्पादन कम हो गया। लेकिन लोन लेने के बाद जो उसका परपज था उसकी पूर्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं।

आपको मालूम है कि कानकुन सम्मेलन में हमारी प्रधान मत्री ने क्या बात कही थी जब रीगन से उन्होंने मुलाकात की थी ? उन्होंने कहा था "यह एक दलदल है उसमें मोटा हाथी भी नहीं चल सकता है, वह भी फंस जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको 5.30 बजे तक अपना भाषण समाप्त करना है, क्योंकि 5.20 बजे मन्त्री महोदय जबाव देंगे।

श्री मूल चन्द डागा : मुझे कुछ और समय की आवश्यकता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को 5.30 बजे जवाब देना है ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं आधे घण्टे की चर्चा में भी भाग लूंगा । कानकुन सम्मेलन के अन्दर भी यह बात कही थी कि हिन्दुस्तान किसी मुल्क के सामने झुकना नहीं चाहता । यह शर्तें इसलिये नहीं हैं, यह तो हमारा अधिकार है । अगर हम किसी बैंक से या आई० एम० एफ० से लोन लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम किसी राष्ट्र की नीति को मानने लगे हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि हिन्दुस्तान द्वारा लोन लेने के बाद किसी दूरे राष्ट्र ने हमारी नीति में हस्तक्षेप किया हो । हमारी देश की नेता प्रधान मंत्री श्रमती इन्दिरा गांधी ने आज भी खुले शब्दों में ललकारा है कि कुछ राष्ट्र यह न समझें कि विकासशील देश आगे नहीं बढ़ सकते । हम लोगों का जो लोन लेने का अधिकार है, उसका उपयोग हो रहा है और आई० एम० एफ० लोन से काफी चेन्जेज आते हैं ।

पहले बोलने वाले वक्ता ने यह नहीं कहा कि इस क्लाज में यह गड़बड़ है या यह कमी है । उनसे तो हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने यह पूछा था कि आई० एम० एफ० लोन से आपको क्या आपत्ति है ? इस पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी । उन्होंने यह जानना चाहा कि आई० एम० एफ० लोन से दूसरी बार जो हमें 5,000 करोड़ रुपया मिलना था, वह भी क्या सुविधापूर्वक दिया गया है । हमारा कहना यह है कि हमने जो लोन लिया है, उससे उत्पादन बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे । उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि यह बिल इसलिये आपत्ति-जनक है ।

हमने जो कदम उठाया है, जो कुछ इन्ट्रोड्यूस किया है, वह हमारे लिये नहीं, देश की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिये और विकसित देशों के साथ विकासशील देश आगे बढ़ सकें, इसलिये उठाया है । अपनी प्रगति के लिये लोन लेने से हम किसी से गाइड नहीं होते या हम किसी से पीछे रह जायेंगे, यह सवाल नहीं है । आई० एम० एफ० लोन में किसी एक की ताकत नहीं है कि वह अड़चन डाले अगर अमरीका अड़चन डालना चाहता है, तो वह नहीं डाल सकता । हमारे एसेक्ट्स और क्रैडिटवर्दीनैस के आधार पर हमें लोन मिल रहा है । इसलिये हम सब को मिलकर इस बिल के बारे में कुछ बातें ऐसी कहनी चाहियें जो कि ओवजैक्शनेबल हों, केवल पुरानी बातें, जो एक दफे कह दी कि सब्सीडी नहीं देगा, मना कर दिया, इससे कोई लाभ नहीं । फूड, फर्टिलाइजर, इलैक्ट्रिसिटी के मामले में हम आज भी वीकर सैक्शन्ज को सब्सीडी दे रहे हैं और बराबर घोषणा करते जा रहे हैं । सब्सीडी देना जरूरी है ।

श्री सुनील मैत्रा : वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़िये ।

श्री मूल चन्द डागा : हम उनकी राय से बाध्य नहीं हैं ।

हमने कानून में यह नहीं दिया। वर्ल्ड बैंक ने कुछ बात बता दी थीं। हमें जो लेना है वह इसलिए कि हमें विकासशील देश को आगे बढ़ाना है, हमारी आर्थिक प्रगति न रुके, हम भी विकसित देश बन सकें, अन्यथा हमारे पास चारा क्या था ? इसलिए मैं समझता हूं कि हमें जो लोन लेने की आवश्यकता हो रही है, उसके बारे में मैं आपकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा को अपना भाषण समाप्त कर लेना चाहिए।

अब हम अगली मद पर आते हैं.....

श्री मूल चन्द डागा : मैं कल भी जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपना भाषण समाप्त करना है, आपका नाम आधे घंटे की चर्चा में है। मैं आपको वहां एक मौका दूंगा।

——

आधे घंटे की चर्चा

राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को बन्द किया जाना

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा पर विचार करेंगे। श्री वृद्धि चन्द्र जैन आप कृपया याद रखें कि यह आधे घंटे की चर्चा भी है इसका विषय भी है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, 4 अक्तूबर, 1982 को मेरे प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर न होने के कारण मैंने यह आधे घंटे की चर्चा उठाई है। रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न है और जो जवाब दिया गया है, उससे इस क्षेत्र को गंभीर धक्का पहुंचा है और उन पर बड़ा भारी प्रहार हुआ है।

सूखा संभावित क्षेत्र प्रोग्राम जो रेगिस्तानी क्षेत्र में चलता था, वह बन्द कर दिया गया है। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है तो वह रेगिस्तानी क्षेत्र में पड़ता है और अभी भी यह स्थिति है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में 5 साल से भयंकर अकाल लगातार पड़ रहा है। इसके स्थाई हल के लिए केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है और उन सरकारों की भी जिम्मेदारी हैं जिनके राज्य में रेगिस्तानी क्षेत्र आता है। यह विपदा राष्ट्रीय विपदा है। नेशनल क्लैमिटी एण्ड डिजास्टर्स, इसके लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम था, जिसे बंद कर दिया गया है और इसलिए बंद कर दिया गया है कि एक टास्क फोर्स मुकर्रर की गई थी सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से श्री एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में और उसी की रिपोर्ट के

आधार पर यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। यह इसलिए कि दोनों कार्यक्रम एक दूसरे से ओवर-लैपिंग करते हैं।

मैंने पूरी कोशिश की थी कि श्री एम० एस० स्वामीनाथन की पूरी रिपोर्ट देखूं, लेकिन वह मुझे प्राप्त नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि यह रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करें ताकि हमें पूरी जानकारी हो और पता लगे कि हमारे साथ इस प्रकार क्यों अन्याय किया गया है ?

प्रश्न यह उठता है कि डैजर्ट डैवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया गया था, यह नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर की रिकमैंडेशन्ज के आधार पर चलाया गया था और 1977 में चलाया गया था और इस दृष्टिकोण से कि सैंट्रल सैक्टर का कार्यक्रम है। इस पर पूरी राशि 1977-78 और 1978-79 में सैंट्रल गवर्नमेंट ने खर्च की। 1-4-1979 को 50-50 प्रतिशत की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर और भी डाल दी गई। अब यह सोचने की बात है कि रेगिस्तानी क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र भी हैं और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की नार्थ-ईस्ट की स्थिति है, उसी प्रकार की स्थिति इन क्षेत्रों की भी है। इसलिये आप यह न समझें कि इनकी स्थिति अच्छी है। ऐसे-ऐसे जो डिफिकल्ट टैरेन हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, जिसमें 10-10 मील तक पानी मिलता नहीं, आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर है, नार्थ-ईस्टर्न क्षेत्र से भी हालत खराब है और बैकवर्ड एरियाज हैं, जहां यह स्थिति है कि सैंट्रल एसिस्टेंस से पूरा एमाउन्ट गवर्नमेंट देती हैं। हिल एरियाज की भी यही स्थिति है। सेन्ट्रअ गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स बनाकर मदद देती है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जो 170 करोड़ का प्लान उसके लिए रखा गया था उसको छठी पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर 560 करोड़ कर दिया गया है। परन्तु डेजर्ट डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दो साल तक जो राशि रखी गई, उसमें कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं की गई। 50 करोड़ सैन्ट्रल गवर्नमेंट प्रोबाइड करे और राज्य सरकार भी बराबर का हिस्सा दे—ऐसा प्रावधान डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किया गया। ऐसी स्थिति में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए साधनों की बड़ी कमी है। जब एक तरफ हिल एरियाज को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके डेवलपमेंट के लिए 70 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 500 करोड़ कर रहे हैं तब डेजर्ट डेवलपमेंट कार्यक्रम के एमाउन्ट को भी बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके इस लाभकारी कार्यक्रम को समाप्त ही कर दिया गया है। यह राजस्थान के लिए बड़ा भारी कुठाराघात है।

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जब हिल एरियाज के लिए स्पेशल हिल एरियाज डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम लागू रखा गया है, फिर डेजर्ट डेवलपमेंट कार्यक्रम को ड्राप करने का क्या कारण है ? हिल एरियाज को स्पेशल मदद की जा रही है, डी० पी० ए० पी० प्रोग्राम को भी लागू किया गया है फिर डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम को बन्द करने का क्या कारण है ?

(क) सिंचाई स्रोतों का विकास और प्रबन्ध;

(ख) कृषि प्रणालियों में परिवर्तन और फसलों के स्वरूप का पुनर्गठन;

(ग) छोटे और सीमांत किसानों और कृषक मजदूरों का विकास और उनको सहायक व्यवसायों में लगाना जो कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं है बल्कि डी० पी० पी० में शामिल है।

स्थिति यह है कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये बातें इन्क्लूडेड नहीं हैं। इस प्रकार हम वहां पर इरीगेशन की कोई फैसिलिटी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। डी० पी० ए० पी० के जो भी प्रोग्राम्स हैं वह डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में शामिल नहीं हो सकते हैं। अतः इसके लाभ से भी हम वंचित रह जाते हैं।

तीसरी बात यह है कि हिल एरियाज के लिए प्रिफेन्स देकर 170 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 560 करोड़ किया गया है और उसके लिए प्लान डाकूमेन्ट में एक अलग चैप्टर (पच्चीसवां) भी है परन्तु हमारे डेजर्ट एरियाज के डेवलपमेंट को रूरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन के अन्तर्गत रखा गया है। हिली एरियाज को तो इतना अधिक महत्व दिया गया है परन्तु डेवर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को आपने कोई इम्पार्टेन्स नहीं दी है—इसका क्या कारण है, यह मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि अक्तूबर में जो आप मिड-टर्म एप्रेजल करेंगे तब, जैसा कि आप हिल एरियाज को प्रिफ्रेंस देकर राशि बढ़ा रहे हैं, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी 50 करोड़ का जो एमाउन्ट है, जो कि केन्द्रीय सरकार का शेयर है उसको बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया जाए क्योंकि राजस्थान को सूखा-सम्भावित क्षेत्र से भी निकाल दिया गया है। हिल एरियाज के लिए भी आपने राशि बढ़ाकर तीन गुनी कर दी है। यदि आप डेजर्ट डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ की राशि कर देते हैं तभी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ उपलब्धि हो सकेगी और उस एरिया का विकास हो सकेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप 400 करोड़ का प्राविजन करें। इसके अतिरिक्त आप इस प्रोग्राम को सेन्ट्रल सेक्टर में चलायें क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है कि वे इसमें कुछ कंट्रिब्यूट कर सकें। इसीलिए वहां पर कोई एक्सपेंडीचर हो नहीं पाता है। अतः इसको सेन्ट्रल सेक्टर में लेकर एक्सपेंडीचर किया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि डेजर्ट डेवलपमेंट कार्यक्रम में एनिमल हस्बैन्ड्री कार्यक्रम तो ले लिया है लेकिन पशुओं के लिए पीने के पानी का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। इन क्षेत्रों में वर्कस एण्ड हाऊसिंग डिपार्टमेंट के अन्तर्गत जितनी भी स्कीमें बनाई जाती हैं, वे मनुष्यों के पीने के पानी के लिये बनाई जाती हैं लेकिन पशुओं के पीने के पानी के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए मेरा यह कहना है कि डेजर्ट डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम पशुओं का कोई सुधार नहीं कर सकते। जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें मीलों तक, सौ-सौ मील

तक घास है परन्तु वहां पर पानी नहीं है । अब जब ऐसी स्थिति है और पशुओं के पीने के पानी के लिए कोई स्कीम न बनाई जाए, तो उस घास का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं । यह आवश्यक है कि डेजर्ट डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्दर पशुओं के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था हो, पशुओं को अच्छा पानी मिले क्योंकि जितना स्वच्छ पानी उनको पीने के लिए मिलेगा उतना ही अच्छा स्वास्थ्य उनका रहेगा । यह कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा या नहीं, यह जानकारी मैं आपसे चाहता हूं ।

मेरे कहने का अर्थ यह है कि सभी दृष्टिकोणों से बहुत ही डिफीकल्ट टीरेन है । जिस प्रकार से हिली एरियाज की टीरेन डिफीकल्ट है और वहां की एग्रो-क्लाइमैटिक कंडिशन्स डिफ्रेंट हैं, उसी प्रकार से यहां पर भयंकर गर्मी है और सूखा है । जो हिस्टोरीकल बैकग्राउन्ड है, उसको आप देखें, तो यहां की एकोनामिक कंडिशन्स बहुत खराब हैं। इन सब दृष्टिकोणों को ध्यान में रख कर मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप मिड-टर्म एप्रेजल में इनके लिए एक अलग से चैप्टर बनाइए और इनके लिए अलग से प्रोविजन कीजिए और इन क्षेत्रों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करके इस क्षेत्र का विकास कीजिए ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ये क्षेत्र डिफेन्स के प्वाइन्ट आफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेन्ट हैं । जब युद्ध होता है, तब इन लोगों का मौराल बूस्ट करना चाहिए और मौराल तभी बूस्ट होता है जबकि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो । मौराल को बूस्ट करके आप इनको राष्ट्र का प्रहरी बनाना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ इनको इतना कमजोर बनाए हुए हैं । इन सब दृष्टिकोणों से इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह से सेन्टर का प्रोग्राम आप बनाइए और अधिक राशि देकर इस कार्यक्रम को आप सफल बनाएं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से इन सबका स्पष्टीकरण करें ।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने जो भावना व्यक्त की है, मैं उसके साथ हूं और राजस्थान का जो इलाका है, वह हर दृष्टि से हमारे देश के लिए एक प्रमुख स्थान रखता है लेकिन हमारे वृद्धि चन्द्र जैन जी को याद होगा और उन्होंने जिस टास्क फोर्स का हवाला दिया है, उस टास्क फोर्स ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, तो सरकार को कोई एतराज नहीं होगा, उस स्टाक फोर्स की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने में और इस सदन में मैं उसकी रिपोर्ट पेश कर दूंगा । इस वक्त वह मेरे पास नहीं है लेकिन मैं उस रिपोर्ट को सदन में रख दूंगा । टास्क फोर्स ने आम तौर से डी० पी० ए० पी का एरिया था पहले से, वहां सिंचाई की कितनी सुविधा उपलब्ध है, उसको ध्यान में रखकर कुछ रद्दोबदल किया है । जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि जब डेजर्ट

डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो पहले 100 फीसदी जो खर्च आता था, वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया करती है और जैसे आपने बताया है अप्रैल 1979 से फिफ्टी-फिफ्टी बेसिस पर यह खर्चा शुरू हुआ और जो हमारा प्लान डाकूमेंट है सिक्सथ फाइव इयर प्लान में जो व्यवस्था की गई है, उसके मुताबिक भारत सरकार को पचास प्रतिशत खर्च करना है और राज्य सरकारों को, जहां ऐसी योजनायें चल रही हैं, उनको 50 फीसदी खर्च करना है।

डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और डी० पी० ए० पी० दोनों योजनायें साथ-साथ चलती हैं। उसमें टास्क फोर्स ने यह महसूस किया कि दोनों कार्यक्रमों को चलाने में ओवर लेपिंग होता है। इसलिए एक ही कार्यक्रम के रूप में इसको चलाया जाये और डेजर्ट डेवलपमेंट एरिया में जो रकम अभी निर्धारित की है, वह काफी है। यह ठीक है कि जिस जिले से माननीय सदस्य आते हैं और श्री डागा जी क्षेत्र के कई हिस्सों को बंद जरूर कर दिया गया है, लेकिन आपको याद होगा, जैसाकि उत्तर दिया गया है कि प्रति हजार स्क्वायर किलोमीटर में 10 लाख रुपये देने का प्रावधान टास्क फोर्स ने किया और उसके हिसाब से राशि में कोई खास कमी नहीं आई है।

जहां तक कार्यक्रमों के बारे में आपने बताया है कि डी० पी० ए० पी० के कार्यक्रम जो चलते थे, वे सारे बन्द हो जायेंगे, इस प्रकार की कोई आशंका नहीं है। जो कार्यक्रम डी. पी. ए. पी. में चलते थे, उसको डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी चलाया जा सकता है। चाहे वह माइनर इरीगेशन का हो या पशुओं को पीने के लिये पानी देने के लिये पानी इक्ट्ठा करने का कार्यक्रम हो। विलेज इलेक्ट्रीफिकेशन का कार्यक्रम हो या सेंड्यून्स बनाने का कार्यक्रम हो अथवा शेल्टर्स बनाने का कार्यक्रम हो। अभी तक जो एचीवमेंटस हैं, खासतौर से राजस्थान के आंकड़े मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक कितना पैसा खर्च हुआ है और उसके मुताबिक अभी तक वहां पर क्या काम हो सका है। इस साल की 1982 तक की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है, लेकिन इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में अभी तक सेंड्यून्स बनाने का काम हमने 1980-81 तक 2.27 हजार हैक्टर्स में किया है और 1.94 हजार हैक्टर्स में इसके पहले किया है और दिसम्बर 1981 तक 1.48 हजार हैक्टर्स में किया गया है। इरीगेशन एण्ड पेश्चोर प्रोग्राम 6.73 हजार हैक्टर में किया गया है। और भी कई कार्यक्रम हैं, जिनके बारे में माननीय सदस्य जानते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, जिसे पढ़कर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

जब प्लानिंग कमीशन ने तय कर दिया तो उससे हम बंध जाते हैं। यह राष्ट्रीय समस्या है, यह मानने से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो प्लान डाकूमेंट है, उसके मुताबिक हमको चलना है और पचास फीसदी हम खर्च करते हैं।

नेशलन डेवलपमेंट कौंसिल में जैसा कि आप जानते हैं कि सब मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। उन सब ने अपनी मोहर इस पर लगाई है और उसी हिसाब से जो गाइड लाइंस दी गई हैं, उन्हीं पर हम चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि भारत सरकार को इस संबंध में चिंता है और आप यह भी जानते हैं कि मिनिस्ट्री

आफ एकालाजी अभी इन्वायरनमेंटल मिनिस्ट्री को उसमें जोड़ा गया है, लेकिन एकालाजिकल बैलेंस को कायम रखने के लिए अवश्य चिंता है। राजस्थान में जो मरुभूमि के इलाके हैं, उनका विकास होना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन जो भी पैसा हमने केन्द्र से अभी तक दिया है उसको वे खर्च नहीं कर पाये हैं। पिछले साल का आंकड़ा आप लें। लगभग सात करोड़ के करीब रकम उनके पास बची हुई थी। सत्तरह करोड़ और हमने एलाट किये। आज भी पिछले साल के दस करोड़ वे खर्च नहीं कर पाये हैं। शायद अब कर रहे होंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलबाड़ा) : यही तो माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके पास पैसा नहीं है और मैचिंग ग्रांट को वे खर्च नहीं कर सकते हैं।

श्री बालेश्वर राम : मैं गलत बयानी नहीं कर सकता। प्लानिंग कमीशन ने जो गाइडलाइंज दी हैं, प्लान डाकुमेंट में जो प्राविजन है उसके मुताबिक पचास परसेंट हम देने के लिए तैयार हैं। अगर राज्य सरकार और ज्यादा खर्च कर सकती है तो हम वह भी देने के लिए तैयार हैं, अपना हिस्सा देने के लिये तैयार हैं और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी। आप राज्य सरकार को तैयार करें इसके लिए। यह राष्ट्रीय समस्या है और इसकी गम्भीरता को मैं समझता हूं। लेकिन जिस तरह से रकम का एलोकेशन किया है उसको भी अगर वे खर्च नहीं करते हैं तो इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। दूसरी मदों में उनको चाहिए कि वे कटौती करें। रेगिस्तान की सबसे बड़ी जो समस्या है क्यों नहीं उस पर वे ज्यादा खर्च करते हैं। आपको चाहिए कि आप राज्य सरकार पर दबाव डालें ज्यादा पैसा इस पर खर्च करने के लिए। आगे भी उनको पैसा मिलता रहेगा और अगर कोई कमी दिखाई देगी तो सरकार उस पर विचार करेगी। आपने जितने सुझाव दिये हैं उनको मैंने नोट कर लिया है। हम जब पैसा लगाने के लिए तैयार हैं तो आपको चाहिए कि आप राज्य सरकार को भी तैयार करें। आगे जो ज्यादा खर्च होगा हम देने के लिए तैयार हैं और कोई कमी इसमें आने नहीं दी जायेगी। डी० पी० ए० पी० का जो कार्यक्रम है उसको चलाया जा रहा है. दूसरे कार्यक्रम भी आप चला रहे हैं। ये डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं और उनमें कटौती करने का कोई सवाल नहीं है।

मैं वहां गया था। डैजर्ट पार्क के लिए उन्होंने कहा कि बीस लाख रुपये के लिए यह कार्यक्रम बंद हो गया है। पैसे की उन्होंने मदद मांगी। हिसाब से तो मदद नहीं कर सकते थे लेकिन बीस लाख रुपया हमने सेविंग्ज से भेजा। आप राजस्थान सरकार में मुस्तैदी लायें। वह गम्भीरता से इसको ले, समझो कि यह महत्वपूर्ण कार्य है। जो वह खर्च नहीं कर पाती है उसको आप कहें कि खर्च करे। जैसा मैंने कहा 1981-82 का दस करोड़ रुपया अभी तक चला आ रहा है और खर्च नहीं हो पाया है। आगे फिर लेना चाहें तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी मजबूरी को आप समझें। हम बंधे हुए हैं। हम सौ परसेंट भारत सरकार से खर्च नहीं कर सकते हैं। कम-से-कम जितने पैसे का प्रावधान हम हर साल करते हैं उतना तो आप उनसे खर्च करवाएं

मैचिंग ग्रांट देने के लिये हम तैयार हैं। दूसरी मदों से कटौती करके वे पैसे को इसमें खर्च कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। क्या इस पर दस करोड़ भी खर्च नहीं कर सकते हैं। मुझे माफ करें यह कहने के लिए कि राजस्थान पर साढ़े तीन सौ या चार सौ के करीब का ओवरड्राफ्ट हो गया है। क्या दस-पन्द्रह करोड़ इसमें नहीं लगा सकते? अगर लगाते तो हमें कहते कि आप और क्यों नहीं देते हैं? हम तैयार हैं और देने के लिये और कहीं से कटौती करके भी हम ज्यादा पैसा दे सकते थे। हमारी पूरी हमदर्दी है राजस्थान के साथ। राजस्थान एक महत्वपूर्ण स्टेट है। अगर रिव्यू करने की जरूरत होगी किसी भी स्कीम को तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। आपने जो सुझाव दिये हैं उनको मैंने नोट कर लिया है। उन पर हम ध्यान देंगे। हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : प्लानिंग कमीशन पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है। उसके बारे में मंत्री जी न बताएं। समाज का जो अंग कमजोर है, गिरा हुआ है क्या उसको मजबूत नहीं किया जाना चाहिये? क्या आप यह चाहते हैं कि जो मरा हुआ है उसको मरने दिया जाये? अगर उसके पास साधन नहीं है, उसके शरीर में हड्डियां, मांस, कुछ नहीं है तो क्या यह आपका कर्तव्य नहीं है कि उसके वास्ते आप सुविधाएं उपलब्ध करें? वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं और वह छठे प्लान डाकुमेंट को जानते हैं कि उसमें क्या है। यह सरकार का डाकूमेंट है। और आपने ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम 75 जिलों में लागू किया था और छठी योजना में उसको लागू किया। और आपने डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान भी लागू किया और छठी योजना में उसके लिए धन राशि अलग-अलग मुकर्रर की, या नहीं? जब छठी योजना बनी तब आपने डी०पी०ए०पी० प्रोग्राम लागू कर दिया और 75 जिले शामिल किये जिसमें बाड़मेर, पाली और जोधपुर भी थे। दो साल भी नहीं हुए बीच में ही छोड़ दिया। आप यह बतायें कि मरुथल विभाग और डी. पी. ए. पी. में क्या फर्क है? जमीन और आसमान का अन्तर है। डी पी ए.पी. का जो प्रोग्राम है उसके अन्दर और मरुथल विकास के अन्दर कोई फर्क है कि नहीं? अगर हिन्दुस्तान का मरुथल नहीं रोका तो जैसलमेर, जोधपुर और आगे बढ़ जायेगा, और प्रांतों को भी खा जायेगा। आपको तो विहार का नक्शा नजर आता है हरे-भरे खेतों का। तो सवाल यह है कि छठी योजना जो आपने बनाई उसमें पहला प्रश्न यह है कि 1980-85 का जो यह डोकूमेंट है उसके अन्दर 75 जिले शामिल किये हैं, उन जिलों को निकालने का आपको किसने अधिकार दिया?

मरुथल विकास का कार्यक्रम बिल्कुल अलग है और इसका कार्यक्रम अलग है। इनको आपने शामिल कैसे कर लिया? मरुथल विकास काम में और डी. पी. ए पी. के प्रोग्राम में कितना अन्तर है? जमीन आसमान का अन्तर है। डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम उन जिलों में भी बना सकते हैं जिन जिलों में कुछ हिस्से हों मरुस्थल के। लेकिन जहां मीलों रेगिस्तान ही हो उसको आप कैसे दूसरे प्रोग्राम के साथ मिला सकते हैं क्या प्लानिंग कमीशन ने जो आपको समझा दिया उसको मान लेंगे? आप उनको वापस लिखिये कि यह आपने क्या कर दिया। आप यह भी बतायें कि डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम में कितनी धनराशि है? उपाध्यक्ष जी, हम लोग सब्सिडी

देना चाहते हैं, और आप भी भाषण देते हैं कि 58 करोड़ लोग जो देश के गरीब हैं उनमें से 1 करोड़ 15 लाख आदमियों को प्रतिवर्ष गरीबी रेखा से ऊपर लायेंगे और आई. आर. डी. पी. प्रोग्राम के आप ही मालिक हैं। आपने घोषणा की है कि 5011 ब्लाक्स जो हैं उनमें प्रति वर्ष 1 करोड़ 15 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लायेंगे जिनकी आमदनी 3,500 रु० से कम है। तो आप हमारा जो कार्यक्रम बन्द कर रहे हैं, न तो आई० आर० डी० पी० प्रोग्राम चल रहा है न और कोई प्रोग्राम चल रहा है। तो आप बताइये कि डी. पी. ए. पी. का जो प्रोग्राम है.....राजस्थान कैनाल की 1958 में श्री गोविन्द बल्लभ पन्त ने नींव रखी थी और यह 60 करोड़ में उस समय बनती थी। वह आज 420 करोड़ में भी नहीं बन सकती। वह आज 25 साल में भी नहीं बन सकी है। अगर वह बन जाती तो उसकी आमदनी कम से कम 30 लाख टन अनाज देती और 25 लाख टन चारा देती। आपने डी. पी. ए. पी. को उसमें जोड़ दिया। मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल का क्या हुआ ? हमारे मंत्री जी का जवाब नहीं आया। न कोयला दिया है और न सीमेंट दी है।

यह जो उन्होंने उत्तर दिया है, पार्लियामेंट के सामने जो सिक्स्थ फाइव ईअर प्लान का डाक्यूमैंट रख दिया है, इन्होंने मान लिया है। इसको क्या वापिस लेने का इनका अधिकार है ? क्या इस प्लान की आपने कभी चर्चा की है ? बगैर चर्चा के उसको एक्सक्लूड क्यों किया गया ? पार्लियामेंट सर्वोपरि है, प्लानिंग कमीशन को इसे बदलने का अधिकार किसने दिया ? जब प्लानिंग कमीशन ने एक डाक्यूमैंट यहां रख दिया तो हमसे बिना पूछे ही कैसे बदल दिया ? यह बड़ा सवाल है।

डी. पी. ए. पी. के अंतर्गत देश के 74 जिलों में फैले 557 खण्ड आते हैं।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह मेरे प्रश्न का उत्तर दें। उन्होंने बड़ी कोमलता से, मधुरता से ठण्डे-ठण्डे इसे कह दिया। आप हमसे यह छीनना चाहते हैं। आप यह कहिये राजस्थान सरकार के पास ताकत नहीं है मौनेटरी 50 परसैंट देने की, आप क्यों नहीं 100 परसैंट देते हैं ? आप क्यों हिली एरिया को देना चाहते हैं ? जहां कि लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं वहां भी आपको देना पड़ेगा।

मेरे ये चारों प्रश्न जुड़े हुये हैं। डी. पी. ए. पी. की अलग चीज है, आपने दोनों को क्यों जोड़ दिया। क्या सरकार ने यह नीति बना ली है कि जिसके पास पैसा नहीं होगा वह देश का हिस्सा गरीब ही रहेगा, मेरे ख्याल से वह ऊपर नहीं आ सकता ? या सरकार की यह नीति है कि हम सब गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को ऊपर लेकर आयेंगे ?

श्री नीलालोहितादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : श्रीमन, श्री जैन को दिये गये उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि सब कुछ ठीक-ठाक है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनको 12 जुलाई,

1982 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में छपी खबर, जिसका शीर्षक "फॉरशेकन वाई सरकार दे गो टू शाईलॉक है" की ओर ध्यान गया है। इसमें कहा गया है :—

> "सूखा और बाढ़ से निपटने में लगे वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकार की निष्क्रयता को यह कहकर सही बताया कि यह इलाका पहुंच से बाहर है और लोगों द्वारा शदियों से सूखे की हालात में रहने के अभ्यस्त हो गये हैं। उन्होंने लोगों द्वारा अकाल से लड़ने में प्रवीणता तथा उन साधनों के प्रयोग के बारे में जिनका बाहर वालों को पता नहीं है अधिक बातें कीं। लेकिन उनकी कठिनाईयों को कम करने के बारे में कम बताया है।"

आज राजस्थान में यह हालत है। मंत्री महोदय ने कहा है कि 1981-82 और उससे पहले के वर्षों में राजस्थान सरकार को दी गई दिये गये अनुदान का, उन्होंने पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। जिन हालातों में उन्होंने जवाब दिया है, उसके बारे में मैं एक ठोस प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार ने सूखे की हालत से निपटने के लिये ठीक से कार्य किया है। इसी प्रकार, श्री जैन ने 4 अक्तूबर, 1982 को एक प्रश्न किया था जिसमें उन्होंने पूछा था : क्या सरकार इस कार्यक्रम को केन्द्रीय कार्यक्रम मानेगी जैसा कि 1977-78 में किया गया था। और इसके लिए शत-प्रतिशत आवंटन करेगी ? मन्त्री महोदय ने उसका उत्तर नकारात्मक दिया था। इसको केन्द्रीय कार्यक्रम न मानने के क्या कारण हैं? भारत सरकार को इस प्रकार का कदम किस कारण उठाना पड़ा है ?

कुछ समय पहले, सूखाग्रस्त राज्यों के मुख्य-सचिवों की मन्त्रिमण्डल-सचिव के साथ एक बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या निर्णय लिए गये थे ? क्या उन निर्णयों को पूर्णतया लागू कर दिया गया है ?

केन्द्रीय दल ने कितने राज्यों का दौरा किया ? क्या उस दल ने राजस्थान का दौरा किया था ? यदि हां, तो उस दल की क्या सिफारिशें हैं और क्या उन सिफारिशों को लागू कर दिया यया है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री जैन और श्री डागा, ने राजस्थान में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को बन्द करने के सम्बन्ध में काफी चर्चा की है। मैं ज्यादा गहराई में न जाते हुये कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां इतनी तेजी के साथ बदल गई हैं कि राजस्थान के अतिरिक्त देश के और भी बहुत से हिस्से हैं, जो इस समय गम्भीर रूप से सूखे से प्रभावित हैं। मंत्री महोदय इस बात से अवगत होंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक सप्ताह पहले एक और भयानक बाढ़ आई थी और बहुत से इलाके पानी में डूबे हुये थे, दूसरी ओर वहां पर हजारों हजार एकड़ फसल बर्बाद हो रही थी और कूंओं में पानी पीने तक को नहीं था। अब भी पानी नहीं है।

मंत्री महोदय ने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम में विघ्न पड़ने के कारण डी. पी. ए. पी. को बन्द कर दिया गया। मन्त्री महोदय क्लीयरली बताएं कि इन दोनों कार्यक्रमों का आपस में सम्बन्ध क्या है कि एक में कोई दिक्कत होने से दूसरे को बन्द कर देना पड़ा। उन्होंने अपना भार राजस्थान सरकार पर डाल दिया और अपनी काहिली को छिपा लिया। उन्होंने श्री डागा से कहा कि वह राजस्थान सरकार को तैयार करें। यदि यही स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार में पैदा होती है, तो मन्त्री महोदय कहेंगे कि माननीय सदस्य अपने-अपने राज्य की सरकारों को तैयार करें। यदि हमको अपनी-अपनी सरकारों को तैयार करना है श्री डागा को राजस्थान सरकार को तैयार करना है, हमें उत्तर प्रदेश की सरकार को तैयार करना है और शास्त्री जी बिहार की सरकार को तैयार कर लेंगे, तो फिर सैंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत क्या है ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : फारेन टूर, एशियाड, कलर टी० वी०।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों कार्यक्रमों को एक साथ चलाने में हर्ज क्या था। मन्त्री जी साफ-साफ बतायें कि एक कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया और दूसरे को चलाया जा रहा है। क्यों ? इसका मुख्य तथ्य क्या है ?

दूसरी बात यह है कि राजस्थान के अलावा दूसरे स्थानों पर जो सूखा पड़ा है, क्या उधर भी इस कार्यक्रम के तहत मन्त्री जी का कोई ध्यान है या नहीं ? अगर मन्त्री जी का ध्यान है तो वे बतलाने की कृपा करेंगे कि उन स्थानों के लिए उन्होंने क्या किया है ?

अन्त में एक वाक्य में मैं सुझाव भी देना चाहूंगा। सूखे की जो समस्या है वह एक राष्ट्रीय समस्या है और मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि यह राष्ट्रीय समस्या है। मैं समझता हूं इस सरकार का चक्कर छोड़कर केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या पर सोच-विचार करे और सारी जगहों की ओर ध्यान दें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ही इस सदन में अकेला व्यक्ति हूं जो तमिलनाडु के बारे में बात करता है। राजस्थान में इस वर्ष सूखे की भयंकर स्थिति है। और केवल इस वर्ष ही नहीं, कई वर्षों से यह स्थिति चली आ रही है। इसका पूरा इतिहास ही ऐसा है। राजस्थान का इलाका रेगिस्तानी रहा है, वहां पर हमेशा ही सूखे की स्थिति रही है। मैं समझता हूं यह बहुत ठीक बात सोची गई कि राजस्थान में जो सूखे की स्थिति रही है उससे लोगों को बचाने के लिये कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाये जायें ताकि वहां पर जो सूखे की निरन्तरता है वह समाप्त हो सके। लेकिन इन कार्यक्रमों को वहां पर सही ढंग और जिस तेजी के साथ चलाने की आवश्यकता थी, उस तेजी के साथ उनको अभी तक नहीं चलाया गया है। यद्यपि कुछ पैसा वगैरह आप देते हैं यहां केन्द्र से, लेकिन इसी के साथ आप केन्द्र की जिम्मेदारी को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते यह कह करके कि संसद सदस्य उन

कामों के लिये राज्य सरकार को तैयार करें। इसमें केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है।

आज राजस्थान में सूखे की स्थिति है लेकिन राजस्थान के अतिरिक्त भी, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है, दूसरे राज्यों में भी जहां हर वर्ष सूखा नहीं पड़ता था लेकिन इस वर्ष वहां भी भयंकर सूखे की स्थिति है। स्वयं माननीय मन्त्री जी के अपने राज्य बिहार में भयंकर सूखे की स्थिति है। कलकत्ते से जो अखबार "टेलीग्राफ" निकलता है उसमें "स्टावेशन डेथ्स इन बिहार" के सम्बन्ध में लिखा गया है। मन्त्री जी और उनके मन्त्रालय के अन्य अधिकारियों ने इस समाचार को पढ़ा होगा। एक बहुत बड़ा चित्र भी अखबार में छपा है जिसमें एक बुढ़िया है जिसके पति का देहान्त भुखमरी के कारण हो चुका है। दूसरे वैशाली जिले में अनेक मौतें हुई हैं जिसमें जानकी देवी के पति की मृत्यु हुई और बद्री राय की मृत्यु हुई है इसलिये कि उनके पास खाने के लिये अनाज नहीं था और काम करने के लिये कोई काम नहीं था। यदि उन्हें कहीं काम मिल जाता, कोई मजदूरी मिल जाती तो उससे वे अपना काम चला लेते लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। मन्त्री जी के राज्य बिहार के ही सम्बन्ध में आज समाचार छपा है कि संथाल परगना के पाराजोरी ब्लाक में 6 आदिवासियों को गोली से उड़ा दिया गया। उनका कुसूर यह था कि वे भुखमरी से मर रहे थे और उन्होंने सरकार से कहा था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ कार्यक्रम चलाये जायें ताकि उसमें भाग लेकर वे कुछ मजदूरी प्राप्त कर सकें और अपनी जीविका चला सकें। बजाए इसके कि सरकार उनकी बात पर ध्यान देती, पुलिस ने उन पर गोली चला दी जिसमें 6 आदिवासी मारे गए। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच समिति की नियुक्ति भी नहीं की है।

यह जो सूखे की स्थिति है इसमें एक तो खरीफ की फसल पहले नष्ट हो गई और अब रबी की फसल के लिये भी पानी नहीं है तथा साथ ही कोई काम-काज भी नहीं जिसके द्वारा लोग अपनी जीविका चला सकें। सरकार की ओर से उनकी कोई भी मदद नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में जो आज भयंकर सूखे की स्थिति है उसके सम्बन्ध में इस सदन में व्यापक चर्चा होने वाली है लेकिन अभी मूल रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन तमाम राज्यों में जहां पर भयंकर सूखे की स्थिति है और जहां पर भुखमरी से लोग मर रहे हैं, वहां के लिये सरकार ने कोई कार्यक्रम अभी तक सोचा है या नहीं ? बहुत से सूखाग्रस्त इलाके हैं, अभी तक उन को सूखाग्रस्त इलाका घोषित नहीं किया गया है और इनको सूखाग्रस्त इलाका घोषित करने में क्यों देर की जा रही है। उन स्थानों में जहां पर भुखमरी से मृत्यु हुई है क्या उन सारे सूखाग्रस्त इलाकों को आप सूखाग्रस्त इलाका घोषित करेंगे और अभी तक उनको सूखाग्रस्त इलाका घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सूखाग्रस्त इलाकों में बिजली की समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है। वहां बारिश नहीं हुई और इससे वहां रबी की फसल नष्ट हो रही है और दूसरे वहां

पर बिजली नहीं दी जा रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि किसान अपने खेतों की सिंचाई अपने ट्यूबवेल चला कर भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही सूखाग्रस्त इलाकों की तमाम नहरों में पानी नहीं है। स्थिति यह है कि एक ही जिले में जहां एक तरफ बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ के कारण फसल नष्ट हुई है वहां दूसरी तरफ सूखा पड़ा हुआ है। हमारे गोरखपुर जिले में ऐसा ही है। जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा, वहां सूखा पड़ा हुआ है। नदियों से जो नहरें निकाली गई हैं, उनमें भी पानी नहीं है। कितनी बड़ी बिडम्बना है कि एक तरफ तो नदियों में पानी भरा हुआ है और दूसरी तरफ उस पानी को नहरों में ले जा कर जो सिंचाई का काम हो सकता था, वह काम नहीं हो रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इन नहरों में पानी देने की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

साथ ही मेरा प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार के कार्यक्रम क्यों नहीं चलाये जा रहे हैं। अगर इन कार्यक्रमों को चलाया जाए, तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे भुखमरी की स्थिति समाप्त हो सकती है। फूड फार वर्क प्रोग्राम जनता पार्टी के जमाने में शुरू हुआ था। उसकी वजाय आपने नेशनल रूरल एम्पलायमेंट प्रोग्राम बनाया है लेकिन इस प्रोग्राम के अन्तर्गत कोई काम नहीं हो रहा है या बहुत कम काम हो रहा है। जब ऐसी बात है, तो फिर ऐसी योजना बनाने का मतलब क्या है। अगर इस योजना को कार्यान्वित किया जाये, तो लोगों को रोजगार मिलेगा और भुखमरी की स्थिति खत्म हो सकती है। इसके बारे में कई लोगों ने कहा है और हमारे मंत्री जी के राज्य, बिहार में भी लोग भुखमरी से पीड़ित हैं और तमाम अखवारों में यह वात आ रही है।

मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी मेरी इन तमाम बातों का उत्तर दें।

श्री बालेश्वर राम : उपाध्यक्ष जी, ऐसे तो आज की जो चर्चा थी, उसमें कुछ सीमित प्रश्न ही चर्चा के लिये रखे गये थे और जो पर्मानेन्ट एरियाज सूखा-पीड़ित हैं, डी. पी. ए. पी. के जो एरियाज हैं या जो हमारा डेजर्ट का इलाका है, श्री वृद्धि चन्द्र जैन का जो मूल प्रश्न था, वह उसी से सम्बन्ध रखता था। जो अस्थायी रूप से इलाके सूखे से प्रभावित हुये हैं, उनके संबन्ध में चर्चा की बात नहीं थी लेकिन माननीय हरिकेश बहादुर जी ने या हमारे दूसरे साथी जो बोल कर चले गये या नाडार साहब ने और डागा जी ने भी राजस्थान की जो चर्चा की है, उसके बारे में संक्षेप में मैं कह चुका हूं और अब थोड़ा बहुत उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा।

इन्होंने जिन समस्याओं को उठाया है, उनका अपने आप में महत्व है, यह मैं मानता हूं। हिन्दुस्तान के बहुत से इलाकों में, बिहार और उत्तर प्रदेश में और दूसरे कई भागों में काफी सूखे की स्थिति बनी और भयंकर हालत पैदा हुई है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि डी. पी. ए. पी. के लिये जो फार्मूला पहले इन्होंने बनाया था, उसमें थोड़ी बहुत तरमीम की गई है और टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन्स पर यह हुई है, वह एक अलग सवाल है और सूखे से जो अभी

प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां कार्यक्रम चलने चाहिये राहत देने के लिये, इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं और भारत सरकार को भी इसकी पूरी चिंता है। आप यह भी जानते हैं कि जो इलाके, जो राज्य सूखे से प्रभावित नहीं होते, वहां के लिये ऐसी व्यवस्था नहीं है लेकिन राजस्थान का कोई इलाका, जो डी. पी. ए. पी. में आता है, वहां पर अगर सूखे की स्थिति आती है, तो मार्जिन मनी तुरन्त एवेलएविल होती है। वहां राज्य सरकारों के पास प्रावधान होता है. उससे वे राहत कार्य शुरू कर सकती हैं और वहां जो नुकसान होता है, उसका एक मेमोरेंडम भारत सरकार के पास भेजती हैं कि हमारे यहां इतनी क्षति हुई है ।

श्री मूल चन्द डागा : हमें अपने प्रश्नों के विशिष्ट उत्तर चाहिये । हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि पांच वर्ष के बावजूद .....

श्री बालेश्वर राम : मैं बता रहा हूं । यह भी माननीय सदस्य द्वारा बर्निंग सवाल उठाया गया है। मुझे मालूम नहीं है कि संथाल परगने में क्या स्थिति हुई, लेकिन जिस तरह की चर्चा आपने की है, यह बहुत ही दुःख की बात है और वहां सरकार का ध्यान जाना चाहिए धीरज रखिये मैं आपको बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपसे जानना चाहते थे। निस्संदेह, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं नहीं जानता कि क्या आप यह उत्तर भी दे सकेंगे—कि क्या संसद सर्वोच्च या योजना आयोग सर्वोच्च है ?

श्री बालेश्वर राम : संसद सर्वोच्च है ।

श्री बालेश्वर राम : श्री हरिकेश बहादुर और दूसरे माननीय सदस्यों ने एन० आर० पी० के बारे में चर्चा की है कि भारत सरकार का क्या काम है। अगर सारी एजेंसी हम अपने हाथ में ले लें तो एक हंगामा शुरू हो जाये कि राज्य सरकारों के काम में हस्तक्षेप करते हैं। फाइनांशियल एलोकेशंस हम देते हैं और कार्यक्रम के क्रियान्वयन का काम राज्य सरकारों को सौंपा जाता है। भारत सरकार की कोई अलग से एजेंसी इसके लिये नहीं है । भारत सरकार अपना दायित्व पूरा करती है। प्लान डाकूमेंट में जो व्यवस्था की गई है, पार्लियामेंट में भी जैसी कि चर्चा की गई है फिफ्टी परसेंट भारत सरकार देने के लिये तैयार है—वह पैसा हम देंगे ।

एन० आर० ई० पी० के बारे में आपको मालूम होगा कि 1680 करोड़ रुपए का प्रावीजन है और जनता सरकार की तरफ से जो टेंपरेरी फूड फार वर्क प्रोग्राम चलता था, उसको हमने सिक्सथ फाइव इयर प्लान में माना है और इसके लिये 1618 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो राज्य सरकारें अपना पिछले साल का 50 प्रतिशत तक हिसाब दे दें तो उसको मानकर हम फरदर रिलीज करते हैं। लेकिन प्लानिंग कमीशन ने जो इन्तजाम किया है, उसे

हमको मानना है और कोई बेसिक चेंजेज, जैसा कि डागा जी ने कहा, कोई बहुत चेंजेज नहीं आया है। डी० पी० ए० पी० और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम दोनों अलग-अलग चलते थे। एक होने के कारण फाइनांशियल एलोकेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।

श्री मूल चन्द डागा : 74 जिलों को डी० डी० पी० कार्यक्रम के अधीन किया गया है।

श्री बालेश्वर राम : आपने अपनी बात कह दी है, धैर्य रखिये।

श्री बालेश्वर राम : मैंने शुरू में कहा, आपने शायद सुना नहीं। प्रति हजार स्क्वायर किलोमीटर के लिये 10 लाख रुपये देने जा रहे हैं। फाइनांशियल एलोकेशन में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा : परन्तु हमारा राज्य जो कि गत चार वर्ष से सूखे से ग्रस्त चला आ रहा है, वह 50% अंशदान देने की स्थिति में नहीं है। जिसका अर्थ है कि हमें पूर्णरूपेण इस सुविधा से वंचित किया गगा है। अतः, आपका कार्यक्रम क्या है ? आपने सदन को यह आश्वासन दिया था कि रोजगार प्रदान करके प्रतिवर्ष 135 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जायेगा। अब मैं यह विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपका कहना है कि ऐसे 5,000 खण्ड हैं। आप उन खण्डों का विकास किस प्रकार करेंगे जो कि गरीबी से ग्रस्त हैं ? आप किस प्रकार उन्हें गरीबी-रेखा से ऊपर लायेंगे ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री बालेश्वर राम : आई० आर० डी० के जो प्रोग्राम्स हैं, वे डी० पी० ए० पी० एरिया में कहीं बन्द नहीं हुए हैं। फिर, मैं कहूंगा कि उसमें जो सबसिडी का अमाउन्ट देना है, उसमें भी 50 परसेंट वहां की सरकार को देना चाहिए। अभी एग्जेट फीगर मैं वहां का नहीं दे सकता। हमारा जो टारगेट है वह 600 फैमिलीज पर ब्लाक पर इअर अबोव दी पावर्टी लाईन लाना है और 15 मिलियन फैमिलीज एड ऑफ दी प्लान पावर्टी लाईन के ऊपर लाना है। इस पर हम कायम हैं और राजस्थान में काम शुरू हुआ है। एग्जेट आंकड़े मुझे याद नहीं हैं कि वहां स्टेट के हिसाब से कितने बेनीफियरीज हुए हैं।

श्री मूल चन्द डागा : आप किसी ऐसे जिले का नाम गिनाइये जिसे गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। और जहां लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हो।

श्री बालेश्वर राम : मैं कल पूछकर आपको बता दूंगा।

उत्पाद शुल्कों में संशोधन करने वाली अधिसूचनाएं यदि किसी दिन 6 बजे साय से पूर्व जारी की जायें तो उन्हें उसी दिन संसद के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। इस सिफारिश को समिति ने सभा में 17 मई, 1979 को प्रस्तुत किये गए अपने इक्कीसवें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में फिर दोहराया था। आज की द्वितीय अनुपूरक कार्यसूची में जो अधिसूचनाएं सम्मिलित की गई हैं उनमें 50 लाख रुपये से कम का राजस्व अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अधिसूचनाएं आज जारी की गई हैं और वित्त राज्य मंत्री महोदय ने आज ही उन्हें सभा पटल पर रखने की अनुमति मांगी है। समिति की सिफारिश के अनुसरण में अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई है।

श्री पट्टाभिराम राव अब सभा पटल पर रख सकते हैं।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचना तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : महोदय मैं, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 225/82-सी० शु० 226/82-सी० शु० और 227/82-सी० शु० की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो रंगीन टेलीविजन सेटों को, जब भारत में उनका आयात असबाब के रूप में या हवाई मार्ग द्वारा या डाक द्वारा किया जाये, छूट देने के बारे में है, ताकि ऐसे सेटों पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क की दर कारगो के रूप में आयात किये जाने वाले सेटों की दर के बराबर अर्थात मूल्यानुसार 190.375 प्रतिशत होगी सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5470/82]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.31 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा, मंगलवार, 12 अक्तूबर, 1982/20 आश्विन, 1904(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।